सप्तम माला, खंड 48, अंक 9 गुरुवार, 2 अगस्त, 1984/11 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 2 अगस्त, 1984/11 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

मुख्य पृष्ठ पर "खंड 48" के स्थान पर "खंड 49" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 6, "तारांकित" पर x चिन्ह लगाएं।

विषय सूची, पृष्ठ (iv), पंक्ति 9, "श्री दिलीप" के स्थान पर "श्री दलीप" पढ़िये।

पृष्ठ 4, पंक्ति 4, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 9, पंक्ति 7, "पाराशर" के स्थान पर "पराशर" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 13, "सी0वी0आई0" के स्थान पर "सी0बी0आई" पढ़िये।

पृष्ठ 41, अंतिम पंक्ति, "श्री बाबराव पराजपे" के स्थान पर "श्री बाबूराव पराजपे" पढ़िये।

पृष्ठ 58, नीचे से पंक्ति 8, "श्री शिबु सारेन" के स्थान पर "श्री शिबु सोरन" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 12, "श्री के0प्रधानो" के स्थान पर "श्री के0प्रधानो" पढ़िये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 13, "चालू" के पूर्व "(g)" जोड़िये।

पृष्ठ 97, पंक्ति 15, "जनन्नाथपुरी" के स्थान पर "जगन्नाथ पुरी" पढ़िये।

पृष्ठ 100, पंक्ति 13, "श्रीमती शीला कौल" के स्थान पर "श्रीमती मोहसिना किदवई" पढ़िये।

पृष्ठ 105, पंक्ति 12, श्रीमती" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।

पृष्ठ 132, पंक्ति 6, "श्री नबुल किशोर शर्मा" के स्थान पर "श्री नवल किशोर शर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 179, पंक्ति 11, "पारादो" के स्थान पर "पारादीप" पढ़िये।

पृष्ठ 210, पंक्ति 6, "वोहा सोडा" के स्थान पर "बोंडामुंडा" पढ़िये।

पृष्ठ 215, नीचे से पंक्ति 5, "श्री" और "राम" के बीच "एम0" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 220, पंक्ति 4, "श्री" के स्थान पर "प्रो0" पढ़िये।

पृष्ठ 273, प्रथम पंक्ति, "सभापति महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 284, पंक्ति 11, "विधेयक" के स्थान पर "विधान" पढ़िये।

पृष्ठ 285, नीचे से पंक्ति 2, "जिलों" के स्थान पर "जिले" पढ़िये।

पृष्ठ 286, पंक्ति 14, "श्री भानु प्रताप शर्मा" के स्थान पर "श्री प्रताप भानु शर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 306, प्रथम पंक्ति, "13·46 म0प0" के स्थान पर "1·46 म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 307, पंक्ति 14, "12·49 म0प0" के स्थान पर "1·49" म0प0 "पढ़िये।

पृष्ठ 312, नीचे से पंक्ति 3, "विश्वासनीय" के स्थान पर "विश्वसनीय" पढ़िये।

पृष्ठ 362, पंक्ति 15 और 16 लाइन के बीच यह अंत:स्थापित करिये:-
एक माननीय सदस्य- दूसरों को भी अच्छा बनाइए।"

पृष्ठ 398, पंक्ति 2, "विधयक" के स्थान पर "विधेयक" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 9, गुरुवार, 2 अगस्त, 1984/11 श्रावण, 1906 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		1—25
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 167, 168, 170, 173, 175, 178 और 179	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		25—268
	तारांकित प्रश्न संख्या : 171, 172, 174, 176, 177 और 180 से 186	25—35
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 1579 से 1680 और 1682 से 1810	35—266
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		269—271
वित्तीय समितियां, 1983-84—एक समीक्षा		271
राज्य सभा से संदेश		271—272
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक		272
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक—पुरःस्थापित		272—273
नियम 377 के अधीन मामले		274—289
(एक)	न्यायालयों में, विशेषकर पटना में, बड़ी संख्या में विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाना श्री कृष्ण प्रताप सिंह	274—275
(दो)	बम्बई के पूर्वी उपनगरों और भांडुप-कांजार में नमक विभाग की भूमि को विकास कार्यों के लिए दिये जाने की आवश्यकता डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	281—282
(तीन)	मांडवी पैलेट्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता श्री एडुआर्डो फैलीरो	282
(चार)	तमिलनाडु में इण्डेन गैस की कमी और भारतीय तेल निगम द्वारा उसकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता श्री ईरा मोहन	282—283
(पांच)	परिवार कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन श्री एस० टी० के० जक्कायन	283

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

	विषय	पृष्ठ
(छः)	जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उन पर और आगे अनुसंधान करने की आवश्यकता श्री जगपाल सिंह	283—284
(सात)	न्यायालयों द्वारा घोषित दंड की अवधि से अधिक समय तक जेल में रखे गये व्यक्तियों को मुआवजा देने का उपबन्ध करने के लिए एक विधान बनाये जाने की आवश्यकता श्री राम विलास पासवान	284
(आठ)	स्कूलों/कालिजों और रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबन्ध को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता श्री सत्यनारायण जटिया	284—285
(नौ)	देश के विभिन्न भागों में कीड़ों द्वारा गन्ने की फसल को हुई हानि और इन फसलों को बचाने के लिए तुरन्त उपाय किये जाने की आवश्यकता श्री राम लाल राही	285
(दस)	बिहार के पूर्णिया जिले को अकालग्रस्त घोषित किये जाने की आवश्यकता श्रीमती माधुरी सिंह	285—286
(ग्यारह)	विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता श्री प्रताप भानु शर्मा	286—287
(बारह)	भारी वर्षा के कारण बिहार के कुछ जिलों में फसल तथा जनजीवन और सम्पत्ति को भारी हानि श्री डी० पी० यादव	287
(तेरह)	बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता श्री रामावतार शास्त्री	287—288
(चौदह)	सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में रोजगार कार्यालयों के जरिये भर्ती करने की नीति का पालन करते रहने की आवश्यकता श्री हन्नान मोल्लाह	288—289
अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1984-85		289—305
	प्रो० सत्यदेव सिंह	290
	श्री जयपाल सिंह कश्यप	292

विषय	पृष्ठ
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	293
श्री एस० एम० कृष्ण	297
पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	306—307
पुर:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	306
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	307
पारित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	307
अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1984-85	307—339
श्री ई० बालानन्दन	310
श्री एडुआर्डो फैलीरो	312
श्री ईरा मोहन	314
श्री पी० शनमुगम	317
श्री राजेश कुमार सिंह	323
आचार्य भगवान देव	325
श्री इन्द्रजीत गुप्त	327
श्री हरिकेश बहादुर	331
श्री एस० टी० के० जक्कायन	333
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	334
श्री एस० एम० कृष्ण	336
पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक	340—343
पुर:स्थापित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	340
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	340
श्री रामावतार शास्त्री	340
खण्ड 2, 3 और 1	
पारित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	343

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85	343—397
श्री सतीश अग्रवाल	347
प्रो० नारायण चन्द पराशर	352
श्री सोमनाथ चटर्जी	357
प्रो० सत्यदेव सिंह	363
श्री जगपाल सिंह	364
श्री राम स्वरूप राम	366
श्री विजय कुमार यादव	368
श्री दिलीप सिंह भूरिया	372
प्रो० अजित कुमार मेहता	374
श्री उमा कान्त मिश्र	376
श्री हरीश कुमार गंगवार	378
श्री पी० नामग्याल	381
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	384
आचार्य भगवान देव	385
श्री राम प्यारे पनिका	387
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	389
श्री गिरधारी लाल व्यास	390
श्री गिरधारी लाल डोगरा	392
श्री कालीचरण शर्मा	393
श्री एस० एम० कृष्ण	394
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक	398—399
पुरःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	398
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	398
खण्ड 2, 3 और 1	
पारित किये जाने का प्रस्ताव	
श्री एस० एम० कृष्ण	399

लोक सभा

गुरुवार, 2 अगस्त 1984/11 श्रावण 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रशीद मसूद : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन अवर से पहले मैं कहना चाहता हूं। यहां गटर का पानी पिलाया जा रहा है और मैं कल से टेलीफोन करते-करते परेशान हो गया हूं, लेकिन कोई इंजीनियर या कोई आदमी आया नहीं है। यह पूरे शहर का सवाल है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : आप इसे 12 बजे कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खड़गपुर-हावड़ा सेक्शन पर हटिया फास्ट पैसेंजर गाड़ी को फिर चलाने का प्रस्ताव

*167. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पुरुलिया एक्सप्रेस शुरू होने पर रेल अधिकारियों ने दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा सेक्शन से हटिया फास्ट पैसेंजर गाड़ी चलाना बन्द कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि इस रेलगाड़ी को बन्द कर देने से पान के पत्तों की टोकरियों की ढुलाई और यात्री यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या उस सेक्शन पर उस रेलगाड़ी को पुनः चलाने अथवा वैसी ही कोई अन्य रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है; और

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) हावड़ा और पुरुलिया के बीच एक तेज गाड़ी चलाने की निरन्तर मांग की जाती रही थी और इस अनुरोध को पूरा करने के लिए यह तेज एक्सप्रेस गाड़ी चलायी गयी थी। अभी तक खड़गपुर-हावड़ा और खड़गपुर पुरुलिया खंडों पर यात्री यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि खड़गपुर में समुचित मेल लेने के लिए पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनमें बिजली गाड़ियां भी शामिल हैं। यात्री गाड़ियां मूलतः यात्रियों को ले जाने के लिए होती हैं न कि पान के यातायात के लिए। बहरहाल, पान के यातायात को सम्हालने के लिए इस खंड पर पर्याप्त संख्या में गाड़ियां उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) इस खंड पर यह गाड़ी या इसी प्रकार की कोई और गाड़ी पुनः चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खंड पर वर्तमान गाड़ियों की सेवाएं पर्याप्त हैं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : माननीय मंत्री के वक्तव्य का पहला भाग सत्य है कि हम हावड़ा और पुरुलिया के बीच एक तेज एक्सप्रेस गाड़ी की मांग कर रहे थे। यह शुरू तो की गई परन्तु आश्चर्य की बात है कि हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी को हावड़ा-खड़गपुर खंड से हटा लिया गया। वास्तव में वहां पर ई० एम० यू० की गाड़ियां हैं, परन्तु बंकुरा, पुरुलिया तथा मिदनापुर जिलों के यात्रियों के लिए एक तेज पैसेंजर गाड़ी आवश्यक है। उसके अतिरिक्त खड़गपुर और हावड़ा के बीच पुरुलिया एक्सप्रेस का कोई रुकने का स्टेशन नहीं है। यात्री गाड़ियों में फल, सब्जियों, पान की टोकरियां आदि जैसे माल यातायात की व्यवस्था है। मिदनापुर, पुरुलियां, बांकुरा और हावड़ा जिलों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः सब्जियों और पान के पत्तों के उत्पादन पर निर्भर करती है। वहां पर बड़ी संख्या में मुर्गी फार्म भी हैं। उनके उत्पादन को कलकत्ता बाजार में ले जाने के लिए लोगों को मुख्यतः इस हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी पर ही निर्भर करना पड़ता था। खड़गपुर से इस माल को लाना और फिर गाड़ी बदल कर कलकत्ता ले जाना बहुत कठिन है। इन महत्वपूर्ण कारणों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री खड़गपुर-हावड़ा खंड पर हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी को पुनः चलाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे ? अन्यथा, एक तेज पैसेंजर गाड़ी के स्थान पर एक तेज एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का क्या लाभ है। इस प्रकार से किसी ने भी मांग नहीं की थी। उन यात्रियों का क्या होगा जो अधिक पैसा देकर तेज एक्सप्रैस गाड़ी की यात्रा नहीं कर सकते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : न केवल पश्चिम बंगाल के बारे में अपितु भारत के अन्य भागों के बारे में भी हमारी वर्तमान नीति के अनुसार यह प्रयत्न किया गया है कि प्रत्येक जिला

मुख्यालय को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ा जाये। इस नीति के आधार पर पुरुलिया-हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ी—जो एक बहुत ही तेज गाड़ी है—को दिनांक 15-12-83 से शुरू किया गया ताकि लोग कलकत्ता पहुंच सकें, वहां अपना कार्य कर सकें और यदि वे चाहें, उसी दिन वापस आ सकें। इसे ध्यान में रखते हुए आदरा और हावड़ा के बीच 463/464 हावड़ा-हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी को या तो और अधिक वांछनीय नहीं समझा गया अथवा इस धीमी गाड़ी से यात्रा करने के लिए पर्याप्त यात्री नहीं रह गये थे। लोग एक तेज गाड़ी के लिए लगातार मांग कर रहे थे, अतः एक तेज गाड़ी शुरू की गई और हमारी जानकारी के अनुसार लोग पुरुलिया से अधिक तेज गाड़ी से यात्रा करना पसन्द करते हैं। इस परिवर्तन के बारे में पहले विचार किया गया था क्योंकि हमने सोचा कि हावड़ा-हाटिया इतनी तेज गाड़ी नहीं है जिससे हावड़ा पहुंचने वाले पुरुलिया के लोगों को संतुष्टि मिल सके। हावड़ा-हाटिया अर्थात् खड़गपुर और हावड़ा से 463/464 हावड़ा-हाटिया गाड़ी चलाने का समय नई शुरू की गई गाड़ी के साथ टकरा रहा था और नई गाड़ी के लिए रास्ता नहीं मिल पाया। तथापि आदरा-खड़गपुर के बीच के स्टेशनों की जनता की मांग पर 463/464 को खड़गपुर तक आगे बढ़ाया गया।

317/318 पुरुलिया-हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ी के शुरू होने के बाद, आदरा और खड़गपुर के बीच 463/464 गाड़ी में यात्रियों की संख्या में काफी कमी आ गई क्योंकि यात्री धीमी गाड़ी से यात्रा करते रहने की बजाये पुरुलिया एक्सप्रैस द्वारा यात्रा करना अधिक पसन्द करते हैं।

अभी भी हावड़ा जाने वाले यात्री और उनको, जो 463/464 गाड़ी से खड़गपुर जाते थे, खड़गपुर और हावड़ा के बीच ई० एम० यू० की गाड़ियों सहित कई गाड़ियां मिल सकती हैं।

अब जहां तक प्रश्न के अन्य भाग अर्थात् दूसरा माल ले जाने का सम्बन्ध है, खड़गपुर से पंसकूरा से हावड़ा तीन लाइन वाला खंड है। खड़गपुर से पंसकूरा के बीच लाइन की उपयोग 103 प्रतिशत है। लाइन क्षमता की कठिनाइयों के कारण हाटिया-खड़गपुर यानी गाड़ी को पहले की तरह हावड़ा तक बढ़ाना संभव नहीं है।

जहां तक पान के पत्तों के यातायात की बात है, खड़गपुर और हावड़ा के बीच पंसकूरा और मछेदा दो स्टेशन हैं। पान के पत्तों को ढोने के लिए इस खंड पर पैसेंजर गाड़ियों की तीन जोड़ियां पहले ही से उपलब्ध हैं। वे हैं :

1. 201 अप पुरी पैसेंजर;

2. 203 अप पुरी पैसेंजर; और

3. 315 अप आदरा चक्रधरपुर पैसेंजर

उत्तर प्रदेश की दिशा में जाने वाली तीन एक्सप्रैस गाड़ियां भी हैं। वे हैं :

1. 5 अप संबलपुर एक्सप्रैस

2. 37 अप मद्रास जनता एक्सप्रैस

3. 30 अप हावड़ा-बम्बई एक्सप्रैस

मेरे विचार से, मैंने, माननीय मंत्री द्वारा पूछी गई सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जितना प्रश्न विस्तृत है, उतना ही उत्तर भी विस्तृत है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : महोदय, मेरे विचार माननीय मंत्री से बिलकुल भिन्न हैं कि पान के पत्तों के यातायात के लिए इस खंड पर पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : वहां आपके अधिकार की सही प्रकार सुरक्षा की गई है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : जी नहीं, यह भी मांग की गई है कि अहमदाबाद एक्सप्रैस मछेदा स्टेशन पर रुके और बम्बई एक्सप्रैस बगनान स्टेशन पर रुके। ये सब मांगें की गई हैं, परन्तु वह एक अलग समस्या है। अब, इस प्रश्न पर आते हैं कि हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी को फिर से शुरू करने की मांग को माननीय सदस्यों द्वारा कई बार उठाया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, कि क्या यह सच है कि गार्डन रीच में महाप्रबन्धक के कार्यालय में दिनांक 30-6-1984 को हुई पिछली अनौपचारिक बैठक में दक्षिण-पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक ने माननीय संसद सदस्यों को यह आश्वासन दिया है कि रेलवे विभाग, खड़गपुर-हाटिया सेक्शन पर या तो हाटिया तेज पैसेंजर गाड़ी फिर से शुरू करेगा अथवा इसी प्रकार की कोई गाड़ी शुरू करेगा ? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने लाइन की कठिनाई का उल्लेख किया है। अतः इसे आसानी से नहीं किया जा सकता। मैं नहीं जानता कि महाप्रबन्धक ने कैसे और कब इस प्रकार की बात की है। यदि उन्होंने यह कहा है, तो यह, मेरे विचार से, एक गलत वक्तव्य है। उनको यह नहीं कहना चाहिए था। इस मामले पर मैंने उनके साथ कई बार चर्चा की है। जहां तक विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने का सम्बन्ध है, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह प्रश्न इस बात में से नहीं उठता है। यदि वे अलग से प्रश्न करें तो मैं यातायात विभाग से जानकारी प्राप्त करूंगा और इसका उत्तर दूंगा।

श्री नारायण चौबे : माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि खड़गपुर से पंसकूरा खंड पर गाड़ियां 103 प्रतिशत की क्षमता से चल रही हैं। यह एक तथ्य है। वहां पर यातायात जाम होता है। उस भीड़-भाड़ के कारण, क्या सरकार यह विचार कर रही है कि जिस प्रकार से पंसकुरा और हावड़ा के बीच एक तीन लाइन वाला खंड है, उसी प्रकार से खड़गपुर से पंसकुरा तक भी तीन लाइन वाला खंड होना चाहिए ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : खड़गपुर से पंसकुरा तक दो लाइन का खंड है और पंसकुरा से हावड़ा तक तीन लाइन का खंड है। यातायात के बढ़ जाने के कारण यह स्पष्ट है कि

हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा और हम उन पर विचार करने वाले हैं। परन्तु इस समय वित्तीय कठिनाइयों के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। परन्तु निश्चय ही हमें कुछ करना होगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में उप-कुलपतियों का सम्मेलन

*168. **श्री अमर राय प्रधान : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विश्वविद्यालय प्रशासन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार करने हेतु हाल ही में अखिल भारतीय उप-कुलपति सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं और उन सिफारिशों के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विश्वविद्यालयों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 21-22 मई, 1984 को देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन द्वारा निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विचार किया गया :

(i) स्तरों में सुधार और नये परिवर्तन सम्बन्धी विकास।

(ii) विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय विकास।

(iii) विश्वविद्यालयों की अनुसंधान भूमिका।

(iv) महत्व के उभरते क्षेत्र; और

(v) विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध।

सम्मेलन ने इन सभी विषयों पर कई सिफारिशें कीं। विश्वविद्यालय प्रबन्ध सम्बन्धी सिफारिशें ये थीं :

(i) कुलपतियों की नियुक्ति को राजनीतिक नहीं बनाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए जिनमें विश्वविद्यालय के प्रमुख की गरिमा बनी रहे।

(ii) नियुक्ति की शर्तें और परिलब्धियों सहित सेवा शर्तें देश भर में एक-समान की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय कानून के माध्यम से ऐसा किया जाना चाहिए ।

(iii) विश्वविद्यालयों में एक स्थायी आयोजना, मानीटरिंग और मूल्यांकन बोर्ड होना चाहिए ।

(iv) शिक्षकों की भर्ती-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ।

(v) विश्वविद्यालयों के कार्यकारी निकाय सुसम्बद्ध और कार्यात्मक होने चाहिएं, सीनेट/कोर्ट विचारात्मक/परामर्शी निकाय होने चाहिए और न कि सर्वोच्च शासी निकाय ।

(vi) ऐसी स्पष्ट नियमावली और प्रक्रियाएं होनी चाहिए जिनमें विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्य प्रणाली और कार्यों, विश्वविद्यालय समुदाय के सभी वर्गों के लिए आचार-संहिता तथा अनुशासन में सुधार के लिए छात्र प्रबन्ध संहिता की व्याख्या की गई हो ।

(vii) विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की जानी चाहिए और खंड तथा रख-रखाव अनुदान निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए ।

(viii) विश्वविद्यालयों और कालेजों के पदाधिकारियों के अनुस्थापन एवं प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ।

(ix) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का सतत मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक स्थायी परामर्शदात्री समिति गठित करनी चाहिए और सुधार के लिए उपाय सुझाने चाहिए ।

इन सिफारिशों को क्रमशः 23 और 24 मई, 1984 को आयोजित शिक्षा सचिवों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलनों के समक्ष रखा गया था । इन सम्मेलनों ने कुलपतियों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया और यह सिफारिश की कि उनकी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा उनकी जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाये ।

यद्यपि विश्वविद्यालयों के विकास से सम्बन्धित अधिकांश सिफारिशों को सातवीं योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए कार्यदल द्वारा नोट कर लिया गया है, लेकिन प्रबन्ध सम्बन्धी सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है ।

श्री अमर राय प्रधान : उत्तर के अनुसार, नौ सिफारिशें हैं । परन्तु मैं स्वयं को सिफारिश संख्या 1 और 5 तक ही सीमित रखना चाहता हूं । यह बिलकुल उचित बात है कि विश्वविद्यालय

परिसर में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिए । परन्तु इस हस्तक्षेप के लिए कौन उत्तरदायी है ? (व्यवधान) निस्सन्देह, नहीं । कुलपति संस्था का अध्यक्ष होता है···(व्यवधान) कुलपति अब राजनीति चला रहे हैं और सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिसर को प्रदूषित कर रहे हैं । आज कुलपति के लिए कोई शैक्षिक योग्यता, उच्च डिग्री, विद्वत्ता अथवा उच्च शैक्षिक अनुभव का होना अनिवार्य नहीं है। केवल एक ही शर्त है कि वह राजनीतिक पार्टी का अनुचर हो···(व्यवधान) यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा, यह आम बात है । हो सकता है आपके भी कुछ अनुचर कुलपति हों । आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम में, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तैयार किया था, और गजेन्द्रगड़कर समिति के प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय प्रशासन के लोकतन्त्रीकरण के उपाय सुझाये गये थे । आप अपने पूल दृष्टिकोण से पीछे क्यों हट रहे हैं और कह रहे हैं कि एक साधारण परामर्श-दात्री समिति होनी चाहिए । मैं सरकार से बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि वे सिनेट, कोर्ट और शासी निकाय को इस प्रकार का क्यों बनाना चाहते हैं जैसे अंगविहीन भगवान जगन्नाथ हैं ? आप इन्हें राजनीतिज्ञों की कठपुतली क्यों बना रहे हैं ? (व्यवधान)

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : भगवान जगन्नाथ बहुत बलवान हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदया को उत्तर दें ।

श्रीमती शीला कौल : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । भगवान जगन्नाथ और दूसरों का नाम लेने के कारण मुझे उनका प्रश्न समझ नहीं आया है ।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, क्या मैं इसे दोहरा दूं ? मेरा प्रश्न यह है :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के लोकतन्त्रीकरण के दृष्टिकोण से कुलपति एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए ?

(ख) क्या सिनेट और कोर्ट को विश्वविद्यालय में कुछ शासी शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं ?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, शिक्षा की कुछ नीतियां हैं। हमारे यहां आने से पूर्वअत्यन्त बुद्धिमान व्यक्तियों ने इन नीतियों का निर्माण किया था । उदाहरण के लिए, गजेन्द्रगड़कर समिति ने यह सिफारिश की थी कि राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति राज्यपाल होना चाहिए । अतः हम उसी नीति का पालन कर रहे हैं ।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर क्या है ? मेरा प्रश्न विश्वविद्यालयों के लोकतन्त्रीकरण के सम्बन्ध में था और माननीय मंत्री महोदया ने गजेन्द्रगड़कर समिति का नाम ले दिया है ।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मंत्री महोदया ने प्रश्न नहीं समझा है और माननीय सदस्य को उनका उत्तर समझ में नहीं आया है। महोदय, दोनों को समझा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया ने कहा है कि गजेन्द्रगड़कर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार यह कर दिया गया है।

श्री अमर राय प्रधान : कुलपति के बारे में उन्होंने अपनी राय नहीं दी है। मेरा प्रश्न है कि क्या कुलपति एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए या नहीं? उनकी क्या राय है?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं कि हम कतिपय ऐसी नीतियों का पालन कर रहे हैं जो बहुत पहले बनाई गई थीं और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है। परन्तु यदि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कुलपति निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए, मैं यह कहना चाहूंगी कि विश्व भारती जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में, ये कुलपति निर्वाचित होता है और दूसरों में नहीं।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम सम्बन्धी प्रतिवेदन रखना चाहूंगा। पृष्ठ 11 पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है :

> "यह सिफारिश की गई है कि कुलपति का पद प्रतिष्ठा का पद होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति का चुनाव बोर्ड द्वारा किया जा सकता है। एक ऐसी परम्परा स्थापित की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उतना ही सम्मानित व्यक्ति इस पद के लिए चुना जाये। कतिपय परिस्थितियों में भूतपूर्व लब्ध-प्रतिष्ठ उपकुलपति को इस पद के लिए चुना जा सकता है।"

हर जगह यही सिफारिश की गई। यहां तक कि आदर्श अधिनियम में यह सिफारिश की गई थी कि कुलपति निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए। यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी कुलपति निर्वाचित व्यक्ति होता है। तब अन्य विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं होना चाहिए?

मेरे प्रश्न का भाग (ख) इस प्रकार है। मेरे प्रश्न के उत्तर के अन्तिम भाग में यह कहा गया है कि "प्रबन्ध सम्बन्धी सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है।" अब मेरा प्रश्न यह है कि आप विचार करने में कितना समय लेंगे और आपका विचार कब पूर्ण होगा? क्या मैं यह जान सकता हूं?

श्रीमती शीला कौल : महोदय, यह आम धारणा है कि आदर्श विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था अत्यधिक पारम्परिक और कठोर है। उसके ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मौजूदा ढांचा इस प्रकार है कि वह नये राष्ट्रीय विकास और आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है अतः एक

नया आदर्श बनाना होगा। इस सम्बन्ध में उपकुलपतियों के सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई थीं। इनमें से कुछ में यह विचार प्रकट किया गया था कि चुनाव किया जाना चाहिए जबकि अन्य कुछ में यह विचार प्रकट किया गया था कि चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक वातावरण विश्वविद्यालयों के कार्यचालन में हस्तक्षेप करना है। और यह गैर-शैक्षिक हस्तक्षेप होता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें धीरे चलना होगा और सोचना होगा और तत्पश्चात् उन लोगों का आगे दृष्टिकोण जानना होगा जो शैक्षिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर: क्या मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विवरण के भाग (सात) की ओर आकर्षित कर सकता हूं जो कि मेरे विचार में अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है :

"विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा की जानी चाहिए और खंड तथा रख-रखाव अनुदान निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।"

कुछ विश्वविद्यालय राज्य सरकारों से पर्याप्त धन प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या उपकुलपतियों द्वारा दी गई इस सिफारिश के सम्बन्ध में जो मद संख्या (सात) पर है, क्या निर्णय लिया गया है ताकि संपूर्ण देश में अनुदान-खंड और रख-रखाव अनुदान-समान तरीके से दिया जा सके?

श्रीमती शीला कौल : माननीय सदस्य ने पूछा है कि विश्वविद्यालय की निधियों में कब तक समानता ला देंगे? ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है यह सब विचाराधीन है और इसकी जांच की जा रही है। इसमें कितना समय लगेगा, यह देखने की बात है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 21-22 मई, 1984 को बैठक हुई और इस उपकुलपतियों के सम्मेलन में, जैसा कि रिपोर्ट में है, नौ विषयों पर विचार किया गया है। उन नौ विषयों में कुलपतियों की नियुक्ति, नियुक्ति की शर्तें, शिक्षकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालयों में और स्थायी योजना के सम्बन्ध में—ऐसे-ऐसे कई मामलों पर विचार हुआ। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस हाउस में सन् 1980 में अनुसूचित जाति, जनजाति कमीशन की रिपोर्ट पेश गई थी, उस रिपोर्ट में इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई थी कि विश्वविद्यालयों में, खास तौर से केन्द्रीय विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, अनुसूचित जातियों के शिक्षकों का कोटा कतई पूरा नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2.4% अनुसूचित जाति का कोटा और 3% के लगभग अनुसूचित जन-जाति का कोटा राज्य के विश्वविद्यालयों में किया गया है। बैकवर्ड क्लास का कोटा 6% से भी कम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आपने नौ सिफारिशें पेश कीं, तो क्या उसमें अनुसूचित जाति के कोटे के रिक्त स्थानों के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कोई विचार-विमर्श किया गया?

श्रीमती शीला कौल : मान्यवर, वहां पर बहुत सारी बातों पर विचार हुआ और यह कहा गया था कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स का बहुत अहम मसला है और इसको हम अलहदा लेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि वहां नौ विषयों पर विचार हुआ, तो क्या इस पर भी विचार हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उस पर उन्होंने विचार किया है कि अलहदा लेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसमें कोई जिक्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उस पर हम अलहदा विचार करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय से कोई गाइड लाइन्स भेजी गई है।

श्रीमती शीला कौल : वह तो एग्जीस्ट करते हैं, लेकिन कान्फ्रेंस में यह कहा गया कि इस विषय के ऊपर अलग से विचार करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सर्वप्रथम मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि दुर्भाग्यवश हमारी शिक्षा मंत्री जी कहती हैं कि वह साधारण सी बात नहीं समझ सकती हैं। और इसके बावजूद वह शिक्षा मंत्री हैं।

मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट होगा और मैं उत्तर भी स्पष्ट चाहता हूं। उप-कुलपतियों ने कुछ सिफारिशें की थीं और आप जानती हैं उत्तर में भी आपने कहा है कि प्रबन्ध सम्बन्धी सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है। आप उप-कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार नहीं कर रही हैं। उन पर अभी विचार किया जाना है। परन्तु पिछले सत्र में जब हम विश्वभारती विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, आपने इस सभा में कहा था कि आप विश्वविद्यालय प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो क्या आप उपकुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार चलेंगे अथवा शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार चलेंगे जिसने अनुशासनहीनता, राजनीति और अन्य सभी प्रश्नों की जांच की थी और शिक्षाविदों ने आदर्श अधिनियम का सुझाव दिया था।

यदि हां, तो क्या आप कोई व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के लोकतन्त्रीकरण संबंधी उस विधेयक के बारे में क्या करेंगे जो पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया था ? यदि आप व्यापक विधेयक नहीं लाने जा रहे हैं तो क्या आप इस विधेयक को केन्द्र की स्वीकृति के साथ पश्चिम बंगाल को लौटा देंगे।

श्रीमती शीला कौल : महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि उप-कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगी कि तथ्य यह है कि वह सम्मेलन मई में हुआ था और मेरे विचार से 22 और 23 तारीख को मैंने उनकी सिफारिशों की जांच करने को कहा है। शिक्षा सचिवों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का भी एक सम्मेलन हुआ था। ये सिफारिशें उनके समक्ष रखी गई थीं और उनकी राय है कि इन सिफारिशों की जांच केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा की जानी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न के मुख्य अंश का उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा है। क्या आप इस सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगी?

श्रीमती शीला कौल : हम इस पर विचार कर रहे हैं और यथा समय इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या इसे इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा?

श्रीमती शीला कौल : मैं कैसे कह सकती हूं?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि यह बात नहीं है, तो आप इस विधेयक को स्वीकृति क्यों नहीं दे रही हैं। यह काम तो बड़ा सरल है।

जामनगर, गुजरात में सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना

*170. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में जामनगर पीतल के पुर्जे बनाने का भारत का एक मुख्य औद्योगिक नगर है और पीतल के पुर्जे बनाने की यहां 2,000 से अधिक छोटी फैक्ट्रियां हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग को बढ़ावा देने और इसका उत्थान करने के उद्देश्य से यहां पीतल के पुर्जों पर आधारित टेलीफोन, स्विचिंग-आप्रेशन जैसा, सरकारी क्षेत्र का एक बड़ा उपक्रम स्थापित करने की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जामनगर पीतल के पुर्जे बनाने का केन्द्र है जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र में 1,414 एकक पंजीकृत हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पीतल के पुर्जे बनाने वाले उद्योग ने पीतल के पुर्जों पर आधारित संयुक्त/सरकारी क्षेत्र में एक बड़े उद्योग की स्थापना किए जाने की मांग की है।

(ग) गुजरात औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदायी संगठन ने पीतल के पुर्जे बनाने वाले उद्योग के स्थान और नए औद्योगिक अवसरों का अध्ययन किया है। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि पीतल के पुर्जों का इस्तेमाल करने वाली परियोजनाएं तथा पीतल के पुर्जों का उत्पादन करने वाले उद्योग के बीच संबंध इतना सुदृढ़ नहीं है जिससे बड़ी परियोजना की स्थापना करना न्यायोचित कहा जा सकता हो। तथापि, उन्होंने अन्य परियोजनाओं का पता लगाया है, जो पीतल के बने पुर्जों का उपयोग करते हैं। गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने जी० आई० टी० सी० ओ० की सिफारिशों की जांच करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की स्थापना की है। यदि इस समिति के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप औद्योगिक लाइसेंस अथवा तकनीकी विकास का महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है तो उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के जो उत्तर दिये गए हैं उनमें विरोधाभास है। भाग (ख) में कहा गया है कि गुजरात सरकार ने पीतल के पुर्जों पर आधारित संयुक्त/सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करने की जोरदार सिफारिश की है और भाग (ग) में यह कहा गया है कि गुजरात स्थित एक संगठन ने यह सिफारिश की है कि इस उद्योग की स्थापना न्यायोचित नहीं है। दोनों ही उत्तर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि पहले कौन-सा उत्तर प्राप्त हुआ था और किसको अधिक महत्व दिया जा रहा है?

श्री पट्टाभि राम राव : मेरे विचार से कोई विरोधाभास नहीं है।

भाग (ख) में दिया गया उत्तर यह है :

गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पीतल के पुर्जे बनाने वाले उद्योग ने पीतल के पुर्जों पर आधारित संयुक्त/सरकारी क्षेत्र में एक बड़े उद्योग की स्थापना किए जाने की मांग की है।

किन्तु सरकार ने यह सिफारिश नहीं की है। राज्य सरकार अपने औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन के प्रतिवेदन की जांच कर रही है। इसलिए जब तक हमें राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं मिलती है, तब तक हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते।

श्री दौलत रामजी जदेजा : भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी भी परियोजनाएं हैं जो पीतल के पुर्जों का इस्तेमाल करती हैं और जिनकी समिति ने सिफारिश की है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसी कौन-सी अन्य परियोजनाएं हैं जो पीतल के पुर्जों का इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सरकार को गुजरात औद्योगिक और तकनीकी परामर्श-दात्री संगठन से जिस प्रतिवेदन की अपेक्षा है उसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

श्री पट्टाभि राम राव : गुजरात सरकार के प्रतिवेदन के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं। वह उसे हमारे पास भेजेंगे और हम लोग उसकी जांच करेंगे।

कलकत्ता मैट्रो रेलवे के निर्माण के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ

*173. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैट्रो रेलवे में अग्रेतर निर्माण कार्य में परामर्श हेतु कुछ विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तकनीकी विशेषज्ञता इस कार्य के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुई है;

(ग) क्या इस संबंध में एक जापानी कम्पनी ताइशेइ को 70 करोड़ रुपए का ठेका पहले ही दिया जा चुका है; और

(घ) क्या एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने भी सुझाव दिया है कि लन्दन परिवहन प्रणाली के एक वरिष्ठ रेलवे मेकेनिकल इन्जीनियर को भारत बुलाया जाना चाहिए ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कलकत्ता में मेट्रो प्रणाली की विभिन्न संचालन विधियों में सुधार करने हेतु परामर्श देने तथा विश्व में अन्यत्र नवीनतम विधियों तथा विकसित प्रौद्योगिकी के अनुसार इस मेट्रो के परिचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने हेतु आर० ए० टी० पी०, पेरिस और लन्दन भूगत रेलवे (एल० टी० आई०) से कुछ विदेशी परामर्शदाता बुलाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। विश्व निविदाएं आमंत्रित करके तथा इस तरह के काम में विशेषज्ञ सर्वाधिक सक्षम इन्जीनियरी ठेकेदारों को नियुक्त करके मेट्रो सुरंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(ख) भारत में अपनी किस्म की पहली परियोजना होने के कारण लम्बी अवधि के मेट्रो परिचालन के अनुभव पर आधारित वर्षों से अन्यत्र उपलब्ध विकसित अत्यधिक आधुनिक और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रस्ताव है तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि अन्य विकसित देशों में मेट्रो परिचालन के उपयोग में लाई जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकियों को सम्हालने और अध्ययन करने के लिए कर्मचारी इन परामर्शदाताओं से प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करें।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां। इस सम्बन्ध में परामर्श करने के बाद विनिश्चय किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य से उलझन और बढ़ गई है। निश्चित रूप से इससे मेरी उलझन और बढ़ गई है।

सर्वप्रथम में प्रश्न के भाग (ग) की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो इस प्रकार है :

"क्या इस सम्बन्ध में एक जापानी कम्पनी ताइशेइ को 70 करोड़ रुपये का ठेका पहले ही दिया जा चुका है।"

उसका है, "जी नहीं।"

महोदय, आपकी अनुमति से मैं उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जो माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में 26 जुलाई को पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा था। उनके उत्तर की कुछ पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि :

"सक्षम समझी जाने वाली चुनी गई दो फर्मों में एक भारतीय सहयोग प्राप्त जापानी फर्म है और दूसरी जापानी सहयोग प्राप्त भारतीय फर्म है। माननीय सदस्यगण मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सुरंग बनाने और निर्माण कार्य के बारे में जापानियों को पर्याप्त अनुभव है। हाल ही में जापानियों ने दो द्वीपों को जोड़ते हुए समुद्रतल के नीचे रेलवे की दो बड़ी लम्बी सुरंगें बनाई हैं। विज्ञप्ति के अनुसार ठेके का मूल्य लगभग 59 करोड़ रुपया है।"

अत: ऐसा प्रतीत होता है कि ठेके का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है, ठेके की अवधि चार वर्ष निर्धारित कर दी गई है, और सक्षम समझी गई दो फर्मों में से, वह जापानी फर्म को बहुत अधिक कार्यकुशल बता रहे हैं। तो भी, जो उत्तर दिया गया है, वह यह हो सकता है कि तकनीकी रूप से ठेके पर वास्तव में हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। शायद उनके कहने का अर्थ यही है?

किन्तु, जब हम लोग जानकारी चाहते हैं, तो गोलमोल उत्तर देने का कोई लाभ नहीं है। आपको हमसे यह कहना चाहिए कि जापानी फर्म का ठेका अनुमोदित कर दिया गया है और कागजात तैयार होते ही उसपर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे।

मैं यही बात जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय मंत्री जी स्थिति अब स्पष्ट करेंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ठेका नहीं दिया गया है। बातचीत चल रही है और मेरे विचार से मैं जो कुछ कह चुका हूं, उसे मुझे दुबारा नहीं कहना पड़ेगा। भ्रमित होने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप उन्हें ठेका नहीं दे रहे हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ठेके पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। बातचीत चल रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के शेष भाग में कहा गया है कि मेट्रो प्रणाली की विभिन्न संचालन विधियों में सुधार करने हेतु फ्रांस और ब्रिटेन से विदेशी परामर्शदाता बुलाने, नवीनतम विधियों तथा विकसित प्रौद्योगिकी के अनुरूप मेट्रो प्रणाली के परिचालन के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और सुरंग निर्माण करने का कार्य विश्वव्यापी निविदायें आमन्त्रित करके किया जा रहा है।

मेरे,विचार से परियोजना 12 वर्ष पहले आरम्भ की गई थी। सुरंग निर्माण के कार्य के लिए विश्वव्यापी निविदायें अब आमन्त्रित की जा रही हैं। सभी बातों का पता लगाना पड़ेगा। मेट्रो भूमि के ऊपर नहीं चल सकती है। उसे सुरंग से होकर ही गुजरना होगा। दस वर्ष के बाद अब हमसे कहा जा रहा है कि इस सुरंग के निर्माण कार्य के लिए विश्वव्यापी निविदायें आमन्त्रित की जा रही हैं। स्वाभाविक है कि कलकत्ता के लोग यह जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। हम लोग नितांत अन्धकार में हैं।

दूसरी बात यह है कि मैं लोक लेखा समिति के पचपनवें प्रतिवेदन का उल्लेख अवश्य करूंगा जो लगभग तीन वर्ष पहले 11 सितम्बर, 1981 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसमें यह कहा गया है :—

"मेट्रो रेलवे परियोजना का काम करने के लिए देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के संबंध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र में रेलवे को कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा यद्यपि 49 अधिकारियों को भूमिगत रेल लाइन बिछाने के तरीकों का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया था, तथापि उनमें से किसी को भी कलकत्ता की अवभूदा परिस्थितियों में सुरंग बनाने तथा विशेष रूप से चादरी लट्ठे गाढ़ने जैसे मूल विषयों के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए नहीं कहा गया। 49 अधिकारी विदेश भेजे गए थे। शुरू में इस प्रकार के अध्ययन के अभाव में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर चादरी लट्ठों को गाड़ने के काम को आखिरकार छोड़ना पड़ा जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि विदेशों में भेजे गए 49 अधिकारियों में से 16 अधिकारियों का मेट्रो रेलवे से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था और 7 अधिकारियों को मेट्रो रेलवे के बाहर बदली कर दी गई थी और वे इस समय परियोजना में काम नहीं कर रहे हैं। इससे काफी सरकारी धन बर्बाद हुआ है और उनके द्वारा प्राप्त किया गया विशेष ज्ञान बेकार सिद्ध हुआ तथा उनके इस दौरे से परियोजना को कोई लाभ नहीं हुआ।"

इस मेट्रो परियोजना के कार्यकरण के बारे में विशेष रूप से गठित की गई इस सभा की समिति का यह कथन है। यह एक गम्भीर मामला है। करोड़ों रुपया नाली में बह रहा है। लागत हर समय बढ़ती जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह सभा को विश्वास में लें और सूचना छिपाने की चेष्टा न करें।

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम नवीनतम तकनीकी जानकारी के लिए जापान, ब्रिटेन तथा अन्य सभी देशों से विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गत 12 वर्षों तक क्या कार्य होता रहा और इस पर कितना रुपया बर्बाद किया जा चुका है ?

वे ऐसे अधिकारी बाहर क्यों भेजते रहे हैं जो भूमिगत रेलवे से सम्बद्ध नहीं हैं, जो इस बारे में कुछ नहीं समझते ?

अध्यक्ष महोदय : समिति के प्रतिवेदन के बाद, रेल मंत्री जी ने कुछ उपाय जरूर किए होंगे।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक का 3.6 कि० मी० मार्ग चालू किए जाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

भवानीपुर से टौलीगंज तक 3.8 कि० मी० लम्बे मार्ग का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

दमदम से बेलगछिया तक के 2.5 कि० मी० लम्बे मार्ग पर कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।

बेलगछिया से श्याम बाजार तक के 1.5 कि० मी० मार्ग पर कार्य चल रहा है।

एस्प्लेनेड से श्याम बाजार तक के 5 कि० मी० के मार्ग पर कार्य सर्वाधिक कठिन कार्य है। उसके लिए हम जापान के विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं। भूमिगत रेल परियोजना के प्रारम्भ से ही अर्थात नवम्बर, 1973 से हमने सोवियत संघ के मैसर्स टेक्नोस्ट्रोइ एक्सपोर्ट मास्को को ठेका दिया हुआ है। पिछले 11 वर्षों से अधिक समय से हमारा उनके साथ समझौता है। उन्होंने अनेक बार समय-समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है। यह तो सोवियत संघ की बात हुई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे किस काम के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : हमने अनेक ढंग अपनाये हैं। जैसे एस्प्लेनेड-भवानीपुर में 'कट एण्ड कवर', दमदम-बेलगछिया में 'ट्रेसल' तथा 'कट एण्ड कवर' है, भवानीपुर-टौलीगंज 1985 में 'कट एण्ड कवर', बेलगछिया-श्याम बाजार में—'कट एण्ड कवर' तथा शील्ड टनलिंग', श्याम बाजार-एस्प्लेनेड में 'डेक कवर', यह लगभग पूरा होने को है। यहां डेक के नीचे सुरंग खोदते हैं जिसे 'डेक कवर' कहा जाता है। अन्य बातों के बारे में मैंने बताया है कि इसे कैसे पूरा किया गया है। सोवियत संघ के लोगों ने समय-समय पर हमें सलाह दी है और पिछले 12 सालों में हमने 12 अनुपूरक

समझौते किए हैं। गत दिवस मैंने सभा में आपको बताया था कि 1980 तक कुछ नहीं किया जा सका क्योंकि बहुत ही कम राशि इस काम के लिए आबंटित की गई थी। वर्ष 1980 के बाद हम काफी राशि रख रहे हैं और काम में गति आई है। यह कोई विभागीय कार्य नहीं है। विभिन्न ठेकेदारों ने इसे किया है। 'दि हिन्दुस्तान कस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, ने भूमिगत रेल की सुरंग बनाने का ठेका लिया था। अपने दो कार्यों के लिए उन्होंने स्वयं ही 'नाइकेक्स हंगेरियन ट्रेडिंग, कम्पनी की सेवाएं प्राप्त की हैं। इस कम्पनी ने उन्हें परामर्श देने का कार्य किया है। जब मेरे पास यह कार्य आया तो मैंने निश्चय किया कि 'राइट्स' द्वारा हमें उचित सलाह और रेलवे की विभिन्न मदों के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं मिलनी चाहिए। भूमिगत रेलवे सहित रेलवे द्वारा 'राइट्स' को स्थाई आधार पर रखा जा रहा है ताकि भूमिगत रेल के निर्माण और हमारे विभिन्न बड़े-बड़े नगरों में परिक्रमा रेल के निर्माण के लिए उनसे सलाह ली जा सके। भूमिगत रेल के बारे में 'राइट्स' ने विस्तृत अध्ययन तथा विश्लेषण करके और विश्व भर में चर्चा करने के बाद यह निर्णय किया है कि पेरिस मेट्रो प्राधिकरण और लन्दन अंडरग्राउंड प्राधिकरण से परामर्श लेने का निर्णय किया है ताकि कलकत्ता भूमिगत रेल के निर्माण और परिचालन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा निर्माण के ढंग का प्रयोग किया जा सके क्योंकि इन दो सलाहकार एजेंसियों ने विश्व के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक भूमिगत रेल बिछायी हैं। इसलिए हम उनकी मदद ले रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाता, लेकिन हम कई कामों में मदद ले रहे हैं जैसे भूमिगत रेलों में भारी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जल्दी टिकिट बांटने की प्रणाली, जल्दी टिकिट की जांच प्रणाली, भूमिगत स्टेशनों पर अन्दर आने तथा बाहर जाने की व्यवस्था, विद्युत उपकरणों तथा सिगनलों के अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में हम सहायता ले रहे हैं···(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे उनका लम्बा वक्तव्य तो अच्छा लगा है। लेकिन उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कम से कम एक बात तो स्पष्ट की जाये कि क्या उन अधिकारियों के बारे में कुछ किया गया है जिन्हें अनुन्तरदायी ढंग से बाहर भेजने पर देश के करोड़ों रुपये खर्च हो गए, जिनका भूमिगत रेल से कोई सम्बन्ध नहीं और जब वे वापस आये तो उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। यह सब लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में है। क्या हम इन चीजों की अवहेलना कर सकते हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : पीछे मैंने कहा था कि कई वर्षों तक कुछ नहीं किया गया, क्योंकि धन की कमी थी···

अध्यक्ष महोदय : वह केवल उन अधिकारियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह स्वाभाविक है कि पर्याप्त कार्य न होने पर इन सभी अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : तब उन्हें क्यों भेजा गया था ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। सभा की जानकारी के लिए बता दूं कि परामर्शदाताओं के सुझाव के अनुसार हमने एक समन्वय अधिकारी नियुक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुभाष यादव'''श्रीमती जयन्ती पटनायक।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर सेक्शन को चौड़ा करने के लिए धनराशि

*175. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करने के लिए धनराशि की मन्जूरी दे दी गई है,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से को चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि मन्जूर की गई है; और

(ग) उक्त मार्ग को चौड़ा करने का काम कब शुरू होने और कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को चरणबद्ध ढग से चौड़ा करने का विचार है। हाल ही में 91.42 लाख रुपए के एक अनुमान को मंजूरी दी गई है। इसका निर्माण कार्य इसी कलैन्डर वर्ष में शुरू किया जाएगा। आशा है यह काम 1987 तक पूरा हो जाएगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता कि कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का सम्पूर्ण कार्य हाथ में लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हम मार्ग को चरणबद्ध ढंग से चौड़ा करने का विचार है। ऐसा लगता है कि कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करने में काफी अधिक समय लगेगा क्योंकि इसमें सड़क बनाने पुल बनाने दोनों ओर जल निकासी तथा भूमि अधिग्रहण का कार्य भी शामिल है। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या भारत सरकार पुल निर्माण के सम्पूर्ण काम का सातवीं योजना अवधि के अन्त तक पूर्ण करने के लिए धन राशि का प्रावधान करेगी। इसमें भूमि अधिग्रहण सम्मिलित नहीं है।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि सम्पूर्ण कार्य सातवीं योजना के पहले ही समाप्त हो जाएगा। यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जहां तक इस मार्ग को 16 किलोमीटर बढ़ाने का सम्बन्ध है हम इसे 1987 से पहले पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सम्पूर्ण ब्यौरा पहले दिया जा चुका है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : समझा जाता है कि परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध एवं खण्डों में किया जाना है। मंत्री जी हम राष्ट्रीय राजमार्ग की तुलना अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग से कर सकते हैं। यह बहुत ही व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है और बहुत-सी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कटक और भुवनेश्वर के बीच सम्पूर्ण सड़क पर भारी यातायात को देखते हुए क्या सरकार समूची अनुमानित राशि को मंजूर करने पर विचार करेगी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत सामान्य आबंटन से अधिक धन राज्य को प्रदान करेगी, विशेष रूप से इस सड़क के सामरिक महत्व को देखते हुए जो कि राज्य को सबसे बड़े नगर एवं राज्य की राजधानी को जोड़ती है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, इसके महत्व को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है इसीलिए इसे दो लेन से बदलकर चार लेन वाली सड़क में बदला जा रहा है। महोदय, इसमें धन बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए हम चरणों में कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपये लगेंगे और हमें आशा है कि पांच से छह वर्षों के भीतर यह पूरा हो जाएगा। हमने छठी योजना में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष हमने 91 लाख रुपये की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा 60 लाख रुपये मंजूर करने की भी सम्भावना है। 27 लाख रुपया खर्च होने की आशा है। यह वित्तीय स्थिति है और इसीलिए इसकी क्रियान्विति धीमी है। इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है और जब कभी भी धन उपलब्ध होगा हम अधिक व्यवस्था करेंगे।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या यह सच है कि देश में इस सड़क के इस भाग में वाहन यातायात सबसे अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिए कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जमीन मालिकों को मुआवजा देने के लिए आबंटन किया गया है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, इस सड़क का यह भाग देश की भीड़ वाली सड़कों में से है। परन्तु यह सबसे अधिक भीड़ वाला मार्ग नहीं है। यह सड़क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मंत्रालय ने इसे दो लेन से चारलेनों वाली सड़क में बदलने का निर्णय किया है। हमने 16 मील के टुकड़े पर कार्य शुरू किया है और भूमि अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु मैं नहीं कह सकता कि भूमि मुआवजा दे दिया गया है या नहीं, अगर यह नहीं दिया गया है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

कोचीन शिपयार्ड में हड़ताल के कारण हानि

*178. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारी लम्बे समय से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल कब से चली आ रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस हड़ताल से लगभग 7 करोड़ रुपए की हानि हुई है; और

(घ) यदि सरकार प्रारम्भ से ही कर्मचारियों की मांगें मान लेती तो उसे कितने अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों के एक वर्ग ने नवम्बर, 1983, जून 1984 तक अनेक बार ओवर टाइम कार्य का बहिष्कार करने, टोकन हड़ताल अनुशासन भंग करने आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सीधे आन्दोलन का सहारा लिया। कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी संघ ने 31-5-84 की दोपहर बाद से बैठ हड़ताल की, इसके परिणामस्वरूप प्रबन्ध को गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने वाले लगभग 800 कर्मचारियों के लिए आंशिक तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। संघ ने 2-6-84 से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारम्भ कर दी, 23-6-84 को एक समझौता हुआ और 25-6-84 से हड़ताल समाप्त कर दी गई।

(ग) उक्त आन्दोलन के कारण 53,428 जनदिवसों की हानि हुई। इतने जनदिवसों की हानि होने के कारण लगभग 3.2 करोड़ रुपये मूल्य के 8040 डी० डब्ल्यू० टी० उत्पादन हानि हुई। तथापि, अशांत वातावरण के कारण उत्पादन पर असर पड़ा और नवम्बर, 1983 से जून, 1984 तक 48,420 डी० डब्ल्यू० टी० उत्पादकता तथा कार्य निष्पादन के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर 22,875 डी० डब्ल्यू० टी० उत्पादन तथा कार्य निष्पादन हुआ। यार्ड, अस्थिर स्थितियों और संघ द्वारा लगातार हड़ताल करने की धमकी के कारण, कुछ समय तक जहाज मरम्मत का कोई कार्य नहीं कर सका।

(घ) चूंकि कर्मचारियों की अधिकांश मांगें प्रशासनिक और प्रबन्धकीय किस्म की थीं, जिसका अर्थव्यवस्था पर लम्बे समय तक असर पड़ता, इसलिए इन मांगों पर वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च होगी, इसका अनुमान लगाना कठिन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रश्न के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि नवम्बर, 1983 से जून, 1984 तक सरकार हड़ताल समाप्त नहीं करा सकी। मैं वह जानना चाहता हूं कि सामूहिक समझौते के लिए क्या सरकार ने कोई ऐसा तंत्र बनाया है जिससे इन विवादों को शीघ्रता से निपटाया जा सके। सरकार को 3.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि उनकी मांगों को पूरा करने से वित्तीय भार कुछ लाख रुपयों से अधिक नहीं होता। इसके अलावा, महोदय, मांगें मामूली किस्म की थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कोई कारगर सामूहिक समझौता तन्त्र बनाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, विवाद अब सुलझ गया है और यह दुर्भाग्य की बात है कि हड़ताल सात महीने तक चलती रही । यद्यपि कोचीन पोत कारखाना सबसे अच्छा पोत कारखाना है किन्तु ऐसी बात नहीं कि वहां ऐसा पहली बार हुआ हो । दुर्भाग्यवश श्रमिकों की समस्याएं वहां प्राय: बनी रहती हैं । यद्यपि इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा किन्तु मुझे यह नहीं पता चल पाया कि उन्होंने हड़ताल क्यों की थी । राज्य सरकार ने काफी रुचि ली थी । श्रम मंत्री ने स्वयं बैठक आयोजित की थी । वे लोग आये थे किन्तु समझौता नहीं हो सका । महोदय, हमें एकनिर्णय लेकर यह सुनिश्चित करना था कि ऐसा पुन: न हो और मुझे आशा है कि एतद्पश्चात् पोत कारखाना ढंग से कार्य करेगा । अच्छा समझौता हुआ है और इसके अनुसार वे लोग पुन: हड़ताल नहीं करेंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोचीन पोत कारखाने से सबक सीख कर क्या सरकार का विचार गुप्त मतदान द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से एकाकी समझौता प्रतिनिधि प्रणाली तैयार करने का है ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : जी नहीं ।

यह काम श्रम मंत्रालय का है ।

श्री ई० बालानंदन (मुकंदपुरम) : महोदय, औद्योगिक शांति बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तु है । आज छोटी-से-छोटी सभी बातों के लिए केन्द्र से सलाह लेनी पड़ती है जिसके कारण देरी होती है और बहुत नुकसान होता है । इसलिए औद्योगिक शांति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ही औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए एक द्रुतगामी तंत्र गठित किया जाना चाहिए ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, बार-बार तार सन्देश प्राप्त होने के बावजूद—कार्मिक संघों की ओर से मुझे अनेक तार प्राप्त हुए थे—हम लोगों ने इस मामले में दखल नहीं दिया । मैंने राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रबन्धकों को किसी निर्णय पर पहुंचने का अवसर प्रदान किया । राज्य सरकार, श्रम मंत्रालय तथा प्रबन्ध मंडल को एक साथ बैठकर इस समस्या को सुलझाना होता है ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, कोचीन पोत कारखाना आरम्भ से ही कठिन स्थिति में रहा है । इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही बड़े कड़े कदम उठाये हैं । इसके बावजूद कोचीन में पोत-निर्माण परियोजना पर प्रस्तुत की गई विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन पर ध्यान देने के लिए मैं सरकार से कहता रहा हूं । माननीय मंत्री जी को लिखे गये अपने एक पत्र में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अयोग्य प्रबन्धक मंडल, अयोग्य पर्यवेक्षण अधिकारी, अमान्य श्रमिक बोर्ड आदि के कारण इसकी विकास गति मंद है और इसलिए कोचीन पोत कारखाने के विकास के बारे में हम गर्व नहीं कर सकते हैं ? इस पोत कारखाने की विकास गति धीमी होने, श्रम अशांति, अनुशासनहीनता आदि के कारणों का अध्ययन करने के

लिए मैंने सरकार से एक दल भेजने का विशेष रूप से अनुरोध किया था। उस पत्र में मैंने माननीय मंत्री जी से उनकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए जाने के बारे में कहा था और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह बात विचाराधीन है।

अब, इस संदर्भ में प्रश्न है : जैसा कि मैं अनुरोध कर चुका हूं, क्या सरकार कोई केन्द्रीय दल भेजेगी जिससे सरकारी क्षेत्र का यह एकक, जो राष्ट्र का गौरव है और जिससे 150 करोड़ रुपये का निवेश है, सही ढंग से चल सके और उसका उत्पादन बढ़ सके ? इस दिशा में मंत्री जी कोई निश्चित कदम उठायेंगे ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री जी सरकारी क्षेत्र के इस एकक में उत्पादन कम होने के कई कारण बताये हैं और यह भी कहा है कि सरकार ने इस बारे में समुचित कदम उठाये हैं ताकि इस एकक के ढंग से कार्य करने में भविष्य में श्रमिकों द्वारा दखलन्दाजी न की जाए। मंत्रालय का विचार जो अगला कदम उठाने का है वह यह है कि हम लोग प्रशासनिक और उससे सम्बद्ध अन्य मामलों की भी देखभाल करेंगे। अनेक तकनीक विशेषज्ञ समितियों ने इसका अध्ययन किया है और अनेक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। किन्तु फिर भी यदि सरकार यह महसूस करती है कि किसी और समिति की आवश्यकता है, तो हम उसके बारे में भी विचार करेंगे। किन्तु मंत्रालय कुछ और परिवर्तन करने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है जिससे उत्पादन बढ़ सके।

राज्यों के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन

*179. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **शिक्षा और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों/सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें शिक्षा की समस्याओं पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश से और विशेषकर देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों से निरक्षरता को समाप्त करने तथा शिक्षा की +2 प्रणाली में शिक्षा के व्यावसायीकरण विस्तार के लिए क्या सुझाव दिए गए थे; और

(घ) उक्त समस्या को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य शिक्षा सचिवों और मंत्रियों का सम्मेलन क्रमशः 23 और 24 मई, 1984 को हुआ था। सम्मेलन ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्राथमिकता कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया तथा निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया :

(i) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना।

(ii) प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों तथा लड़कियों की शिक्षा को प्रोन्नत करने में उत्कृष्टता के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए पुरस्कार योजना का पुनरीक्षण।

(iii) शिक्षा की 10+2+3 पद्धति का कार्यान्वयन।

(iv) शिक्षा का व्यावसायीकरण।

(v) स्कूलों में संगणक शिक्षा शुरू करना।

(vi) शिक्षा के लिए इनसैट 1-बी का उपयोग।

(vii) स्कूल स्तर पर उत्पादकता शिक्षा शुरू करना।

(viii) स्कूलों में भाषा शिक्षण तथा त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन, अंग्रेजी शिक्षण के स्तरों में सुधार के उपायों का पुनरीक्षण तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालयीय स्तर की पुस्तकें तैयार करना तथा उनकी बिक्री।

(ix) राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से पाठ्य-पुस्तकों का पुनरीक्षण, स्कूलों में स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का शिक्षण तथा सामूहिक गान।

(x) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं।

(xi) आंकड़ों का निरीक्षण तथा मूल्यांकन।

(xii) 21 और 22 मई, 1984 को हुए कुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर विचार करना।

(xiii) पुस्तकालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये पुस्तकालय विधान का विकास।

(xiv) शिक्षा और संस्कृति को जोड़ना।

(xv) अवर-स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय इतिहास और संस्कृति से सम्बन्धित एक विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करना ।

(xvi) +2 स्तर पर ड्रामा और थियेटर को एक विषय के रूप में शुरू करना ।

(xvii) राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल के छात्रों के लिए देय छात्रवृत्ति की राशि ।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन ने देश में निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(i) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में शिक्षार्थियों की संख्या में 50% महिलाएं हों तथा महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों का नामांकन करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं ।

(ii) बड़ी मात्रा में विस्तार को प्रोन्नत करने में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यक्रम की कोटि में सुधार करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नामांकित सभी शिक्षार्थी साक्षरता पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करें ।

(iii) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जा चुका है, वे पुनः निरक्षर न बन जाएं तथा उत्तर-साक्षरता के लिए विशेष प्रस्ताव दोनों, आर० एफ० एल० पी० तथा राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए जाएं ।

(iv) सम्मेलन ने यह भी सिफारिश की कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के समावेश को और बढ़ाया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय को स्वैच्छिक संगठनों के मामलों की सिफारिश करने में कोई विलम्ब न हो ।

(v) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाये कि केन्द्रीय सरकार द्वारा खोले गये केन्द्रों के बराबर ही केन्द्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले जाएं ।

(vi) महिलाओं में प्रौढ़ साक्षरता को प्रोन्नत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रयास तेज करने तथा प्रत्येक जिले में सर्वश्रेष्ठ पांच प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, प्रत्येक राज्य में एक सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए नामांकन भेजने और राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए उपयुक्त सूचना प्रेषित करने की सलाह दी गई थी ।

सम्मेलन ने इस बात के लिए आग्रह किया कि राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में निष्पादन का जो स्तर प्राप्त किया गया है, उससे उच्च स्तर का निष्पादन प्राप्त करना होना चाहिए।

शिक्षा के व्यावसायीकरण के क्षेत्र में की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए सम्मेलन ने यह सिफ़ारिश की कि शिक्षा का व्यावसायीकरण +2 स्तर पर स्कूल शिक्षा की एक मुख्य विशेषता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जो इस क्षेत्र में हुई असंतोषजनक प्रगति का एक मुख्य कारण है, सम्मेलन ने, वांछित प्रगति करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के वास्ते पर्याप्त केन्द्रीय वित्तपोषण की सिफारिश की।

उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, सम्मेलन में लिए गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए, तत्काल कार्रवाई शुरू करने हेतु अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंत्री महोदया ने जो स्टेटमेंट सभा-पटल पर रखा है, शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा हुई और तय हुआ, उसमें राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से 5 पुस्तकों के पुनरीक्षण का बड़ा अहम मसला था, उस बारे में हुई रिकमेंडेशन्ज को मंत्री महोदया ने अपने इस स्टेटमेंट में दर्ज नहीं किया है, मैं उनसे इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या फैसला किया गया और उस फैसले का अनुपालन क्या किसी योजनाबद्ध तरीके से करेंगे या एक तरह से टाइम बाउन्ड एक्शन आप इसमें लेने वाले हैं?

इसके साथ ही 10+2+3 वाली स्कीम को हर राज्य सरकार द्वारा लागू न किये जाने का क्या कोई आर्थिक कारण है? यदि हां, तो क्या आप उन राज्यों को सहायता देने के बारे में विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय अन्ध युवक एसोसियेशन द्वारा धरना-आन्दोलन और उनकी मांगें

*171. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अन्ध युवक एसोसियेशन एक लम्बे समय से अपनी मांगों के समर्थन में धरना-आन्दोलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह आन्दोलन कब आरम्भ किया गया था;

(ग) सरकार ने एसोसियेशन के पदाधिकारियों के साथ कितनी बार बातचीत की है;

(घ) बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) आन्दोलनकर्ताओं की प्रमुख मांगें क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 20 मार्च, 1984 से।

(ग) तीन बार।

(घ) और (ङ) आन्दोलनकर्ताओं की मुख्य मांग विकलांगों के कल्याण हेतु, विशेषकर रोजगार में उनके आरक्षण के लिए संसद में एक विधान पेश करने की रही है। विकलांगों के लिए पदों के आरक्षण हेतु किसी भी विधान को पेश करने में आने वाली कानूनी और प्रशासनिक कठिनाइयों के बारे में सरकार ने एसोसियेशन के पदाधिकारियों को सभी तीनों बैठकों में पूरे विस्तार से स्पष्ट कर दिया था। सरकार एसोसियेशन से विकलांगों के कल्याण से सम्बन्धित अन्य मांगों पर भी विचार करने को सहमत हो गई थी। एसोसियेशन विधान पर कोई आश्वासन न दिए जाने पर आन्दोलन समाप्त करने के लिए सहमत नहीं थी।

वाराणसी में केन्सर के इलाज के लिए रेलवे अस्पताल

*172. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने वाराणसी में केन्सर के मरीजों के इलाज के लिए कोई अस्पताल खोला है और यदि हां, तो उस पर कितना खर्च हुआ;

(ख) क्या केन्सर के इस अस्पताल में केवल रेलवे कर्मचारियों का ही इलाज होता है अथवा रेलवे कर्मचारियों के अलावा बाहर के केन्सर के मरीजों का भी यहां पर इलाज किया जाता है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वहां पर वर्ष-वार कितने मरीजों की जांच की गई और इलाज किया गया ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। इस पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) रेल कर्मचारियों की जरूरतें पूरी होने के बाद जो बिस्तर/सुविधाएं उपलब्ध हों उसी हद तक रेल कर्मचारियों से भिन्न रोगी भी बाहरी व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके इस चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) चूंकि निदान क्लिनिक 9-11-1983 से ही खोले गये हैं, इसलिए पिछले तीन वर्षों में इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या नहीं बताई जा सकती है। इस समय हर महीने लगभग 20 रोगियों का इलाज किया जा रहा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक शव से आंखों का निकाल लिया जाना

*174. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक शव से आंखें निकाल ली गईं और उनकी जगह नकली आंखें लगा दी गईं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच की गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि संस्थान को मृतक श्री घनश्याम दास उर्फ मुन्ना के पिता से शिकायत मिली थी कि 26 जून, 1984 को संस्थान के अस्पताल में उनके पुत्र के मृत शरीर की शव परीक्षा के बाद उन्होंने देखा कि मृतक के नेत्र निकाल लिए गये थे और उनके स्थान पर कृत्रिम नेत्र लगे हुए थे। प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र के एक तकनीशियन ने एक मृत शरीर से उस मृतक के रिश्तेदारों की मौखिक सहमति लेने के बाद आंखें निकाली थीं। किन्तु चूंकि अब मृतक के पिता ने ऐसी कोई सहमति दिए जाने से इनकार किया है, इसलिए संस्थान द्वारा विस्तृत जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं और आगे की कार्यवाही, यदि कोई हुई तो, इसके निष्कर्षों के आधार पर की जायेगी।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्य-निष्पादन

*176. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जिला उद्योग केन्द्रों से पिछले वर्ष के दौरान उनके कार्य-निष्पादन के बारे मे कोई मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) क्या जिला उद्योग केन्द्रों को अपना कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जिला उद्योग केन्द्रों से केवल प्रगति रिपोर्टें ही भेजी जाने की आशा की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिला उद्योगों को पुनः सक्रिय किये जाने के सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को हाल ही मे जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार हैं :

1. परियोजना के लिए स्वीकृति के क्रम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्पर्क में उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और कार्य-कुशलताओं, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार सर्वेक्षण आदि के विशेष संदर्भ में सावधानीपूर्वक परियोजना का निर्धारण करना शामिल है। जितनी सावधानी से यह कार्य शुरू किया जाता है, उसी से परियोजना की सफलता का निर्धारण किया जाएगा।

2. वित्तीय सहायता के लिए बैंकों को संस्तुत की गई परियोजना की रूपरेखा (प्रोफाइल) की समीक्षा शीघ्रतापूर्वक और कारगर ढंग से की जानी चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्तर पर साहूकारों के साथ मिलकर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति मिल जायगी।

3. ऋण के एक बार स्वीकृत हो जाने पर जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारी वर्ग को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्युत, जल, कच्चे माल जैसी अन्य स्वीकृतियां भी क्रम से मिलती रहें और इकाई बिना किसी विलम्ब के कार्य करना शुरू कर दे।

4. जिला उद्योग केन्द्रों को अपने द्वारा शुरू की गई इकाइयों की रुग्णता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह ध्यान उस समय खास तौर पर दिया जाना चाहिए जबकि रुग्णता

की शुरुआत हो ताकि उद्यमी या वित्तीय संस्थानों पर अकारण दबाव डाले बिना उसे ठीक स्थिति में लाया जा सके।

5. जिला उद्योग केन्द्रों को अपनी कार्य योजनाओं को अद्यतन बनाना चाहिए तथा अगले पांच वर्षों के लिए खंडवार कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

6. राज्य उद्योग निदेशालय तथा सम्बन्धित लघु उद्योग सेवा संस्थान के अधिकारियों को जिला उद्योग केन्द्रों का साथ-साथ मूल्यांकन करना चाहिए।

7. जिला उद्योग केन्द्रों के निरीक्षण का कार्य जिला समाहर्ताओं तथा मंडलीय आयुक्तों/राजस्व बोर्ड के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण रोस्टरों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके कार्य-निष्पादन पर हमेशा ध्यान केन्द्रित रखा जा सके और उनकी कमजोरियों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पता लगाकर उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

8. जिला उद्योग केन्द्र स्तर पर उद्यमिता के विकास को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। तदनुसार प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में एक कार्य सम्बन्धी (फंक्शनल) प्रबन्धक को उनके अपने कर्त्तव्यों/कार्यों के अलावा प्रबन्धक के रूप में (उद्यमिता विकास) पदनामित किया जाना चाहिए।

9. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया गया है कि प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र में उपयुक्त कर्मचारीवृन्द हों तथा उनकी शीघ्र ही पुनः संरचना की जाए।

10. राज्य सरकारों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे जिला उद्योग केन्द्रों को पर्याप्त शक्तियां सौंपने पर विचार करें।

वर्ष 1984-85 में उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाले केन्द्रीय विद्यालय

*177. **श्री हरीश रावत : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984-85 के दौरान कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे तथा वास्तव में कितने विद्यालय कहां-कहां पर खोल दिये गये हैं; और

(ख) कुछ प्रस्तावित विद्यालयों के न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) तथा (ख) चालू सत्र 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर सात नये केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलने का प्रस्ताव था :

(1) उन्नाव

(2) गोमतीनगर, लखनऊ

(3) छियोकी, इलाहाबाद

(4) देहरादून कैन्ट

(5) नोएडा (गाजियाबाद)

(6) बीजापुर, जिला मिर्जापुर

(7) गाजियाबाद

गाजियाबाद को छोड़कर सभी प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय खोले जा चुके हैं। गाजियाबाद में केन्द्रीय विद्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को विकास के लिए अपेक्षित भूमि तथा अन्य भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही खोला जायेगा।

दिल्ली और गाजियाबाद के अस्पतालों में नर्सिग होम सुविधाओं की पात्रता

*180. **श्री रामजीभाई मावणि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 750 रुपये और उससे अधिक मासिक मूल वेतन वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थी दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिग होम सुविधाओं के हकदार हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाजियाबाद में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थी संगत आबंटित अस्पतालों में नर्सिग होम सुविधाओं के हकदार केवल तब हैं जब उनका मूल वेतन 1200 रुपये या उससे अधिक हो;

(ग) यदि हां, तो उस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं; और

(घ) जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का सम्बन्ध है, गाजियाबाद में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों को दिल्ली में उनके समकक्ष लाभार्थियों के समान लाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) गाजियाबाद में कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल अथवा नर्सिंग होम नहीं है। इसलिए गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए गाजियाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल को मान्यता दी गई है। सभी प्रकार के लाभार्थियों के लिए, चाहे वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हों या इससे भिन्न, इस प्राइवेट अस्पताल का स्थान देने का पैमाना यह है कि 749 रुपए तक मूल वेतन पाने वाले लाभार्थियों को जनरल वार्ड में, 750 रुपये से 1199 रुपये तक के मूल वेतन वाले लाभार्थियों को सेमी-प्राइवेट कमरों में और 1200 रुपये या इससे अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्राइवेट कमरों में रखा जाता है। सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह स्थान देने सम्बन्धी उन अस्पतालों के पैमानों को बदल सके जो सरकार के अधीन नहीं हैं।

केरल को जाने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करना

*181. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतम यातायात अवधि के दौरान केरल के लिए "होलीडे स्पेशल" रेलगाड़ियां चलाये जाने के बावजूद ग्रीष्मकालीन "भारी भीड़ को काफी हद तक कम" नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल को जाने वाली लम्बी दूरी की एक्सप्रेस गाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि करने का विचार है, जिससे कि यात्रियों को निरन्तर बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं, होलीडे स्पेशल गाड़ियों से, जो केरल की ओर चलाई गई थीं, यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ को सन्तोषजनक ढंग से निकासी कर दी गई थी।

(ख) और (ग) हाल ही में न्यू बोंगाईगांव-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस, अहमदाबाद-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस गाड़ियां चला कर केरल को जाने वाली गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है तथा जम्मू तवी और कन्याकुमारी के बीच शीघ्र ही एक और गाड़ी चलाई जा रही है जो केरल के लिए एक अतिरिक्त गाड़ी होगी।

सीमेंट के भाड़े की दरों का चरणबद्ध तरीके से समानीकरण करना

*182. **श्री नीरेन घोष** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्री द्वारा बताये गये सरकार के निर्णय के अनुसार सीमेंट के भाड़े की दरों का चरणबद्ध तरीके से समानीकरण कब शुरू हो जायेगा;

(ख) चरणबद्ध तरीके से समानीकरण करने सम्बन्धी इस कार्य के आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार भाड़े की राशि को चरणबद्ध तरीके से बराबर करने का काम कब तक पूरा कर लेगी;

(घ) क्या संसद सदस्यों और कुछ वाणिज्य मण्डलों के सदस्यों ने भाड़े की दरों में समानता करने सम्बन्धी इस नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इसका पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के औद्योगीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई उपचारात्मक उपायों की मांग की है; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (च) भाड़ा समायोजना नीति के संशोधन पर कुछ संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ था। इस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया था कि या तो सभी आधारभूत कच्ची सामाग्रयो जैसे कि पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास, पटसन, भारी रसायन आदि को भाड़ा समायोजन नीति क अन्तर्गत रखा जाए अथवा स्टील, सीमेंट, लोहे और कोयले के सम्बन्ध में भी नीति का त्याग किया जाय।

2. 28 फरवरी, 1982 से सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना लागू होने के साथ ही सीमेंट उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता के एक भाग के सम्बन्ध मे भाड़ा समायोजन प्रावस्थाबद्ध कर दिया गया है। शेष भाग, जिस पर दूरस्थ, दुर्गम तथा अलग-थलग पड़न वाल क्षत्रा हतु परिवहन प्रतिपूर्ति लागू है, के लिए भाड़ा समायोजन को प्रावस्थाबद्ध करन के तरीका का खोज का जा रहा है। सीमेंट उद्योग में भाड़ा समायोजन को पूर्णतया प्रावस्थाबद्ध करने क लिए समय सीमा क बार में सूचना, इस उद्योग के सम्बन्ध में सातवीं पचवर्षीय योजना क पूर्वानुमानों को आन्तम रूप द दिए जाने के बाद ही दी जा सकती है।

एशियाई महिलाओं का शोषण

*183. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अनेक देशों में सक्रिय एजेंटों, अनैतिक व्यापार करने वालों द्वारा काफी बड़ी संख्या में एशियाई महिलाओं का दुरुपयोग, शोषण किया गया है और उन्हें धोखा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने विदेश स्थित अपने मिशनों के जरिये इस सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की है; और

(ग) क्या इस शर्मनाक स्थिति पर काबू पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व संगठनों के सहयोग से कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विदेश स्थित हमारे मिशनों को विश्व के अनेक देशों में एशियाई महिलाओं का शोषण करने वाले एजेन्टों और अनैतिक व्यापार करने वालों की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

राज्य इंजीनियरिंग कालेजों और पोलिटेक्निकों द्वारा लिया जाने वाला प्रावेशिक शुल्क

*184. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रावेशिक शुल्क लेने वाले इंजीनियरिंग कालेजों और पोलिटेक्निकों की संख्या कितनी है तथा वे किस-किस राज्य में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसमें आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन के मार्ग-निर्देशों का सरासर उल्लंघन होता है;

(ग) यह प्रक्रिया क्यों और कब से चल रही है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में देश-भर के लिए स्पष्ट नीति क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) कर्नाटक राज्य के 27 इंजीनियरी कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क वसूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र में निजी रूप से चलाये जा रहे 51 इंजीनियरी कालेजों और 102 पोलिटेक्निक खोलने की अनुमति दी है जो अधिक शुल्क ले रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) संस्थाएं सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति से चलाई जाती हैं। प्रावेशिक शुल्क (केपिटेशन फीस) एकत्र करने की प्रथा वर्ष 1957 से सतत रूप से चल रही है जब कर्नाटक में इस प्रकार का पहला इंजीनियरी कालेज खोला गया था। इस प्रकार के कालेजों के विस्तार पर विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किये गये सुविचारित

प्रयासों के कारण वर्ष 1979-80 तक नियंत्रण रखा गया जब इसे कुछ राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर पुन: शुरू कर दिया गया था।

(घ) भारत सरकार प्रावेशिक शुल्क (केपिटेशन फीस) लेने की प्रथा का पूर्णतया विरोध करती है।

भारत में नशीली औषधियों के सेवन के अभ्यस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण

*185. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और अमेरिका तथा यूरोप के अन्य देशों की तुलना में भारत में नशीली औषधियों के सेवन के अभ्यस्त व्यक्तियों की संख्या अधिक है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन नशीली औषधियों के नाम क्या हैं जिनका भारत में सामान्यत: नशेबाजों द्वारा सेवन किया जाता है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि भारत या अन्य देशों में नशीली औषधियों में सेवन के अभ्यस्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1976 में भारत में चुने हुए क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) भारत में सामान्यत: अल्कोहल, हशिश, तम्बाकू तथा शामक जैसी नशीली औषधियों का सेवन किया जाता है।

परिवार नियोजन योजनाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग करना

*186. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की बैठक अभी हाल ही में दिल्ली में हुई थी;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपनी परिवार नियोजन योजनाओं के विस्तार के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये और उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् का 10वां संयुक्त सम्मेलन 9 से 11 जुलाई, 1984 तक नई दिल्ली में हुआ । राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री इन परिषदों के सदस्य हैं । परिषदों ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सुझाव दिये । वे सिफारिशें, जो विशिष्ट रूप से राज्यों की परिवार कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता के बारे में की गई हैं, इस प्रकार हैं :

1. राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को प्रत्येक आई० यू० डी० निवेशन के लिए 12 रुपये के हिसाब से जो मुआवजा दिया जाता है उसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया जाये और आई० यू० डी० कार्यक्रम में प्राइवेट चिकित्सकों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार एक योजना तैयार करे ।

2. नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले 100 रुपये के मुआवजे की राशि में उपयुक्त वृद्धि की जाये ।

3. चिकित्सा द्वारा गर्भ समापन के बाद आई० यू० डी० सेवाओं और नसबन्दी के मामले में दवाइयों के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 25 रुपये कर दिया जाये ।

आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इन सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

कंटेनरीकरण और रोजगार के अवसर समाप्त करने वाले तरीके अपनाने की अनुमति देना

1579. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भारी बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नौवहन उद्योग में प्रबन्धकों को कंटेनरों का उपयोग करने और रोजगार के अवसर समाप्त करने वाले अन्य ढंग अपनाने की अनुमति देने का क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह सच है कि देश द्वारा जिन प्रमुख समस्याओं का हल किया जाना है, उनमें से बेरोजगारी भी एक है।

(ख) कंटेनरीकरण का मुख्य उद्देश्य कारणों को जल्दी, अधिक सुरक्षित और क्षतिरहित आवागमन और चढ़ाना-उतारना है। चूंकि नौवहन एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग है, इसलिए भारतीय नौवहन को देश के निर्यात/आयात व्यापार तथा विदेश व्यापार में प्रतिस्पर्धा करने या कम से कम अपना उचित शेयर प्राप्त करने के लिए बेड़े का पर्याप्त कंटेनरीकरण करना जरूरी है। अन्यथा जहाजों को व्यापार के अवसर कम प्राप्त होंगे जिससे पत्तनों और जहाजों पर रोजगार के अवसर पर असर पड़ेगा। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय किया गया है कि कंटेनर जहाजों और कंटेनरों में बन्द कार्गो को चढ़ाने-उतारने के क्रम में देश के कुछ महापत्तनों में कंटेनर टेकनोलाजी का प्रयोग शुरू किया जाए। यह कहना सही नहीं होगा कि पत्तन और नौवहन उद्योग में कन्टेनरीकरण और आधुनिक टेकनालाजी का इस्तेमाल करने के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर में किसी प्रकार की कमी आती है।

चुंगी समाप्त करना

1580. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 23-24 अप्रैल, 1983 को हुई अपनी बैठक में परिवहन विकास परिषद् ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुंगी शीघ्र समाप्त करने का आह्वान किया था;

(ख) चुंगी-शुल्क सम्बन्धी आय की क्षति को पूरा करने के लिए सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आय के किस वैकल्पिक स्रोत का सुझाव दिया है;

(ग) कितने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक चुंगी-शुल्क समाप्त कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है तथा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जाएंगे, जो चुंगी-शुल्क को समाप्त करने में असफल रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) परिषद ने राज्यों को विचारार्थ यह सिफारिश की है कि ऐसा वैकल्पिक स्रोत बिक्री कर पर सरचार्ज या मोटर यान कर पर सरचार्ज से प्राप्त राजस्व की तरह होते हैं।

(ग) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने चुंगी समाप्त करने की सूचना भेजी है :

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ प्रशासन, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप और मिजोरम।

(घ) हालांकि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से चुंगी समाप्त करने के लिए कहती रही है, फिर भी यह राज्य का विषय है, इसलिए इस बारे में वही निर्णय कर सकती है। इसलिए चुंगी समाप्त करने की अन्तिम तारीख निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

नेपथालीन आदि में मिलावट

1581. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपथालीन गोलियों, कपड़े धोने के साबुन और डिटर्जेन्ट आदि में मिलावट होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में कत्ल, चोरी और अनियमितताओं की सी० बी० आई० द्वारा जांच

1582. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेलवे लोको मेकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे में कत्ल, चोरी और अनियमितताओं के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तदनुसार जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) महासचिव, इण्डियन रेलवे लोको मैकेनीकल स्टाफ एसोसिएशन, मुरादाबाद से उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल पर कत्ल, चोरी और अनियमितताओं के कथित मामलों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग प्राप्त हुई थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से विभिन्न आरोपों की जांच करने का अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रैस का अहमदाबाद-भुज फास्ट पैसेंजर ट्रेन के साथ अहमदाबाद में सम्पर्क

1583. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रैस गाड़ी 8.35 बजे अहमदाबाद पहुंचती है तथा अहमदाबाद-भुज फास्ट पैसेंजर ट्रेन 8.20 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान करती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल 15 मिनट के अन्तर के कारण मद्रास ट्रेन के यात्री भुज फास्ट पैसेंजर ट्रेन को नहीं पकड़ सकते;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अहमदाबाद-भुज फास्ट पैसेंजर ट्रेन के प्रस्थान के समय को केवल 15 मिनट आगे करने का है ताकि इसका सम्पर्क नवजीवन एक्सप्रैस के साथ किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 146 डाउन नवजीवन एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद में 20.35 बजें पहुंचती है, का मेल 65-ए अहमदाबाद-भुज फास्ट यात्री गाड़ी से, जो अहमदाबाद से 20.25 पर चलती है, नहीं हो पाता ।

(ग) और (घ) यह सम्पर्क बनाने के लिए 65-ए को अहमदाबाद से एक घंटा बिलम्ब से चलाना पड़ेगा जो व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इससे अहमदाबाद से सायंकाल में चलने वाली बहुत-सी मीटर लाइन की गाड़ियों के समय में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिनमें दैनिक यात्री आते-जाते हैं।

भारतीय कम्पनियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान के रूप में लीबिया से कच्चा तेल स्वीकार किया जाना

1584. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों ने लीबिया में किए अपने ठेका-कार्यों की बकाया धनराशि के भुगतान के रूप में उस देश से कच्चा तेल स्वीकार किया है जैसा कि 4 जून, 1984 के स्टेट्समैन में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत को कितनी मात्रा में कच्चा तेल भेजा जाएगा और इसका मूल्य कितना होगा;

(ग) क्या मूल्य रुपया के शक्ल में निश्चित किया जाएगा अथवा विदेशी मुद्रा के रूप में; और

(घ) क्या खाड़ी के अन्य देशों में भी ऐसे प्रस्ताव किए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) भारत और इराक के बीच आस्थगित भुगतान करारों के जरिए प्रबन्ध किए गए हैं जिनमें इराक में 83 और 84 में किए गए कार्यों के लिए भारतीय कम्पनियों को देय भुगतान का इराक से कच्चे तेल का आयात करके आंशिक समंजन करना शामिल है ।

महिलाओं को फ्लैटिड फैक्टरियों का आबंटन

1585. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** महिलाओं को फ्लैटिड फैक्टरियों के आबंटन के बारे में 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला उद्यमियों को झंडेवालान में एलाट की गई फ्लैटिड फैक्टरियों का ब्यौरा क्या है तथा उनको उनका आबंटन करने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं; और

(ख) महिला-उद्यमियों तथा अन्य आरक्षित/गैर-आरक्षित श्रेणियों में लोगों से इन फैक्टरियों को कितनी कीमत और किराया लिया जाएगा तथा ये आबंटन कब किए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) फ्लैटिड फैक्टरीज कम्पलेक्स, झण्डेवालान में दस प्रतिशत फ्लैट महिला उद्यमियों को आबंटित किए जाएंगे । आबंटन करने के मानदण्ड को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) इस विषय में सरकार के स्थाई आदेशों के आधार पर किराया लिया जाएगा । कम्पलेक्स अभी पूरा नहीं हुआ है और इसलिए अभी आबंटन की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीगत राज सहायता

1586. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में किसी औद्योगिक एकक की स्थापना करने वाले उद्यमी को कितनी अधिकतम पूंजीगत राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पृथक-पृथक कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या ऐसे उद्यमियों को कुछ राज सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अन्तर्गत की जाने वाली पूंजीगत राजसहायता की अधिकतम राशि पूंजीगत निवेश का 25 प्रतिशत होती है, जिसकी सीमा 25 लाख रुपये है। उद्यमियों को कोई भी राज्य राजसहायता नहीं दी जाती है।

(ग) और (घ) पूंजीगत निवेश राजसहायता के अलावा, उद्यमियों को निम्नलिखित राज-सहायता भी दी जाती है :—

1. **केन्द्रीय राजसहायता :**

—75 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय परिवहन राजसहायता।

—इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता।

2. **राज्य राजसहायता**

—टाइनी एककों को ब्याज की दर पर राजसहायता।

—विद्युत प्रशुल्क पर राजसहायता।

—बिक्री कर से छूट और रियायत।

—ब्याज मुक्त ऋण के रूप में केन्द्रीय बिक्री कर की रियायत।

—राजसहायता प्राप्त दर पर औद्योगिक प्लाट।

—सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहायता।

तमिलनाडु में सीमेंट एककों के लिए विपणन समस्या

1587. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश के सीमेंट का एक बड़ा उत्पादन बनने से तमिलनाडु में स्थित 8 सीमेंट एककों के लिए विपणन सम्बन्धी समस्याएं पैदा होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं। केरल, तमिलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में सातवीं योजनावधि के दौरान सीमेंट के मांग और उत्पादन के प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता चलता है कि उस क्षेत्र में सीमेंट की मांग वहां स्थित कारखानों के उत्पादन से अधिक होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा परिरक्षण सम्बन्धी कार्यदलों का प्रतिवेदन

1588. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, भारी उद्योग के सचिव की अध्यक्षता में गठित ऊर्जा परिरक्षण सम्बन्धी कार्यदलों ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं;

(ख) क्या सरकार उक्त दलों के मुख्य प्रतिवेदनों और उप-दलों के प्राथमिक प्रतिवेदनों की प्रतियां पटल पर रखेगी; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न स्तरों पर और ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने इन कार्यदलों की समीक्षाओं और सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उद्योगों में ऊर्जा परिरक्षण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव, भारी उद्योग की अध्यक्षता में ऊर्जा की उपयोगिता तथा परिरक्षण पर गठित एक अन्तर-मंत्रालय कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास 29-11-1983 को भेज दी थी।

(ख) चूंकि यह रिपोर्ट एक उपयोगी अध्ययन है और इसमें उद्योगों तथा अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक जानकारी है इसलिए दल की मुख्य रिपोर्ट तथा उप-समिति की रिपोर्टों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं उद्योगों इत्यादि के विभिन्न संगठनों तथा संघों में भेजा गया है। यह रिपोर्ट संसद की लायब्रेरी में उपलब्ध है।

(ग) इस बारे में, अन्तर-मंत्रालय कार्यदल तथा ऊर्जा पर सलाहकार मण्डल की सिफारिशों पर ऊर्जा सम्बन्धी सचिवों की विशेष समिति ने विचार किया है। सरकार में उचित स्तरों पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु इन्हें भेज दिया गया है।

"भेल" द्वारा निर्मित तापीय और पन बिजली उत्पादन सैट

1589. **श्री बाबराव परांजपे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बाबूराव

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष, और चालू वर्ष में कुल कितने तापीय और पन बिजली बनाने वाले सैटों (उनकी मेगावाट क्षमता सहित) का निर्माण किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त कुल कितने "भेल मेक" सैट (उनकी मेगावाट क्षमता सहित) चालू किए गए; और

(ग) तत्सम्बन्धी परियोजना, मेगावाट क्षमता, स्थापना के वर्ष और महीने तथा सैट की वर्तमान संयंत्र भार स्थिति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में निर्मित तथा चालू वर्ष के लिए आयोजित उपयोगिताओं हेतु तापीय पनबिजली जनित्रण सेटों की कुल संख्या/मे० वाट इस प्रकार है :

वर्ष	तापीय सेट संख्या/मे०वाट	पन बिजली सेट संख्या/मे०वाट
1981-82	9/1640	22/1157.5
1982-83	15/2500	18/1003.7
1983-84	9/1790	15/702.0
1984-85 (आयोजित)	12/2870	19/556.0

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में चालू किए गए और चालू वर्ष के लिए आयोजित उपयोगिताओं हेतु बी० एच० ई० एल० मेक के तापीय एवं पनबिजली जनित्रण सेटों की कुल संख्या/मे० वाट निम्न प्रकार है :

वर्ष	तापीय सेट संख्या/मे०वाट	पन बिजली सेट संख्या/मे०वाट
1981-82	9/1630	4/380
1982-83	11/2010	8/840
1983-84	13/2720	17/760
1984-85 (आयोजित)	14/2102	11/585

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

(क) 1981-82 में चालू किए गए तापीय सेट

क्रमांक	परियोजना का नाम	एकक संख्या	क्षमता (मे० वाट)	चालू करने का मास	पी०एल०एफ० 1984-85 अप्रैल-जून (%)
1.	दुर्गापुर	4	210	दिसम्बर 1981	42.1
2.	बदरपुर	5	210	दिसम्बर 1981	62.6
3.	सिंगरौली	1	210	फरवरी 1982	68.7
4.	बोगाईगांव	2	60	मार्च 1982	17.6
5.	बानकबोरी	1	210	फरवरी 1982	63.4
6.	तालचेर	5	110	मार्च 1982	33.7
7.	कोराड़ी	6	210	मार्च 1982	28.1
8.	तूतीकोरिन	3	210	मार्च 1982 में चलाया गया	58.0
9.	ओबरा	13	200	मार्च 1982 में चलाया गया	81.5
	योग	9/1630			

1982-83 में चालू किए गए तापीय सेट

क्रमांक	परियोजना का नाम	एकक संख्या	क्षमता (मे० वाट)	चालू करने का मास	पी०एल०एफ० 1984-85 अप्रैल-जून 84(%)
1	2	3	4	5	6
1.	भूसावल	3	210	मई 1982	51
2.	बंडेल	5	210	अक्तूबर 1982	74

1	2	3	4	5	6
3.	सिंगरौली	2	210	नवम्बर 1982	81
4.	कोराड़ी	7	210	जनवरी 1983	25
5.	वानाकबोरी	2	210	जनवरी 1983	79
6.	कोटा	1	110	जनवरी 1983	67
7.	सतपुड़ा	8	210	जनवरी 1983	50
8.	कोरबा एन०टी०पी०सी	1	210	मार्च 1983	53
9.	तालचेर	6	110	मार्च 1983	24
10.	सिंगरोली	3	210	मार्च 1983	30
11.	बरौनी	6	110	मार्च 1983 में चलाया गया	*
	योग	11/2010			

* टिप्पण : वे सेट जिनका परीक्षण परिचालन किया जा रहा है/अभी वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जाना है।

1983-84 में चालू किए गए तापीय सेट

क्रमांक	परियोजना का नाम	एकक संख्या	क्षमता (मे०वाट)	चालू करने का मास	पी०एल०एफ० 1984-85 अप्रैल-जून 1984
1	2	3	4	5	6
1.	कोरबा हसदेव	1	210	जून 1983	51.0
2.	कोटा	2	110	जुलाई 1983	29.0
3.	चन्द्रपुर	1	210	अगस्त 1983	*
4.	कोरबा एन० टी० पी० सी०	2	210	अक्तूबर 1983	44
5.	सिंगरौली	4	210	नवम्बर 1983	94

1	2	3	4	5	6
6.	ट्राम्बे	5	500	जनवरी 1984	58
7.	सिंगरौली	5	210	फरवरी 1984	34
8.	सतपुड़ा	9	210	फरवरी 1984	*
9.	वानकबोरी	3	210	मार्च 1984	7.2
10.	कोरबा एन० टी० पी० सी०	3	210	मार्च 1984	40
11.	पतरातू	9	110	मार्च 1984	*
12.	कोरबा हसदेव	2	210	मार्च 1984	*
13.	परिछा	1	110	मार्च 1984	*
		योग 13/2720			

* वे सेट जिनका परीक्षण परिचालन किया जा रहा है/अभी वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जाना है।

(ख) 1981-82 में चालू किए गए पन बिजली सेट

पन बिजली सेटों के लिए पी० एल० एफ० उनके कार्य का पैमाना नहीं है, क्योंकि जनित्रण अधिकतम आवश्यकता और जल की उपलब्धता पर निर्भर है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	यूनिट सं०	क्षमता (मेव०)	चालू करने का मास
1.	काली नदी	3	135	सितम्बर 1981
2.	काली नदी	4	135	मार्च 1982
3.	बैरास्यूल	3	60	अगस्त 1981
4.	शनान विस्तार	—	50	मार्च 1982
		4/380		

1982-83 में चालू किए गए पन बिजली सेट

क्रम सं०	परियोजना का नाम	यूनिट सं०	क्षमता (मे० वा०)	चालू करने का मास
1.	नागार्जुनसागर	3	1000	जून 1982
2.	श्रीसैलम	1	110	अगस्त 1982
3.	पोंग	5	60	सितम्बर 1982
4.	श्रीसैलम	2	110	दिसम्बर 1982
5.	पोंग	6	60	फरवरी 1983
6.	काली नदी	5	135	मार्च 1983
7.	देहर	5	165	मार्च 1983
8.	नागार्जुनसागर	4	100	मार्च 1983 में चलाया गया
			8/840	

1983-84 में चालू किए गए पन बिजली सेट

क्रमांक	परियोजना का नाम	एकक संख्या	क्षमता (मे० वाट)	चालू करने का मास
1	2	3	4	5
1.	लोकताक	2	35	अप्रैल 1983
2.	लोकताक	1	35	मई 1983
3.	लोकताक	3	35	मई 1983
4.	मुकेरियां	1	15	सितम्बर 1983
5.	मुकेरियां	2	15	अक्तूबर 1983
6.	डोन्करियाई	1	25	अक्तूबर 1983

1	2	3	4	5
7.	मुकेरियां	3	15	नवम्बर 1983
8.	देहर	6	165	नवम्बर 1983
9.	श्रीसेलम	3	110	नवम्बर 1983
10.	गुमटी विस्तार	3	5	जनवरी 1984
11.	खोदारी	1	30	जनवरी 1984
12.	खोदारी	2	30	फरवरी 1984
13.	खोदारी	4	30	फरवरी 1984
14.	खोदारी	3	30	मार्च 1984
15.	काली नदी	6	135	मार्च 1984
16.	खानडोंग	1	25	मार्च 1984
17.	खानडोंग	2	25	मार्च 1984 में चलाया गया
		योग	17/760	

प्रदूषण निवारण का प्रावधान रखने वाली परियोजनाओं को औद्योगिक लाइसेंस

1590. **श्री नवीन रावणी :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह नीति अपनाने पर विचार कर रही है कि कोई नया लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि परियोजना में प्रदूषण निवारण के लिए पर्याप्त प्रावधान न हो;

(ख) यदि हां, तो मुख्यतया किस प्रकार के उद्योग प्रदूषण के मुख्य कारण बनते हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्रदूषण निवारण के लिए किए गए प्रावधानों के बारे में समाधान हो जाने के बाद कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(घ) क्या कोई आवेदन रद्द किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) औद्योगिक परियोजनाओं से उत्पन्न वायु, जल और भूमि प्रदूषण की जांच करने और उस पर नियन्त्रण करने के लिए आशय-पत्रों में निम्नलिखित शर्तें पहले से ही समाविष्ट की गई हैं :

> "वायु, जल और भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की सन्तुष्टि हेतु पर्याप्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण निवारण के लिए किए गए अभ्युपाय उस राज्य में लागू मानक शर्तों के अनुरूप होने चाहिए जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित हो।"

किन्तु, पर्यावरण के संरक्षण पर दिए जा रहे राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक प्रदूषण करने वाले 18 उद्योगों का पता लगाया है जिनके आशयपत्रों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा हो जाने के बाद ही औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया जायेगा :

(1) राज्य के उद्योग निदेशक यह पुष्टि कर दें कि परियोजना स्थल को सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी दृष्टिकोण से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(2) उद्यमी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को यह वचन दिया है कि वह प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरण लगाएगा तथा निर्धारित अभ्युपायों को कार्यान्वित करेगा।

(3) सम्बन्धित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया है कि प्रस्ताव से पर्यावरण सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं और यह कि अधिष्ठापित अथवा अधिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

उपरोक्त निर्देश 21 जून, 1984 को जारी किए गए थे। इन 18 उद्योगों की एक सूची संलग्न विवरण के रूप में है।

विवरण

1. प्राथमिक धातुकर्मी उत्पादन उद्योग अर्थात् जस्ता, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात।
2. कागज
3. कीटनाशी/कीटाणुनाशी
4. रिफाइनरी (तेलशोधक कारखाने)।
5. उर्वरक
6. पेन्ट

7. रंजक पदार्थ
8. चमड़ा कमाना
9. रेयन
10. सोडियम/पोटाशियम साइनाइड
11. आधारभूत औषधियों
12. ढलाई कारखाने (फाउन्ड्री)।
13. बैटरीज
14. एसिड/अल्कालीज
15. प्लास्टिक
16. रबड़
17. सीमेंट और
18. एस्बेस्टस।

स्कूटरों की मांग और सप्लाई की स्थिति

1591. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र में उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दो पहियों वाले स्कूटर बनाने के लाइसेंस दिये गये थे और शुरू में उनकी कितनी क्षमता मंजूर की गई थी और बाद में क्षमता में कितने विस्तार की अनुमति दी गई;

(ख) अग्रिम बुकिंग के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई, जनता की करोड़ों रुपयो की राशि को उन्होंने किस ढंग से निवेश किया और स्कूटर सप्लाई करने के लिए प्रत्येक कम्पनी के पास कितने लोग पंजीकृत हैं;

(ग) उन्होंने 16 जुलाई, 1984 तक कितने स्कूटर बनाये हैं और कितने स्कूटर अपने डीलर्स को प्रतीक्षा सूची में नाम वाले आवेदकों को देने के लिए सप्लाई किए हैं और अब तक कितने स्कूटर निदेशकों के स्वैच्छिक कोटे के अन्तर्गत दिये गये हैं; और

(घ) ये कम्पनियां वर्तमान स्थिति के अनुसार पूरी प्रतीक्षा सूची को निबटाने में कब तक समर्थ होंगी और क्या वे विस्तार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) गैर सरकारी क्षेत्र के दो बड़े स्कूटर निर्माताओं के सम्बन्ध में संगत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(आंकड़े लाखों में)

कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	स्वीकृत क्षमता में विस्तार	कुल लाइसेंस प्राप्त/ स्वीकृत क्षमता	बुक किये गये क्रयादेशों की संख्या	एकत्रित कुल धनराशि	निर्मित किए स्कूटरों की संख्या	की गई बुकिंगों पर स्कूटरों की डिलीवैरी करने के लिए अपने डीलरों को दिये गये स्कूटर	निदेशक कोटे के अन्तर्गत आबंटित स्कूटरों की संख्या	अवधि जिसमें कम्पनियों को सप्लाई पूरी कर देने की आशा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मे० बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	1.60	3.00	4.60	7.84 (1-6-84 को)	1384 रुपये (30-6-84 को)	8.00 (16-7-84 को)	7.97 (16-7-84 को)	3%	10 वर्ष
मे० लोहिया मशीन्स लि०, कानपुर	1.00	2.00	3.00	22.39 (1-7-84 को)	11195 रु० (1-7-84 को)	0.02 (30-6-84 को)	0.018 (16-7-84 को)	5%	7 वर्ष

इन कम्पनियों ने सरकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही अग्रिम धनराशि एकत्रित करने की पुष्टि की है।

बड़े औद्योगिक गृहों के सम्पर्क अधिकारियों का उद्योग मंत्रालय में जाना

1592. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 2 जुलाई, 1984 के कलकत्ता "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में "फ्राम द फाइल्स" (फाइलों से) शीर्षक के अन्तर्गत छपे औद्योगिक जासूसी (इन्डस्ट्रियल एस्पिनाज) समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक गृहों के सम्पर्क अधिकारी, जिन्होंने उनके निजी कर्मचारियों और अन्य अधिकारियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क स्थापित कर रखा है, फाइलों तथा अन्य स्रोतों से सभी जानकारी हासिल कर लेते हैं; और

(ग) व्यापारियों को इन अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यह खबर देख ली गई है ।

(ख) और (ग) यद्यपि यह सच है कि कुछ जानकारी का पता पहले से लग जाता है, फिर भी यदि इन्हें बिल्कुल समाप्त न किया जा सका तो ऐसे उदाहरणों को करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन की ऊना तथा हमीरपुर में शाखाएं खोलना

1593. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमीरपुर और ऊना में लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन की शाखाएं खोले जाने की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार शाखाएं खोलने पर शीघ्र निर्णय लेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) हमीरपुर में लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखा तथा ऊना जिले के मेहातपुर में विस्तार केन्द्र खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल का बन्द होना

1594. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पेपर मिल कम्पनी लिमिटेड, रानीगंज, पश्चिम बंगाल 1 नवम्बर, 1983 से बन्द पड़ी है;

(ख) उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके बन्द होने से देश को प्रतिवर्ष लगभग 20,000 टन कागज की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे फिर से चलाने के लिए कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। पुराने उपकरण, कच्चे माल की कमी, द्रवत्व बाधाएं और निरन्तर औद्योगिक विवाद जैसी कई समस्याओं का कम्पनी को सामना करना पड़ रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंगाल पेपर मिल्स के कागज का औसत उत्पादन लगभग 33,000 मी० टन प्रति वर्ष था।

(घ) उपक्रम का पुनरारम्भ वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई एक पुनः स्थापना योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर निर्भर है।

बिजली सम्बन्धी और घरेलू उपयोग के अन्य उपकरणों के निर्माण के लिए सुविधाएं

1595. **श्री एम० के० शेजवलकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली सम्बन्धी, घरेलू उपयोग के उपकरणों और इस उद्देश्य के लिए विभिन्न अन्य "गेजटों" के निर्माण के लिए इनके निर्माताओं को क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं देने की पेशकश की गई है; और

(ख) इस प्रकार की वस्तुओं के निर्माण हेतु आवश्यक टैक्नोलोजी के आयात के मामले में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) अधिकांश घरेलू विद्युत उपकरण लघु क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित हैं। अतः इन वस्तुओं के उत्पादक प्रथम स्वीकृति में 7.5 लाख रु० तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त करने सहित लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के बारे में उपलब्ध प्रोत्साहन और सुविधाएं पाने के पात्र होंगे बशर्ते पिछले वर्ष में उनकी स्वीकृति का मूल्य 25 लाख रुपये से अधिक न रहा हो।

(ख) साधारणतया सरकार विद्युत उपकरणों और सहायक पुर्जों का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति नहीं देती है। किन्तु गुणावगुण के आधार पर गुणवत्ता में सुधार करने और उसे प्रोन्नत करने के लिए तथा प्रौद्योगिकीय रूप से श्रेष्ठ नये उत्पादों का निर्माण करने हेतु प्रौद्योगिकी, खाकों (आलेखनों) और डिजाइनों का आयात करने की अनुमति है।

कर्नाटक में औद्योगिक हानि

1596. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में श्रमिक असन्तोष के कारण 1983 में 22.94 करोड़ रुपये के औद्योगिक उत्पादन की हानि हुई जबकि पिछले वर्ष यह हानि 13.99 करोड़ रुपये थी;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में 1983 के दौरान औद्योगिक हानि के मुख्य कारण क्या थे;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार कर्नाटक राज्य को हुई औद्योगिक हानि पर काबू पाने के लिए उसकी सहायता करने को सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो औद्योगिक हानि को कम करने के लिए कर्नाटक राज्य को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कर्नाटक में वर्ष 1982 और 1983 में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हुई उत्पादन हानि के मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में कई कारणों से हानि हो सकती है, जिससे औद्योगिक क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) और (घ) औद्योगिक विकास राज्यों और केन्द्र का संयुक्त उद्यम है। औद्योगिक लाइसेंस और आयात विषयक नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके और आर्थिक व राजकोषीय अभ्युपाय करके तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करके उत्पादन को बढ़ावा देना केन्द्र सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है।

विवरण

कर्नाटक में वर्ष 1982 और 1983 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में हुई हानि का मूल्य

(करोड़ रुपये)

वर्ष	विवादों की संख्या			उत्पादन में हुई हानि का मूल्य		
	हड़ताल	तालाबन्दी	योग	हड़ताल	तालाबन्दी	योग
1982 (अनन्तिम)	41	6	47	14.42(28)	0.53(4)	14.94(32)
1983 (अनन्तिम)	54	7	61	23.18(42)	12.69(5)	35.86(47)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े उन मामलों की संख्या दर्शाते हैं, जिनसे ये आंकड़े सम्बन्धित हैं।

2. पूर्णांकन होने के कारण उत्पादन का योग आवश्यक रूप से मेल करे यह आवश्यक नहीं है।

कनाडा के औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल का दौरा

1597. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के किसी उच्च अधिकार प्राप्त औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल ने इस वर्ष मई में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) कनाडा के व्यापारियों के एक 10 सदस्य वाले प्रतिनिधिमण्डल ने कनाडा-भारत व्यापार परिषद, ओटावा, कनाडा के तत्वावधान में 20 मई से 1 जून, 1984 तक भारत का दौरा किया था। भारतीय व्यापारियों और व्यापार क्षेत्रों तथा भारत आये कनाडा प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिनिधियों के बीच प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण कनाडा से भारत में परिवहन उपकरणों और सामग्री के लाने ले जाने में परामर्श सम्बन्धी लाइसेंसिंग व्यवस्था पर चर्चा की गई थी। प्रतिनिधिमण्डल के दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार और उद्योग क्षेत्र में और अच्छी धारणा पैदा करने को बढ़ावा मिला है।

मिजोरम में कागज-मिल की स्थापना की योजना

1598. **डा० आर० रोयूआमा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में भारी मात्रा में अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए मिजोरम में एक कागज मिल की स्थापना करने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मिजोरम में कृषि/वन पर आधारित छोटे/मध्यम दर्जे के उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को ऐसे उद्योग शुरू करने के लिए मिजोरम सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण निविष्टियों के लाने-ले-जाने से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मिजोरम में पेपर मिल स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इस समय मिजोरम में बड़े या मझौले वन पर आधारित किसी भी नये उद्योग की स्थापना का केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है । जहां तक ग्राम और लघु उद्योगों का सम्बन्ध है, ऐसे उद्योगों को स्थापित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है ।

(घ) और (ङ) मिजोरम सरकार का प्रतिदिन 30 टन की क्षमता वाला मिनी पेपर संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार इस परियोजना पर विचार करने से पहले व्यवहार्यता, पर्यावरणीय समस्याओं आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक जांच करनी है ।

पश्चिम बंगाल में बड़े उद्योगों का पुनर्नवीकरण

1599. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पश्चिम बंगाल के इन्जीनियरी जैसे पारम्परिक बड़े उद्योगों के पुनर्नवीकरण की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए क्या योजनाएं तैयार की गईं; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) देश में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए कुछ नीति सम्बन्धी अभ्युपायों की घोषणा की है । मार्गदर्शी सिद्धान्त की

मुख्य-मुख्य बातें 24 मार्च, 1982 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थीं, फिर चालू करने के प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

विदर्भ के रेल-यात्रियों का निवेदन

1600. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको प्रवासी मंडल विदर्भ प्रदेश से निवेदन प्राप्त हुआ है कि अप और डाउन दक्षिण एक्सप्रैस को काटोल और नारखण्ड में रोका जाए और उस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यक मांग की पूर्ति हेतु नागपुर और पंधुरना के बीच एक तीव्र पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए और टिकटों की बुकिंग सोनखम्बा स्टेशन पर, जिसने अन्य प्रयोजनों के लिए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, की जाए, और

(ख) यदि हां, तो विदर्भ के रेल यात्रियों की उपर्युक्त मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) (1) नारखेद और कटोल स्टेशनों पर प्राप्त होने वाले लम्बी दूरी के यातायात से इन स्टेशनों पर 21/22 हैदराबाद एक्सप्रैस के ठहराव का औचित्य नहीं बनता।

(2) यातायात के औचित्य के अभाव के अतिरिक्त पांढुरना और नागपुर स्टेशनों के बीच सवारी डिब्बे और रेल इंजन, इन मार्गवर्ती खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और दोनों टर्मिनलों पर टर्मिनल सुविधाओं जैसे संसाधनों के अभाव में फिलहाल इन स्टेशनों पर नई रेल गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

(3) सोनकंभा एक क्रासिंग स्टेशन है जिसे खण्ड की लाइन क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पूर्णतया परिचालनिक सुविधाओं के लिए खोला गया है। तथापि, इस स्टेशन को यात्री यातायात के लिए खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

147 अप और 148 डाउन यात्री गाड़ियों का आसनसोल तक विस्तार करना तथा छोटा अम्बोना और कालूबाथन के बीच हाल्ट का प्रावधान करना

1601. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे इन्जीनियरिंग कामगार यूनियन, आसनसोल डिवीजन, पूर्वी रेलवे और मार्किस्ट कोआरडिनेशन कमेटी, धनबाद डिस्ट्रिक्ट ने 147 अप और 148 डाउन यात्री गाड़ियों का

आसनसोल तक विस्तार करने और छोटा अम्बोना और कालूबाथन के बीच हाल्ट का प्रावधान करने की मांग करते हुए डी० आर० एम०, आसनसोल को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो धनबाद और आसनसोल के बीच अपर्याप्त रेल सेवाओं के कारण परेशान लोगों की मांग को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 147/148 धनबाद-गया सवारी गाड़ी को आसनसोल तक बढ़ाने के सुझाव पर विचार किया गया है लेकिन इसे परिचालनिक दृष्टि से सम्भव नहीं पाया गया है। छोटा अम्बोला और कालूबथेन पर हाल्ट स्टेशन खोले जाने की भी जांच की गई है लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं समझा गया क्योंकि इससे खण्ड की लाइन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उज्जैन-लेकोडा के लिए रेल किराया

1602. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन-फतेहाबाद के बीच और पश्चिम रेलवे के उज्जैन-फतेहाबाद सेक्शन के बीच में स्थित चिन्तामन गणेश लेकोडा के बीच कितनी दूरी है और यात्रियों से वास्तव में कितना किराया लिया जाता है;

(ख) फतेहाबाद-गौतमपुरा और फतेहाबाद बड़नगर के बीच कितनी दूरी है और कितना किराया लिया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि उज्जैन फतेहाबाद का रेल किराया दो रुपए है जबकि उज्जैन-लेकोडा का रेल किराया 2.75 रुपया है जबकि यह दूरी उज्जैन फतेहाबाद के दूरी से कम है यदि हां, तो अधिक किराया लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित किराया सरकार द्वारा पूरे (राउन्ड फीगर) रुपए में किराया लेने की नीति के अन्तर्गत आता है; और

(ङ) क्या इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई निदेश दिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दरियां और प्रभारित किराएं नीचे दिखाए गए हैं :

	दूरी कि० मी०	किराया रु० पै०
उज्जैन-फतेहाबाद चन्द्रावतीगंज	23	2.00
उज्जैन-चिन्तामन गणेश	7	1.10
उज्जैन-लेकोडा	16	2.10
फतेहाबाद चन्द्रावतीगंज-गौतमपुरा	16	2.00
फतेहाबाद-चन्द्रावतीगंज-बड़नगर	33	2.00

(ग) से (ङ) उज्जैन और फतेहाबाद चन्द्रावतीगंज के बीच प्रभारित किराया 2.00 रु० था और उज्जैन और लेकोडा के बीच का प्रभारित किराया 2.10 रु० था न कि 2.75 रु० । अतिरिक्त 10 पैसे लेकोडा के लिए सेवा हाल्ट प्रभार के रूप में लिए जा रहे थे । यही स्थिति उज्जैन और चिन्तामन गणेश के सम्बन्ध में थी जहां किराया 1.10 रु० लिया जा रहा था ।

दोनों मामलों में 25 जुलाई, 1984 से अतिरिक्त 10 पैसे लेना बन्द कर दिया गया है ।

प्रतिबन्धित औषधियां और उनके नामों का प्रचार करने की व्यवस्था

1603. **श्री शिबु (सोरेन)** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक अधिसूचना द्वारा औषधियों के विभिन्न ब्रांडों पर प्रतिबन्ध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो औषधियों के ऐसे कौन-कौन से ब्रांड हैं और ऐसा करने के कारण क्या हैं;

(ग) इन प्रतिबन्धित औषधियों के नामों का प्रचार करने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "एस्ट्रोजन" के प्रयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नए लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केरल उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, भारत, ने इस मंत्रालय को एक निदेश दिया है कि ऐसे ब्रांड नामों की सूची जनता के लिए प्रकाशित न की जाए ।

(घ) और (ङ) एस्ट्रोजन मिश्रणों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । इस प्रकार राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारी, जो लायसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी हैं, इन मिश्रणों के निर्माण के लिए लायसेंस जारी कर सकते हैं ।

पाराद्वीप पत्तन पर "एप्रोच चेनल" में जमी गाद को हटाने के लिए तलकर्षण कार्यवाही

1604. **श्री के० प्रधानी** — प्रधानी

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाराद्वीप पत्तन पर "एप्रोच चेनल" में तेजी से गाद जमा हो जाने के कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि इस चेनल में पानी का स्तर पहले घोषित 39 फुट और सीमान्त 42 फुट की तुलना में अब घट कर 30 फुट रह गया है, जिसके फलस्वरूप लौह अयस्क के लदे पोत घाट में रुके हुए हैं और लोह अयस्क से लदे सैकड़ों ट्रक इसे पत्तन कस्बों के आसपास सड़कों पर रुके हुए क्योंकि उनसे माल नहीं उतारा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पत्तन पर शीघ्र ही तलकर्षण कार्यवाही शुरू करने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चैनेल में जमा गाद को हटाने के लिए पत्तन में मार्च, 1984 से कार्यरत ड्रेजर 14 जून, 1984 के बाद से तेजी से अप्रत्याशित रूप में गाद जमा हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने में, असमर्थ था । फलतः 21 जून से 36 फुट और 28 जून, 1984 से 30 फुट मालवाहन की गहराई की सीमा को प्रतिबन्धित करना पड़ा । तथापि अतिरिक्त ड्रेजरों को लगाने और लगातार चौबीसों घण्टे ड्रेजिंग करने से 10 जुलाई, 1984 से गहराई बढ़कर 34 फुट हो गई । तेजी से अप्रत्याशित गाद जमा हो

जाने के कारण लौह धातु से भरे हुए एक जहाज को पत्तन में रोक देना पड़ा और 10 जुलाई, 1984 के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया गया ।

(ख) चैनल में गाद को साफ करने में मदद करने के लिए एक अतिरिक्त ड्रेजर को, जो विशाखापत्तनम में काम कर रहा था, 1 जुलाई, 1984 को परादीप पत्तन में भेजा गया । निकर्षण निगम के सबसे बड़े ड्रेजर को भी कोचीन से परादीप पत्तन में भेजा गया जो 4 जुलाई, 1984 से काम करना शुरू कर दिया । इस प्रकार के कार्य के परिणामस्वरूप 10 जुलाई, 1984 से 34 फुट की गहराई में वृद्धि कर पाना सम्भव हो सका । अभी गहराई को वापस लाने के लिए चौबीसों घण्टे दो ड्रेजर पत्तन में काम कर रहे हैं ।

केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसन्धान स्टेशन, पुणे में चैनल के दक्षिणी छोर पर गहराई को बनाये रखने के लिए रेत को स्थिर रखने के बारे में जल सर्वेक्षण सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है । गाद को सफाई करने के लिए प्रभावी रूप से वार्षिक कार्रवाई और उत्तरी किनारे की देख-रेख के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है ।

दानापुर-हावड़ा एक्सप्रैस के लिए नए डिब्बों की व्यवस्था

1605. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर हावड़ा एक्सप्रैस में लगी बोगियां पुरानी हैं और जीर्ण-शीर्ण तथा टूटी-फूटी स्थिति में हैं, और उनमें लाइट नहीं है और उनमें लगे पंखे भी काम नहीं करते हैं;

(ख) क्या इस रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई और असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी में नई बोगियां लगाने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी नहीं । दानापुर-हावड़ा एक्सप्रैस के सवारी डिब्बे 1 से 19 वर्ष के आयु ग्रुप में हैं और इनके सन्तोषजनक हालत में होने की रिपोर्ट मिली है । बहरहाल, गुंडागर्दी के कुछ मामले हुए हैं जिनके कारण क्यूल और पटना के बीच गाड़ी का रोशनी उपस्कर प्रभावित हुआ जिसके परिणामस्वरूप सवारी डिब्बों में बत्ती नहीं जली तथा पंखे नहीं चले और इस प्रकार यात्रियों को असुविधा हुई । गाड़ी के मार्गवर्ती स्टेशनों पर इन खराबियों को दूर कर दिया जाता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नागर कोयल तिरुनेलवेली लाइन पर श्रमिकों की छंटनी

1606. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर कोयल तिरुनेलवेली लाइन, दक्षिण रेलवे में 100 ई० एल० आर० श्रमिकों की 6 वर्ष की निरन्तर सेवा के बावजूद 15 मार्च, 1984 को सेवा से छंटनी कर दी गई है, हालांकि उन्होंने केरल उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड के 1 जून, 1984 के आदेश में लिखा हुआ है कि परियोजनाओं में कार्य कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों को 360 दिन की निरन्तर सेवा पूरी करने पर अस्थायी कर्मचारी माना जाए;

(ग) यदि हां, तो नागर कोयल तिरुनेलवेली लाइन दक्षिण रेलवे में 100 नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा से निकालने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि छंटनी किए गए ये श्रमिक आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार इन श्रमिकों की बहाली के लिए कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां, किन्तु सम्बद्ध आदेशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से ।

(ग) तिरुनेलवेली-नागरकोइल खण्ड पर कामों के पूरा हो जाने के कारण नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी की गयी थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) छंटनी किए गए श्रमिकों को जब कभी भविष्य में कोई काम समक्ष आयेगा तब अन्य छंटनी किए गए श्रमिकों सहित उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उनकी बारी आने पर उन्हें पुन: काम पर लगाने के लिए विचार किया जाएगा ।

पटना में रानीपुर खिड़की में रेल फाटक

1607. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 25 में 'रानीपुर खिड़की' नामक एक मोहल्ला है;

(ख). यदि हा, तो क्या उक्त मोहल्ले में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर जाने हेतु रेल लाइन पार करने के लिए कोई रेल फाटक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेल पथ के दक्षिण में रहने वाले सैकड़ों लोगों के उपयोग के लिए रेल लाइन पर रेलवे फाटक बनाने की बहुत समय से मांग की जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इस मांग को पूरा न करने के कारण क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) गुलजार बाग और पटना साहब के बीच कि० मी० 534/14-15 पर एक पैदल समपार बना हुआ है ।

(ग) वाहन यातायात के संचालन के लिए इस समपार को चौड़ा करने की मांग की जा रही है ।

(घ) वाहन यातायात के लिए उपयुक्त चौड़े समपार की व्यवस्था करना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि नगर निगम साथ के निर्मित क्षेत्र में भूमि का अधिग्रहण और पहुंच मार्गों का पुनर्संरेखण नहीं कर देता ।

आसनसोल डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों के काम पर लेने के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा

1608. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** आसनसोल डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों के ड्यूटी पर आने के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा के बारे में 8 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2563 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सभा पटल पर सूचना 24-7-1984 को रख दी गयी है (प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है) ।

विवरण

सातवीं लोक सभा का 13वां सत्र

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

प्रश्न संख्या और तारीख	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5
8-12-1983 को श्री आर. एल. पी. वर्मा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 2563	**आसनसोल डिवीजन में नैमित्तिक मजदूरों के ड्यूटी पर आने के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा** पूछा गया था कि : (क) क्या रेलवे के आसनसोल डिवीजन में नैमित्तिक वाटर-मैनों को ड्यूटी पर लेने से पहले उनकी डाक्टरी परीक्षा की जाती है जबकि धनबाद डिवीजन में ऐसे कर्मचारियों	(क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।	(क) और (ख) : आसनसोल मंडल के सिवाय, पूर्व रेलवे के सभी मंडलों पर लगाये गये नैमित्तिक श्रमिकों (नैमित्तिक पानी वालों सहित), जिनके चार महीने बाद भी सेवा में बरकरार रहने की संभावना होती है, की 120 दिन की लगातार सेवा पूरी हो जाने पर डाक्टरी जांच की जानी अपेक्षित होती है । आसनसोल मंडल पर ऐसे	चूंकि क्षेत्रीय रेलवे से ब्यौरे-वार सूचना इकट्ठी करनी थी, इसलिए इस मंत्रालय के दिनांक 28-2-84 और 18-6-84 के का. ज्ञा. सं. ई.

1	2	3	4	5
	को ड्यूटी पर आने के समय कोई डाक्टरी परीक्षा नहीं की जाती, और (ख) क्या पूर्वी रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में अलग-अलग नियम लागू हैं और यदि नहीं, तो क्या धनबाद डिवीजन में भी डाक्टरी परीक्षा करवाया जाना शुरू किया जाएगा ?		श्रमिकों को लगाये जाने से पहले डाक्टरी जांच की जानी अपेक्षित थी । बहरहाल, पूर्व रेलवे प्रशासन द्वारा आसनसोल मंडल को, इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे इस संबंध में अन्य मंडलों पर अपनायी जा रही प्रक्रिया का अनुसरण करें ।	(ए.न.जी.) 11-83/एल.जी. 3/109 द्वारा 7-8-84 तक समयावधि बढ़ाने के लिए संसदीय कार्य विभाग से अनुरोध किया गया था ।

आरक्षण में कथित कदाचार

1609. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, उसमें इस समय विद्यमान कुछ कदाचारों की ओर रेल अधिकारियों ने ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो खास तौर पर लम्बी दूरी की यात्रा के लिए आम जनता को आसानी से आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) आरक्षण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। ऐसे मामलों में शीघ्र और कारगर उपाय किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में किए गए उपायों में वाणिज्यिक और सतर्कता संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों की नियमित निगरानी करना, संदिग्ध मामलों में आरक्षणों की सदाशयता के सत्यापन की दृष्टि से जवाबी पत्र भेजकर अथवा घर-घर जाकर जांच करके मांग पत्रों की कड़ाई से छानबीन करना, गाड़ी कर्मचारियों द्वारा रिक्त शायिकाओं का मनमाना आबंटन रोकने के उद्देश्य से चलती गाड़ियों में स्थानांतरित आरक्षणों और आर० ए० सी० (संभावित रद्द आरक्षणों के बदले आरक्षण) योजना आरम्भ करने के लिए ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए गहन जांच करना, शामिल हैं। रेल टिकटों की खरीद और सप्लाई में अनधिकृत लेन-देन करने के लिए कठोर दन्ड निर्धारित करने के उद्देश्य से भारतीय रेल अधिनियम को समुचित रूप से संशोधित कर दिया गया है।

आरक्षणों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए उपायों में से उल्लेखनीय उपाय हैं :—

(i) महानगरों में चौबीसों घंटे आरक्षण आरम्भ करना,

(ii) बड़े शहरों के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं अतिरिक्त आरक्षण कार्यालय खोलना ताकि आरक्षण कराने के लिए लोगों को लम्बी दूरी की यात्रा न करनी पड़े,

(iii) जहां औचित्यपूर्ण हो, आरक्षण कार्यालयों के कार्य घंटों को बढ़ाना, आदि। दिल्ली क्षेत्र में आरक्षणों का संगणकीकरण किया जा रहा है और दिल्ली में प्राप्त अनुभव के आधार पर अन्य स्थानों में इसका विस्तार किया जाएगा।

एशियाटिक सोसायटी को वित्तीय अनुदान

1610. **श्री सूरज भान** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी विधेयक, 1984 के वित्तीय ज्ञापन में 21 लाख रुपये के वार्षिक रख-रखाव अनुदान, 15 लाख रुपये के वार्षिक विकास अनुदान तथा सोसायटी के योजना बोर्ड और पुनरीक्षा समिति के खर्च के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान शामिल है;

(ख) सोसायटी को कब तक प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि दी गई है तथा चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितनी और धनराशि दिए जाने का विचार है तथा कब देने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि सोसायटी के पास इस समय आवश्यक मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के लिए भी धन नहीं है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वर्ष के लिए 28.00 लाख रुपये के कुल बजट प्रावधान में से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कुल 6,92,692 रुपए का अनुदान दिया गया है :

(i) योजनागत—एक जेनरेटर सेट खरीदने के लिग 1,30,000 रुपए ।

(ii) योजनेत्तर—सामान्य रखरखाव इत्यादि के लिए 5,62,692 रुपए ।

सोसायटी से अनुरोध प्राप्त होते ही अनुदान की किस्तें जारी की जाती हैं ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए अनुदान की अगली किस्त जारी करने के लिए जो अनुरोध 31-7-1984 तक प्राप्त हुए हैं, उनमें जीर्ण पाण्डुलिपियों के पुनरुद्धार और संरक्षण की लागत के लिए सहायता भी शामिल है ।

पठानकोट और कांडला के बीच रेल लाइन

1611. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट और कांडला के बीच रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आएगा और उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें से यह लाइन होकर गुजरेगी और इस लाइन पर मुख्य स्टेशन कौन-कौन से होंगे; और

(घ) उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सातवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

चिकित्सा सेवाओं पर राज्य-वार व्यय

1612. **श्री अमल दत्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पिछले तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर व्यय के बारे में 22 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4289 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर राज्य-वार अलग-अलग कितना व्यय हुआ ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : 1979-80, 1980-81 और 1981-82 वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा चिकित्सा सेवाओं पर किए गए खर्च का राज्यवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है । केन्द्र सरकार के खर्च सम्बन्धी आंकड़े विवरण-2 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर किए गए राज्य-वार खर्च को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	49,27,89,107	60,05,15,179	68,81,53,799
2. असम	14,82,12,077	20,31,68,135	20,52,82,067
3. बिहार	32,01,02,462	43,91,61,430	55,32,62,546
4. गुजरात	34,43,74,798	39,21,91,687	46,59,64,717
5. हरियाणा	13,73,24,466	16,13,76,287	19,23,60,535
6. हिमाचल प्रदेश	10,46,42,751	12,68,97,032	17,54,12,661
7. जम्मू और कश्मीर	17,25,00,299	22,09,91,124	25,83,01,411
8. कर्नाटक	37,63,28,284	42,63,19,179	52,58,54,553
9. केरल	40,39,20,880	48,16,74,092	57,57,30,302
10. मध्य प्रदेश	38,45,43,558	44,49,78,372	51,81,27,708

1	2	3	4
11. महाराष्ट्र	72,20,32,066	79,54,67,323	92,42,97,409
12. मणिपुर	35,63,30,046	3,56,97,32 :	4,21,16,216
13. मेघालय	28,02,96,092	4,45,15,100	5,39,14,734
14. नागालैण्ड	4,33,84,803	5,27,35,581	6,00,68,102
15. उड़ीसा	21,82,79,477	26,70,85,257	30,09,59,398
16. पंजाब	25,92,41,353	32,11,70,335	3 ,19,62,946
17. राजस्थान	35,85,35,662	39,74,50,345	43,58,71,087
18. सिक्किम	1,00,59,799	1,25,30,466	1,66,33,517
19. तमिलनाडु	61,73,98,176	77,24,84,981	93,10,72,653
20. त्रिपुरा	3,48,29,215	3,81,24,469	4,62,04,233
21. उत्तर प्रदेश	65,03,30,204	75,67,55,904	92,76,35,837
22. पश्चिम बंगाल	82,12,62,828	93,25,08,764	10,97,76,826

विवरण-2

केन्द्र सरकार द्वारा 1979-80, 1980-81 और 1981-82 वर्षों के दौरान चिकित्सा सेवाओं पर किए गए खर्च के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण ।

	1979-80	1980-81	1981-82
1. अरुणाचल प्रदेश	3,15,47,737	3,42,30,999	4,72,61,369
2. गोवा, दमन और दीप	5,04,25,786	5,90,67,268	6,75,62,861
3. मिजोरम	2,45,46,866	2,72,82,791	3,19,51,435
4. पाण्डिचेरी	2,68,17,234	2,87,28,707	3,49,39,403
5. शेष	59,01,41,001	69,24,83,695	87,31,19,468
रुपये	72,34,70,824	84,17,85,460	105,48,34,536

भारतीय नाविकों की बेरोजगारी पर नंदा समिति की सिफारिशें

1613. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों में बेरोजगारी के प्रश्न की जांच के लिए एडमिरल एस० एम० नंदा (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में गति विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) हां। बेरोजगारी की समस्या से सम्बन्धित कुछ मुख्य सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	सिफारिश	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	जब तक रोजगार की प्रतीक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल जाता तब तक नई भर्ती नहीं की जाए और प्रशिक्षण नहीं दिया जाए ।	सभी तीन प्रशिक्षण संस्थानों में समुन्द्र-पूर्व प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया है। इसके बाद फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी ।
2.	जो नाविक लगातार दो काल नोटिसों का उत्तर नहीं दे उसे निष्क्रिय समझा जाए और उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी की जाए ।	नौवहन महानिदेशक द्वारा निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय बम्बई और कलकत्ता में जारी आदेशों के अनुसार पहली काल नोटिस कारण बताओ नोटिस के रूप में होगी और यदि नाविक उसका उत्तर नहीं देता है तो उसे 30 दिन के अन्दर निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय को सन्तोषप्रद और पर्याप्त स्पष्टीकरण देना होगा । उस मामले में उसे दूसरी काल नोटिस दी जाएगी जो अन्तिम होगी यदि वह फिर किसी कारण-वश अनुपस्थित रहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा ।
3.	नाविकों की मौजूदा सेवा निवृत्ति की आयु 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दी जाए ।	ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि यह घटी हुई सेवा निवृत्ति की आयु उन नाविकों पर लागू होगी जो 1-7-1982 या उसके बाद रजिस्टर्ड हुए हैं।

1	2	3
4.	बेरोजगार नाविकों के लिए आर्थिक सहायता की एक स्कीम तैयार की जाए और उसे क्रियान्वित किया जाए ।	इस पर जहाज मालिकों और नाविकों की विभिन्न बैठकों में विस्तार से चर्चा हुई है किन्तु अभी तक कोई स्वीकार्य स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
5.	शिपिंग मास्टरों को कंटिनुअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करने का काम सिर्फ बम्बई और कलकत्ता तक ही सीमित रखा जाए ।	कंटिनुअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सिर्फ बम्बई और कलकत्ता में ही जारी करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं ।
6.	नाविकों के लिए प्रवेश-पूर्व डाक्टरी जांच के मानक की समीक्षा की जाए ।	रक्षा मंत्रालय के परामर्श के पश्चात यह महसूस किया गया है कि मौजूदा डाक्टरी परीक्षा का मानक पर्याप्त है ।
7.	प्रवेश पूर्व की मौजूदा आठवीं उत्तीर्ण शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर दसवीं पास कर दिया जाए ।	चूंकि अभी समुन्द्र-पूर्व प्रशिक्षण बन्द हैं, इसलिए प्रशिक्षुओं के लिए अगले विज्ञापन के समय संशोधित शैक्षिक योग्यता के बारे में निर्णय किया जाएगा ।

भाड़े और किराए में वृद्धि

1614. **श्री अजित बाग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान भाड़े और किराए की दरों में वृद्धि करने से भारतीय रेलवे को कितना अतिरिक्त राजस्व मिला अथवा मिलने की सम्भावना है; और

(ख) वर्ष 1980-81 से आज तक रेल किराया कितनी बार बढ़ाया गया है और प्रत्येक अवसर पर कितना किराया बढ़ाया गया ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण-I

(क) वर्ष 1980-81 से 1984-85 के दौरान यात्री किरायों और माल भाड़ा दरों में वृद्धि के कारण अतिरिक्त राजस्व (अनुमानित) इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व (आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
	यात्री यातायात	माल यातायात
1980-81	73.31	130.93
1981-82	70.04	356.08
1982-83	172.60	76.85
1983-84	151.40	280.00
1984-85	104.22	10.00

विवरण-II

1980-81 से जितनी बार और जिस सीमा तक यात्री किरायों में संशोधन किया गया, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

15-7-1980 से यात्री किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गई :—

	प्रतिशत वृद्धि
(1) वातानुकूल दर्जा और (2) पहला दर्जा	20 प्रतिशत
(3) वातानुकूल कुर्सीयान और (4) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रैस	12½ प्रतिशत
(5) दूसरा दर्जा साधारण	(i) 100 कि० मी० तक कोई वृद्धि नहीं। (ii) 100 कि० मी० से अधिक दूरी के लिए 10 प्रतिशत

2. 1-4-1981 से यात्री किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गयी :

	प्रतिशत वृद्धि
(1) वातानुकूल दर्जा	15 प्रतिशत
(2) दूसरा दर्जा	$12\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(3) वातानुकूल दर्जा और (4) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रैस	10 प्रतिशत
(5) दूसरा दर्जा साधारण	(क) 200 कि० मी० तक कोई वृद्धि नहीं (ख) 200 कि०मी० से अधिक दूरी के लिए 5 प्रतिशत।

1-4-1981 से 1000 कि० मी० तक यात्रा के लिए 15 रुपये प्रति टिकट और 1000 कि० मी० से अधिक की यात्रा के लिए 25 रुपये प्रति टिकट का अधिभार वातानुकूल-2 टियर शयन-यान के लिए लगाया गया था जो पहले दर्जे के सामान्य किराये से अलग था।

3. 1-4-1982 से विभिन्न दर्जों के यात्री किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गई थी :—

(I) दूसरा दर्जा (साधारण) :

(क) 15-7-1980 (100 कि० मी० तक की दूरी के लिए 10 प्रतिशत अधिभार) और 1-4-1981 से (200 कि० मी० तक की दूरी के लिए 5 प्रतिशत अधिभार) दी गई छूट वापिस ले ली गई और किरायों को 10 पैसे के अगले गुणांक तक पूर्ण पूर्णांकित किया गया।

(ख) किरायों में इस प्रकार संशोधन किया गया :—

(i) 400 कि० मी० तक के किरायों में प्रति 5 कि० मी० के प्रत्येक ब्लाक के लिए 4 पैसे की वृद्धि की गई थी।

(ii) 401 कि० मी से 800 कि० मी० तक के किरायों में 5 कि० मी० के प्रत्येक ब्लाक के लिए 3 पैसे की वृद्धि की गई थी।

(iii) 800 कि० मी० से अधिक की दूरी के लिए किरायों में प्रत्येक 5 कि० मी० के लिए 2.5 पैसे की वृद्धि की गई।

(II) दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रैस :

इस प्रकार की यात्रा के किरायों में उसी प्रकार से वृद्धि की गई थी जिस प्रकार दूसरे दर्जे (साधारण) के किरायों में की गई थी।

(III) वातानुकूल कुर्सीयान :

इस दर्जे के किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गई थी :

(i) 250 कि० मी० तक—कोई फेर बदल नहीं ।

(ii) 251 कि० मी० और अधिक—2 पैसे प्रति कि० मी०

(IV) पहला दर्जा और वातानुकूल-2 टियर शयनयान :

इन दर्जों के किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गई थी :—

(i) 250 कि० मी० तक—कोई वृद्धि नहीं ।

(ii) 251 किलोमीटर और अधिक—2 पैसे प्रति किलोमीटर

(V) वातानकूल दर्जा :

इस दर्जे में 80 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए 10 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वृद्धि की गई थी जो अधिकतम 40 रुपये प्रति टिकट तक थी ।

(VI) वातनुकूल 2-टियर शयनयान में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 15 रुपये प्रति टिकट, 501 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 25 रुपये प्रति टिकट, 1001 से 1500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 40 प्रति टिकट और 1501 किलोमीटर और इससे अधिक दूरी की यात्रा के लिए 50 प्रति टिकट का अधिभार लगाया गया ।

4. 1-4-1983 से विभिन्न दर्जों के किरायों में इस प्रकार वृद्धि की गई थी :—

(i) दूसरा दर्जा (साधारण) :—दूसरा दर्जा (साधारण) के किरायों में इस प्रकार संशोधन किया गया था :—

शून्य किलोमीटर 50 पैसे

* जमा 1-150 किलोमीटर	—6 पैसे प्रति किलोमीटर
जमा 151-400 किलोमीटर	—5 पैसे प्रति किलोमीटर
जमा 401-750 किलोमीटर	—4 पैसे प्रति किलोमीटर
जमा 751-1200 किलोमीटर	—3.5 पैसे प्रति किलोमीटर
जमा 1200 किलोमीटर से अधिक	—3 पैसे प्रति किलोमीटर

* दूसरा दर्जा साधारण और मेल/एक्सप्रैस में 150 किलोमीटर तक की दूरी के लिए, 1-150 किलोमाटर की स्लैब की दूरी के किरायों का आकलन 6 पैसे प्रति किलोमीटर की बजाय 5.7 पैसे प्रति किलोमीटर के आधार पर किया गया था।

(ii) अन्य दर्जों के किराये :—अन्य दर्जों के किरायों में दूसरे दर्जे (साधारण) के किरायों की तुलना में निम्नलिखित सीमान्त समायोजन हैं किन्तु कुछ दूरियों के क्षेत्रों में मामूली-सा संशोधन किया गया है।

दूसरा दर्जा मेल/एक्सप्रैस	140 प्रतिशत
वातानुकूल कुर्सीयान	300 प्रतिशत
पहला दर्जा	550 प्रतिशत
वातानुकूल दर्जा	1100 प्रतिशत

5. 1-4-1984 से दूसरे दर्जे मेल/एक्सप्रैस पर 2 रुपये प्रति यात्री और 10 रुपये अधिक के मूल्य के वातानुकूल कुर्सीयान में प्रत्येक यात्री, पहला दर्जा और वातानुकूल 2-टियर शयनयान के मामले में 3 रुपये प्रति यात्री की दर से और वातानुकूल पहले दर्जे के मामले में 5 रुपये यात्री की दर से यात्री टिकटों पर एक अधिभार लगाया गया था।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लिए जारी किए गए आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस

1615. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी, सरकारी और नियमित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के लिए जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) कम्पनियों या उपक्रमों के विवरण सहित तत्सम्बन्धी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितने लाइसेंसों और आशय-पत्रों का उपयोग किया गया अथवा कितने लौटा दिये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1979 से 1983 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एककों की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किये गये :

पार्टी/उपक्रम का नाम	उत्पादन की वस्तु और क्षमता	आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस की संख्या और जारी करने की तारीख
आशय-पत्र		
(i) मैसर्स सराया शुगर मिल्स लिमिटेड	चीनी = 3200 टी० सी० डी० (विस्तार के बाद)	एल० आई० 428/82 दिनांक 1-7-82
(ii) श्री जगत नारायण सिंह	(1) शुद्ध कार्बन डायक्साइड गैस = 2400 मी० टन	एल० आई० 527/83 दिनांक 11-8-83
	(2) ड्राई आइस (सोलिडफाइड कार्बन डायक्साइड गैस = 600 मी० टन	
औद्योगिक लाइसेंस		
(i) मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (श्री आनन्द शुगर मिल्स)	चीनी = 1550 मी० टन (विस्तार के बाद)	आई० एल० 91/80 दिनांक 9-12-80
(ii) मैसर्स सराया डिस्टिलरी	देशी शराब = 1947 कि० ली० भारत में बनी विदेशी शराब = 417 कि० ली०	आई० एल० 27/81 दिनांक 12-5-81

(ग) शराब बनाने के लिए स्वीकृत किये गये उपर्युक्त दोनों औद्योगिक लाइसेंसों में से एक औद्योगिक लाइसेंस "कार्य चालू रखने" का लाइसेंस है । शेष आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस इस समय कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे ।

कुछ राज्यों के आदिवासी भागों में नहरुआ रोग का सर्वेक्षण

1616. **श्री भीखा भाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के विभिन्न आदिवासी भागों में नहरुआ रोग का सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1981 से वर्ष में दो बार आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी प्रभावित 87 जिलों में रोगियों का पता लगाने का कार्य किया जा रहा है। जब कभी आवश्यकता पड़ी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सहायता प्राप्त की गई।

पलामाऊ और मधुबनी में उद्योगों की स्थापना

1617. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री पलामाऊ और मधुबनी में उद्योगों की स्थापना के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 8745 के 25 अप्रैल, 1984 को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी और पलामाऊ में नाभिक संयंत्रों के बारे में कार्य दल की विशिष्ट सिफारिशों के वास्तविक कार्यान्वयन का कार्य इस बीच शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की समयावधि सहित अन्य विशिष्ट ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सरकार द्वारा अन्य कौन-कौन-सी औद्योगिक परियोजनाएं तैयार की गई हैं और सिफारिश की गई हैं जो केन्द्र के पास लम्बित पड़ी हैं अथवा गत तीन वर्षों के दौरान निपटा दी गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) केन्द्रस्थ संयंत्रों की स्थापना की मूल जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की होती है। बिहार सरकार ने सिफारिश किये गये केन्द्रस्थ संयंत्रों के बारे में परियोजना/संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही कार्य-वाही आरंभ कर दी है।

(ग) पलामू में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र की स्वीकृति हेतु बिहार राज्य सरकार से प्राप्त एक आवेदन-पत्र अन्तिम निपटारे हेतु अनिर्णीत पड़ा हुआ है। वर्ष 1980-84 (जून तक) के दौरान पलामू और मधुबनी जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या क्रमशः दो और एक है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की नई दिल्ली में हुई 26वीं बैठक

1618. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की हाल ही में नई दिल्ली में हुई 26वीं बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा यथा अनुशंसित कार्रवाई करने और जहां कहीं आवश्यक हो, सभी सम्बन्धितों से परामर्श करके मामलों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की नई दिल्ली में 29 मई, 1984 को हुई 26वीं बैठक में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गईं :

1. परिषद सिद्धान्ततः इस बात पर सहमत हुई कि पालिटेक्निक शिक्षा की पुनः संरचना की वांछनीयता की जांच करना अनिवार्य था : (क) तकनीकी पाठ्यक्रमों के स्तरों तथा विषय-वस्तु में सुधार करना, (ख) 10+2 से व्यावसायिक विषय के लिए पार्श्विक प्रवेश तथा 10+2 से शैक्षिक (विज्ञान विषय) प्रवेश प्रदान करना, (ग) इन्जीनियरी स्नातकों और डिप्लोमाधारियों की रोजगार प्रणाली में सन्तुलन पुनः स्थापित करना, (घ) विभिन्न स्तरों पर तकनीशियन पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान करना । परिषद ने सिफारिश की थी कि मामले के सभी पहलुओं की जांच करने तथा इस विषय पर एक ऐसी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यदल स्थापित किया जाये जिसे क्षेत्रीय समितियों और अखिल भारतीय तकनीशियन शिक्षा बोर्ड के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये । क्षेत्रीय समितियों और तकनीशियन बोर्ड के विचार उपलब्ध हो जाने के पश्चात् इस मामले में अखिल भारतीय परिषद द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाये ।

2. परिषद ने अनुभव की गई जनशक्ति आवश्यकताओं के उपयुक्त सर्वेक्षण के बिना तकनीकी संस्थानों के अन्धाधुन्ध वृद्धि के सम्बन्ध में अपनी गंभीर चिन्ता को दोहराया ।

परिषद ने यह भी टिप्पणी की कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गैर अनुमोदित संस्थान बड़ी संख्या में शुरू किये गये हैं, जिससे डिग्री स्तरों और डिप्लोमा स्तरों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है कि ऐसी वृद्धि को अब रोका जाये और इसके साथ-साथ जो संस्थान अब तक खुले हैं, वे अनुमोदित शैक्षिक नियंत्रण और विनियमों के अधीन होने चाहिएं। (3) परिषद ने यह भी सिफारिश की थी कि पहले से ही शुरू किये जा चुके संस्थानों की व्यवहार्यता के मामले (शैक्षिक तथा अन्यथा) की शीघ्र जांच की जाये और इस प्रयोजनार्थ एक कार्यदल स्थापित किया जाये बशर्ते कि राज्यों को निम्नलिखित शर्तें स्वीकार्य हों :

(क) भावी विस्तार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मार्गदर्शी रूपरेखाओं तथा अ० भा० त० शि० परि० की स्वीकृति पर ही होगा;

(ख) कानूनी आरक्षणों को छोड़कर सभी दाखिले योग्यता के आधार पर होंगे;

(ग) उचित शुल्क लिया जायेगा और वह अधिकांश छात्रों की क्षमता से अधिक नहीं होगा।

(घ) संस्थानों के अनुरक्षण और विकास के लिए अपेक्षित प्रावधान से सम्बन्धित राज्य योजनाओं में शामिल किया जायेगा।

परिषद ने यह भी सहमति व्यक्त की कि कार्यदल समग्र स्थिति का मूल्यांकन करे और इस सम्बन्ध में प्रत्येक अलग-अलग संस्था के मामले में सम्बन्धित क्षेत्रीय समितियों द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए समुचित सिफारिशें करें।

3. सातवीं पंचवर्षीय योजना के सामान्य दृष्टिकोण का अनुमोदन करते समय परिषद ने यह सिफारिश की थी कि सातवीं योजना अवधि के दौरान तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सम्बन्धित प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित होंगे :

(क) अप्रचलन को दूर करना।

(ख) पालिटेक्निक शिक्षा का सुझाव।

(ग) शिक्षक प्रशिक्षण।

(घ) महिला पालिटेक्निक।

(ङ) सतत् शिक्षा कार्यक्रम।

(च) तकनीकी शिक्षा के लिए समान अवसरों की व्यवस्था।

4. परिषद ने इस बात से सहमति व्यक्त की कि क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को वित्त-पोषित करने के लिए एकल एजेन्सी अधिमानतः केन्द्रीय एजेन्सी को रखना लाभदायक होगा, लेकिन छात्रों के दाखिला और संस्थाओं के प्रशासन के लिए वर्तमान व्यवस्था किसी बड़े संशाधनों के बिना जारी रखी जाये।

एक्स० एल० पी० ई० केबल के अधिक मूल्य

1619. **श्री रेणु पद दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी दुनिया के अन्य देशों में चल रहे मूल्य की तुलना में एक्स० एल० पी० ई० केबल का मूल्य कहीं ज्यादा है जिससे विश्व बाजार में ये प्रतिस्पर्धा लेने योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो एक्स० एल० पी० ई० केबल को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा लेने लायक बनाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केबल के निर्माण के लिए अपेक्षित कुछ आवश्यक घटकों पर अनुचित आयात-शुल्क के कारण यह पूर्णतया अप्रतिस्पर्धात्मक बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) एक्स० एल० पी० ई० केबल की कीमत एल्यूमिनियम, इस्पात तथा एक्स० एल० पी० ई० यौगिकों जैसी विभिन्न कच्ची सामग्रियों की कीमतों पर निर्भर करती है। कच्ची सामग्रियों तथा अन्य निविष्टियों की कीमत के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता विनिर्माता के अनुभव और उत्पादन की मात्रा आदि पर निर्भर करती है। कुछ विनिर्माताओं ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए आपूर्तियां की हैं।

एक्स० एल० पी० ई० केबलों के विनिर्माता अन्य प्रकार की केबलों के विनिर्माताओं को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों जैसे शुल्क की वापसी, नकद सहायता, आर० ई० पी० लाइसेंस को पाने के पात्र हैं।

कैंसर के नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय योजना

1620. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के प्रति वर्ष कुल कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है विशेषकर वर्ष 1982-83 और वर्ष 1984 के छः महीनों के दौरान इससे कितने लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या कैंसर की बीमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या कैंसर के नियन्त्रण के लिए कोई राष्ट्रीय योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) चूंकि कैंसर ऐसा रोग नहीं है जिसके रोगी की सूचना देना या उसका पंजीकरण कराना जरूरी हो, इसलिए कैंसर से हर वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की सही सूचना उपलब्ध नहीं है। वैसे, अनुमान है कि हर वर्ष कैंसर से 3,00,000 व्यक्ति मर जाते हैं। यह अनुमान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अधीनस्थ बंगलौर, बम्बई तथा मद्रास में स्थित जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों द्वारा एकत्र आंकड़ों पर आधारित है। वर्ष 1982-83 में कैंसर से हुई मौतों की संख्या, जो कैंसर के विशिष्ट अस्पतालों द्वारा सूचित की गयी है, का विवरण संलग्न है। 1984 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कैंसर की घटनाओं की प्रवृति के बारे में राष्ट्रीय आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन बम्बई कैंसर रजिस्ट्री के जरिये केवल बम्बई महानगर क्षेत्र के बारे में 1964 से ऐसी सूचना उपलब्ध है। इसके अनुसार, कैंसर की घटनाओं में मामूली वृद्धि हुई है। आयु के अनुसार मानकीकृत घटना-दर प्रति एक लाख पुरुष 137.7 (1964-72) तथा 140.2 (1975-78) और प्रति एक लाख महिलाएं 122.7 (1964-72) तथा 129.0 (1975-78) थीं।

(ग) और (घ) सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में एक कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दस मौजूदा कैंसर संस्थानों का चयन क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों के रूप में किया गया था। कैंसर का इसको शुरू में ही पता लगाने वाले 24 केन्द्रों और 25 पोस्ट पार्टम पैप स्मियर टेस्टिंग यूनिटों की स्थापना की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारी संस्थानों/स्वैच्छिक संगठनों को कोबाल्ट थेरापी यूनिटों और कैंसर का शुरू में ही पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना के लिये क्रमशः 12.00 लाख रुपये तथा 50,000 रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, बंगलौर, बम्बई और मद्रास में जनसंख्या पर आधारित तीन कैंसर रजिस्ट्रियां और चण्डीगढ़, त्रिवेन्द्रम एवं डिब्रूगढ़ में तीन अस्पताली ट्यूमर रजिस्ट्रियां खोली गई हैं।

विवरण

1982-83 में कैंसर से हुई मौतों की संख्या जो कैंसर से विशिष्ट अस्पतालों द्वारा बताई गई है।

राज्य	1982			1983	
	अस्पतालों की सं०	मौतें	सूचना देने वाले अस्पतालों की संख्या	मौतें	सूचना देने वाले अस्पतालों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	1	136	1	+	—
2. असम	1	16	1	19	1
3. बिहार	1	32	1	+	—
4. गुजरात	1	42	1	33	1
5. हिमाचल प्रदेश	1	3	1	+	—
6. कर्नाटक	2	314	2	43	1
7. केरल	1	61	1	+	—
8. मध्य प्रदेश	5	262	5	205	4
9. महाराष्ट्र	2	511	2	468	2
10. उड़ीसा	1	81	1	83	1
11. तमिलनाडु	5	81	2	304	3
12. त्रिपुरा*	1	—	1	—	1
13. उत्तर प्रदेश	1	81	1	76	1
14. पश्चिम बंगाल	3	327	3	189	2
	26	1947	23	1420	17

नोट +=उपलब्ध नहीं

—=शून्य

*=केवल बाह्य रोगी विभाग है, अंतरंग रोगी विभाग शुरू नहीं हुआ है।

आजमगढ़ को बड़ी लाइन से जोड़ना और वहां आरक्षण सुविधाएं प्रदान करना

1621. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 30 लाख से भी अधिक की जनसंख्या वाला आजमगढ़ बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है तथा वहां पर बम्बई, दिल्ली आदि की रेल गाड़ियों के आरक्षण के लिए कोई सुविधा नहीं है तथा इसके लिए लोगों को बनारस और शाहगंज जाना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) को बड़ी लाइन से जोड़ने और वहां वाराणसी/शाहगंज से गुजरने वाली सभी रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण हेतु समुचित सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) मऊ जंक्शन-आजमगढ़-शाहगंज मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1980 में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया गया था। उस समय इस आमान परिवर्तन पर 9.82 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसे अर्थक्षम नहीं पाया गया था। संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए इस खंड का आमान परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिलहाल वाराणसी/शाहगंज होकर जाने वाली बड़ी लाइन की गाड़ियों में आजमगढ़ के लिए अलग से आरक्षण कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, आजमगढ़ से यात्रा करने वाले यात्री प्रारम्भिक स्टेशनों को आरक्षण सन्देश भेज कर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

एम० फिल और पी० एच० डी० के सभी उम्मीदवारों के लिए अर्हक परीक्षा

1622. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 जुलाई 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा का स्तर उठाने के उद्देश्य से एम० फिल/पी० एच० डी० के सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अर्हक-परीक्षा आरम्भ करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) क्या यह परीक्षा सभी उम्मीदवारों के सम्बन्ध में लागू होगी, चाहे वे किसी भी फैलोशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हों अथवा नहीं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए गए अंकों की तुलनात्मकता सम्बन्धी समस्या को

सुलझाने के उद्देश्य से, किन्हीं विशेष प्रयोगनों के लिए परीक्षाओं के उद्देश्य तथा विश्वसनीयता को बढ़ाने और सामान्य रूप से विश्वविद्यालय प्रणाली में अध्यापन/मूल्यांकन की पद्धतियों और पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए एक प्रेस-सेटर के रूप में कार्य करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। आरम्भ में मानविकी, समाज शास्त्र और विज्ञान में उत्तर स्नातक स्तर पर आयोग द्वारा शुरू की गई कनिष्ठ अनुसन्धान फैलोशिप्स प्रदान करने के लिए अगस्त, 1984 में एक परीक्षा आयोजित की जा रही है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं वे आयोग द्वारा प्रदान की गई शिक्षावृत्ति के पात्र होंगे ।

भारतीय नाविकों का मुकदमेबाजी से बचाव

1623. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नाविकों को भारतीय व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम 1958 की धारा 178 से 183 के अधीन मुकदमेबाजी से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है;

(ख) क्या उक्त सुरक्षा उन्हें अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत भारतीय जल सीमा में विदेशी पोतों पर भी उपलब्ध है;

(ग) क्या जिस जहाज पर उन्हें काम पर लगाया जाता है उस पर उन्हें तब तक विशेष ग्रहणाधिकार दिए जाते हैं जब तक कि उनकी देयताओं का निबटान नहीं हो जाता और धारा 139 और 130 के अन्तर्गत उनको अन्तिम रूप से सेवामुक्त नहीं किया जाता;

(घ) क्या नाविकों के ग्रहणाधिकार के प्रवर्तन/निष्पादन के लिए निदान अधिनियम की धारा 445 के अन्तर्गत वारण्ट द्वारा अदायगी को बाध्य करके और कुर्की की अनुमति और चल सम्पति और/अथवा जहाजों की बिक्री के द्वारा प्रदान किए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय नाविकों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उनके नियंत्रकों के साथ विवादों को भारतीय बन्दरगाहों में हल करने हेतु तथा अधिनियम के प्रयोजन और भावना के अनुसार उनके दक्ष रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) अधिनियम की धारा 178 से 183 के तहत, केवल उन्हीं भारतीय नाविकों को सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के जहाजों पर भारतीय करार नियमावली की शर्तों पर कर्मी सदस्य के रूप में कार्यरत हैं ।

(ग) अधिनियम की धारा 139 और 130 के तहत, भारतीय नाविक को अपना वेतन आदि प्राप्त करने का हक है और कोई समझौता उन्हें अपना वेतन आदि वसूलने आदि से वंचित नहीं कर सकता । तथापि, यह जहाज पर समुद्री हक सिद्ध करती है, इसलिए इसे न्यायालय में मुकदमा दायर करने के बाद ही लागू किया जा सकता है ।

(घ) अधिनियम की धारा 445 में ऐसी व्यवस्था है कि, यदि आवश्यक हो तो चल सम्पति को या जहाज की जब्ती या बिक्री द्वारा वेतन की वसूली की जाए ।

(ङ) भारतीय पत्तनों पर, भारतीय नाविक और उनके नियोक्ताओं के विवादों के निराकरण के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में पर्याप्त प्रावधान विद्यमान हैं। इस प्रकार अधिनियम की धारा 132 के तहत शिपिंग मास्टर विवाद में शामिल किसी भी पार्टी द्वारा अनुरोध करने पर उन विवादों पर (संशोधित अधिनियम के अनुसार) निर्णय करते हैं। जिनकी राशि 3000 रु० से अधिक न हो । धारा 145 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट में नाविकों के वेतन की वसूली के लिए संक्षिप्त कार्रवाई की जाती है । नाविक अपने मामलों के शीघ्र निपटान के लिए हाई कोर्ट के नौ-अधिकरण न्यायालय का आश्रय ले सकता है ।

अधिनियम की धारा 150 के तहत ऐसे प्रावधान विद्यमान हैं, जिसमें नाविक या नाविकों के किसी वर्ग या नाविक संघ और उन जहाजों में, जिसमें ऐसा नाविक कार्यरत है या कार्यरत होने वाला हो, उस जहाज के मालिक के बीच किसी विवाद को मध्यस्थता के लिए ऐसे ट्रिबुनल में भेजा जा सकता है, जिसमें निर्णय देने के लिए एक या एक से अधिक सदस्य हों ।

उक्त प्रावधान का लाभ केवल उन्हीं नाविकों को मिलता है जो कि जो कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 100 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय करार नियमावलि के तहत भारतीय या विदेशी जहाजों पर कार्यरत/नियुक्त हैं ।

औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था न किया जाना

1624. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा पिछले क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था न किए जाने के कारण वहां पर औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिकरण के लिए पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस प्रकार के जिलों के समग्र विकास के लिए उन्हें विशेष पिछड़े जिले घोषित करने की नीति बनाने का हक है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) कुछ क्षेत्रों के ओद्योगिक पिछड़ेपन के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए, सरकार निर्धारित किए गए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को विभिन्न रियायतें/ प्रोत्साहन अर्थात् लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्राथमिकता देना, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त सम्बन्धी सुविधाएं आदि प्रदान करती रही है।

केन्द्र सरकार ने पहले से ही उद्योग-रहित जिलों को निर्धारित कर लिया है और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे जिलों के अवस्थापना सम्बन्धी प्रति जिला अधिक से अधिक 2 करोड़ रुपए तक व्यय की गई कुल लागत का 1/3 भाग देने का निर्णय किया गया है। तथापि अवस्थापना तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास सतत प्रक्रिया है जो औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए ऐसी सुविधाओं और अवस्थापना की मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

एम० बी० बी० एस० और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में हेरा-फेरी

1625. **श्री रशीद मसूद :**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एम. बी. बी. एस. और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के मामले में हेरा-फेरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार की हेराफेरी कोई नई नहीं है तथा दिल्ली में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी सभी मामलों की जांच करने के लिए न्यायाधीश भार्गव आयोग की नियुक्ति की गई थी;

(घ) यदि हां, तो न्यायाधीश भार्गव आयोग के क्या निष्कर्ष रहे;

(ङ) न्यायाधीश भार्गव आयोग की रिपोर्ट का किस हद क्रियान्वयन हुआ है;

(च) क्या उम्मीदवारों के अंकों की संख्या में बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तन को देखते हुए एम. बी. बी. एस. प्रवेश परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा भविष्य में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस वर्ष एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कुछ तकनीकी गलतियां हो गई थीं ?

(ग) से (ड़) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1980 से 1982 के वर्षों में एम. बी. बी. एस. तथा औषधि में उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितताओं तथा कदाचारों के आरोपों की जांच करने के लिए भार्गव आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग, अपने निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचा है कि इन परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताएं और कदाचार हुआ है। तथापि, प्रमाण से इन अनियमितताओं में विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के शामिल होने के सम्बन्ध में ठोस निष्कर्ष न्यायसंगत सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि सन्देह था, अतः आयोग ने यह सिफारिश की कि सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाए ताकि परीक्षा शाखा के साथ उनका कोई सम्बन्ध न रहे। तदनुसार, सम्बन्धित कर्मचारियों का विश्वविद्यालय में अन्य कार्य के लिए स्थानान्तरण कर दिया गया।

आयोग ने भावी परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र सैट करने, परीक्षाओं के आयोजन तथा उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रणालियों में सुधार की भी सिफारिश की थी। इस वर्ष हुई प्रवेश परीक्षा में इनमें से कुछ सिफारिशों का पालन किया गया।

(च) और (छ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने इस घटना की जांच करने, उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा दाखिले की प्रणाली को कारगर बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक छः सदस्यीय समिति नियुक्त की है। जांच चल रही है। जांच होने तक विश्वविद्यालय ने पहले से घोषित परीक्षा परिणामों को स्थगित रखने का निर्णय किया है। इसी बीच, एक छात्र द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई, 1984 को विश्वविद्यालय को यह निदेश दिया था कि वे घोषित की गई द्वितीय सूची के पहले 800 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की वास्तविक जांच करने के बाद न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत परिणामों के आधार पर दाखिला की प्रक्रिया शुरू करें। न्यायालय ने आगे यह भी निदेश दिया है कि शेष उत्तर पुस्तिकाओं की वास्तविक जांच की जाए और यदि कोई छात्र निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और उससे नीचे वाले छात्रों का दाखिला हो गया है तो ऐसे छात्रों को भी दिल्ली के चिकित्सा कालेज में दाखिल किया जाना चाहिए।

इण्डिया सीमेंट लिमिटेड द्वारा सीमेंट के उत्पादन में कमी

1626. **श्री एम० अरुणाचलम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा इण्डिया सीमेंट लिमिटेड का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने के बाद से उसके उत्पादन में भारी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभि राम राव) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान मैसर्स इण्डिया सीमेंट्स लिमिटेड के दो कारखानों में क्षमता का उपयोग संतोषजनक रहा है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

कारखाने का नाम	प्रतिशत क्षमता उपयोग			
	1981	1982	1983	1984 (जनवरी से जून)
शंकरी दुर्ग	98%	91%	67.5%	105%
शंकर नगर	68%	71.6%	54.0%	83%

(1983 में क्षमता का कम उपयोग तमिलनाडु सरकार द्वार बिजली में भारी कटौती किये जाने के कारण हुआ था)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के एककों को घाटा

1627. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के सोलह एककों को 1983-84 में घाटा हुआ था और यदि हां, तो कितना; और

(ख) क्या मंत्रालय स्तर पर ऐसे सरकारी क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखने वाले सभी सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनका पुराना नौकरशाही रवैया भी इन घाटों का एक कारण है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यद्यपि 1983-84 के दौरान उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को हानि हुई थी। फिर भी वर्ष 1983-84 में उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में आने वाले सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और न ही उनकी लेखा परीक्षा की गई है, इसलिए लाभ/हानि के सही आंकड़े बता सकना सम्भव नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

निजी और सरकारी क्षेत्रों की अप्रयुक्त क्षमता के कारण

1628. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1982-83 के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक क्षमता का कम उपयोग किस सीमा तक हुआ;

(ख) विभिन्न प्रमुख उद्योगों में क्षमता का कम उपयोग किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इसके लिए बिजली और कच्चे माल, फालतू पुर्जों की कमी एवं हड़ताल तथा तालाबंदी कहां तक जिम्मेदार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 में क्षमता उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) निविष्टियों की अस्थायी कमी, बिजली की उपलब्धता में आने वाली रुकावटें, घरेलू मांग में मंदी तथा खराब औद्योगिक सम्बन्ध कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु, इन कारकों से क्षमता के उपयोग पर पड़ने वाले ठीक-ठीक प्रभाव का अनुमान लगा पाना कठिन है।

विवरण

निजी और सरकारी क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता के कारण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान चुने हुए उद्योगों में क्षमता उपयोग

क्रम संख्या	उद्योग	1982-83	1983-84*
		क्षमता उपयोग	क्षमता उपयोग
1	2	3	4
1.	अल्युमिनियम	65	61
2.	परिशोधित तांबा	72	74
3.	जस्ता	57	63
4.	सीसा	82	50

1	2	3	4
5.	स्टील कास्टिंग	50	45
6.	स्टील फोर्जिंग	60	48
7.	सीमेंट	77	76
8.	कास्टिक सोडा	71	72
9.	सोडा एश	83	87
10.	कैल्सियम कार्बाइड	39	56
11.	औद्योगिक ऑक्सीजन	76	77
12.	नाइट्रोजन उर्वरक	70	72
13.	फास्फेटिक उर्वरक	69	64
14.	बी. एच. सी.	76	77
15.	डी. डी. टी.	57	71
16.	मैलाथियन	37	28
17.	एल. डी. पी. ई.	96	82
18.	एच. पी. डी. ई.	109	124
19.	पी. वी. सी. रेजिन	50	48
20.	पोलिएस्ट्रिल	54	58
21.	संश्लिष्ट रबर	61	60
22.	डी. एम. टी.	76	81
23.	केप्रोलेक्टम	66	78
24.	विस्कोस फिलामेंट यार्न	79	83
25.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	50	83
26.	विस्कोस टायर कोर्ड	43	42
27.	नाइलोन फिलामेंट यार्न	115	101

1	2	3	4
28.	नाइलोन टायर कोर्ड	124	106
29.	पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर	76	74
30.	पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न	108	122
31.	चमड़े के जूते	61	64
32.	रबर के जूते	70	70
33.	बायसकिलों के टायर	95	115
34.	मोटरगाड़ियों के टायर	77	77
35.	कागज और गत्ता	67	59
36.	अखबारी कागज	53	77
37.	साबुन	103	109
38.	संश्लिष्ट प्रक्षालक	64	52
39.	मशीन टूल्स	93	80
40.	खनन मशीनें	104	86
41.	धातुकर्मी मशीनें	76	56
42.	सीमेंट मशीनें	66	56
43.	रसायन तथा भेषज मशीनें	132	103
44.	चीनी मशीनें	72	66
45.	रबर मशीनें	75	111
46.	कागज और लुगदी मशीनें	40	32
47.	छपाई मशीनें	117	80
48.	बॉयलर	97	103
49.	ट्रांसफार्मर	58	73
50.	बिजली की मोटरें	70	73

1	2	3	4
51.	मिट्टी हटाने के उपकरण	74	61
52.	ट्रैक्टर	70	83
53.	रेल वैगन	52	59
54.	वाणिज्यिक वाहन	83	69
55.	यात्री कारें	82	59
56.	जीपें	116	110
57.	स्कूटर/मोपेड/स्कूटरैट	111	78
58.	बायसकिलें	69	82
59.	बॉल और रोलर बियरिंग	87	68
60.	टाइपराइटर	80	68
61.	सिलाई मशीनें	65	72
62.	घड़ियां	93	71
63.	ए. सी. एस. आर./ए. ए. कन्डेक्टर्स	34	31
64.	पी. वी. सी./वी. आई. आर. केबल	37	36
65.	शुष्क बैटरियां	74	49
66.	स्टोरेज बैटरी	72	61
67.	जी. एल. एस. लैम्प	106	90
68.	फ्लो. ट्यूब	103	87
69.	घरेलू रेफ्रिजरेटर	112	88
70.	वैल्डिंग इलेक्ट्राड	91	77
71.	बिजली के पंखे	85	104

* 1-4-1984 तक की क्षमता पर आधारित ।

रुग्ण एककों में उत्पादन और निर्यातों में गिरावट

1629. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मशूद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में रुग्णता बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या गत 2/3 वर्षों के दौरान देश में छोटे एककों में भी रोजगार के अवसरों में स्थिरता आने के अतिरिक्त उनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों के दौरान छोटे क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले निर्यातों में आई गिरावट की प्रतिशतता की तुलना में उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट (अनुमानित मूल्य सहित) आई है; और

(घ) देश में छोटे एककों के विकास के रास्ते में क्या-क्या मुख्य बाधाएं आती हैं और सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार, लघु क्षेत्र में रुग्णता की प्रवृत्ति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) लघु क्षेत्र के विकास और संवर्द्धन की दिशा में अनेक अभ्युपाय किये गये हैं। इनमें विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन करना, केवल लघु क्षेत्र में ही बनाने के लिए वस्तुओं का आरक्षण करने हेतु सरकार को शक्तियां प्रदान करना, आरक्षण और अधिमानता मूल्यों सहित विपणन सम्बन्धी सहायता देना, आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना, कच्ची सामग्री की आपूर्ति करना, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में संस्थानों के कार्यों का विस्तार करना, कार्यशाला सुविधाओं का समेकन और नवीकरण करना, प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना करना तथा शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्व-रोजगार प्रदान करने की योजना चालू करना शामिल हैं। ग्रामीण और लघु क्षेत्र को उपलब्ध ऋण सम्बन्धी सुविधाओं की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। लघु क्षेत्र के लिए चुने हुए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने की आवश्यकता का अध्ययन करने और उनके सम्बन्ध में अभ्युपाय सुझाने के लिए एक कार्यदल का भी गठन किया गया है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सहायता प्राप्त लघु औद्योगिक एककों में रुग्णता

क्रम संख्या	निम्नलिखित वर्ष के अन्त तक	उधार सम्बन्धी लेखों/इकाइयों के अंतर्गत आने वाले लघु उद्योगों की कुल संख्या	रुग्ण लघु एककों की संख्या (बैंकों से सहायता प्राप्त)	उधारी लेखों/इकाइयों की कुल संख्या में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों का प्रतिशत अंश
1.	जून 1979	589,000	20,700	3.5
2.	दिसम्बर, 1979	656,000	20,841	3.2
3.	जून, 1980	718,000	22,325	3.1
4.	दिसम्बर, 1980	774,000	23,256	3.0
5.	जून, 1981	844,000	22,360	2.6
6.	दिसम्बर, 1981	924,000	25,342	2.7
7.	जून, 1982	976,000	26,973	2.8
8.	दिसम्बर, 1982*	1044,000	58,549	5.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

* टिप्पणी : दिसम्बर, 1982 के अन्त तक रुग्ण एककों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई है, क्योंकि जून, 1982 तक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रुग्ण एककों की अपनी सूची में अस्वीकृति पत्रों के बिलों/वापस लिए गये कर्जों के लेखों एककों को शामिल नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार ये एकक पुनर्स्थापित नहीं हो सकते थे और अग्रिमों की वसूली करने के अलावा, बैंकों के पास कोई चारा नहीं रह गया है ।

ऊटी में रंगीन सिनेमा फिल्म परियोजना की स्थापना

1630. **श्री आर० प्रभु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऊटी में ही एक रंगीन सिनेमा फिल्म परियोजना की स्थापना की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) (क) जी, हां ।

(ख) स्रोतों सम्बन्धी अड़चनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सिने रंगीन फिल्मों के उत्पादनार्थ क्षमता की स्थापना हेतु कम्पनी द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में कागज उद्योगों की स्थापना

1631. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में कागज उद्योगों की स्थापना को अनुमति देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली जिलों में कागज के उत्पादन के लिए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए कोई आवेदन-पत्र औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए प्राप्त नहीं हुआ है । यद्यपि, मै० जे० टी० पेपर मिल्स, उज्जेनी, बदायूं 3000 मीटरी टन 1 वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता से कागज का उत्पादन कर रहा है ।

सीमेंट का प्रतिस्थापक

1632. **श्री जी० भूपति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के उद्योग में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमेंट का कोई प्रतिस्थापक (विकल्प) उपयोग में लाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिस्थापक क्या-क्या हैं;

(ग) उन प्रतिस्थापकों के उपयोग में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष 1983-84 की तुलना में वर्ष 1984-85 में सीमेंट के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) यद्यपि ऐसे किसी उत्पाद के बारे में पता नहीं है जो सामान्य प्रयोग में सीमेन्ट के स्थान पर पूरी तरह इस्तेमाल किया जा

सके, फिर भी "बाइंडर्स" नामक पदार्थ ऐसे हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की सीमेंट की विशेषताएं विमद्यान हैं और जो चिनाई, मसाला, पलस्तर आदि जैसे कामों में सीमेन्ट का प्रतिस्थापक बन सकती है। इसमें से कुछ के नाम "लिम्पो", "सागोल", "अशमोह", "एक्टीवेटेड लाइम पोजोलाना", "चावल की भूसी मैसनरी बाइंडर" आदि है।

(ग) सामान्य भवनों, संरचनात्मक छतों की छत पर छज्जे बनाने में सामान्य प्रकार की बिछाई गई नीवों, चिनाई, मसाला तथा पलस्तर के लिए कम शक्ति वाला सामान्य कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट के स्थान पर उपयोग किये जाने की सूचना मिली है।

(घ) 1984-85 के पहले 3 महीनों के दौरान सीमेंट के उत्पादन 1983-84 की इसी अवधि में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी है।

वाहनों की निर्माण लागत में वृद्धि

1633. **श्री राम स्वरूप राम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापरिक उपयोग के वाहनों, जैसे ट्रक, बस, वैन आदि की निर्माण लागत में हाल ही के महीनों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के वाहन की लागत में अनुमानत: कितने प्रतिशत वृद्धि हुइ; और

(ग) यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि बढ़ी हुई लागत को स्वयं निर्माताओं द्वारा ही वहन किया जाए और इससे आगे उक्त वाहनों के प्रयोक्ताओं से वसूल न किया जाए।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) हाल ही में इस्पात में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन मूल्यों में थोड़ी-सी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

(ग) हालांकि मोटरगाड़ियों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं हैं, फिर भी मोटरगाड़ियों के मूल्यों को उचित स्तरों पर बनाये रखने के विचार से सरकार निर्माताओं के साथ बराबर बातचीत करती रही है और करती रहेगी।

राष्ट्रीय उद्यम तथा लघु व्यापार विकास संस्थान की भूमिका

1634. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यम तथा लघु व्यापार विकास संस्थान की भूमिका, निदेशों, उद्देश्यों और कार्यों को परिभाषित किया गया है;

(ख) संस्थान कितने तथा किस किस्म के उद्योगों के कार्य में सहायता करेगा;

(ग) आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम विकास के लिए कौन-सी विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जिस प्रकार के उद्यमियों के कार्यों में संस्थान सहायता करेगा उनमें महिला उद्यमी शिक्षित बेरोजगार, समाज के कमजोर वर्ग के लोग आदि सम्मिलित होंगे । इसके अलावा संस्थान प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण का भी प्रबंध करेगा । फिर भी, प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत प्रशिक्षित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या वास्तविक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी ।

(ग) और (घ) जब जाति और पिछड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनका कि संस्थान स्वयं प्रबन्ध करेगा, के अलावा जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए देश में विद्यमान उद्यमियता विकास संस्थानों की सेवाओं को सूची में शामिल करने की एक विशेष योजना भी है ।

हिन्दी और उर्दू अकादमियों के संवर्धन हेतु धनराशि की कमी

1635. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 26 जून, 1984 के "पैट्रियट" में प्रकाशित इस समाचार की ओर ध्यान दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दिल्ली में हिन्दी और उर्दू अकादमियों के पास धनराशि और सुविधाओं की कमी है-और इस कारण से दोनों भाषाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या उर्दू और हिन्दी भाषाओं के लिए धनराशि की इस प्रकार की कमी होने के मामले कुछ अन्य राज्यों में भी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उर्दू और हिन्दी के विशेष रूप से राजधानी में संवर्धन के लिए धनराशि की मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हिन्दी और उर्दू अकादमियों को कोई अनुदान सीधा मुक्त नहीं किया जाता रहा है। पांच हिन्दी ग्रंथ अकादमियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान किया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	राशि लाखों में रुपये
बिहार	80.93
हरियाणा	42.50
मध्य प्रदेश	100.00
राजस्थान	69.87
उत्तर प्रदेश	85.60

(ग) और (घ) सरकार ने देश में हिन्दी और उर्दू के विकास के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, हिन्दी और उर्दू अकादमियों को हिन्दी और उर्दू के विकास के कार्यक्रमों तथा उनकी योजनाओं के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा पर्याप्त राशि पहले ही उपलब्ध करा दी गई है।

जगन्नाथपुरी और अन्य हिन्दू मन्दिरों में अहिन्दुओं का प्रवेश

1636. **श्री स्वामी इन्द्रवेश :**
श्री जयपाल सिंह कश्यप :
श्री जगपाल सिंह :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जगन्नाथपुरी जैसे कितने मन्दिर हैं जहां केवल हिन्दुओं के प्रवेश की अनुमति है और गैर हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित है;

(ख) इन मन्दिरों में गैर हिन्दुओं का प्रवेश प्रारम्भ करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इसमें क्या रुकावटें हैं; और

(ग) जगन्नाथपुरी मन्दिर में गैर-हिन्दुओं का प्रवेश कब तक करने की अनुमति दी जाएगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) पुरी के जगन्नाथ मन्दिर और द्वारका (गुजरात) के लघु तीर्थ मन्दिरों के अतिरिक्त केन्द्रीय संरक्षण के अधीन 45 मन्दिर हैं जहां गैर हिन्दुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इनमें से तमिलनाडु और केरल राज्यों में अवस्थित 28 मन्दिरों में केवल मन्दिर के परमपावन स्थान पर जहां धार्मिक क्रियायें की जाती हैं गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक है।

ये धार्मिक उपयोग के अन्तर्गत निजी स्वामित्व वाले मन्दिर हैं और एक करार द्वारा अभिशासित होते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक मामले में, स्थापित परम्परा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रतिबन्धों की व्यवस्था है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज शिमला को बन्द किया जाना

1637. **श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रो० ए० के० दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, शिमला स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्ट्डीज को बन्द करने का निर्णय क्या है;

(ख) इन संस्थानों अनेक वर्षों से केवल दो फेलो ही कार्यरत रहे हैं जिनका कार्यकाल शीघ्र ही समाप्त होने वाला है;

(ग) क्या इस संस्थान को चालू रखना उचित है;

(घ) क्या इस संस्थान के रख-रखाव पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान में अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह संस्थान किस आधार पर चलाया जा रहा है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) प्रो० ए० के० दास गुप्त की अध्यक्षता में पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर विचार करते वक्त, संस्थान के कार्यक्रमों/कार्यकलापों का पुनर्गठन करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया था। जून, 1979 में, सरकार ने 1 सितम्बर, 1979 से संस्थान को बन्द करने का निर्णय किया। इस निर्णय की बाद में समीक्षा की गई थी और इसके कार्यान्वयन को 31 मार्च, 1980 तक स्थगित करने का निर्णय किया गया था। अप्रैल, 1980 में संस्थान को चालू रखने का निर्णय किया गया बशर्ते कि इसके कार्यकलापों और कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाए।

(ख) जी, हां। 1979 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना के बाद संस्थान द्वारा नए फैलो नियुक्त नहीं किए गए थे।

(ग) संस्थान को बन्द करने के निर्णय के विरुद्ध सरकार को विख्यात शिक्षाविदों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों से काफी बड़ी संख्या में विरोध प्राप्त हुए थे। संस्थान के शासी निकाय ने भी एक मत से यह विचार व्यक्त किया कि संस्थान को बन्द नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने संस्थान को बन्द करने के अपने पहले निर्णय पर पुनर्विचार किया और यह निर्णय किया कि संस्थान को चालू रखा जाए और इसके कार्यकलापों और निर्णयों को पुनर्गठित किया जाए। संस्थान की पुनः संरचना और पुनर्गठन के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर संस्थान के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के पुनर्गठन और पुनः संरचना की एक योजना सरकार द्वारा कार्यान्वित करने के लिए एक योजना अनुमोदित की गई है।

(घ) संस्थान द्वारा 1980-81 से 1982-83 के दौरान किया गया वास्तविक खर्च नीचे दिया गया है :—

1980-81	23.19 लाख रुपये
1981-82	31.54 लाख रुपये
1982-83	29.90 लाख रुपये

(ङ) फैलो का चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर शासी निकाय द्वारा अन्तिम चयन किया गया था।

(च) सरकार ने यह निर्णय किया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप अपने पुनर्गठित और पुनः संरचित रूप में संस्थान चल चालू रहे।

हावड़ा क्षेत्र में दोषपूर्ण सिगनल प्रणाली

1638. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है वि पूर्व रेलवे में खासतौर पर हावड़ा क्षेत्र में सिगनल प्रणाली दोषपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो उक्त खराबियों को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो कब तक सुधारात्मक उपाय शुरू किए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत की जनसंख्या के बारे में विश्व विकास रिपोर्ट

1639. **डा० प्रताप वाघ** : *क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या विश्व विकास रिपोर्ट ने हाल ही में प्रकाशित अपने पूर्वानुमानों में कहा है कि भारत सन् 2050 तक विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का जन्म दर को कम करने के लिए कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि हेतु क्या आवश्यक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) इस समय चीन और भारत अत्यधिक घनी आबादी वाले देश हैं। विश्व विकास रिपोर्ट ने इन दो देशों के लिए सन् 2050 ईसवी तक जनसंख्या के विभिन्न अनुमान दिए हैं। ये अनुमान इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	देश	मानक अनुमान	प्रजनन क्षमता में तेजी से कमी	प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर में तेजी से कमी
		(आंकड़े दस लाख में)		
1.	चीन	1450	1450	1462
2.	भारत	1513	1313	1406

(ग) सरकार परिवार नियोजन को एक जन-आन्दोलन के रूप में पूरी तरह स्वैच्छिक आधार पर आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। छोटे परिवार के आदर्श को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट दीर्घकालीन कार्यनीति तैयार कर ली गई है। इस कार्यनीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

बहु प्रचार माध्यमों और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इसके संदेश को पहुंचाने की नीतियों का सुविचारित उपयोग करके इसके बारे में लोगों में जागृति लाने और इसकी जानकारी देने के तेजी से प्रयास करना, परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों के घरों के निकटतम सेवाओं और सामग्री की व्यवस्था करना, महिलाओं की साक्षरता में तेजी से वृद्धि लाने के लिए सुविधाओं का विकास करना, युवकों को जनसंख्या शिक्षा देना, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता और समर्थन लेना, अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों से समुचित सम्पर्क बनाना, स्वैच्छिक क्षेत्र को इस कार्य में अधिक से अधिक लगाना और विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम पर निकट से निगरानी रखना।

अवध एक्सप्रैस को फैजाबाद तक चलाया जाना

1640. **श्री जयराम वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ में तथा लखनऊ के बीच हाल ही में अवध एक्सप्रैस नाम की एक नई गाड़ी चलाई गई है;

(ख) क्या फैजाबाद तथा बाराबंकी के लोगों ने इस रेलगाड़ी को फैजाबाद तक चलाने की मांग की है क्योंकि फैजाबाद और अयोध्या क्षेत्र अवध के अन्तर्गत आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) पर्याप्त यात्री यातायात वाले महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों के साथ जोड़ने के संदर्भ में हाल ही में मेरठ और लखनऊ, राज्य की राजधानी के बीच एक गाड़ी चलायी गयी है ;

यह गाड़ी अवध एक्सप्रैस के नाम से नहीं जानी जाती है।

चूंकि इस गाड़ी को मूल रूप से मेरठ और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लाभ के लिए चलाया गया है और यह काफी लोकप्रिय है, अतः इसे फैजाबाद अथवा अयोध्या तक बढ़ाना वांछनीय नहीं है।

लाइन क्षमता और मार्गवर्ती खंडों पर तंगी के अलावा अयोध्या और फैजाबाद पर प्रारम्भिक और समाप्त होने वाली अतिरिक्त गाड़ियां सम्हालने के लिए पर्याप्त टर्मिनल सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं।

देश में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में डाक्टरों की कमी

1641. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**

श्री गुफरान आजम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में प्रस्तावित इन केन्द्रों के स्थान और संख्या सहित तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान केन्द्रों में न तो पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और फिजिशियन हैं और न ही इनमें उपचार के लिए आम आधुनिक उपकरण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) वर्ष 1984 के लिए कोई भी अतिरिक्त ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र मंजूर नहीं किए गए हैं। वैसे मौजूदा ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए 200 भवन मंजूर किए गए हैं। राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार दी गई मंजूरी का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1-4-1984 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में मंजूर किए गए 17,066 डाक्टरों के पदों में से 15,465 डाक्टर कार्य कर रहे थे, यह संख्या 90 प्रतिशत से अधिक हैं। अनुमोदन पैटर्न के अनुसार उपकरणों सहित आवश्यक साज-सामान प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों को निरन्तर यह सलाह दी जाती रहती है कि वे मंजूर किए पदों को भरें।

विवरण

1984-85 के दौरान ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए मंजूर किए गए अतिरिक्त भवनों का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आरम्भ किए जाने वाले नए निर्माण कार्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	असम	18
3.	बिहार	22
4.	गुजरात	2

1 2	3
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	10
7. जम्मू और कश्मीर	9
8. कर्नाटक	—
9. केरल	12
10. मध्य प्रदेश	—
11. महाराष्ट्र	15
12. मणिपुर	3
13. मेघालय	2
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	2
16. पंजाब	10
17. राजस्थान	15
18. सिक्किम	2
19. तमिलनाडु	—
20. त्रिपुरा	15
21. उत्तर प्रदेश	24
22. पश्चिम बंगाल	15
23. गोवा दमन और द्वीप	2
योग	200

पंजाब में रेल यातायात रुक जाने के कारण रास्ते में ही रुके भारतीय और पाकिस्तानी नागरिक

1642. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री उत्तम राठौर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब में रेल यातायात रुक जाने के दौरान पाकिस्तान में रुके सभी भारतीय नागरिकों और भारत में रुके सभी पाकिस्तानी नागरिकों को इस बीच उनके अपने-अपने देश में भेज दिया गया है और वे अपने देश पहुंच गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने नागरिक अपने-अपने देश में सकुशल लौटने की प्रतीक्षा में हैं और उन्हें पहुंचाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जून, 1984 के दौरान पंजाब में रेल यातायात ठप्प हो जाने के कारण भारत में फंसे हुए सभी पाकिस्तानी यात्री पाकिस्तान लौट गये हैं। इस प्रकार पाकिस्तान में फंसे किन्हीं भारतीयों की रेलवे को कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामान्य रेल सेवा फिर से शुरू कर दी गई है।

ढुलाई के दौरान कोयले की चोरी

1643. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से 30 जून, 1984 तक की अवधि के दौरान कोयला खानों से विभिन्न स्थानों को कोयले की ढुलाई करते समय कितने मूल्य के कोयले की चोरी हुई; और

(ख) इस संबंध में रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के यदि कोई कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तो उनकी संख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयला खानों से गंतव्य तक रेल द्वारा कोयले के परिवहन के दौरान चुराये गये कोयले के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 के दौरान चुराये गये कोयले के लिए रेलों द्वारा 48-49 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया। जनवरी, 1984 से जून, 1984 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जनवरी, 1983 से जून, 1984 के दौरान इससे सम्बद्ध रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों सहित 566 रेल कर्मचारियों को दोषी पाया गया।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में सभी तदर्थ डाक्टरों को नियमित करना

1644. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद की प्राक्कलन समिति ने अपने बाइसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा में इस समय तदर्थ आधार पर कार्यरत सभी डाक्टरों को नियमित किया जाये ।

(ख) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने डाक्टरों को नियमित किया जा चुका है और अभी कितनों को नियमित किया जाना है; और

(ग) सरकार का विचार तदर्थ आधार पर कार्यरत शेष डाक्टरों की सेवाओं को किस प्रकार नियमित करने का है तथा तत्सम्बन्धी अस्थायी तिथि क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के आधार पर की जाती हैं, जिनका संशोधन 1982 में किया गया था । नियमों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन या तो प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाना होता है या "केवल साक्षात्कार" के आधार पर किया जाना होता है । चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सहयोगी एककों में बड़ी संख्या में रिक्तियां काफी समय से चली आ रही थीं, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग को यह मांग भेजी गई थी कि वे "केवल साक्षात्कार" की विधि से अधिकारियों को भर्ती करें । संघ लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए की गई अपनी कार्रवाई के आधार पर 341 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है जिनमें से 133 चिकित्सा अधिकारी पहले ही विभिन्न सहयोगी एककों में तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग ने एक नई सूची में और 200 चिकित्सा अधिकारियों की भी सिफारिश की है जिन्हें खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम राइफल्स के लिए "केवल साक्षात्कार" क तरीके से भर्ती किया गया है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 100 उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए इस मंत्रालय के अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अफसरों की भर्ती के लिए भी कार्रवाई की जा रही है । आशा है कि खाली पद शीघ्र ही काफी संख्या में भरे जाएंगे क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत उम्मीदवार विभिन्न खाली पदों पर नियुक्त किए जाते हैं ।

औषधियों के डिब्बों/बोतलों पर लगे लेबलों पर औषधियों का फार्मूला लिखना

1645. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अघातन संशोधन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, के उपबन्धों के अनुसार औषधियों के डिब्बों/बोतलों के लेबलों पर उस औषधि का फार्मूला लिखा जाना अथवा उसके संघटकों की सही सूची दिया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा की यूनानी पद्धति की डिस्पेंसरियों में लाभार्थियों को दी जाने वाली यूनानी औषधियों/दवाओं के डिब्बों, बोतलों पर उस दवा का फार्मूला नहीं लिखा होता अथवा उसके संघटकों की सही सूची नहीं दी जाती तथा उसके स्थान पर डिब्बों/बोतलों पर केवल "बयाज-ए-कबीट के अनुसार" लिखा रहता है;

(ग) यदि हां, तो यूनानी औषधियों के निर्माता अद्यतन संशोधन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्ध का उल्लंघन क्यों करते हैं; और

(घ) औषधियों के डिब्बों/बोतलों के लेबलों पर औषधि का पूरा फार्मूला लिखे जाने अथवा औषधि के संघटकों की पूरी सूची दिये जाने का सुनिश्चय कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) वर्ष 1982 में यथा संशोधित औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 33 ई. ई. सी. के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक पेटेंट अथवा प्रोप्राइटरी दवा के सम्बन्ध में उसमें शामिल सभी घटकों की वास्तविक सूची दवा कंटेनरों के लेबलों पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

(ख) से (घ) इस अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल "बायज कबीर" जैसी प्रमाणिक पुस्तकों में निहित नुस्खों को पेटेंट अथवा प्रोप्राइटरी दवाएं नहीं माना जाता है।

देश में केन्द्रीय अस्पताल खोलना

1646. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़े पैमाने पर केन्द्रीय अस्पताल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) क्या उक्त योजना का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का देश में केन्द्रीय सरकार के अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अपने-अपने राज्यों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

दुर्गापुर में यात्री डिब्बा कारखाना स्थापित करना

1647. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार को दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में यात्री डिब्बा बनाने का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को यात्री डिब्बे बनाने वाले कारखाने के सम्बन्ध में तैकनीकी व्यावहार्यता रिपोर्ट मिल गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पश्चिम बंगाल में एक सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है, न कि विशिष्ट रूप से दुर्गापुर में।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हौड़ से खड़गपुर के बीच स्वचालित सिगनल प्रणाली

1648. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को हौड़ से खड़गपुर के बीच स्वचालित सिगनल प्रणाली का कार्यवाही से पहले शुरू करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोर्ड ने उस पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड इस सैक्शन पर यातायात की क्षमता बढ़ाने पर विचार करते हुए यह कार्य तुरन्त करेगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस कार्य को शुरू करने का प्रश्न अतिरिक्त संसाधनों/धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिल्ली-पानीपत-करनाल लाइन का बिजलीकरण

1649. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर दिल्ली और पानीपत के बीच अथवा दिल्ली और करनाल के बीच रेल लाइन के बिजलीकरण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रेल लाइन के बिजलीकरण का कार्य कब शुरू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) उत्तर रेलवे के दिल्ली-पानीपत-करनाल-अम्बाला खंड पर रेल पथ के विद्युतीकरण को रेलवे के विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करना भावी वर्षों में विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए धन की उपलब्धता पर तथा विभिन्न खंडों की सापेक्ष प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में स्वचालित मशीन से टिकटों का वितरण

1650. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बसों में टिकटों का वितरण स्वचालित मशीन से करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी स्वचालित मशीन लगाने पर कितनी धन-राशि खर्च होगी;

(ग) क्या स्वचालित मशीन से टिकट लेने के लिए एक विशेष सिक्के की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो इससे यात्रियों को असुविधा नहीं होगी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राजधानी में सड़क यात्रा सुगम और सस्ती बनाये जाने के लिए उठाए गए कदम

1651. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की सड़कों पर 19 प्रकार के वाहन चल रहे हैं जिसके कारण भीड़-भाड़ होती है और विभिन्न स्थानों में सड़कों पर बार-बार यातायात अवरुद्ध हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने जनता के लिए सड़क यात्रा को भीड़-भाड़ से मुक्त और सुगम बनाने तथा सामान आदि लाने-ले-जाने को सस्ता बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या इस समस्या को हल करने के उपाय निकालने हेतु जो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अधिक जटिल एवं महंगी होती जा रही हैं, परिवहन और रेलवे प्राधिकारियों के बीच समन्वय है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली की सड़कों पर 19 प्रकार के वाहन चलते हैं, खास कर पुरानी दिल्ली में विभिन्न प्रकार के वाहनों के चलने के कारण जमाव और धीमी गति से वाहनों के चलने की समस्या है । ट्रैफिक पुलिस-खास कर पुरानी दिल्ली में यात्रा को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :

(i) कुछ इलाकों में भीड़-भाड़ के समय भारी वाहनों के चलने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अर्थात प्रात: 8 बजे से 11 बजे और सायं 4 बजे से 8 बजे तक । कुछ इलाकों में धीमी गति वाले वाहनों को तेज गति से चलने वाले वाहनों से अलग रखा गया है । इसका उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाता है ।

(ii) ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध कब्जे और गलत या अनधिकृत पार्किंग के लिए भी कार्रवाई की जाती है ।

(iii) भीड़-भाड़ वाली जगहों/सड़कों पर यातायात संचालन के लिए यातायात कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

(iv) यातायात कर्मचारी किसी भी यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को/लाउडस्पीकर के माध्यम से जागरूक करने/सावधान करने के लिए इलाके में गश्त करते हैं।

(v) कुछ सड़कों पर एकतरफा यातायात व्यवस्था की गई है।

(vi) दिल्ली परिवहन निगम ने पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करने के लिए बस के बेड़े में वृद्धि की है, जो अब लगभग 5615 है (इसमें दिल्ली परिवहन निगम के अधीन 1075 प्राइवेट आपरेटरों की बसें हैं) दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों/अन्तर्राज्यीय बस अड्डा से सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को एक रुपये के नियत किराये पर रेलवे की विशेष सेवाएं और माइक्रोमिनी बसें चलाई हैं। ये किराये काफी उचित हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा यातायात/परिवहन इंजीनियरी समिति नामक एक समिति गठित की गई है, जिसके रेलवे और दिल्ली परिवहन निगम के प्रतिनिधि भी सदस्य हैं। रेलवे लेवल क्रांसिंग जैसी रेलवे से सबद्ध सभी यातायात समस्याएं भी इस समिति में हल की जाती हैं। परिवहन और रेलवे प्राधिकरण के बीच काफी सन्तोषप्रद सहयोग है।

कोट्टायम रेलवे स्टेशन का विकास

1652. **श्री स्कारिया थोमस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम रेलवे स्टेशन के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। कोट्टायम स्टेशन की नयी इमारत 1981 में ही पूरी हो चुकी है और इसमें 12 लाख रुपये की लागत पर दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय, इकहरे बिस्तर वाले 3 विश्रामालयों, अग्रिम बुकिंग और आरक्षण काऊंटरों, ऊंचे दर्जे के एक प्रतीक्षालय जैसी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। मौजूदा शाकाहारी तथा सामिष भोजनालयों का आधुनिकीकरण तथा सुधार और प्लेटफार्म नं० 1 पर छत डालने का काम भी हाल ही में किया गया है। द्वीप इमारत परिवर्तन योजना में से द्वीप प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म शेल्टर का विस्तार, सवारी डिब्बों में पानी भरने के लिए अतिरिक्त नलों की व्यवस्था तथा प्लेटफार्म नं० 1 और 2 पर कंकीट बिछाने का काम किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में रेल सेवाओं में सुधार

1653. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा जिले के विधान सभा सदस्यों, संसद सदस्यों, व्यापारियों और युवकों के एक शिष्ट-मंडल ने कोटा बाड़ी शटल गाड़ी को गुना तक बढ़ाने, कोटा से बीना तक एक सुपरफास्ट गाड़ी चालू करने, बीना से आने वाली गाड़ियों का कोटा स्टेशन पर कोटा-देहरादून एक्सप्रेस सहित अन्य गाड़ियों के साथ मिलाप कराने, आम जनता के लिए देहरादून एक्सप्रेस में डिब्बों का कोटा बढ़ाने, कोटा स्टेशन पर इन्दौर के लिए डिब्बों को हटा कर कुछ अन्य डिब्बे जोड़ने तथा कोटा से दिल्ली तक एक गाड़ी चलाने सम्बन्धी मांगों पर जोर देने के लिए, पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन के वर्तमान और भूतपूर्व महाप्रबन्ध से भेंट की थी;

(ख) क्या कोटा रेलवे के महाप्रबन्धकों ने उक्त शिष्ट-मण्डल को रेल सेवा में सुधार करने का आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, 135/136 कोटा-बारन शटल का चालन-क्षेत्र बढ़ाने तथा कतिपय अन्य मामलों के सम्बन्ध में एक शिष्ट-मण्डल कोटा मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्ध से मिला था ।

(ख) जी हां ।

(ग) 135/136 कोटा-बारन शटल को 15-8-1984 से गुना तक/से चलाने का विनिश्चय किया गया है। जहां तक बीना की ओर से आने वाली गाड़ियों के मेल का सम्बन्ध है, 92 बीना-कोटा सवारी गाड़ी, जो कोटा में 19.30 बजे पहुंचती है, कोटा से 19.50 बजे चलने वाली 19 डाउन देहरादून एक्सप्रेस से मेल लेती है। इसी प्रकार कोटा में 13.00 बजे पहुंचने वाली 94 अप बीना-कोटा सवारी गाड़ी कोटा में 64 अवध एक्सप्रेस से मेल लेती है । चूंकि देहरादून एक्सप्रेस पहले ही पूरे डिब्बों के साथ चल रही है और मौजूदा इन्दौर-देहरादून सवारी डिब्बों का पूरा-पूरा उपयोग किया जा रहा है, इसलिए मौजूदा इन्दौर सवारी डिब्बों को बदलना अथवा कोटा में एक अतिरिक्त डिब्बा लगाना न तो वांछनीय है और न व्यावहारिक है । सवारी डिब्बों, इंजनों, मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा दिल्ली में टर्मिनल सुविधाएं जैसे संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल कोटा तथा दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है।

फेफड़ा कैंसर की घटनाओं में वृद्धि

1654. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में फेफड़ा कैंसर की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग के मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आशंका है कि यदि चिकित्सकों, सरकार तथा चिकित्सा शास्त्रियों द्वारा सही दिशा में संयुक्त कदम नहीं उठाए जाते है तो यह रोग शीघ्र ही महामारी का रूप धारण कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस भयानक रोग पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) फेफड़ा-कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है या नहीं इसके बारे में राष्ट्रीय आधार पर सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, बम्बई कैंसर रजिस्ट्री से सन् 1964 से मिली सूचना के अनुसार, उम्र के हिसाब से पुरुषों में फेफड़ा-कैंसर की दर में मामूली वृद्धि हुई है ।

(ख) संसार के विभिन्न भागों से ऐसे काफी सबूत मिले हैं जिनसे यह पता चलता है कि फेफड़ा-कैंसर का मुख्य कारण सिगरेट पीना है ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इस समय धूम्रपान पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो विकासशील देशों में फेफड़ा कैंसर की स्थिति काफी गंभीर हो सकती है ।

(घ) भारतीय आयुविज्ञान अनुसंधान परिषद ने सन् 1982 में मुख का कैंसर होने से पहले तथा बाद में होने वाली क्षतियों को शुरू में तथा बाद में रोकने के बारे में एक कार्यदल का गठन किया था, जिसने तम्बाकू के इस्तेमाल पर नियंत्रण करने और धूम्रपान के खतरों के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देने की सिफारिशें की थी । भारत सरकार ने पहले ही एक कानून बता दिया है जिसका शीर्ष सिगरेट (उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, 1975 है । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सिगरेट के व्यापार तथा वाणिज्य और उत्पादन सप्लाई तथा वितरण मामलों पर नियंत्रण रखना है । अन्य अनेक उपाय किए गये हैं, जिनमें स्वास्थ्य शिक्षा देना भी शामिल है ।

'वाणी' स्टेशन हाल्ट की व्यवस्था

1655. **श्री नगीना राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व रेलवे पर थाणे-छपरा लूप लाइन पर खैराह-फतेड़ी के बीच 'वाणी' स्टेशन पर गाड़ी हाल्ट की व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में वाराणसी डिवीजन द्वारा मसराख ब्रांच लाइन पर खैराह और फतेड़ी स्टेशनों के बीच सर्वेक्षण आदि कराया जा चुका है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार शीघ्र ही वाणी पर गाड़ी को ठहराने की व्यवस्था करने का है और यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) खैरा और पतेढी स्टेशनों के बीच बन्नी गांव के निकट एक हाल्ट स्टेशन खोले जाने के प्रस्ताव की पहले जांच की जा चुकी है लेकिन इसे न तो परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक और न ही वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण पाया गया । इसके अलावा, प्रस्तावित स्थान खैराह तथा पटेड़ी स्टेशनों से क्रमशः 3.75 कि० मी० तथा 3.89 कि० मी० की दूरी पर है और यह रिपोर्ट मिली है कि प्रस्तावित हाल्ट के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में वर्षों तथा अन्य सड़क परिवहन सेवाएं भली-भांति उपलब्ध हैं ।

आदिवासी भाषाओं और लिपियों का विकास

1656. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी भाषाओं और लिपियों के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने अब तक क्या योजनायें और कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) उनके मंत्रालय से सम्बद्ध विभिन्न संस्थाओं ने आदिवासी भाषाओं, लिपियों, संस्कृति और परम्पराओं से सम्बद्ध कौन-सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा पुस्तकों की विस्तृत सूची क्या है;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई; और

(घ) किन-किन आदिवासी भाषाओं को अपनी स्वयं की आदिवासी लिपियों में पुस्तकों के मुद्रण हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त हुए ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ऐसे कार्यकलाप आरम्भ करता है जो जनजातीय तथा अन्य सीमान्त भाषाओं की प्रोन्नति तथा विकास में सहायक होते हैं। संस्थान ने भाषाई-निर्माण तथा सामग्री तैयार करने के लिए 55 जनजातीय और सीमान्त भाषाएं/उप-बोलियों पर अध्ययन करने का कार्य शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय "भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता" की योजना चला रहा है, जिसके अन्तर्गत जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद लोककथाओं, लोकगीतों, पौराणिक; कथाओं, दन्तकथाओं, लोकोक्तियों आदि पर आधारित अनुपूरक पठन सामग्री तैयार करने का कार्य करता है। ये सामग्रियां जनजातीय भाषाओं में, जिनका अर्थ हिन्दी में दिया गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, तैयार की गई हैं।

(ख) मंत्रालय के जनजातीय भाषाओं, लिपियों, संस्कृति तथा दायों से संबंधित विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) यद्यपि, छठी योजना के दौरान इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अलग से कोई राशि नहीं प्रदान की गई थी, फिर भी प्रकाशनों पर किया गया व्यय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कुल बजट का ही एक भाग है।

(घ) अपनी ही जनजातीय लिपियों में पुस्तकों की छपाई के लिए छठी योजना के दौरान निम्नलिखित अनुदान मंजूर किए गए हैं :—

(i) मतारवनम विज्ञान प्रचार आश्रम, मोरीचिगूडा, उड़ीसा-पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए सोरा भाषा 28,000 रु०

(ii) आदिवासी सेवा समिति, पश्चिम बंगाल-संथाली में शब्दकोश के प्रकाशन तथा संकलन के लिए 14,000 रु०।

(iii) बोर्डो साहित्य सभा, रावता, परांग (असम) बोडो शब्दकोश के प्रकाशन के लिए 15,000 रु०।

विवरण

जनजातीय भाषाओं और लिपियों का विकास

30 अप्रैल, 1984 की यथास्थिति के अनुसार केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा प्रकाशित पुस्तकें निम्नलिखित हैं :—

ध्वन्यात्मक रीडर श्रृंखला :

1. पुष्पा कर-पुरकर द्वारा त्रिपुरी ध्वन्यात्मक रीडर ।
2. एम० एस० थैरूमलाइ द्वारा थाडो ध्वन्यात्मक रीडर ।
3. के० एस० गुरूबासव गोवड़ा द्वारा आओ नागा ध्वन्यात्मक रीडर ।
4. फ्रांसिस इक्का द्वारा कुरूख ध्वन्यात्मक रीडर ।
5. एन० रविन्द्रन द्वारा अंगामी ध्वन्यात्मक रीडर ।
6. बी० आर० के० रेड्डी, सुशीला पी० उपाध्याय और जय रेड्डी द्वारा कुवी ध्वन्यात्मक रीडर ।
7. इन्द्र सिंह द्वारा मणिपुरी ध्वन्यात्मक रीडर ।
8. एन० के० सिंहा द्वारा मुन्दारी ध्वन्यात्मक रीडर ।
9. के० पी० आचार्य द्वारा लोथा ध्वन्यात्मक रीडर ।
10. एम० वी० श्रीधर द्वारा सेमा ध्वन्यात्मक रीडर ।
11. एन० रामा स्वामी द्वारा ब्रोकशात ध्वन्यात्मक रीडर ।
12. के० रंगन द्वारा बाल्टी ध्वन्यात्मक रीडर ।
13. संयुक्ता कौशल द्वारा लद्दाखी ध्वन्यात्मक रीडर ।
14. जे० सी० शर्मा द्वारा गोजरी ध्वन्यात्मक रीडर ।
15. एस० अरोकी अनाथन द्वारा थांगखुल ध्वन्यात्मक रीडर ।
16. बी० बी० राजपुरोहित द्वारा शीना ध्वन्यात्मक रीडर ।

प्रासंगिक विनिबन्ध श्रृंखला :

17. नागा पिदगिन : एम० बी० श्रीधर द्वारा नागालैण्ड में अन्तर्भाषा सम्प्रेषण पद्धति का सामाजिक भाषाई अध्ययन ।
18. नौरमन एच० जिदे द्वारा मुन्दा संख्यात्मक अध्ययन ।
19. बी० पी० महापात्र द्वारा माल्टो-इथ्नोसेमान्टिक अध्ययन ।

द्विभाषी शिक्षा श्रृंखला :

20. 21. जय रेड्डी, हरिहर सेठी और सरेठी कालेथ द्वारा कुवि प्राइमर-I और प्रति पुस्तक ।

22. 23. कुण्दय्या, किक्केरी नारायण, एम० के० उमा देवी द्वारा जेनु नुदी 1 और प्रति पुस्तक ।

24. 25. सिद्दे गोव्रडा, आर० सुब्बाकृष्ण द्वारा सोलिगा नुडी 1 और प्रति पुस्तक ।

व्याकरण श्रृंखला :

26. के० एस० गुरूवास्वे गोवदा द्वारा आओ व्याकरण ।

27. एन० के० सिंहा द्वारा मुन्दरी व्याकरण ।

28. पुष्पा पाई (करापुरकर) द्वारा कोकबोरोक व्याकरण ।

29. जय रेड्डी द्वारा कुवि व्याकरण ।

30. के० रंगन द्वारा पुरकी व्याकरण ।

31. पी. पी. गिरिधर द्वारा अंगामी व्याकरण ।

32. एम. वी. श्रीधर द्वारा सेमा व्याकरण ।

33. एन. रामास्वामी द्वारा ब्रोकशात व्याकरण ।

34. जे. सी. शर्मा द्वारा गोजरी व्याकरण ।

35. के. पी. आचार्य द्वारा व्याकरण ।

लोक साहित्य श्रृंखला :

36. एस. अरोअिनाथन द्वारा तंगरबुल लोक साहित्य ।

के. भा. भा. सं. जनजातीय प्रौढ़ साक्षरता श्रृंखला :

37. धनवीर सिंह, घनिन्द्र मैथाई और वी. वाई जयपांल द्वारा अहांगी मणिपुर मोपो लेरिक (मणिपुर में आदिवासी प्रौढ़ साक्षरता रीडर) सहित प्रति पुस्तक ।

38. खेज्हेतो अछूमी और एम. वी. श्रीधर द्वारा घेनगुनों अकिमी (सेमा में आदिवासी प्रौढ़ साक्षरता रीडर) ।

39. एम. एन. मोनोपाल्ली, एस. आर. प्रहलाद और वी. शशि कुमार (द्वितीय मुद्रण) द्वारा प्रौढ 1 के लिए अंग्रेजी ।

40. जे. सी. सी. शर्मा (द्वितीय मुद्रण) द्वारा हिन्दी प्रौढ़ शिक्षा माला-I (हिन्दी में प्रौढ़ साक्षरता प्राइमर) पुस्तक ।

41, 42. हागे, डोल तातुम, हागे तातुंग और पी. टी. अब्राहम द्वारा अपतनी प्रौढ़ आक्षरता प्राइमर और प्रति पुस्तक ।

43,44. जे. सोंगथिंग और के. एस. गुरुवास्वे गोवडा द्वारा नोकटे प्रौढ़ साक्षरता प्राइमर और प्रति पुस्तक ।

45, 46. जतन पुलु और जी. देवी प्रसाद शास्त्री द्वारा मिश्मी प्रौढ़ साक्षरता प्राइमर और प्रति पुस्तक ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास :

1. निर्मल कुमार बोस द्वारा भारत में आदिवासी जीवन ।

2. निर्मल कुमार बोस द्वारा सीमे भारतीय आदिम जाति ।

3. एस. बरकटकी द्वारा असम में आदिम जाति ।

रा. शै. अ. तथा प्र. प. :

1. उड़ीसा के सौरा की शैक्षिक समस्याओं का पता लगाना ।

2. जनजातीय विद्यार्थियों द्वारा वित्तीय सहायता का उपयोग ।

3. निकटस्थ क्षेत्र में रहने वाले चुनिंदा जनजातीय समुदाय का समेकित और तुलनात्मक अध्ययन ।

4. जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं का विकास ।

5. 18 जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति और रोजगार स्थिति ।

6. अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास सम्बन्धी सुविधाएं ।

7. अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास सम्बन्धी सुविधाएं ।

8. जनजातीय नायकों की जीवनी (हिन्दी में) ।

9. जनजातीय लड़के और लड़कियों के लिए एक प्राइमर उठो जागो (समूल्य) ।

10. उठो जागो प्रवेशिका संदर्शिका (समूल्य)

11. जनजातीय वीरों का चरित्र (मूल्य रहित)।

12. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए समान शैक्षणिक अवसर 1 (1979 में प्रकाशित हुई और अब उपलब्ध नहीं है)।

13. निम्नलिखित प्रतिपूरक पठन सामग्री की छपाई हो रही है। ये सभी जनजातीय भाषाओं में हिन्दी अनुवाद सहित और देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं।

1. संताल जीवन की झलक और संस्कृति।

2. मुंदा लोक कहानियां और लोक गीत।

3. ओरो लोक कहानियां और लोक गीत।

4. संतोल लोक कहानियां और लोक गीत।

5. उड़ीसा के सौरा विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 के लिए पाठ्य पुस्तक भी तैयार हो गई है। पाठ्य पुस्तक सौरा भाषा में उड़ीसा लिपि का प्रयोग करते हुए लिखी गई है।

उपनगरीय रेलवे (पश्चिम रेलवे) के ठेकों का बार-बार बदला जाना

1657. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में उपनगरीय रेलवे में खान-पान (केटरिंग) के ठेकेदारों को बार-बार बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ठेके बदले गए हैं;

(ग) कितने ठेकेदारों के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं;

(घ) ठेके समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) समाप्त किए गए यह ठेके कितने लोगों को दिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) लाइसेंसधारी को नहीं बदला गया था लेकिन दो मामलों में हस्तान्तरण तथा एक मामले में परिवर्तन की अनुमति दी गयी थी।

(ग) से (ङ) पिछले दो वर्षों में खान पान/बेडिंग का कोई ठेका रद्द नहीं किया गया था।

मद्रास और हैदराबाद के लिए परिक्रमा (सर्कुलर) रेलगाड़ियां

1658. **श्री चित्त बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास और हैदराबाद के लिए परिक्रमा (सर्कुलर) रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में पहले ही क्या कदम उठा लिए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) अभी मद्रास और हैदराबाद के लिए परिक्रमा रेलवे का निर्माण करने हेतु कोई स्वीकृत परियोजनाएं नहीं हैं, केवल सर्वेक्षणों के आदेश दिए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम में कथित अपराधियों की भर्ती

1659. **श्री राम लाल राही :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1984 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि दिल्ली परिवहन निगम में अपराधियों को भर्ती किया जा रहा है;

(ख) क्या वहां के अधिकारियों ने भी यह बात स्वीकार की है; और

(ग) यदि हां, तो उन अपराधियों और भर्ती प्राधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा वहां अब भी कितने अपराधी काम कर रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि "जनसत्ता' में दिनांक 4 जुलाई, 1984 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम में बदमाशों को भर्ती किया जाता है और इस सन्दर्भ में एक तथाकथित घटना का हवाला दिया गया, जिसमें रूट नं० 419 के चालक ने एक वृद्ध यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम में जिन व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए चुना जाता है उनकी भर्ती रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है और उनके पूर्ववृत्त की जांच जिला पुलिस प्राधिकरण द्वारा खुफिया विभाग के परामर्श से की जाती है। दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार के मामले में न तो कोई दिल्ली परिवहन की बस शामिल है और न ही कोई चालक।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के लिए प्रकाशन-अनुदान देने सम्बन्धी मानदण्ड

1660. **श्री आनन्द सिंह :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद को प्रकाशन अनुदान देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं; और

(ख) क्या इस परिषद को अध्येता वृत्ति-अनुदान देने संबंधी मानदंड प्रकाशित देने सम्बन्धी मानदंडों से भिन्न हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) (i) प्रकाशन अनुदानों की नियमावली के अंतर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, प्रकाशनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुदान यह जांच कर लेने के बाद देता है कि पाण्डुलिपियां अनुसंधानोन्मुख स्रोत सामग्री हैं और यह अच्छे शैक्षिक स्तर की हैं।

(ii) पाण्डुलिपियों/पत्रिकाओं के शैक्षिक स्तर की जांच विशेषज्ञ/अनुसंधान परियोजना समिति, जिसमें प्रतिष्ठित इतिहासकार/इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों के पत्रकार शामिल होते हैं, द्वारा की जाती है।

(iii) पत्रिकाओं के मामले में, अनुदान केवल उन्हीं पत्रिकाओं को दिए जाते हैं जो पिछले पांच वर्षों से साधारणतया अस्तित्व में हैं।

(iv) सहायता-अनुदान की राशि का निर्णय अनुसंधान परियोजना समिति द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता पर किया जाता है, एक वर्ष के दौरान एक पत्रिका के लिए अधिकतम अनुदान 5000 रु० का होता है।

(ख) जी, हां। "इतिहास के उद्देश्यों और वैज्ञानिक लेखों को प्रोत्साहित" करने की दृष्टि से अध्येताओं की विभिन्न श्रेणियों को शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा परिषद में की जाती है तथा विशेषज्ञों द्वारा इनकी जांच की जाती है। अन्तिम निर्णय प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर अनुसंधान परियोजना समिति द्वारा लिया जाता है।

हसन-मंगलौर लाइन पर यातायात में व्यवधान

1661. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की वर्षा तथा बाढ़ विभीषिका के कारण रेलवे ट्रैफिक को कितनी हानि तथा असुविधा हुई है;

(ख) सरकार द्वारा हसन-मंगलौर लाइन (कर्नाटक) के यातायात व्यवधान को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) भारी वर्षा के परिणाम-स्वरूप भूस्खलन तथा शिलाखंडों के गिरने के कारण हसन-मंगलौर के बीच 16 जून से 30 जून, 1984 तक यातायात ठप्प रहा तथा हसन-सुब्राह्मण्य रोड खंड पर 14-7-84 से अब तक यातायात ठप्प है। अब तक लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। हसन-सुब्राह्मण्य रोड खंड पर रेल-पथ चालू करने का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही गाड़ी सेवाएं शुरू किये जाने की संभावना है।

रेल फाटकों पर तैनात चौकीदारों के उपयोग के लिए नया उपकरण

1662. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री एन० डेनिस :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में ऐसा कोई नया साधन लगाने का निर्णय किया है जिसके द्वारा रेल फाटक पर तैनात चौकीदार को आने वाली गाड़ियों के बारे में दो से तीन कि०मी० की दूरी से ही सूचना मिल सकती है;

(ख) क्या सरकार ने रेल दुर्घटनाओं के उन मुख्य कारणों का पता लगाया है जिनकी वजह से गत तीन-चार वर्षों से अक्सर ऐसी दुर्घटना देखने को मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां, इसे प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है।

(ख) और (ग) गाड़ी दुर्घटनाओं के निम्नलिखित मुख्य कारण सुनिश्चित किये गये हैं :

(i) रेल कर्मचारियों की गलती।

(ii) उपस्कर की खराबी।

(iii) रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती।

(iv) तोड़-फोड़।

(v) संयोगवश।

पंजाब में पिछले छः महीनों के दौरान संपत्ति को हुई क्षति

1663. **श्री नरसिंह मकवाना :**
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत 6 महीनों के दौरान रेल विभाग की सम्पत्ति की किस प्रकार का नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ;

(ख) इस प्रकार की तोड़-फोड़ करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) पंजाब में रेल विभाग की सम्पत्ति को कुल कितना नुकसान हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :

(क)	(1) सिविल इंजीनियरी सामग्री	65,600.00 रुपये
	(2) सिगनल व दूरसंचार की मदें	41,500.00 रुपये
	(3) विद्युत की मदें	12,575.00 रुपये
	(4) टिकटों को जलाने तथा नकद राशि को लूटने के कारण	00,640.00 रुपये
	(5) स्टेशनों, पुलों की लकड़ियों आदि को जलाने के कारण	7,58,448.00 रुपये
	(6) ईंटों और गेट लाजों की हुई क्षति	19,000.00 रुपये

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 8,97,763.00 रुपये ।

खड़गपुर में इलैक्ट्रिक लोको का पी० ओ० एच०

1664. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री खड़गपुर में इलैक्ट्रिक लोको का पी० ओ० एच० के बारे में 15 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में इलैक्ट्रिक लोको का पी० ओ० एच० औपचारिक रूप से शुरू नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे में पेराम्बूर में बिजली के इंजनों के पी० ओ० एच० के लिए स्वीकृति दे दी है ।

(ग) पेराम्बूर और खड़गपुर में बिजली के इंजनों के पी० ओ० एच० को शुरू करने में अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(घ) भाप इंजनों के धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण फालतू घोषित हुए कर्मचारियों को पर्याप्त रोजगार देने के लिए खड़गपुर में बिजली चालित इंजनों के पी० ओ० एच० कब शुरू किये जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) खड़गपुर में केवल विद्युत रेल इंजनों को विशेष मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है लेकिन नियमित रूप से आवधिक ओवरहाल का कार्य नहीं है क्योंकि नियमित रूप से आवधिक ओवरहाल का कार्य शुरू करने से पहले अवसंरचना की स्थापना की जरूरत होगी । बहरहाल, खड़गपुर में हाल ही में बिजली गाड़ी स्टाक की आवधिक ओवरहाल का कार्य शुरू किया गया है ।

(ख) पेरम्बूर कारखाने में भाप रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का कार्य बन्द हो जाने तथा खड़गपुर कारखाने में भाप रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का कार्य घट जाने से इन कारखानों को विद्युत रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का वैकल्पिक कार्य-भार सौंपना आवश्यक हो गया है । अत: रेलवे ने विद्युत रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव खड़गपुर में ही नहीं किया है बल्कि इसने पेरम्बूर में भी यह कार्य करने का प्रस्ताव किया है ताकि विनिर्मुक्त अवसंरचना और जन-शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग किया जा सके ।

(ग) पेरम्बूर कारखाने में प्रति माह 3 रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल की क्षमता के लिए रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का कार्य शुरू करने हेतु इसके अवसंरचनात्मक परिवर्तन पर 2.99 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है । खड़गपुर कारखाने में प्रति माह 3 रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल की इसी क्षमता की परियोजना पर लगभग 3.6 करोड़ रुपये (1981-82 की दरों पर आधारित) की लागत आने का अनुमान है ।

(घ) खड़गपुर कारखाने में रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल उत्तरोत्तर शुरू की जायेगी और भाप रेल इंजन का कार्य-भार कम हो जाने की वजह से निर्मुक्त हुए कर्मचारियों को खपाने के लिए इसमें वृद्धि भी की जायेगी जिससे कर्मचारियों के फालतू होने का प्रश्न नहीं उठेगा ।

सम्बलपुर-तलचेर रेल सम्पर्क

1665. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर तलचेर रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 के दौरान निर्माण कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उपर्युक्त रेल सम्पर्क की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) काम शुरू करने के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है और सम्बलपुर की दिशा में 18 कि० मी० भूमि के अधिग्रहण के लिए कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इस काम के लिए 1984-85 में एक करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

(ग) और (घ) भूमि के मूल्य मिट्टी डालने सम्बन्धी काम, आदि की लागत सहित, इस परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 58.14 करोड़ रुपये हैं।

उड़ीसा में अतिरिक्त यात्री रेल गाड़ियां शुरू करना

1666. **श्री हरिहर सोरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ अतिरिक्त रेल गाड़ियां शुरू करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनावधि के दौरान उड़ीसा के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच अब तक कितनी यात्री गाड़ियां शुरू की गई हैं तथा कितनी और की जानी हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 1-4-1984 से एक जोड़ी सवारी गाड़ी अर्थात् 333/334 झारसगुडा-बोलनगीर-टिटिलागढ़ शुरू की गयी है। 1-4-84 से ही एक और जोड़ी सवारी गाड़ी अर्थात् 249/250 पैसेंजर कंटाबांजी और टिटिलागढ़/बोलनगीर के बीच शुरू की गयी है। इसके अलावा छठी योजना में कुछ गाड़ियों का चालन-क्षेत्र भी बढ़ाया गया है जैसे 215/216 खुर्दा रोड-पलासा को भुवनेश्वर तक तथा 5/6 हावड़ा-झारसगुडा एक्सप्रैस को सम्बलपुर तक।

अनुग्रहपूर्वक अदायगी के हकदार गोदी कर्मचारियों को इसकी अदायगी

1667. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुग्रहपूर्वक अदायगी के हकदार सभी गोदी कर्मचारियों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो सभी प्रमुख बन्दरगाहों और विशेषकर पारादीप बन्दरगाह के कितने बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और उनको कितना लाभ मिलेगा; और

(ग) इस अदायगी के लिए किस श्रेणी के बन्दरगाह और गोदी कर्मचारी हकदार हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। वर्ष 1983-84 के लिए अनुग्रह राशि के पात्र पत्तन और गोदी कर्मचारियों को भुगतान संबंधित आदेश 21-6-1984 को जारी कर दिया गया था।

(ख) लगभग 1.4 लाख पत्तन और गोदी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किये जाने वाली लगभग 9.6 करोड़ रुपये धनराशि व्यय होगी। इसमें से पारादीप पत्तन में अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 5,000 होगी जिन्हें लगभग 27 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ग) इस भुगतान के पात्र कर्मचारी निम्नलिखित हैं :

(i) बम्बई, कलकत्ता, कांडला, कोचीन, मद्रास, मुरगांव, न्यू मंगलौर, पारादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम के कर्मचारी।

(ii) गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 के तहत स्कीम के तहत पंजीकृत या सूचीगत गोदी कर्मचारी।

(iii) बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मद्रास, मुरगांव और विशाखापत्तनम प्रमुख पत्तनों में उनके प्रशासनिक निकायों और गोदी श्रम बोर्डों के कर्मचारी।

(iv) पारादीप पत्तन न्यास द्वारा परिचालित कारगो हैंडलिंग स्कीम में कार्यरत सूचीगत कारगो हैंडलिंग कर्मचारी।

केवल 1600 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन/मजदूरी प्राप्त करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तक ही अनुग्रह राशि का भुगतान सीमित है।

मैसर्स लोहिया मशीन्स और आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाना और स्कूटरों की पूर्ति

1668. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहिया मशीन और आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड ने पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों को स्कूटर जारी करना तो दूर रहा अभी तक पंजीकरण नम्बर भी जारी नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब तक उन्होंने कितने स्कूटर जारी किये हैं और उनके पास कितने आवेदकों के नाम पंजीकृत हैं तथा वर्ष 1984 में कितने स्कूटर जारी किए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड और आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड ने बताया है कि उन्होंने स्कूटरों के सभी आवेदकों को डिलीवरी नम्बर भेज दिये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैसर्स लोहिया मशीन्स ने 22.4 लाख स्कूटरों के लिए क्रयादेश बुक किये हैं। कम्पनी को वर्ष 1984 में 10,000 स्कूटरों की सप्लाई करने की आशा है। जुलाई के अन्त तक इसने लगभग 2,000 स्कूटर दिये थे।

मैसर्स ए० पी० स्कूटर्स ने 5.4 लाख स्कूटरों के लिए क्रयादेश बुक किये हैं। कम्पनी की वर्ष 1984 में 4,000 से अधिक स्कूटरों की सप्लाई करने की आशा है। जून के अन्त तक इसने लगभग 850 स्कूटर दिये थे।

निर्माता कम्पनियों के पास बेकार पड़े माल डिब्बे

1669. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री त्रिलोक चन्द :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री के० राममूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 3000 रेलवे वैगन जिन पर 50 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, देश में विभिन्न निर्माता कम्पनियों के पास बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वैगनों के खड़े रहने के कारण यातायात आय में अनुमानतः कितनी हानि हो रही है; और

(घ) इस विषय में सरकार द्वारा किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1-7-1984 को 1508 अधबने माल डिब्बे विभिन्न निर्माण कम्पनियों में पड़े हुए थे जिसमें लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश निहित है।

(ख) इन माल डिब्बों पर पहिया सैंट लगाये जाने हैं।

(ग) यातायात के मन्दे सीजन होने से इन माल डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी वास्तविक हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पहिया सैटों के लिए जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय से विदेशी सप्लायरों के बन्दरगाहों पर पड़े हुए माल को जहाजों द्वारा अग्रता के आधार पर उठाने के लिए अनुरोध किया गया है। लगभग 6000 अदद बियरिंगों के लिए आयात की व्यवस्था की गई है ताकि देशी सप्लायरों द्वारा कम सप्लाई के कारण आई कमी को पूरा किया जा सके।

गर्भ धारण शक्ति कम होने के बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि होना

1670. **श्री चित्त महाटा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गर्भ धारण करने की कम शक्ति होने के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है क्योंकि जन्म दर में हुई कमी की तुलना में मृत्यु दर में काफी कमी हो रही है।

कैमिस्ट दुकानों के अखिल भारतीय बन्द के कारण

1671. **श्री सुबोध सैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट के अखिल भारतीय बन्द के आह्वान पर कैमिस्टों की दुकानें 27, 28 और 29 जुलाई, 1984 को बन्द रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो बन्द के क्या कारण हैं और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस संघ ने 27, 28 और 29 जुलाई, 1984 को कैमिस्टों की दुकानें बन्द रखने का आह्वान किया था ।

(ख) इस "बन्द" का आह्वान मुख्यतया पहली सितम्बर, 1984 से फ़ार्मेसी एक्ट के एस-42 के लागू करने के प्रस्ताव के विरुद्ध किया गया था, जो गैर-पंजीकृत फार्मेसिस्टों द्वारा दवाएं देने पर रोक लगाता है। यह उपबंध पहली सितम्बर, 1981 से लागू होना था, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त फार्मासिस्ट प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में राज्यों से अभ्यावेदन मिलने पर कानून द्वारा एक संशोधन करके इसे लागू करना तीन वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस स्थिति में अब काफी सुधार हो गया है और अब देश में लगभग 2 लाख फार्मासिस्ट उपलब्ध हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय प्रवेश परीक्षाएं

1672. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित सभी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इंजीनियरी में समान स्नातक योग्यता परीक्षण के आधार पर दाखिले किये जाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर स्नातक स्तर पर दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किये जाते हैं। परन्तु इस समय सभी इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं और पोलिटेक्निकों में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लेवी सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

1673. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लेवी सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इतनी अल्पावधि में दूसरी बार सीमेंट के मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं;

(ख) सीमेंट के मूल्य इतनी जल्दी बढ़ाने के क्या कारण हैं जबकि पिछली बार मूल्यों में 60-70 प्रतिशत वृद्धि की गई थी और सीमेंट के मूल्य अधिक होने का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या मूल्यों में बार-बार वृद्धि करने की इस प्रवृत्ति को रोका जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) सीमेंट पर आंशिक विनियंत्रण योजना लागू करने के बाद 28-2-1982 को साधारण/रेल भाड़ा मुक्त मूल्यों में संशोधन किया गया था तथा इनका पुनः निर्धारण किया गया था। तब से संधारण मूल्यों में संशोधन नहीं किया गया है। रेल भाड़ा बढ़ जाने के कारण 2-7-1983 से रेल भाड़ा मुक्त मूल्य में करीब 6% प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। निविष्टियों की लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप, उद्योग सीमेंट के संधारण मूल्यों में प्रति मी० टन सीमेंट पर 88.75 रुपये तक वृद्धि करने का अनुरोध कर रहा है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा इस अनुरोध की जांच की गई थी तथा ब्यूरो की रिपोर्ट की जांच के अनुसरण में उद्योग द्वारा लेवी सीमेंट के लिए दिए गए बचन में थोड़ी-सी छूट देने के साथ-साथ सीमेंट के संधारण मूल्य में 40 रुपये प्रति मी० टन की भावी बढ़ोतरी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। संधारण मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति तभी दी जाती है जब ऐसी वृद्धि करना न्यायोचित हो और इस प्रकार की वृद्धि करने की अनुमति देते समय उपभोक्ताओं के हितों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा शिक्षा में संशोधन

1674. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा में किस किस्म के परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्या असमानताएं हैं; और

(ग) इन असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिशें करने हेतु उसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति का गठन किया।

पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट मिलने पर एक शक्त-सम्पन्न समिति की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट विचार और आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को प्रस्तुत की।

उड़ीसा में पेपर सेलों को रियायती दरों पर कागज का आबंटन

1675. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघशासी क्षेत्रों में 1983-84 के दौरान स्थापित किए गए, पेपर सेलों को केन्द्र सरकार ने कुल कितने मीट्रिक टन रियायती दर पर कागज का आबंटन किया;

(ख) रियायती दर वाले इस कागज का किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य को आबंटित किया गया रियायती दर वाला कागज राज्य की वास्तविक मांग की तुलना में अत्यन्त कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या 1984-85 में उड़ीसा के लिए रियायती दर वाले कागज की सप्लाई बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को कुल 1,25,550 मी० टन सफेद मुद्रण कागज आबंटित किया गया था।

(ख) रियायती सफेद कागज राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है तथा यह उनके द्वारा स्कूली पाठ्य पुस्तकों, कापियों, परीक्षाओं तथा प्रौढ़ शिक्षा की सामग्री की छपाई जैसे शैक्षिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ग) से (ङ) कई वर्षों से, रियायती सफेद कागज सीमित मात्रा में उपलब्ध होता रहा है अतः कागज राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आबंटित नहीं किया जा सका।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सफेद मुद्रण कागज तिमाही आधार पर दिया जाता है न कि वार्षिक आधार पर। अप्रैल-जून तथा जुलाई, 1984-85 की तिमाहियों के लिए राज्य-वार आबंटन जारी कर दिया गया है। उड़ीसा राज्य सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आबंटन में वृद्धि का प्रश्न 1984-85 की बाकी तिमाही के दौरान सफेद मुद्रण कागज की उपलब्धता पर आधारित होगा, जो कागज (उत्पादन का विनियमन) संशोधन आदेश, 1983 में शामिल कागज मिलों की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है।

नेपाल में उद्योगों की स्थापना के लिए आशय-पत्र

1676. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल में उद्योगों की स्थापना के लिए कुछ भारतीय कम्पनियों को आशय-पत्र जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन भारतीय कम्पनियों को आशय-पत्र दिए गए हैं उनके नाम क्या हैं;

(ग) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए नेपाल सरकार ने आशय-पत्र जारी किए हैं, और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) नेपाल सहित विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की इच्छुक भारतीय कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। स्वीकृत भारतीय संयुक्त उपक्रमों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा इण्डियन जायंट वेन्चर एबाड स्टेट्स एण्ड गाइडलाइन्स नाम के शीर्षक में प्रकाशित किया गया है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लीबिया में उद्योग स्थापित करना

1677. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लीबिया में कुछ उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या लीबिया ने इसके लिए भारतीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है;

(ग) यदि हां, तो लीबिया में भारतीय सहयोग से स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) मई, 1984 में त्रिपोली में हुए भारतीय-लीबिया संयुक्त आयोग के पांचवे अधिवेशन के दौरान लीबियाई पक्ष ने तैयार कपड़ों, पेन्ट निर्माण जैसे उद्योगों को स्थापित करने, टायरों की फैक्ट्री के कार्य-संचालन इत्यादि में भारत के साथ सहयोग करने के लिए इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्ष

औद्योगिक अनुसंधान, खनिजों का पता लगाने तथा विदोहन के क्षेत्रों में सहयोग में विस्तार के लिए भी सहमत हो गये हैं।

(घ) प्रस्तावों को ठोस रूप देने के विचार से उपरोक्त सहयोग के ब्यौरों पर दोनों देशों के सम्बन्धित संगठनों द्वारा आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की योजना

1678. **श्री नबल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक उत्पादन करने के लिए योजना तैयार करने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक विकास विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 1983-84 के दौरान किये गये उत्पादन की अपेक्षा वर्ष 1984-85 में अपने उत्पादन में कम से कम 15 प्रतिशत वृद्धि करने की सलाह दी गई है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी और इनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च तथा मध्यम प्रबन्धकों द्वारा इनकी प्रभावशाली ढंग से मानीटरिंग की जायेगी।

लघु उद्योग बोर्ड की बैठक

1679. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गत माह लघु उद्योग बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस विचार-विमर्श का विशेषकर लघु क्षेत्र के लिए ऋण नीति के बारे में किये गये विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकाला;

(ग) क्या विशेषतः पश्चिम बंगाल में लघु एककों को संस्थागत वित्त न मिलने से ये एकक बुरी दशा में चल रहे हैं;

(घ) लघु क्षेत्र को वित्त देने की शर्तों में एकरूपता लाने के उपाय पुनः शुरू करने के लिए तथा लघु उद्योग को अधिक सावधिक ऋण देने के वर्तमान प्रावधानों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की 38वीं बैठक 9 तथा 10 मई, 1984 को हुई थी। बैठक में पर्याप्त और समय पर ऋण देने की समस्या, जिसमें बिलों का शीघ्र भुगतान सम्मिलित है, पर विशेष रूप से बल दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदायी संस्थानों को लघु औद्योगिक एककों तथा ग्रामीण/कुटीर उद्योगों को दिये जाने वाले सभी ऋणों को समरूप आधार पर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानने के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त जारी किये हैं अर्थात् ब्याज, अतिरिक्त राशि, वापसी की अवधि, आदि के मामले में रियायतों के अलावा इन उद्योगों की ऋण सम्बन्धी मांगों को कुछ प्राथमिकता देनी होगी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत आने वाले टायर और ट्यूब एककों का विस्तार

1680. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाले वर्तमान टायर और ट्यूब निर्माता एककों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अपनी वर्तमान क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है और क्षमता का कितना विस्तार करने की अनुमति दी गई है;

(ख) इन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने नये एकक लगाने के लिए आवेदन किया है, उनकी प्रस्तावित क्षमता क्या थी और कितनी क्षमता मंजूर की गई है, वह कहां पर स्थित है तथा उनमें उत्पादन आरम्भ होने की संभावित तारीख क्या है;

(ग) इस उद्योग के तेजी से विस्तार होने तथा समय-समय पर बहुत-सी रियायतें दिये जाने के साथ-साथ टायरों और ट्यूबों के मूल्य कम नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछली लागत लेखा-परीक्षा कब की गई थी और जहां तक मूल्य ढांचे में कमी का सम्बन्ध है, उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क)

एकक का नाम	विद्यमान लाइसेंसीकृत क्षमता (लाख संख्या)	स्वीकृत विस्तार (लाख संख्या)
1. मै० अपोलो टायर्स	4.00	2.00
2. मै० जे० के० इण्डस्ट्रीज लि०	6.87	6.25
3. —वही—	—	5.00*
4. मै० गुडईयर इण्डिया लि०	10.24	1.50*
5. मै० मोदी रबर लि०	12.77	1.25*
6. —वही—	—	4.00*
7. मै० सीएट टायर्स ऑफ इण्डिया लि०	17.12	4.00*
8. —वही—	—	6.00
9. मै० विक्रान्त टायर्स लि०	5.00	5.00
10. मै० एम० आर० एफ० लि०	18.00	5.00

(* केवल तिपहिया वाहनों के टायर और ट्यूब)

एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की निम्नलिखित दो कम्पनियों ने नये एककों की स्थापना के लिए आवेदन दिया है :

(ख) नाम	प्रस्तावित क्षमता (लाख संख्या)	स्वीकृत क्षमता (लाख संख्या)	स्थापना-स्थल
1. मै० अपोलो टायर्स लि०	8.25	8.25	जिला-पंचमहल गुजरात राज्य
2. मै० केसोराम रेयन्स एण्ड काटन मिल्स लि०	10.00	10.00	बालासौर जिला, उड़ीसा राज्य

टायर और ट्यूब परियोजना की पनपने की अवधि 5 से 6 वर्ष तक होती है।

(ग) और (घ) आटोमोबाइल क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ टायर उद्योग के विस्तार ने गति को बनाये रखा है। टायर और ट्यूबों पर कोई भी मूल्य नियन्त्रण नहीं है। नई टायर तथा ट्यूब परियोजना स्थापित करने की पूंजीगत लागत काफी अधिक होती है और कच्चे माल व परिवर्तन लागत में भी मूल्य-वृद्धि हुई है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने निविष्टि लागत के बारें में वर्ष 1978, 1981 तथा 1983 में अध्ययन किये हैं। लोक सभा में दिनांक 2 मई, 1984 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 888 के उत्तर में उल्लिखित विवरण के अनुसार औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से टायरों की लागत पर उत्पादन शुल्क के प्रभाव सहित टायर उद्योग के विद्यमान लागत-मूल्य ढांचे की जांच करने को कहा गया है।

डीलक्स मारुति कारों का उत्पादन और सप्लाई

1682. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मारुति ने डीलक्स कारों के सम्बन्ध में लाटरी के लिए विज्ञापन किया था;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान कुल कितनी डीलक्स मारुति कारों का उत्पादन और बिक्री की जायेगी;

(ग) इन तीन वर्षों में प्रति वर्ष इनमें से कितनी कारों को क्रमशः मारुति कार के लिए पंजीकृत उपभोक्ताओं, विदेशी मुद्रा के बदले तथा खुली बुकिंग के माध्यम से बेचा जायेगा;

(घ) इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक चरण ? शहर के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड सभी वैध आवेदनों से डीलक्स कारों के लिए क्रमहीन आधार पर कम्प्यूटर द्वारा आबंटन में प्राथमिकता निकालेगा।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) प्रत्येक चरण-I शहर का कोटा मोटे तौर पर प्रत्येक शहर में डीलक्स कारों की बुकिंग की संख्या के अनुपात में होगा। विदेशी मुद्रा के भुगतान के आधार पर बुक की गई कारों के लिए प्राथमिकता अखिल भारतीय सूची में निर्दिष्ट की जायेगी।

विवरण

डीलक्स कारों के आबंटन की योजनाएं

वर्ष	डीलक्स कारों में बदलने का विकल्प देने वाले साधारण कारों के विद्यमान आवेदकों को आबंटित की जाने वाली कारों की संख्या	देश में विदेशी मुद्रा भेजने पर आबंटित की जाने वाली कारों की संख्या	निर्माता के विवेकाधीन कोटे से आबंटित की जाने वाली कारों की संख्या	योग
1984-85	3000	800	200	4000
1985-86	4500	1200	300	6000
1986-87	अभी निश्चित की जानी है।			

"आटोमोबाइल" उद्योगों का उद्धार

1683. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "आटोमोबाइल" उद्योग को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान "आटोमोबाइल" उद्योगों द्वारा कितनी धनराशि का निर्यात किया गया;

(ग) क्या विदेशों में "आटो" उत्पादों की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्योग की स्थिति सुधारने और स्वदेशी मांग को पूरा करने के साथ-साथ निर्यात में वृद्धि के लिए भी सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा सुझाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आधुनिक तथा ईंधन-क्षम वाहनों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के विचार से सरकार ने क्षमता-विस्तार, प्रौद्योगिकी-उन्नयन, वित्तीय रियायतें इत्यादि जैसे अनेक कदम उठाये हैं।

(ख) 1982-83 के दौरान मोटरगाड़ी उद्योगों द्वारा लगभग 112 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। 1983-84 के आंकड़े अभी इकट्ठे किये जाने हैं।

(ग) तथा (घ) "आटो" उत्पादों के निर्यात के उचित अवसर हैं जिनके लिए स्वदेशी उद्योग बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स

1684. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्पेशियलाइड डिप्लोमा कोर्स चलाने वाली संस्थाओं की संख्या के बारे में 26 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5273 के उत्तर में सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स शैक्षिक सत्र 1984-85 से शुरू किया जा रहा है जिसका प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कोर्स को चालू वर्ष में शुरू करने के क्या कारण हैं और छात्रों के लाभ के लिए यह पाठ्यक्रम किस तारीख को शुरू किया जायेगा;

(घ) यह कोर्स अभी तक पूरे देश में केवल दो विश्वविद्यालयों में है, इसलिए क्या ऐसा कोर्स कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी शुरू करने का विचार है; और

(ङ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छठी योजना में दिल्ली विश्वविद्यालय में से रोजगार प्रधान कोर्सों के लिए कुछ व्यवस्था की है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव में चूंकि अतिरिक्त खर्चा शामिल था, अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को छठी योजना में दिल्ली विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की सलाह दी। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निरीक्षण समिति ने सुझाव दिया था कि नये पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के प्रस्तावों पर सातवीं योजना में विचार किया जाये।

(घ) और (ङ) नये शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये जाएंगे और सहायता के लिए उन्हें आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा। विशिष्ट पाठ्य-

क्रमों को आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई अलग आबंटन नहीं किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में होने वाले खर्च को निरीक्षण समितियों की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए संस्वीकृत सामान्य विकास अनुदानों में शामिल किया जाता है।

जामनगर रेलवे स्टेशन पर मूल सुविधाएं

1685. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में जामनगर में एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है और उसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि नये जामनगर रेलवे स्टेशन पर बैंच, पेयजल, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र, पक्की छत तथा पहुंच सड़क आदि जैसी मूल सुविधाओं के अभाव में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और कब तक ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जामनगर के नये स्टेशन पर प्लेटफार्म के ऊपर छत, बैंचें, पीने के पानी की सुविधाएं, पहुंच मार्ग तथा अस्थायी बुकिंग कार्यालय जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं जुटा दी गई हैं ताकि बड़ी लाइन के खुलने के साथ ही स्टेशन काम आरम्भ कर सकें। स्टेशन की इमारत का निर्माण आरम्भ हो चुका है। सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय के लिए, जिसकी व्यवस्था डाक और तार विभाग द्वारा की जानी है, स्थानीय चैम्बर आफ कामर्स ने डाक और तार विभाग से लिखा-पढ़ी की है।

सभी आवश्यक सुविधाओं सहित स्टेशन को नियमित इमारत 1985 के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

जामनगर से दिल्ली, मद्रास और हावड़ा के लिए आरक्षण कोटा

1686. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जामनगर शहर में लघु उद्योगों के सम्बन्ध में औद्योगिक शहर होने और तीनों सेनाओं के प्रतिष्ठान होने के कारण वहां से यातायात बढ़ गया है;

(ख) जामनगर से दिल्ली, मद्रास और हावड़ा के लिए सीटों/सायिकाओं का वर्तमान आरक्षण कोटा कितना है और क्या यह मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है; और

(ग) क्या इन लाइनों पर भारी यातायात को देखते हुए सरकार आरक्षण कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी और जामनगर से दिल्ली, मद्रास और हावड़ा जाने वाली प्रत्येक रेलगाड़ी में एक पूरा डिब्बा आबंटित करेगी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न गाड़ियों में दिल्ली, मद्रास तथा हावड़ा के लिए जामनगर स्टेशन को आबंटित आरक्षित स्थान का कोटा इस प्रकार है :

गाड़ी संख्या	के लिए	आबंटित कोटा: पहले दर्जे में शायिकाएं	आबंटित कोटा: दूसरे दर्जे में शायिकाएं
	दिल्ली		
16 अप सौराष्ट्र जमना एक्सप्रेस		4	10
2 डाउन दिल्ली मेल			
181 डाउन सर्वोदय एक्सप्रेस		—	6
506 डाउन आश्रम एक्सप्रेस		—	12
	हावड़ा		
16 अप सौराष्ट्र एक्सप्रेस			
(I) (पोरबन्दर-हावड़ा कोच में)			
	शनिवार, मंगलवार तथा बृहस्पतिवार को	—	6
	इतवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को	—	9
(II) 133 डाउन अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस		1	6+(2 सीटें)
	मद्रास		
145 डाउन नवजीवन एक्सप्रेस		—	12
903 डाउन अहमदाबाद त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस		—	10

इन कोडों से हावड़ा तथा मद्रास के लिए आरक्षण की मांगें पर्याप्त रूप में पूरी हो जाती हैं । बहरहाल दिल्ली के लिए कुछ मांगें पूरी नहीं की जा सकती हैं । 181 अप सर्वोदय एक्सप्रेस में दूसरे

दर्जे में इस स्टेशन के मौजूदा छः शायिकाओं के कोटे को बढ़ाकर आठ शायिकाओं का किया जा रहा है और 15-9-1984 से इसी गाड़ी में पहले दर्जे में 2 शायिकाओं का नया कोटा भी आबंटित किया जा रहा है।

यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए जामनगर से दिल्ली, मद्रास और हावड़ा के लिए किसी भी दर्जे का पूरा सवारी डिब्बा चलाने के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है।

मिजोरम में मेडिकल कालेजों की स्थापना

1687. **डा० आर० रोथूआमा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निकट भविष्य में मिजोरम में मेडिकल कालेजों की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को मिजोरम में ऐसे कालेज खोले जाने की तत्काल आवश्यकता के सम्बन्ध में मिजोरम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मिजोरम सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में कैंसर का निदान करने और उसके इलाज के केन्द्र तथा कैंसर के कारणों के सम्बन्ध में अनुसन्धान

1688. **श्री नवीन रावणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने अत्याधुनिक कैंसर निदान और चिकित्सा केन्द्र किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कैंसर के मामलों में हर वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस घातक बीमारी के फैलने के कारण जानने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) क्या इस रोग पर नियन्त्रण हेतु देश में और अधिक कैंसर निदान और चिकित्सा केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में जो 10 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र खोले गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

1. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता।
2. कैंसर संस्थान, मद्रास।
3. इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
4. गुजरात कैंसर और अनुसन्धान केन्द्र, अहमदाबाद।
5. किदवई मैमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकालॉजी, बंगलौर।
6. कैंसर अस्पताल और अनुसन्धान संस्थान, ग्वालियर।
7. कैंसर अनुसन्धान और उपचार का क्षेत्रीय केन्द्र, कटक।
8. डा० बी० बी० कैंसर संस्थान, गोहाटी।
9. मेडिकल कालेज कैंसर विंग, त्रिवेन्द्रम्।
10. टाटा मैमोरियल कैंसर केन्द्र, बम्बई।

इनके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसन्धान परिषद् का मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में एक स्थाई संस्थान (साइकालॉजी अनुसन्धान केन्द्र) है जहां पर एक मुख्य कार्य गर्भाशय ग्रीवा (जोकि भारतीय महिलाओं में आम कैंसर है) के कैंसर का आरम्भिक निदान और बहु-औषध तरीकों द्वारा गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर-पूर्व विक्षतियों के प्राकृतिक इतिहास पर अध्ययन करना है।

प्रथम 9 कैंसर केन्द्रों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है और बम्बई स्थित 10वां केन्द्र परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है। इस विभाग द्वारा इसे वित्तीय सहायता दी जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त देश के 142 अस्पतालों में कैंसर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चूंकि कैंसर न तो सूचनीय रोग है और न ही पंजीकरणीय, इसलिए राष्ट्रीय आधार पर कैंसर की घटनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, बम्बई कैंसर रजिस्ट्री से सन् 1964 से महानगर क्षेत्र के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध हैं। इसके अनुसार कैंसर के प्रकोप में मामूली वृद्धि हुई है। आयु मानकों के अनुसार यह संख्या प्रति 100000 पुरुषों पर 137.7 (1964-72) और 14.2 (1975-78) और प्रति 100000 महिलाओं पर 122.7 (1964-72) और 129.0 (1975-78) थी।

(ग) कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है और इसके बहुत से कारण होते हैं। वैसे, यह माना जाता है कि भारतीय पुरुषों में कैंसर (ओरल कैविटी, फैरिन्गस, लग्स एण्ड इसोफेगस) आमतौर पर तम्बाकू का किसी न किसी रूप (चबाने या पीने आदि) में उपयोग करने से होता है। इस प्रकार का कैंसर आमतौर पर महिलाओं में भी पाया जाता है। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होने के जो कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, उनमें थोड़ी आयु में शादी करना और अत्याधिक प्रसविता शामिल है।

विवरण

कैंसर के रोगियों को उपचार की सुविधाएं देने वाले संस्थानों/अस्पतालों की सूची

आन्ध्र प्रदेश :

1. मेहदी नवाज जंग,
   कैंसर अस्पताल,
   हैदराबाद,
   आन्ध्र प्रदेश।

2. एम० जी० एम० अस्पताल,
   वारंगल,
   आन्ध्र प्रदेश।

3. गवर्नमेंट जनरल हास्पीटल,
   काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश।

4. गवर्नमेंट सेन्ट्रल अस्पताल,
   गंटूर, आन्ध्र प्रदेश।

5. गवर्नमेंट सेन्ट्रल
   जनरल अस्पताल, करनूल, आन्ध्र प्रदेश।

6. एस० वी० आर० आर० अस्पताल,
तिरुपती, आन्ध्र प्रदेश ।

7. किंग जार्ज अस्पताल,
विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश ।

8. गांधी अस्पताल,
सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।

असम :

9. असम मेडिकल कालेज और अस्पताल,
डिब्रूगढ़, असम ।

10. गोहाटी मेडिकल कालेज और अस्पताल,
गोहाटी ।

11. डा० वी० बुक कैंसर संस्थान,
गोहाटी ।

बिहार :

12. मेडिकल कालेज और अस्पताल,
पटना ।

13. मेडिकल कालेज और अस्पताल,
दरभंगा ।

14. मेहरबाई टाटा मेमोरियल अस्पताल,
जमशेदपुर ।

गुजरात :

15. एम० पी० शाह कैंसर अनुसन्धान संस्थान,
अहमदाबाद ।

16. सिविल अस्पताल,
अहमदाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

17. सेठ वादीलाल सावाभाई जनरल अस्पताल,
अहमदाबाद ।

18. इरविन ग्रुप आफ हास्पीटल,
जामनगर ।

19. श्री सयाजी जनरल हास्पीटल,
बड़ौदा ।

20. सर टी० अस्पताल, भावनगर ।

21. गवर्नमेंट अस्पताल, राजकोट ।

22. नथालाल पारेख कैंसर अस्पताल,
राजकोट ।

23. लाइन्स कैंसर डिटैक्सयन केन्द्र,
सूरत ।

24. सिविल अस्पताल, जूनागढ़ ।

हरियाणा :

25. मेडिकल कालेज और अस्पताल, रोहतक ।

जम्मू व कश्मीर :

26. एस० एम० एच० एस० अस्पताल,
श्रीनगर ।

27. एस० एम० जी० एस० अस्पताल,
जम्मू ।

हिमाचल प्रदेश :

28. एच० पी० अस्पताल,
स्नोडोन, शिमला ।

कर्नाटक :

29. विक्टोरिया हास्पीटल,
बंगलौर ।

30. डौरिंग और लेडी करजन अस्पताल,
बंगलौर ।

31. किदवाई मेमोरियल,
कैंसर रिलीफ रिसर्च और ट्रेनिंग इन्स्टीट्यट,
बंगलौर।

32. जे० एल० एन० मेडिकल कालेज और सिविल
अस्पताल, बेलगांव।

33. मेडिकल कालेज और अस्पताल,
बैलिनरी, कर्नाटक।

34. के० मेडिकल कालेज और अस्पताल,
हुबली, कर्नाटक।

35. गवर्नमेंट बैनलोक अस्पताल,
मंगलौर, कर्नाटक।

36. कर्नाटक कैंसर थैरापुट,
रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हुबली।

37. कस्तूरबा मेडिकल कालेज और अस्पताल,
मनीपाल, कर्नाटक।

केरल :

39. मेडिकल कालेज अस्पताल,
त्रिवेन्द्रम।

40. मेडिकल कालेज अस्पताल,
कोजीकोडे।

41. मेडिकल कालेज अस्पताल,
कोट्टायम।

42. जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम।

मध्य प्रदेश :

43. हमीदला अस्पताल,
भोपाल, मध्य प्रदेश।

44. शशिकया ग्यारे पंज ट्रस्ट,
कैंसर अस्पताल, इन्दौर।

45. कैंसर हास्पीटल और मेडिकल कालेज,
जबलपुर।

46. जे० ए० ग्रुप आफ अस्पताल,
ग्वालियर।

47. कैंसर अस्पताल और रिसर्च अनुसन्धान,
ग्वालियर।

48. गांधी मेमोरियल कैंसर हास्पीटल,
रेवा।

49. डी० के० अस्पताल,
राजपुर।

50. कैंसर अस्पताल,
राजपुर।

51. रतन मसीही चिकित्सालल,
राजपुर।

52. क्रिश्चियन अस्पताल,
मुंगेली, विलासपुर।

महाराष्ट्र :

53. बी० वाई० एल० चैरीटेबुल हास्पिटल,
बम्बई-400008.

54. टाटा मेमोरियल हास्पिटल,
परेल बम्बई-400012.

55. महात्मा गांधी मेमोरियल हास्पिटल,
परेल बम्बई-400012.

56. के० ई० एम० हास्पिटल,
परेल बम्बई-400012.

57. बम्बई हास्पिटल,
बम्बई-400020.

58. एल० टी० एम० जी० हास्पिटल व मेडिकल कालेज,
बम्बई-400022.

59. जसलोक अस्पताल और रिसर्च सेंटर पेद्दार रोड,
बम्बई-400026.

60. डा० बाला भाई नानावती अस्पताल,
बिले-पारेल (पश्चिम)
बम्बई-400056.

61. गोकुल दास तेजपाल अस्पताल,
बम्बई।

62. एस० टी० जार्च अस्पताल,
बम्बई।

63. सेन्ट्रल रेलवे अस्पताल,
बम्बई।

64. मेडिकल कालेज अस्पताल,
नागपुर।

65. डोगा मेमोरियल अस्पताल,
नागपुर।

66. माया जनरल अस्पताल,
नागपुर।

67. संत तुकोडजी अस्पताल,
नागपुर।

68. शाहकारी रुग्णालय,
नागपुर।

69. ससून कनरल अस्पताल,
बी. जे. मेडिकल कालेज,
पूणे।

70. कमांड हास्पिटल दक्षिणी कमांड,
पूणे।

71. मीराज मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
मीराज, महाराष्ट्र-416410.

72. ओनलेश अस्पताल, एम० एम० सी०
मीराज।

73. जिला अस्पताल,
अमरावती।

74. साल्वाशन आर्मी अस्पताल,
अहमदनगर।

75. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
औरंगाबाद।

76. एस० आर० टी० आर० मेडिकल कालेज,
अम्बाजुगाई, जिला-भीर।

77. जिला अस्पताल,
जलगांव।

78. जेनरल अस्पताल,
सांगली।

79. डा० वी० एम० मेडिकल कालेज,
सोलापुर।

80. दनराज गीरिजी अस्पताल,
सोलापुर।

81. जिला गवर्नमेंट जेनरल हास्पिटल,
सोलापुर।

82. श्री सिद्धेश्वर कैंसर अस्पताल एण्ड
रीसर्च सेंटर, होटजी रोड,
सोलापुर-413003.

83. जिला अस्पताल,
वर्धा ।

84. महात्मा गांधी इनसिच्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज,
सेवाग्राम, वर्धा ।

मेघालय :

85. काशी हिल्स वेल्स मशीन हास्पिटल,
शिलौंग, मेघालय ।

उड़ीसा :

86. कैंसर इन्सच्यूट,
एस० सी० बी० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
कटक, उड़ीसा ।

87. वी. एस. एस. मेडिकल कालेज हास्पिटल,
बुर्ला, संभलपुर ।

88. एम. के. जी. जी. मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
ब्रह्मपुर, उड़ीसा ।

पंजाब :

89. श्री गुरु तेग बहादुर अस्पताल,
अमृतसर ।

90. राजीन्द्रा हास्पिटल,
पटियाला ।

91. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, बी. एम. हास्पिटल,
लुधियाना ।

92. दयानन्द मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,
लुधियाना ।

93. सिविल हास्पिटल,
गुरदासपुर ।

94. सिविल हास्पिटल,
बटाला, पंजाब।

राजस्थान :

95. जे. एल. एन. हास्पिटल,
अजमेर-305001.

96. पी. बी. मेंस हास्पिटल,
बिकानेर-334001.

97. एस. एम. एस. हास्पिटल,
जयपुर-302001.

98. एम. जी. हास्पिटल,
जोधपुर-342001.

99. उभेद हास्पिटल,
जोधपुर-342001.

100. जेनरल हास्पिटल,
उदयपुर।

101. एसोशिएशन ग्रुप आफ हास्पिटल,
उदयपुर-313001.

तमिलनाडु :

102. कैंसर इनसिच्यूट (डब्ल्यू. आई. ए.) अदयार,
मद्रास-600020.

103. इन्टरनेशनल कैंसर सेंटर, नेऔर,
कन्याकुमारी-629802.

104. इनसिच्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ एण्ड हास्पिटल फॉर
चिल्ड्रेन, इगमोर, मद्रास।

105. गवर्नमेंट हास्पिटल फॉर वोमेन एण्ड चिल्ड्रेन,
मद्रास।

106. बी. एस. आर. एम. लयान्ग हास्पिटल,
मद्रास ।

107. सरकारी जनरल अस्पताल,
वर्नाड इन्स्टीट्यूट ऑफ रेडियोलाजी,
मद्रास ।

108. राजकीय रायपेड अस्पताल,
मद्रास ।

109. राजकीय स्पेनली अस्पताल,
मद्रास ।

110. किलपाक मेडिकल कालेज और अस्पताल,
मद्रास ।

111. राजकीय ईराकिन अस्पताल,
मदुरई ।

112. कुप्पू स्वामी नायडू मेमोरियल अस्पताल,
कोयम्बटूर ।

113. चिंगलपेट मेडिकल कालेज और अस्पताल,
चिंगलपेट ।

114. अरीगनार अन्ना कैंसर संस्थान,
कांजीपुरम ।

115. तंजौर मेंडिकल कालेज और अस्पताल,
तंजौर ।

116. तिरुनेलोवेली मेडिकल कालेज और अस्पताल,
तिरुनेलवेली ।

117. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज और अस्पताल,
वैल्लौर ।

118. जी० बी० अस्पताल, अगरतला ।

119. सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा ।

120. कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद ।

121. गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटिड अस्पताल, लखनऊ।

122. जे० के० इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी एण्ड कैंसर, कानपुर।

123. सर सुन्दरपाल अस्पताल, आयुर्विज्ञान संस्थान, वाराणसी ।

124. लावेट अस्पताल, रामनगर, वाराणसी ।

125. मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता ।

126. आर० जी० कार मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता ।

127. नील रतन सिरकार मेडिकल कालेज और अस्पताल, कलकत्ता ।

128. चितरंजन अस्पताल, कैंसर अस्पताल, कलकत्ता ।

129. सेठ सुखमल कारनानी मेमोरियल अस्पताल, कलकत्ता।

130. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

131. मेडिकल कालेज और अस्पताल, पणजी ।

132. मोसालिया मेमोरियल अस्पताल, और अनुसंधान संस्थान, डोनापोला, पणजी ।

133. असीले अस्पताल, भापूसा पणजी।

134. जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी ।

135. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

136. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।

137. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली।

138. श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली।

139. लोकनायक जय प्र काश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली।

140. गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, नई दिल्ली ।

141. होली फैमिली अस्पताल, नई दिल्ली।

142. उत्तर रेलवे सैंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली।

पूर्वी रेलवे में रेलवे परियोजनाओं/निर्माण कार्य में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

1689. **श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री** नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किए जाने के बारे में 19 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8310 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे प्रत्येक डिवीजन में जनवरी, 1984 से जून, 1984 तक चतुर्थ श्रेणी के कितने रिक्त पद नैमित्तिक मजदूरी की समीक्षा करके और उनको खपा कर भरे गए तथा रेलवे परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में कितने श्रमिकों को काम पर लगाया गया।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1983 से मार्च, 1984 तक मुख्य रेल मार्गों, शाखा मार्गों, इंजन शेडों, यार्डों, कोयला खानों और अन्य क्षेत्रों में हुई रेल दुर्घटनाएं

1690. **ए० के० राय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से मार्च, 1984 तक मुख्य रेल मार्गों, शाखा मार्गों इंजन शेडों, यार्डों, कोयला खानों तथा अन्य क्षेत्रों में कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं तथा तत्सम्बन्धी मण्डल-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) विशेषकर मुख्य रेल मार्गों पर दुर्घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन दुर्घटनाओं के कारण जान-माल की कितनी हानि हुई है; और

(घ) मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनवरी, 1983 से मार्च, 1984 तक भारती रेलों पर मंडल-वार गाड़ी दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे/मंडल	दुर्घटनाओं की संख्या				
	मुख्य लाइन	शाखा लाइन	लोको शेड	यार्ड	कोयला-खान साइडिंग सहित अन्य साइडिंग
1	2	3	4	5	6
मध्य					
बम्बई	11	—	13	273	62
भुसावल	14	3	38	284	36
झांसी	27	18	20	371	20
जबलपुर	10	4	2	248	3
नागपुर	11	1	5	135	36
सोलापुर	9	11	3	106	9
पूर्व					
आसनसोल	6	1	—	108	113
धनबाद	18	3	—	53	35
दानापुर	7	10	*	55	—
हावड़ा	26	4	6	193	51
मुगलसराय	10	2	—	37	—
सियालदह	5	5	1	50	7

1	2	3	4	5	6
उत्तर					
इलाहाबाद	22	4	25	475	80
बीकानेर	12	6	7	118	—
दिल्ली	25	8	175	1049	77
फिरोजपुर	3	10	102	74	—
जोधपुर	5	—	4	44	—
मुरादाबाद	9	6	24	191	17
पूर्वोत्तर					
इज्जत नगर	6	2	5	17	—
लखनऊ	7	7	5	83	3
समस्तीपुर	2	3	9	25	—
सोनपुर	6	—	—	5	—
वाराणसी	6	4	5	40	8
पूर्वोत्तर सीमा					
कटिहार	17	10	1	226	
अलीपुरद्वार	21	10	—	201	
लमडिंग	22	38	—	61	
तिनसुकिया	8	12	—	82	
दक्षिण					
मद्रास	8	—	—	450	39
पालघाट	6	—	—	162	18
तिरूवनंतपुर	9	—	—	125	13

1	2	3	4	5	6
बेंगलूर	21	1	—	94	—
मैसूर	4	5	—	19	—
तिरुचिरापल्ली	8	9	—	31	1
मदुरै	5	8	—	42	—
दक्षिण मध्य					
सिकन्दराबाद	21	2	—	77	1
हैदराबाद	24	2	—	131	—
गुंतकल्ल	17	—	—	39	1
विजयवाड़ा	18	1	—	28	—
हुबली	15	18	—	34	—
दक्षिण पूर्व					
आद्रा	11	20	5	233	130
बिलासपुर	3	9	15	160	66
चक्रधरपुर	14	28	—	296	14
खड़गपुर	—	—	—	113	—
खोरधारोड	2	—	—	10	1
नागपुर	—	2	—	180	—
वालटेर	2	12	—	54	—
पश्चिम					
अजमेर	9	8	—	157	—
बम्बई	3	1	4	100	4
भावनगर	9	2	—	45	13

1	2	3	4	5	6
जयपुर	11	4	—	56	—
कोटा	1	1	—	113	—
राजकोट	6	4	8	186	—
रतलाम	7	13	9	240	—
बडोदरा	6	10	16	780	26

(ख) उक्त अवधि में जनवरी, 1982 से मार्च, 1983 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम थी।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 239 व्यक्ति मारे गए। इन दुर्घटनाओं में, अधिकांशत: सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही की वजह से समपार दुर्घटना में मारे गये 117 व्यक्ति तथा तीन दुर्घटनाओं अर्थात हावड़ा में हुई टक्कर, तोड़फोड़ के कारण मण्डी गोविन्दगढ़ में गाड़ी के पटरी से उतरने और बहादुरगढ़ में हुई टक्कर में मारे गये 79 व्यक्ति शामिल थे। रेल सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान 10.49 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं :—

1. गहन तथा अर्थपूर्ण निरीक्षणों द्वारा सभी स्तरों के कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता का स्तरों का बढ़ाना,

2. दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई,

3. चरणबद्ध तरीके से मानवीय सतर्कता बढ़ाने के लिए रेलपथ-परिपथ, गाड़ी गुजर जाने के बाद सिगनलों का स्वचालित बदलाव, आदि जैसे अधिक प्रौद्योगिकीय यंत्रों की व्यवस्था,

4. सहायक चेतावनी प्रणाली की स्थापना जो खतरे के सिगनल पर ड्राइवर द्वारा ध्यान न दिए जाने पर पहले श्रव्य दृश्य चेतावनी देती है और अन्त : गाड़ी को रोक देती है,

5. उपलब्ध साधनों के भीतर चल-स्टाक तथा रेलपथ की पुन: स्थापना,

6. समपारों को पार करते समय सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों के अनुपालन हेतु राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क,

7. बिना चौकीदारी वाले समपारों पर, जहां आवश्यक हो, उत्तरोत्तर चौकीदार की व्यवस्था करना और चौकीदार वाले व्यस्त समापारों के फाटकों पर अंतर्पाशन, लिफ्टिंग बैरियर आदि की व्यवस्था।

8. डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थों के ले जाने के खतरों, समापारों को पार करते समय सावधानी बरतने आदि के बारे में।

इश्तिहारों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए शिक्षाप्रद विचार।

क्या मेडिकल कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद की पुर्वानुमति

1691. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारती चिकित्सा परिषद अधिनियम में नया मेडिकल कालेज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति का इस समय कोई उपबन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेने और, यदि आवश्यक हो, तो संगत अधिनियम में संशोधन करने का परामर्श देना उपयुक्त नहीं होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वर्तमान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन करने की सिफारिशों हेतु उसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने सितम्बर, 1981 में एक चिकित्सा शिक्षा पुनरीक्षा समिति का गठन किया। पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट मिलने पर एक शक्ति-सम्पन्न समिति की नियुक्ति की गई जिसने अपनी रिपोर्ट विचार और आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार को प्रस्तुत की।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा साधारण बसों को डीलक्स बसों के रूप में चलाया जाना

1692. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-परिवहन निगम द्वारा किराए पर ली गई निजी बसों को एक रुपये वाली डीलक्स बस निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि टूटी-फूटी बसों की भी रूट संख्या 602, 864, 865 और अन्य रूटों पर डीलक्स के रूप में चलाया जा रहा है;

(ग) क्या व्यस्त घण्टों के दौरान तथा अन्य समय भी उन बसों में इतनी अधिक भीड़-भाड़ रहती है कि यात्री जानवरों से भी बुरी तरह भरे रहते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार डीलक्स बसों में खड़े होने वाले यात्रियों की सीमा निर्धारित करने और अधिक बसें लगाकर इस प्रकार की भीड़-भाड़ को कम करने एवं यात्रियों को राहतें पहुंचाने तथा यात्रा को आरामदायक बनाने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सिर्फ ऐसी बसें, जो डीलक्स बसों की विशिष्टियों के अनुरूप हैं (बैठने की व्यवस्था, सीटों के बीच पैर रखने की जगह, सीटों और पर्दे की क्वालिटी आदि) उन बसों को, यथोचित जांच करने के बाद इस श्रेणी में लगाया जाता है। इन बसों का निर्धारित समय पर निरीक्षण किया जाता है और जिन बसों को डीलक्स के रूप में चलाने के अयोग्य पाया जाता है, उन्हें साधारण श्रेणी में डाल दिया जाता है। जांच करने से पता चला है कि निर्धारित मानक के अनुसार रूट सं०-602, 864 और 865 पर चलने वाली कुछ बसें डीलक्स बसों के रूप में चलाने के योग्य नहीं है। नियमानुसार उन बसों के स्थान पर निर्धारित मानक की बसें लगाने के लिए अलग से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) यह सच है कि भीड़-भाड़ के समय डीलक्स बसों सहित अन्य बसों में भी काफी भीड़-भाड़ होती है।

(घ) और (ड़) मोटर यान अधिनियम, 1939 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा बसों की बैठने की क्षमता और अन्य विशिष्टि अनुमोदित की जाती है। दिल्ली में भीड़-भाड़ के समय यातायात के एक तरफा यातायात के स्वरूप के कारण भीड़-भाड़ वाले समय में भीड़ कम करना सम्भव नहीं है। जहां तक भीड़-भाड़ वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें लगाने का सम्बन्ध है, यह सड़क की क्षमता और यातायात मानदण्ड तथा बसों को बदलने/अतिरिक्त बसें लगाने की सकल जरूरत के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर है। तथापि, निगम अधिक भीड़-भाड़ वाले समय में, यात्रियों की सुविधा के लिए रूटों पर अतिरिक्त ट्रिप लगाने और अधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों से विशेष ट्रिप शुरू करने के लिए हर सम्भव प्रयास करता है।

सीटें बेचने वाले प्राइवेट मेडिकल कालेजों और इन्जीनियरिंग कालेजों का अधिग्रहण करना

1693. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में प्राइवेट मेडिकल कालेज और प्राइवेट इन्जीनियरिंग कालेज चलाए जा रहे हैं और वे अपनी सीटें 2-2 लाख रुपए में बेच रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के कितने कालेज चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कालेजों का अधिग्रहण कर लिया है अथवा वह उनका अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकारें अभी भी प्राइवेट एजेंसियों को इस प्रकार के और अधिक कालेज खोलने की अनुमति दे रही है, यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस प्रकार की अनुमति देने से रोकने और वर्तमान कालेजों को नियमित करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों में प्राइवेट, मेडिकल और इन्जीनियरी कालेज प्रति व्यक्ति शुल्क/ऊंची फीस वसूल कर रहे हैं। दाखिले के लिए इन कालेजों द्वारा वास्तव में कितनी राशि ली गई इसका पता लगाना कठिन है।

(ख) जहां तक इन्जीनियरी कालेजों का सम्बन्ध है, कर्नाटक में 27 कालेज और महाराष्ट्र में 52 कालेज हैं। जहां तक मेडिकल कालेजों का सम्बन्ध है, ये कर्नाटक में 7 हैं तथा महाराष्ट्र में 3 और पंजाब एवं आन्ध्र प्रदेश में एक कालेज है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 29 मई, 1984 को हुई अपनी पिछली बैठक में, तकनीकी संस्थाओं में प्रचुर मात्रा में व्याप्त अव्यवस्था के बारे में फिर से गम्भीर चिंता व्यक्त की और यह सिफारिश की कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएं कि इसके बाद ऐसी गड़बड़ी को रोका जाए और जो संस्थान अब तक अस्तित्व में आ चुके हैं उनमें अनुमोदित शैक्षणिक नियन्त्रण और विनियमन होना चाहिए। परिषद ने आगे यह भी सिफारिश की कि इन संस्थाओं को व्यावहार्यता के मामले को, जो पहले ही शुरू किया जा चुका है, जांच शीघ्र की जाए और इस प्रयोजन के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया जाए बशर्ते कि सम्बन्धित राज्य सरकार निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करें :

(क) कि भावी विस्तार केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मार्गदर्शी रूप-रेखाओं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन से ही होगा।

(ख) सांविधिक आरक्षणों को छोड़कर सभी दाखिले योग्यता के आधार पर होंगे।

(ग) उचित शुल्क वसूल किया जाएगा और यह अधिकांश छात्रों की क्षमता से बाहर नहीं होगा; और

(घ) संस्थानों के रख-रखाव और विकास के लिए आवश्यक प्रावधान राज्य की अपनी-अपनी योजनाओं में कर दिया जाएगा।

परिषद ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि कार्यकारी दल को सम्पूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और प्रत्येक संस्थान के सम्बन्ध में अपनी-अपनी क्षेत्रीय समितियों द्वारा इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करने के लिए प्रथक प्रथक रूप से समुचित सिफारिशें करनी चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की इन सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित उपाय किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक 1984 को भी लागू कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क मान निर्धारित करने और इसे लागू करने का अधिकार दिया गया है ताकि प्रति व्यक्ति शुल्क की वसूली को रोका जा सके।

जाली दावों के कारण रेलवे को हानि

1694. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 मई, 1984 के ब्लिज में "रेलवेज लास करोरर्स इन वोगस क्लेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलवे ने अपनी कुल आय की तुलना में किस अनुपात में मुआवजों की अदायगी की; और

(ग) सरकार द्वारा सुधार हेतु इस प्रकार के कदाचारों में यदि रेलवे के अधिकारी शामिल हैं तो उनके विरुद्ध क्या उचित कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में अर्जित शुद्ध राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के दावों की भुगतान की गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	क्षतिपूर्ति दावों की भुगतान की गई राशि	शुद्ध राजस्व की राशि
1980-81	14.04	127.49
1981-82	19.90	403.06
1982-83	21.93	554.30

यह उल्लेखनीय है कि क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान की राशि की तुलना माल यातायात से होने वाली आमदनी के साथ अधिक संगत है क्योंकि ये दावे कुल मिलाकर माल यातायात के कारण ही उत्पन्न होते हैं। माल यातायात से होने वाली आमदनी से क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान का प्रतिशत नीचे दिये अनुसार बैठता है :

1980-81	1981-82	1982-83
0.81/	0.80/	0.70/

(ग) सरकार दावों की घटनाओं की रोकथाम के लिए अनेक उपाय करती रही है। वे अब भी जारी हैं और इन्हें तेज किया जा रहा है। प्रक्रियाओं को भी युक्तियुक्त बनाया गया है ताकि झूठे दावों के भुगतान की कोई सम्भावना न रहे। किए गए महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) भेद्य खण्डों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्नों, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली माल-गाड़ियों को रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा मार्गरक्षण।

(ii) भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कार्मियों द्वारा गश्त लगाना।

(iii) अपराध आसूचना एकत्रित करना और अपराधियों का तथा चुराए गए सामान को प्राप्त करने वालों का पता लगाने की दृष्टि से केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, रेलवे बोर्ड के साथ-साथ रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारियों द्वारा अचानक छापे मारना।

(iv) मूल्यवान पन्यों वाले माल-डिब्बों को पी पी ताले लगाना और उनमें रिपट लगाना।

(v) आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों तथा पुनः पैकिंग शेडों में गहन पर्यवेक्षण।

(vi) निम्नलिखित कार्रवाई के पश्चात क्षतिपूर्ति के दावों का निपटान करना—

(क) रेलवे रसीदों, बीजक, न्यूनता/क्षति प्रमाण पत्र आदि जैसे सम्बद्ध कागजातों और दावेदारों से अपेक्षित अन्य सूचना की छानबीन करना।

(ख) बाजार मूल्य का सत्यापन।

(ग) (क्षति और कमी) सन्देश से मिला कर देखना।

(घ) दावा और वाणिज्य निरीक्षकों द्वारा मामले की जांच-पड़ताल।

(vii) जहां कहीं यह प्रमाणित हो जाये कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही अथवा अन्य वाणिज्यिक अनियमितता के कारण दावे की नौबत आयी है वहां कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित करना और उन्हें दण्डित करना।

(viii) रेलों के वाणिज्य, सुरक्षा और सतर्कता विभागों के अधिकारियों द्वारा जांच ।

(ix) खतरनाक अपराधियों और रेलवे की चुरायी गयी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ा जाता है ।

(x) चोरियों और उठाईगीरी के मामलों में शामिल पाए गए रेल कर्मचारियों और रेल सुरक्षा बल कर्मियों के विरुद्ध या तो मुकदमा चलाया जाता है अथवा विभागीय कार्रवाई की जाती है जो प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्य पर निर्भर है।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का असन्तोषजनक कार्यकरण और औषधियों की कमी

1695. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में दिनांक 19 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "सी० जी० एच० एस० नांट इन बेस्ट हैल्थ" शीर्षक समाचार देखा है;

(ग) क्या यह सच है कि डाक्टरों द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं में से 40 प्रतिशत तक औषधियां तुरन्त स्टाक में उपलब्ध नहीं होतीं;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में सी० जी० एच० एस० लाभार्थियों के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री, (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) नहीं ।

(ख) हां ।

(ग) से (ङ) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की फारमुलेरी में शामिल दवाइयों की कोई कमी नहीं है । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को और पलंग उपलब्ध कराने के वास्ते लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में अन्तरंग सुविधाएं, जो वहां पहले नहीं थीं, प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन के साथ व्यवस्था कर दी गई है ।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति

1696. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच उक्त प्रारूप तैयार हो गया है;

(ग) उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय पुस्तक नीति को कब अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं । भारतीय पुस्तक उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा सितम्बर, 1983 में राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद का पुनर्गठन किया गया था और भारत सरकार के संकल्प के अनुसार परिषद के कार्यों में एक कार्य राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करना भी है जिसमें पाठकों की रुचियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रतिबिम्बित होता हो ।

(ख) और (ग) जी, नहीं ।

(घ) परिषद की अब तक दो बैठकें हो चुकी हैं । अप्रैल, 1984 में हुई इसकी दूसरी बैठक में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने और देश में पुस्तक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक नीति की आवश्यकता पर सामान्य चर्चा हुई । इस चर्चा में पुस्तक प्रकाशन, वित्त-समस्या, विपणन, एक सुदृढ़ पुस्तकालय आन्दोलन द्वारा समर्थित पुस्तकों के वितरण के अन्त: सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। परिषद इस मामले को इसे सौंपे गए कार्यों के अनुरूप अपनी अगली बैठकों में उठाएगी।

छोटे परिवार के मानदण्डों को स्वेच्छा से अपनाए जाने और आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भूमिका

1697. **श्री एन० डेनिस** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे परिवार के मानदण्डों को स्वेच्छा से अपनाए जाने और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

टिकट कलक्टरों की अंशकालिक कर्मचारी के रूप में भर्ती

1698. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर सीमान्त और मेट्रो रेलवे के अन्तर्गत स्वयं सेवकों के रूप में अंशकालिक कार्य पर टिकट कलेक्टरों आदि के रूप में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई है;

(ख) उन्हें क्या पारिश्रमिक दिया जाता है; और

(ग) क्या इन व्यक्तियों को रोजगार दफ्तर के माध्यम से भर्ती किया गया है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) स्वयंसेवकों की संख्या दिन-प्रतिदिन और स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। इसलिए केवल स्वयंसेवक-दिनों का ही रिकार्ड रखा जाता है। 1-1-1984 से 30-6-1984 तक की अवधि में पूर्व रेलवे, दक्षिण-पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर 92,731 स्वयंसेवक-दिन लगाए गए। मीटर लाइनों पर ऐसा कोई स्वयंसेवक नहीं लगाया गया। टिकट जांच कर्मचारियों की सहायता के लिए लगाए गए ऐसे स्वयंसेवकों को 8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जेब खर्च दिया जाता है।

(ग) जी नहीं।

ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पैकेट का वितरण

1699. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिसार विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सरकार को वर्ष 1990 में समाप्त होने वाली सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में प्रत्येक गांव में प्रति वर्ष 100 ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट पैकेट उपलब्ध कराने (खाने के पुनर्जलीकरण नमक के पैकेट) की कोशिश करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में अतिसार से मरने वालों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है;

(ग) क्या गांवों में रिहाईड्रेशन पैकेट वितरित करने सम्बन्धी इस कार्यक्रम का विवरण तैयार कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी क्षेत्रों से की जाएगी, और यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) हां। यह प्रस्ताव है कि मौजूदा 60 ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट पैकेट के मुकाबले प्रत्येक स्वास्थ्य गाइड को प्रति वर्ष 100 ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट पैकेट सप्लाई किए जाएं। अतिसार सम्बन्धी बीमारी की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए माताओं, लोगों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों और अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को ओरल रीहाइड्रेशन में प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना के दौरान यह कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में चलाया जाएगा।

रेल माल यातायात में कमी

1700. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे माल यातायात में लगातार कमी की प्रवृति नजर आ रही है और इसमें 45.3 लाख टन की कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं और क्या मानसून के दौरान यातायात में और अधिक कमी आएगी; और

(ग) इसका रेलवे की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है और माल यातायात को बढ़ाने और राजस्व की लगातार हानि को रोकने, जिसका समस्त रेलवे वित्त पर गम्भीर प्रभाव पड़ सकता है, के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलों द्वारा 1984-85 में जून के अन्त तक लादा गया माल यातायात, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में, अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, 0.37 मिलियन टन अधिक रहा। बहरहाल, लक्ष्य की तुलना में यह 3.45 मिलियन टन कम है।

(ख) कम लदान के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण कोयले, इस्पात सन्यन्त्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कच्चा सामान व वहां से तैयार उत्पाद तथा निर्यात के लिए लौह अयस्क का कम यातायात और पत्तनों में हड़ताल, बम्बई और पंजाब क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा बाढ़ से हुई अस्त व्यस्तता है। मानसून को छोड़कर इन सभी कारणों से कम लदान हुआ।

(ग) बजट अनुपात की तुलना में, माल भाड़ा राजस्व में जून, 1984 के अन्त तक लगभग 3.10 करोड़ रुपए की कमी आई। जहां तक अधिक यातायात प्राप्त करने के प्रस्तावों का सम्बन्ध है,

सम्बन्धित रेलें महत्वपूर्ण क्षेत्रों से समन्वय स्थापित कर रही हैं तथा उच्च राजस्व प्राप्त करने वाली चुनींदा वस्तुओं पर निगरानी भी रख रही हैं।

दानापुर और हावड़ा के बीच "पवन एक्सप्रैस" चलाना

1701. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी रेलवे में दानापुर और हावड़ा के बीच "पवन एक्सप्रैस" चलाने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब से चलाए जाने की सम्भावना है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सप्ताह में तीन दिन चलने वाली एक एवसप्रैस गाड़ी अर्थात् 31/32 दानापुर-हावड़ा एक्सप्रैस 1-4-1984 से चला दी गई है।

फुतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे को अनुदान

1702. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में फुतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे के अधिग्रहण का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष इस लाइट रेलवे के अनुदान को बढ़ा कर 15 लाख रुपये कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस लाइट रेलवे के अधिग्रहण के संदर्भ में क्षतिपूर्ति के स्थान पर वार्षिक अनुदान देने का क्या औचित्य है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मालिकों के साथ किये गये करार के अनुसार सरकार द्वारा कम्पनी को इतनी रकम देनी होती है कि उससे चुकता पूंजी पर प्रतिफल यदि किसी वर्ष 3½ प्रतिशत से कम रहे तो वह पूरा हो जाए। 1984-85 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 15 लाख रुपये की व्यवस्था है। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 1984-85 के लिए आर्थिक सहायता के रूप में अधिक धन की व्यवस्था की गयी है क्योंकि इस वर्ष पिछले वर्ष से कम प्रतिफल मिलने का अनुमान है।

समुद्र में जान व माल की सुरक्षा सम्बन्धी अनुसंधान की केरल की योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

1703. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने समुद्र में जान व माल की सुरक्षा के सम्बन्ध में बनाई गई अपनी अनुसंधान और बचाव योजना के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिम रेलवे में निर्माण कार्यों सम्बन्धी 40 प्रतिशत आरक्षित पदों को भरे जाने के बारे में शिकायत

1704. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कानफैडरेशन बम्बई से 12 जून, 1984 का ज्ञापन संख्या ए आर ई सी/ए एज/जी 84 प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उसने पश्चिमी रेलवे बम्बई के सर्वेक्षण और निर्माण के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार निर्माण कार्यों सम्बन्धी 40 प्रतिशत आरक्षित पदों को भरने में अनियमितताओं की शिकायत की है;

(ग) शिकायत को जांच करने और अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) रेलवे के निर्माण परियोजनाओं में 40 प्रतिशत आरक्षित निर्माण पदों को नैमित्तिक श्रमिकों में से भरने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेश क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) ज्ञापन प्राप्त न होने के कारण शिकायत के ब्यौरों की जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पश्चिम रेलवे पर चालू लाइन और सर्वेक्षण तथा निर्माण परियोजनाओं में 40 प्रतिशत आरक्षित पदों पर तृतीय श्रेणी के 918 और चतुर्थ श्रेणी के 608 पदों को स्थायी किया गया है ।

खड़गपुर और तिरुपति के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करना

1705. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रजक समाज खड़गपुर, पश्चिम बंगाल का दिनांक 2 जुलाई, 1984 का कोई ज्ञापन मिला है जिसमें खड़गपुर और तिरूपति आन्ध्र प्रदेश के बीच सीधी रेल सेवाएं शुरू करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इनके प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

रेल मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) खड़गपुर के रास्ते हावड़ा, विजयवाड़ा, गुडूर और मद्रास के बीच पहले से ही चार गाड़ियां चल रही हैं जहां पर यात्री तिरूपति जाने के लिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। विजयवाड़ा, गुडूर और मद्रास से तिरूपति जाने के लिए सुविधाजनक गाड़ियां उपलब्ध हैं । अतः निम्नलिखित कारणों से खड़गपुर से तिरूपति के लिए अतिरिक्त गाड़ी चलाना आवश्यक नहीं समझा जाता है :—

(1) खड़गपुर में तिरूपति के लिए प्राप्त यातायात की मात्रा को देखते हुए एक गाड़ी चलाना अपेक्षित नहीं होगा ।

(2) यहां पर पर्याप्त गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनके द्वारा इस क्षेत्र से यात्री बिना किसी कठिनाई के तिरूपति जा सकते हैं ।

(3) अधिक महत्वपूर्ण गाड़ियां पहले से ही चलायी गयी हैं और अब कोचिंग स्टाक तथा रेल इंजनों की स्थिति इस प्रकार की गाड़ी चलाने पर विचार करने की अनुमति नहीं देती ।

हिमाचल ऐक्सप्रेस में डीजल इंजन का प्रयोग और उसकी गति बढ़ाना

1706. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और नांगल बांध के बीच चलने वाली हिमाचल ऐक्सप्रेस में डीजल इंजन लगाने और इसकी गति बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो डीजल इंजन लगाने और गति को बढ़ाए जाने की सम्भावित तारीख क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) अधिक डीजल इंजन उपलब्ध होने पर ही इस गाड़ी के डीजलीकरण का विचार किया जायेगा ।

कांगड़ा घाटी में रेलगाड़ी सेवाएं फिर से शुरू करना

1707. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :**

श्री दिगम्बर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि कांगड़ा घाटी में चलने वाली सभी रेलगाड़ियां जो कि पंजाब में सैनिक कार्यवाही से पहले चल रही थी, उन्होंने पठानकोट/जोगेन्द्र नगर/नागरोटा/पेपरोले के बीच पुनः अपने मार्गों पर चलें;

(ख) यदि हां, तो कौन-सी तारीख से गाड़ियां फिर चलनी शुरू हो गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ये गाड़ियां सम्भवतः कौन-सी तारीख से पुनः चलनी शुरू हो जाएंगी और इस कार्य में देरी के क्या कारण हैं ।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) इस खंड पर गाड़ियों का चालन क्रमशः 29-6-1984, 23-7-1984 और 26-7-1984 को विभिन्न चरणों में फिर से बहाल कर दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी शिमला का पुनर्गठन

1708. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडी, शिमला की जनरल कौंसिल और शासी निकाय का इस बीच पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और उनका गठन किन तारीखों को किया गया था;

(ग) प्रबन्धक पद्धति और संस्थान के कार्यकरण के बारे में किए गए संगठनात्मक परिवर्तनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी तथा अभिशासी निकाय का संस्थान की वर्तमान नियमावली और (विनियमों) के अनुसरण में क्रमश: 4 और 7 मई, 1984 को पुनर्गठन किया गया था। सोसायटी तथा अभिशासी निकाय की संरचना विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) और (घ) कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित संस्थान के प्रबंध और कार्यकरण के नए स्वरूप और पद्धति की एक रूपरेखा संलग्न विवरण 3 में दी गई है।

विवरण-1

शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की सोसायटी के सदस्यों की सूची :

1. प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष
   अध्यक्ष,
   भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसंधान परिषद,
   नई दिल्ली

2. न्यायमूर्ति, एस. ए. मसूद उपाध्यक्ष
   विश्व भारती,
   6, आचार्य जगदीश बोस रोड़
   कलकत्ता-700017

3. प्रो० गौतम माथुर,
   निदेशक,
   प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान,
   इन्द्रप्रस्थ स्टेट, रिंग रोड़
   नई दिल्ली-110002

4. डा० (श्रीमती) मार्ग्रेट चटर्जी,
दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007

5. प्रो० रवीन्द्र कुमार,
निदेशक
नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा
पुस्तकालय, तीन मूर्ति हाउस
नई दिल्ली-110011

6. प्रोफेसर सच्चिदानन्द मूर्ति,
दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर
आन्ध्र विश्वविद्यालय आन्ध्र काटेज
वाल्टेयर,
विशाखापटनम-530003

7. प्रोफेसर एच. सी. खरे,
गणित के प्रोफेसर,
गणित एवं सांख्किीय विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद-211002

8. डा० समत विश्वास,
पी-19 पुराना बेलीगंज रोड़
कलकत्ता-700019

9. प्रोफेसर बी. सर्वेश्वर राव,
प्रोफेसर अर्थ शास्त्र,
आन्ध्र विश्वविद्यालय
वाल्टेयर, विशाखापटनम-530003 (आं० प्र०)

10. न्यायमूर्ति एम. एच. बेग,
अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग
लोक नायक भवन
5वां तल, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003

11. न्यायमूर्ति शंकर प्रसाद मिश्र,
5 कूपर स्ट्रीट
कलकत्ता-700026

12. न्यायमूर्ति एस. डी. अग्रवाल,
इलाहाबाद, उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

13. डा० हरबंश राय बच्चन,
बी-8 गुलमोहर पार्क,
नई दिल्ली-110049

14. श्रीमती अनिता बनर्जी,
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग,
जादवपुर विश्वविद्यालय
कलकत्ता-700032

15. डा० बी. डी. नाग चौधरी
43-ए, बीरेन राय रोड़ इस्ट्रेट
कलकत्ता-700032

16. प्रोफेसर मूनिस रजा,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन
संस्थान,
17-बी० श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली-110016

17. पी० एल० मल्होत्रा,
निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली-110016

18. प्रोफेसर ज्येन्द्र कुमार आनन्द जी याजानिक,
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र
गुजरात विश्वविद्यालय
अहमदाबाद-380009 (गुजरात)

19. प्रोफेसर कृष्ण जी,
14-बी बैंक रोड़
इलाहाबाद-211002

20. प्रोफेसर (श्रीमती) सुमा चिटनिस,
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
देवनमर-पोस्ट बाक्स नं० 8313
बम्बई-400088

21. डा० (कु) सरोजनी वार्शने
प्रधानाचार्या,
महिला महाविद्यालय
न्यू डी/5
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005

22. प्रोफेसर टी. बी. प्रसाद,
प्रोफेसर राजेन्द्र मेडिकल कालेज,
रांची

23. प्रोफेसर आर० के० मिश्र,
जीव-भौतिकी, विभाग,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
नई दिल्ली-110029

24. प्रोफेसर संखों चौधरी,
दिल्ली अर्बन आर्टस कमीशन
लोक नायक भवन (द्वितीय तल)
पृथ्वी राज रोड़
नई दिल्ली-110003

25. श्री पी० एम० कवादिया,
9-बी "गिरिराज"
अल्टामाउंट रोड़
बम्बई-400026

(VII) केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले पांच अन्य व्यक्ति; और

26. श्री जी० पार्थासार्थी,
अध्यक्ष, भारतीय सामाजिक विज्ञान
अनुसंधान परिषद,
49, लोदी इस्टेट,
नई दिल्ली-110003

27. डा० लोकेश चन्द्र
अध्यक्ष,
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान
परिषद, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली

28. श्री कृष्ण कृपलानी,
अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास
ए-5 ग्रीन पार्क
नई दिल्ली-1100161

29. डा० नारायण मेनन,
अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी,
रवीन्द्र भवन, फिरोजशाह रोड़
नई दिल्ली-110001

30. प्रोफेसर आर. एस. मिश्र,
कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ-226007

31. डा० जी. पी. सिन्हा,
कुलपति,
पटना विश्वविद्यालय,
पटना-800005

32. प्रोफेसर जी० राम० रेड्डी
कुलपति,
आन्ध्र प्रदेश ओपन विश्वविद्यालय,
हैदराबाद-500004 (आन्ध्र प्रदेश)

33. डा० रमेश मोहन,
निदेशक,
केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा
संस्थान हैदराबाद-500007

34. डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली ।

35. शैक्षिक सलाहकार,
भारत सरकार (पदेन)

36. सचिव, (व्यय) वित्त मंत्रालय
भारत सरकार (पदेन)

37. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद महानिदेशालय, (पदेन)

38. संस्थान निदेशक

विवरण-2

शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के अभिशासी निकाय के सदस्यों की सूची

1. प्रोफेसर डी. पी. चट्टोपाध्याय — अध्यक्ष
भारतीय दर्शनशास्त्र
अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

2. न्यायमूर्ति एस. ए. मसूद, — उपाध्यक्ष
अवैतनिक कोषाध्यक्ष,
विश्व भारती विश्वविद्यालय
शांति निकेतन

3. श्री जी० पार्थीसारथी,
अध्यक्ष,
भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद,
नई दिल्ली ।

4. डा० रमेश मोहन,
निदेशक,
केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान,
हैदराबाद ।

5. प्रोफेसर रवीन्द्र कुमार,
निदेशक,
नेहरू स्मारक संग्रहालय
तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली ।

6. श्री मन मोहन सिंह,
वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

7. श्री किरीट जोशी,
विशेष सचिव,
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली ।

8. संस्थान के निदेशक ।

विवरण-3

कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के प्रबन्ध और कार्यकरण की नई संरचना और प्रणाली की संक्षिप्त रूपरेखा

(1) प्रबंध :

संस्थान का प्रबन्ध तथा नियंत्रण एक सोसाइटी एक शासी निकाय और एक निदेशक द्वारा किया जाएगा । सोसाइटी में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के अधिकारी होंगे । शासी निकाय और संस्थान का निर्णयकर्ता निकाय होगा । शासी निकाय का अध्यक्ष एक प्रख्यात अध्येता होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा । संस्थान का निदेशक शासी निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा । उसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(II) **कार्य क्षेत्र :**

संस्थान मौलिक विषयों तथा जीवन की समस्याओं और उन क्षेत्रों की विचारधाराओं, जो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, के सम्बन्ध में निःशुल्क और सृजनात्मक जांच का एक आवासीय केन्द्र होगा। तथापि प्रारम्भिक स्तरों पर अध्ययन के ऐसे क्षेत्रों को चुनकर, जो अन्तर विषयक प्रयासों को बढ़ावा देगा, जिसके लिए कीमती सुविधाओं की जरूरत नहीं है और जो विशिष्ट अध्येताओं को आकृष्ट कर सके, चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(III) **अध्ययन क्षेत्र :**

अध्ययन के कुछ निदर्शी (व्यापक नहीं) क्षैत्र इस प्रकार होंगे :

तुलनात्मक भारतीय साहित्य (प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, लोक और जनजाती सहित) दर्शन और धर्म का तुलवात्मक अध्ययन, विश्व दृष्टिकोण, शिक्षा संस्कृति, निष्पादन कला तथा दस्तकारी सहित कलाओं गणित की मौलिक विचारधारा और समस्यायें; प्राकृतिक तथा वर्तमान विज्ञान की मौलिक विचारधारा और समस्यायें, एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय सभ्यया, राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्र निर्माण तथा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन के संदर्भ में समकालीन भारत की समस्यायें तथा पर्यावरण, प्राकृतिक और सामाजिक अध्ययन।

(IV) **अनुसंधान के विषय :**

विविधता में भारतीय एकता का विषय, भारतीय चेतना की सम्पूर्णता भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान में उच्च विचारधारा और उनकी दार्शनिक कठिनाइयां, विज्ञान और आंध्यात्मिकता संश्लेषण में भारतीय और एशियाई सहयोग, भारत और मानवीय एकता, भारतीय साहित्य का सहचरी और भारतीय महाकाव्यों और मानव पर्यावरण का तुलनात्मक अध्ययन।

(V) **फैलो :**

शैक्षिक स्टाप का केवल एक वर्ग होगा जिसे फैलो के रूप में पदनामित किया जायेगा। उन कोर परियोजनाओं के लिए भर्ती किए गए फैलो को छोड़कर जिनके मामले में उनकी कार्यविधि परियोजना के समाप्त होने के साथ-साथ समाप्त हो जाएगी। फैलो तीन महीने से दो वर्ष की अवधि की तक नियुक्त किए जायेंगे। जिसे और एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिछात्रवृत्तियों की राशि शासी निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी जो 1500-3000 रु० के क्रम में होगी।

(VI) **सुविधायें :**

संस्थान का पुस्तकालय अनुसंधान के आधुनिक उपकरण के रूप में चरणों में विकसित किया जाएगा; अनुसंधान सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य परिसंगणन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, संस्थान अनुसंधान के परिणामों को एकत्र करने तथा उन्हें नवयुवकों किशोरों आदि के हित

के लिए प्रकाशित करने की व्यवस्था करेगा। प्रकाशन कार्यक्रम में फैलो द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणाम तथा प्रसार प्रयोजन शामिल होंगे।

कोयले के लिए रेल भाड़े का ढांचा

1709. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के रेल भाड़ा ढांचे के अनुसार, जो दूरी से सम्बन्धित है, दुर्गापुर, हश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं की तुलना में रोहतक अथवा नासिक के उपभोक्ताओं को रानीगंज का कोयला सस्ता पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पारादीप

पारादीप पत्तन न्यास अभी भी संकटग्रस्त

1710. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 20 वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन न्यास को 39 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जिसमें से केवल 1983-84 की ही राशि 5.32 करोड़ रुपये है;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 जुलाई, 1984 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित "पारादीप पोर्ट ट्रस्ट स्टिल इन द रैड—एम० एल० ए०" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पत्तन अधिकारियों ने बाढ़ सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि सम्बन्धी धनराधि लेखों में हेरफेर करके केवल कागज में ही 2.36 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार का विचार लेखों में कथित दुर्विनियोग की जाच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) परादीप पत्तन को, इसके चालू होने से लेकर 31-3-1954 तक, 39.56 करोड़ रु० का संचित घाटा हुआ था, जिसमें वर्ष 1983-84 में हुआ 7.43 करोड़ रु० का घाटा भी शामिल है।

(ख) जी हां ।

(ग) महालेखाकार, उड़ीसा द्वारा दिए गए प्रमाणित आंकड़ों और उनके द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के अनुसार, इस पत्तन को वर्ष 1982-83 में 2.87 करोड़ रु० का मुनाफा हुआ था। तूफान के राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्राप्त हुए 5 करोड़ रु० को बेलेंस शीट में अलग से डाला गया है और इसे पोर्ट ट्रस्ट के राजस्व खाते में शामिल नहीं किया गया है ।

(घ) उक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में हिन्दी को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन

1711. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने रेलवे में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे स्टाफ कालेज, बडोदरा द्वारा अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में यहां प्रशिक्षण ले रहे सभी सेवाओं के प्रशिक्षुओं को राजभाषा नीति/कार्यक्रम का यथावश्यक ज्ञान कराया जाता है। प्रश्न पत्र हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं तथा प्रशिक्षु अधिकारियों को हिन्दी या अंग्रेजी किसी एक भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाता है ।

2. प्रशिक्षु अधिकारियों को राजभाषा के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने और उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने अपने उत्तर हिन्दी में लिखने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए एक पुरस्कार योजना लागू करने का विनिश्चय किया है। "फाउन्डेशन तथा इंडक्शन" पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर प्रशिक्षु अधिकारियों को नीचे लिखे अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा :—

	पात्रता	पुरस्कार
1.	जो प्रशिक्षु परीक्षाओं में अपने उत्तर हिन्दी माध्यम से लिखे और अन्तिम परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करे ।	प्रथम पुरस्कार 500 रुपये
2.	जो प्रशिक्षु परीक्षाओं में अपने उत्तर हिन्दी माध्यम से लिखे और अंतिम परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर द्वितीय स्थान प्राप्त करे ।	द्वितीय पुरस्कार 350 रु०
3.	जो प्रशिक्ष परीक्षाओं में अपने उत्तर हिन्दी माध्यम से लिखे और अंतिम परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर तृतीय स्थान प्राप्त करे ।	तृतीय पुरस्कार 250 रु०

3. इन पुरस्कारों की पात्रता का निर्धारण करते समय उन प्रशिक्षु अधिकारियों को 15 प्रतिशत अधिमान्यता दी जाएगी जिनकी मातृभाषा हिन्दी से इतर कोई अन्य भाषा है तथा उन्हें भी जिनकी शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं रहा है।

4. यह भी विनिश्चय किया गया है कि 250 रु० का एक विशेष पुरस्कार उस प्रशिक्षु अधिकारी को दिया जाएगा जो हिन्दी माध्यम से उत्तर लिखने वाले अहिन्दी-भाषी तथा जिनका शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी नहीं रहा है, प्रशिक्षुओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करे। लेकिन, शर्त यह है कि वह प्रशिक्षु अधिकारी उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित कोई पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र न बनता हो।

5. ये पुरस्कार प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में लिखने के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु लागू किये जा रहे हैं तथा इसका प्रशिक्षु अधिकारियों के समग्र कार्य निष्पादन के मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यात्री आरक्षण का कम्प्यूटीकरण

1712. **श्री ए० ई० होरो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुधार समिति ने यह सिफारिश की है कि भारत में यात्री आरक्षण का कम्प्यूटीकरण करने पर वांछनीयता के रूप में ही नहीं अपितु अत्याधिक आवश्यकता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ समय पूर्व प्रबन्ध सूचना प्रणाली पर सरकार को प्रस्तुत किए गये अपने प्रतिवेदन में रेलवे सुधार समिति ने यह बताया था कि यात्री आरक्षणों में आधारभूत विकास के अनुरूप कम्प्यूटर प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है। दिल्ली क्षेत्र में यात्री सीटों/शयिकाओं का कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण करने की एक पायलट योजना को पहले ही स्वीकृति दे दी गयी है। दिल्ली में इस योजना के एक बार स्थिर हो जाने पर अन्य महानगरों में भी इसी प्रकार की योजनाओं को लागू करने के बारे में विचार किया जाएगा।

देश में शिपयार्डों की स्थापना

1713. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री नरसिंह मकवाना :

श्री नवीन रावणी :

श्री के० राममूर्ति :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान पोत निर्माण सुविधाएं अपर्याप्त हैं तथा सरकार का विचार देश में एक या दो और शिपयार्ड स्थापित करने का है;

(ख) क्या शिपयार्डों की स्थापना के लिए स्थलों पर विचार करने और सुझाव देने सम्बन्धी विभिन्न समितियों द्वारा एक अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो हजीरा में शिप-बिल्डिंग-यार्ड की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और और (ख) जी, हां।

(ग) इस परियोजना को अब तक शुरू नहीं किये जा सकने का मुख्य कारण आवश्यकताओं की तुलना में साधनों की कमी का होना है। इस प्रस्ताव पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के संदर्भ में विचार किया जा रहा है।

पुराने पड़ गए रेलवे पुलों का बदला जाना

1714. **प्रो नारायण चन्द्र पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय रेल लाइनों पर बड़ी संख्या में पुलों को समय-बाह्य घोषित कर दिया गया है और इसके कारण कोई दुर्घटना न हो जाये इसलिये उनका तोड़ा जाना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1984 तक मंडल-वार कितने पुल "समय-बाह्य" हो गये हैं और क्या चालू वित्त वर्ष में रेल लाइनों की नवीकरण योजना में उनको शीघ्र बदला जाने का भी कोई कार्यक्रम शामिल है;

(ग) यदि हां, तो मंडल-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे पुलों को बदलने का कोई कार्यक्रम बनाएगी ।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) पुलों के पुनर्निर्माण/पुन: स्थापन के प्रयोजनार्थ उनकी कोई मियाद निर्धारित नहीं है और इस कार्य की योजना हालत के आधार पर बनायी जाती है । ऐसे पुलों की संख्या का जोनबार ब्यौरा जिन्हें हालत के आधार पर फिर से बनाने/पुन: गर्डर लगाने के योग्य पाया गया है और जिन्हें चालू वित्त वर्ष तक रेलों के निर्माण कार्यक्रम में पहले ही शामिल कर लिया गया हैं, नीचे दिया गया है :—

रेलवे	पुनर्निर्माण/पुन: स्थापन के योग्य पाये गये पुलों की संख्या	ऐसे पुलों की संख्या जिनके पुनर्निर्माण/पुन: स्थापन के सम्बन्ध में पहले ही कार्यक्रम बनाया जा चुका है
मध्य	152	93
पूर्व	347	134
उत्तर	504	263
पूर्वोत्तर	287	96
पूर्वोत्तर सीमा	179	43
दक्षिण	102	100
दक्षिण मध्य	100	90
दक्षिण पूर्व	277	120
पश्चिम	74	43
	जोड़ 2022	982

शेष पुलों पर सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्य करने के लिए योजना बनायी जा रही है । इस बीच इन्हें सुरक्षित हालत में बनाये रखा जा रहा है ।

ऐसबेसटोस लाइनिंग वाले ई० एम० यू० ब्रेक

1715. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसबेस्टोस लाइनिंग वाले ई० एम० यू० ब्रकों में गाड़ी को अधिक शक्ति से ब्रेक लगाने की क्षमता है जिनमें पहिये कम घिसते हैं और ये वजन में भी हल्के और आमतौर से प्रयोग होनें वाले इस्पात ब्रेकों की तुलना में सस्ते होते हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में विशिष्ट तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस बात की जांच की गई है कि धन की बचत और पहियों को अधिक समय तक चलाने के लिए स्टील ब्रेकों के स्थान पर अधिक कारगर ऐसेबेस्टोस ब्रेक लगाये जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) ऐस्बेस्टोस लाइनिंग वाले मिश्रित ब्रेक ब्लाक में बेहतर ब्रेकिंग पावर है जिसके कारण पहिये कम घिसते हैं और वजन में भी हल्के हैं किन्तु ढलवा लोहे के ब्रेक ब्लाकों से महंगे हैं । इस्पात ब्रेक ब्लाक रेलों पर प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं ।

(ख) मिश्रित ब्रेक ब्लाक की अधिक लागत होने के बावजूद आनुषांगिक लाभों के कारण लम्बी दूरी के लिए प्रयोग करने में ये सस्ते हैं ।

(घ) कृपया उपर्युक्त (ख) का उत्तर देखें ।

रेल विधि का राज्यवार परिव्यय

1716. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी और मध्यवर्ती राज्यों से यह शिकायत की जा रही है कि रेल विधि का समान रूप से आबंटन नही होता है तथा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और माल्दा शहरों को ही उक्त विधि का काफी भाग दे दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81, 1981-82 ,1982-83 और 1983-84 के दौरान रेल विधि का राज्यवार परिव्यय क्या था;

(ग) क्या उनका विचार सरकार से अतिरिक्त अनुदान मांग कर अथवा मौजूदा अनुदान को पुनः नियतन करके उपेक्षित राज्यों को रेल विधि के आबंटन में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का है; और

(घ) रेल विधि के आबंटन में इस तरह के असंतुलन के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) परियोजनाओं के लिए विशेषकर दक्षिण में अपर्याप्त धन के आबंटन के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है बल्कि इसका आबंटन, विभिन्न क्षेत्रों की रेल परिवहन और तत्संबद्ध निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए और योजना आयोग के साथ परामर्श करके निर्णीत की गयी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ख) परिव्यय के आंकड़े राज्य-वार संकलित नहीं किये जाते हैं।

(ग) और (घ) कुछ क्षेत्रीय असंतुलन हमेशा रहेगा क्योंकि रेलों द्वारा निवेश की जाने वाली राशि, विभिन्न राज्यों में उच्च प्राथमिकता पर चलने वाली परियोजनाओं और निर्माण कार्यों की संख्या पर निर्भर करेगी, और प्राथमिकता इस बात पर निर्भर करती है कि ये परियोजनाएं :—

(1) जो उर्वरक कारखानों, अल्युमिनियम कारखानों, सीमेंट कारखानों, बिजलीघरों कोयला खानों, जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित हों; अथवा

(2) सामरिक महत्व की हों और देश की सुरक्षा तथा रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में सुधार के लिए परम आवश्यक हों; और

(3) पिछड़े तथा अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास के लिये हों। अन्य राज्यों की अपेक्षा कतिपय राज्यों में खनिज संसाधनों की बहुलता हो सकती हैं जिसके परिणामस्वरूप वहां बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हो रहे हैं जिनके लिये रेल अवसंरचना में अधिक निवेश की जरूरत है।

उद्योग विहीन जिलों में मूलभूत ढांचे के विकास हेतु समितियों का गठन

1717. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उद्योग विहीन जिलों में चुने हुए विकास केन्द्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई मार्ग निदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया है जिनके सदस्य वित्त सचिव आदि हों;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने राज्यों में अब तक ऐसी समितियां गठित की जा चुकी हैं; और

(घ) इन समितियों से राज्यों को कितनी सहायया प्राप्त हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) राज्य स्तर की समिति (परियोजना-वार) प्रत्येक मामले का अध्ययन करेगी और उद्योग रहित जिलों में अवस्थापनापरक सुविधाओं के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता का निर्णय करेगी।

कर्नाटक के अलावा किसी राज्य सरकार ने अभी तक राज्य स्तर की समितियों का गठन नही किया है।

(घ) चूंकि अवस्थापनापरक सुविधाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत 19-6-1984 को जारी किए गए हैं, अतः इससे होने वाले लाभ को इस समय नहीं बताया जा सकता।

बम्बई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण निवारक उपायों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट

1718. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत कर दिया है जिसमें बम्बई पत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदूषण निवारक उपाय किए जाने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई पत्तन के प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो सुझावों के मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(घ) सरकार ने इसे किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(ङ) पूरे देश में सभी पत्तनों पर योजना के क्रियान्वयन और योजना उपयोग के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ङ) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान से एक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें अध्ययन और उसकी सीमा और नमूनों के प्रकार के बारे में कुछ मानक सुझाये गये हैं। इस रिपोर्ट में कुछ सामान्य टिप्पणी भी दी गई है परन्तु इसमें कोई सिफारिश या सुझाव नहीं दिया गया है।

केंसिगा, उड़ीसा में एक कागज मिल की स्थापना

1719. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में केंसिगा में, जहां पर कच्चा माल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, एक कागज मिल स्थापित करने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले केंसिगा में कागज का कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कागज मिलें स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर कच्चे माल की नियमित उपलब्धता, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता तथा आर्थिक जीव्यता को ध्यान में रखकर समय-समय पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

औद्योगीकरण नीतियों के लघु उद्योन्मुखीकरण की पुनरीक्षा

1720. **श्री अजित कुमार मेहता** :

श्री रशीद मसूद :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगीकरण नीतियों के लघु उद्योगोन्मुखीकरण की यह जानने के लिए कोई पुनरीक्षा की है कि इन नीतियों के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं और ग्रामीण उद्योगों की उन्नति में क्या अड़चनें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देकर गांवों को अपनी आर्थिक स्थितियों में सुधार के अतिरिक्त अधिकतर मामलों में आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए सरकार की नीतियों की निरंतर समीक्षा की जाती है । जिन अभिकरणों पर ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व है उनके कार्य-निष्पादन की त्रैमासिक

समीक्षा की जाती है जिससे लक्ष्यों के सन्दर्भ में उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जा सके और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास को बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करने तथा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य-नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। सरकार ने देश में इस प्रकार के औद्योगीकरण को बढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया है जिससे गांवों में आर्थिक जीव्यता उत्पन्न की जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं उद्योग मन्त्रालय के समग्र रूप से मार्गदर्शन के अधीन कार्य कर रहे जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे उद्योगों का पता लगा कर उनका विकास कर रहे हैं।

लघु उद्योगों को पीतल छीलनों का वितरण

1721. **श्री दौलतसिंह जी जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा एककों (आयुध कारखाने) और अन्य सरकारी क्षेत्र के एककों के उप-उत्पाद पीतल की छीलन का वितरण लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था और उसे राष्ट्रीय लघु उद्योग के माध्यम से उचित दर पर बेचा जाता था;

(ख) क्या इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है और पीतल की छीलन खुले बाजार में नीलामी द्वारा बेची जा रही है जिसके परिणामस्वरूप लघु एककों को कच्चे माल उचित दर पर नहीं मिल रहा है और उन्हें खुले बाजार से अधिक दाम देकर बड़ी मुश्किल से इस कच्चे माल की खरीद करनी पड़ती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पीतल की चीजें बनाने वाले छोटे पैमाने के पीतल-एककों को बचाने के लिए उन्हें पहले की ही तरह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से पीतल की छीलन बेचने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1978 से पहले केवल आयुध कारखाने ही (आर्डनैंस फैक्ट्रीज) अपने यहां से निकलने वाले अलौह टुकड़ों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से लघु उद्योग एककों को देते थे, न कि अन्य सरकारी क्षेत्र के किन्तु कारखानों से निकलने वाले माल को निपटाने का यह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी।

(ख) 1978 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, आयुध कारखाने (आर्डनैंस फैक्ट्रीज कुल उपलब्ध सामान का 40 प्रतिशत रूप से ऊंची बोली लगाने वाले को तथा 30 प्रतिशत राष्ट्रीय लघु एन० एस० उद्योग निगम/लघु उद्योग संस्थान/उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत लघु उद्योग एककों को देती हैं, जिसमें अधिकतम टैंडर निविदा की दर में 10 प्रतिशत की और रियायत दी जाती है इसके बाद शेष 30 प्रतिशत माल वास्तविक निर्यातक एककों को दिया जाता है और उन्हें भी 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

(ग) रक्षा मन्त्रालय ने हाल ही में छीजन से निकलने वाले माल की समीक्षा की है और यह देखा गया है कि उपलब्ध लगभग समग्र छीलन का आयुध कारखानों (आर्डनैंस फैक्ट्रीज) द्वारा पुनश्चक्रण द्वारा स्वयं ही उपयोग किया जा रहा है।

छठी योजना की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

1722. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना की अवधि में कितने रुपए के मूल्य का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) राजस्व अर्जन में कितनी हानि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) विभिन्न कारकों से औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि के बारे में ठीक ठीक बता पाना सम्भव नहीं है। किन्तु वर्ष 1980-83 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण उत्पादन में हुई हानि के मूल्य को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ उद्योगों द्वारा, जो अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करते हैं, भेजे गए अपर्याप्त आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कुल मिलाकर वर्ष 1980-81 में 2,500 करोड़ रु० तथा वर्ष 1981-82 में 2,360 करोड़ रु० की हानि होने का मोटा अनुमान लगाया है।

(ख) छठी योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन में हानि होने के कारण राजस्व में हुई हानि के बारे में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पास अपेक्षित जानकारी नहीं है।

विवरण

वर्ष	उत्पादन में हुई हानि का मूल्य		
	हड़ताल	तालाबन्दी	कुल
1980	172.61 (1751)	124.53 (172)	297.14 (1923)
1981	465.11 (1483)	163.66 (171)	628.76 (1654)
1982 (अ)	194.18 (1353)*	89.56 (250)	283.74 (1603)
1983 (अ)	177.05 (1092)	111.89 (220)	288.94 (1312)

(अ)=अनन्तिम

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विवादों की संख्या को दर्शाते हैं जिनसे आंकड़े सम्बद्ध हैं।

*बम्बई में वस्त्र उद्योग में हड़ताल के कारण उत्पादन हानि को छोड़कर, इस हड़ताल से वर्ष 1982 के दौरान 3287.49 करोड़ रु० की हानि होने का अनुमान है।

आन्ध्र प्रदेश के उद्योग विहीन जिलों में उद्योग लगाना

1723. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "उद्योग विहीन जिलों" में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हाल ही में राज्यों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य में "उद्योग विहीन जिलों" में उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लेवी सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए सीमेंट कारखानों का विस्तार

1724. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सीमेंट कारखानों के विस्तार का ब्यौरा क्या है और ये कारखाने स्थापित करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, 1983 तथा 1984 के दौरान (2 जुलाई, 1984 तक) कितने आशय-पत्र कितनी-कितनी क्षमता के तथा किन-किन स्थानों आदि के लिए जारी किए गए;

(ख) इस समय सरकार के पास विचाराधीन आवेदनों की संख्या क्या है;

(ग) क्या समय-समय पर दी गयी रियायतों के बावजूद भी गैर सरकारी क्षेत्र सीमेंट के मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार पर जोर डाल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में तथा देश में सीमेंट का मूल्य स्थिर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1983 और 1984 (अद्यतन) तक स्वीकृत क्षमता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आशयपत्रों को प्रदान करने हेतु 29 आवेदन अन्तिम रूप में निपटाए जाने के लिए पड़े हैं।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग (जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट संयंत्र सम्मिलित हैं) सरकार से प्रतिधारण कीमतों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध करता रहा है। सरकार ने लेवी कोटा में नाममात्र की कमी के साथ 18-7-84 से लेवी सीमेंट की प्रतिधारण कीमत में 40 रु० प्रति टन की वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की है। देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि तथा अच्छी उपलब्धता से लेवी सीमेंट की कीमतों में कमी होने की आशा है तथा लेवी और गैर-लेवी सीमेंट की कीमतों के बीच अन्तर के कम होने की आशा है।

विवरण

1983 और 1984 के दौरान सीमेंट के उत्पादन के लिए स्वीकृति क्षमता का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण :

क्रम सं०	नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टन में)	निजी/ सरकारी क्षेत्र	नया एकक पर्याप्त विस्तार
1	2	3	4	5	6
लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं					
1.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	तेदूर (आ० प्र०)	10.00	निजी	नया एकक
2	कल्याण सुन्दरम सीमेंट कुशालगढ़	कुशालगढ़ राजस्थान	0.66	निजी	नया एकक
3.	कर्नाटक सीमेंट लि०	चितपुर कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
4.	कर्नाटक मिनरल्स एण्ड मैनु०कं०	मेथोड कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
5.	घर सीमेंट लि०	करोदिया मध्य प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
6.	राधाकृष्णन् सीमेंट लि०	दांता गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
7.	हेमाद्रि सीमेंट्स	बडाड्री आन्ध्र प्रदेश	0 66	निजी	नया एकक
8.	पंचमहाल सीमेंट कं० लि०	चापरी गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
9.	के० एन० सीमेंट्स लि०	पौन्टा हिमाचल प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
10.	शिव मिनरल्स एण्ड सीमेंट	कांचीपुरा कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
11.	रासी सीमेंट लि०	वाडापल्ली आन्ध्र प्रदेश	2.00	निजी	पर्याप्त विस्तार
12.	गुजरात हिमालय सीमेंट लि०	रनवाव गुजरात	0.50	निजी	नया एकक
13.	बी० एम० दयाशंकर	सदाशिवनगर आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
14.	कामदार सीमेंट्स	अदावी गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
15.	ग्वालियर रेयन	जवाद मध्य प्रदेश	8.00	निजी	नया एकक
16.	भारत फूड इण्डिया लि.	कोपन बानस मध्य प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
17.	श्री क्वालिटी सीमेंट लि.	नगनापुर कर्नाटक	0 66	निजी	नया एकक
18.	सेन्चुरी स्पि. एण्ड मैन्यु. कं.	रांजुरा महाराष्ट्र	10.00	निजी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
19.	अम्बीरगढ़ सीमेंट	पालनपुर गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
20.	जय लाखू सीमेंट उद्योग	जिला सीकर राजस्थान	0.66	निजी	नया एकक
21.	केसोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटक्स लि.	सेदम कर्नाटक	5.00	निजी	नया एकक
22.	रेक्साइड सीमेंट वर्क्स	आरासमेटा मध्य प्रदेश	5.00	निजी	प्रस्तावित विस्तार
23.	पार्थसारथी सीमेंट इण्डस्ट्रीज	तहसील गुरजाला आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
24.	कपिल सीमेंट एण्ड मिनरल्स	होसादुर्गा कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
25.	कमलोमण्डल सीमेंट्स	रामपुरम आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
26.	सुवर्ण सीमेंट	जिला नलगोंडा आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
27.	रत्ना सीमेंट	जिला बेलगाम कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
28.	सागर सीमेंट	जिला नलगोंडा आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
आशयपत्र के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं :					
1.	एम. आई. आई. सी. ओ. एम.	यवतमाल महाराष्ट्र	5.00	सरकारी	नया एकक
2.	—वही—	राजुरा महाराष्ट्र	4.00	सरकारी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
3.	आई. पी. आई. सी. ओ. एल.	सुनकी उड़ीसा	0.66	सरकारी	नया एकक
4.	उड़ीसा का आई० डी० सी०	बांरगढ़ उड़ीसा	4.35	सरकारी	पर्याप्त विस्तार
5.	आन्ध्र सीमेंट	नाडीकुडी, आन्ध्र प्रदेश	5.00	निजी	पर्याप्त विस्तार
6.	प्रोग्रेसिव सीमेंट	बन्ती बागदा बिहार	0.60	निजी	नया एकक
7.	ए० सी० सी० लि०	शाहाबाद कर्नाटक	10.76	निजी	पर्याप्त विस्तार
8.	शावेलास एण्ड कं०	राजगढ़ हिमाचल प्रदेश	0.50	निजी	नया एकक
9.	ए० सी० सी० लि०	शिवालिया गुजरात	0.80	निजी	पर्याप्त विस्तार
10.	रासी सीमेंट	वादापल्ली आन्ध्र प्रदेश	6.00	निजी	पर्याप्त विस्तार
11.	लार्सन एण्ड ट्युब्रो	राजुरा महाराष्ट्र	11.09	निजी	पर्याप्त विस्तार
12.	बिल्डर्स इण्डिया	चितपुर कर्नाटक	4.00	निजी	नया एकक
13.	मद्रास सीमेंट	जग्गयापेट आन्ध्र प्रदेश	5.00	निजी	नया एकक
14.	जे० पी० रेवा सीमेंट	हजूर मध्य प्रदेश	10.00	निजी	नया एकक
15.	मैसूर सीमेंट	नरसिंगढ़/इमली मध्य प्रदेश	4.75	निजी	पर्याप्त विस्तार

1	2	3	4	5	6
16.	के० सी० पी० लि०	मछरेला आन्ध्र प्रदेश	1.46	निजी	पर्याप्त विस्तार
17.	वालचन्द तेन्दूर सीमेंट कं०	तेंदुर आन्ध्र प्रदेश	7.00	निजी	नया एकक
18.	हैदराबाद एस्बेस्ट्स सीमेंट प्राडक्ट्स	रघुराजनगर मध्य प्रदेश	9.00	निजी	नया एकक
19.	बागलकोट उद्योग	बागल कोट कर्नाटक	3.30	निजी	पर्याप्त विस्तार
20.	ए० बाबा वर्द्धाना राय	जिला-गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
21.	अन्नपूर्णा सीमेंट्स	तहसील-असीफाबाद	0.66	निजी	नया एकक
22.	के० एस० बालकृष्णनन्	शोरापुर कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
23.	बी० कुसुमाकर राय	चितपुर कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
24.	जी० सूर्यनारायण	जिला-कृष्णा आन्ध्र प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
25.	वेकमेन्स प्राइवेट लि०	जिला-जूनागढ़ गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
26.	कुमारी प्रतिया पटेल	गोकक कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
27.	सिद्धार्थ बिल्डर्स लि०	गौबी कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
28.	अब्दुल सत्तार	जिला-गुलबर्गा कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
29.	सतीश जैन	जिला-सिरमूर हिमाचल प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
30.	आई० पी० खेवत	हिमाचल प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
			0.66	निजी	नया एकक
31.	ए० एस० भारतरी	अम्बोहा हिमाचल प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
32.	सी० नारायण शेटी	कुन्दापुर कर्नाटक	0.50	निजी	नया एकक
33.	मैसूर मिनरल्स	होसादुर्ग कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
34.	बी० मधुसूदन राय	सिरपुर आन्ध्र प्रदेश	0.50	निजी	नया एकक
35.	अशोक कुमार डूंगर	उमरगसो आसाम	0.66	निजी	नया एकक
36.	एस० के० गाधवी एण्ड आर० बी० गांधी	दांता गुजरात	0.66	निजी	नया एकक
37.	जय इन्जी० वर्क्स	शम्भुपुरा राजस्थान	10.00	निजी	नया एकक
38.	जे० के० सिन्थेटिक्स	जिला-सिद्धि मध्य प्रदेश	10.00	निजी	नया एकक
39.	एन० के० अग्रवाल	जिला-उत्तरी कछार हिल्स आसाम	0.60	निजी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
40.	ए० सी० सी० लि०	मेहगांव मध्य प्रदेश	10.00	निजी	नया एकक
41.	पी. स्टैण्डर्ड मिल्स कं० लि०	चांदी मध्य प्रदेश	10.40	निजी	नया एकक
42.	गोपाल के० कपूर	जिला-देहरादून उत्तर प्रदेश	0.60	निजी	नया एकक
43.	राजामणि आर० सिंह	चुनार उत्तर प्रदेश	0.66	निजी	नया एकक
44.	श्री विजय बावरी	पूर्वी खासी पहाड़िया मेघालय	0.66	निजी	नया एकक
45.	एन० के० डागा	जिला-उत्तरी कछार हिल्स आसाम	0.66	निजी	नया एकक
46.	पी० पापैया शेट्टी	जिला-गुलबर्गा कर्नाटक	0.66	निजी	नया एकक
47.	जे० पी० भनोटिया	जिला-नागोर राजस्थान	0.80 (सफेद)	निजी	नया एकक
48.	स्नोसेम इण्डिया लि०	—वही—	0.50 (सफेद)	निजी	नया एकक
49.	बाईफोर्ड लि०	—वही—	0.66 (सफेद)	निजी	नया एकक
50.	इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	—वही—	0.80 (सफेद)	निजी	नया एकक

1	2	3	4	5	6
51.	ग्वालियर रेयन	जादव, मध्य प्रदेश जिला-मन्दसौर	2.00	निजी	पर्याप्त विस्तार
52.	भारत कामर्स एण्ड इण्ड०	जिला रायपुर मध्य प्रदेश	5.00	निजी	नया एकक
53.	एम० पी० स्टेट इण्ड० कार०	जिला-बालाघाट मध्य प्रदेश	0.66	सरकारी	

सीमेंट के लक्ष्य उत्पादन में संभावित गिरावट

1725. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कतिपय शर्तों का उल्लंघन किये जाने की जानकारी है, जिनके आधार पर वह लगभग दो वर्ष पूर्व सीमेंट पर से आंशिक रूप से नियन्त्रण हटाने के लिए सहमत हुई थी;

(ख) क्या 1984-85 में उत्पादन लक्ष्य से काफी कम होने की संभावना है और 1983-84 में उत्पादन 10 लाख टन कम रहा;

(ग) क्या 1983-84 में लेवी बिक्री भी 20 लाख टन कम रही;

(घ) क्या उद्योग की तथाकथित नकद हानि, जिसके आधार पर सीमेंट उद्योग उन लेवी मूल्यों में वृद्धि करने पर जोर दे रहा है, की संगणना करने में खुले बाजार में की गई अतिरिक्त बिक्री से उत्पादकों को प्राप्त हुए लाभ को हिसाब में लिया गया है;

(ङ) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, सीमेंट निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराये लागत आंकड़ों से संतुष्ट है; और

(च) छठी योजना के अन्त तक 45 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण योजना शुरू करते समय सरकार द्वारा कोई भी शर्त लगाई गई थी अत: इन शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) चूंकि वर्ष 1983-84 के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य से 10 लाख मी० टन की सामान्य गिरावट आई है, अतः वर्ष 1984-85 में यदि कुछ गिरावट हुई भी हो तो उसके बारे में अभी बता सकना समयपूर्व होगा। सीमेंट का उत्पादन अधिकांश रूप से कोयला और विद्युत जैसी अवस्थापना विनिष्टियों के मिलने पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं। लेवी सीमेंट के आबंटन की अपेक्षा उसके प्रेषण में मामूली अर्थात् लगभग 2% की गिरावट आई है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने लेवी सीमेंट के संधारण मूल्यों में वृद्धि की जांच करते समय उपलब्ध आंकड़ों के साथ-साथ अन्य पहलुओं जैसे वसूली में वृद्धि, उत्पादन में संभावित वृद्धि, समग्र लाभदेयता, उद्योग द्वारा सृजित निधियों के उपयोग आदि की भी जांच की थी। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो द्वारा अलग-अलग संयंत्रों के लिए एकत्र किये गये लागत आंकड़ों की भी जांच की थी।

(च) विद्युत और कोयला जैसी अवस्थापना निविष्टियों की उपलब्धता के आधार पर अनुमान लगाने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में सीमेंट का पुनः निर्धारित उत्पादन लक्ष्य 32.5 लाख मी० टन रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किया जा रहा है।

भंडुप में नमक विभाग की भूमि पर आवास कम्प्लेक्स

1726. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री भंडुप, बम्बई में नमक विभाग की भूमि पर आवास कम्प्लेक्स के बारे में 18 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8061 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) और (ङ) के लिए दिये गये उत्तर के अनुसार क्या उन्होंने पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों द्वारा नमक विभाग की भूमि पर होने वाले अवैध कब्जे और अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिए सहयोग तथा "आवश्यक सहायता" न दिये जाने के बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 534 के अन्तर्गत न्यायालय में घोषणात्मक मुकद्दमा दायर करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) घोषणात्मक वाद के लिए वादपत्र के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और मुकद्दमा शीघ्र ही दायर होने को है। 21 अप्रैल, 1984 को बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायालय रिसीवर (प्रापक) से अनुरोध किया गया है कि वह अपने कब्जे में ली हुई जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को तुरन्त रुकवाने के लिए कार्यवाही करें क्योंकि पट्टाकर्त्ता, भारत के संघ के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

बम्बई में विक्रोली पूर्व में लवण-भूमि का उपयोग न किया जाना

1727. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लवण विभाग से बम्बई में विक्रोली-पूर्व में उपयोग न की जाने वाली लवण-भूमि को जोगेश्वरी-विक्रोली संपर्क सड़क के लिए दिये जाने का निवेदन किया है;

(ख) क्या यह सड़क एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करेगी और विक्रोली में बनने वाले चौथे रेलवे टर्मिनल की दृष्टि से भी यह बहुत आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो यह भूमि राज्य सरकार को सौंपे जाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल से औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के लिए आवेदन-पत्र

1728. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :**
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्री पी० जे० कुरियन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए लाइसेंसों के आशय-पत्रों को जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) केरल में औद्योगिक लाइसेंसों अथवा आशय-पत्रों के लिए कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आवेदन-पत्र इस समय किस स्थिति में हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) आशय-पत्र तत्परता और शीघ्रता से जारी किए जाते हैं। इसका सुनिश्चय करने के लिए कार्यविधि को सुप्रवाही बनाया गया है।

(ख) और (ग) 28 जुलाई, 1984 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबंधों के अन्तर्गत 11 औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन-पत्र आशय-पत्र की स्वीकृति हेतु विभिन्न अवस्थाओं में थे। अनिर्णीत आवेदन-पत्रों का ब्यौरा तब तक प्रकट नहीं किया जाता जब तक सरकार द्वारा उन पर अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता।

गेडे आयरन एण्ड कम्पनी को पुनः खोलना

1729. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री गेडे आयरन एण्ड कम्पनी को पुनः खोलने के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5859 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को हीरोडीह (कोडरमा) में गेडे आयरन एण्ड कम्पनी को खोलने के विज्ञापन के उत्तर में कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और क्या अभी तक इस कम्पनी को पुनः चालू करने का निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और कम्पनी के कब तक पुनः चालू होने की संभावना है और क्या केन्द्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण कम्पनी को पुनः खोलने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने यह सूचित किया है कि परियोजना के लिए मैसर्स टीर स्टील रिसर्च फाउन्डेशन, कलकत्ता को तकनीकी सहयोगकर्ता के रूप में चुना गया था, परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से सार्वधिक ऋण प्राप्त करने के लिए बातचीत की गई है। इसके अलावा, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम ने यह भी बताया है कि संयुक्त क्षेत्र में परियोजना चलाने के लिए चुना गया वित्तीय सह-प्रवर्तक हाल ही में अपने वचन से मुकर गया है जिसके कारण पुनर्स्थापना का कार्यक्रम अस्त-व्यक्त हो गया है।

(ख) तकनीकी परामर्शदाता ने निगम को यह सलाह दी है कि कारखाने को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने की तारीख से लगभग 10-12 महीने में पुनः चालू किया जा सकता है।

केन्द्र सरकार को किसी प्रकार की सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा सीमेंट का उत्पादन

1730. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने वर्ष 1983-84 के दौरान सीमेंट का रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1981-82 की तुलना में वर्ष 1983-84 के उत्पादन आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के एककों द्वारा किये गये सीमेंट के उत्पादन तथा क्षमता के उपयोग निम्नलिखित थे :

वर्ष	उत्पादन लाख मी० टनों में	क्षमता उपयोग प्रतिशत
1981-82	12.50	83.00
1982-83	19.42	83.47
1983-84	20.10	86.54

उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता के सम्बन्ध में लघु उद्योग बोर्ड की बैठक

1731. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों में रुग्णता बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लघु उद्योग बन्द किये जा चुके हैं;

(ख) क्या देश में लघु एककों और विशेषकर रुग्ण एककों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में उनकी अध्यक्षा में अखिल भारत लघु उद्योग बोर्ड की एक बैठक आयोजित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसमें विचारित समस्याओं का ब्यौरा क्या है और बोर्ड ने लघु एककों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या सुझाव दिये हैं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पद्मनाभि राम राव) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की 38 वहीं बैठक 9 और 10 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में हुई थी । बोर्ड ने लघु उद्योगों के सामने आयी कठिनाइयों पर प्रकाश डाला तथा कुछ सिफारिशें कीं जिनकी सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा जांच की जायेगी ।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त लघु औद्योगिक एककों में रुग्णता :

क्रम के अन्त में	लघु उद्योग के उधारी लेखों/ एककों की कुल संख्या	रुग्ण लघु एककों (बैंक से सहायता प्राप्त) की संख्या	उधारी लेखों/ एककों की कुल संख्या में रुग्ण लघु एककों का प्रतिशत अंश
1. जून, 1979	589,000	20,700	3.5
2. दिसम्बर, 1979	656,000	20,841	3.2
3. जून, 1980	718,000	22,325	3.1
4. दिसम्बर, 1980	774,000	23,256	3.0
5. जून, 1981	844,000	22,360	2.6
6. दिसम्बर, 1981	924,000	25,342	2.7
7. जून, 1982	976,000	26,973	2.8
8. दिसम्बर, 1982*	1044,000	58,549	5.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक ।

* टिप्पणी : दिसम्बर, 1982 के अन्त तक रुग्ण एककों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई है क्योंकि जून, 1982 तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया रुग्ण एककों की अपनी सूची में अस्वीकृति पत्रों के बिलों/वापस लिए गए कर्जों के लेखों में एककों को शामिल नहीं कर रहा था क्योंकि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के अनुसार ये एकक पुनर्स्थापित नहीं हो सकते थे और अग्रिम की वसूली करने के अलावा बैंकों के पास और कोई चारा नहीं रह गया है ।

इन्टरनेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी

1732. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टरनेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड बंगलौर में 25 फरवरी, 1984 से तालाबन्दी की घोषणा कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त तालाबन्दी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या यह सच है कि आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने इस कम्पनी के अधिग्रहण की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) मैसर्स इन्टरनेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, बंगलौर ने बताया है कि वित्तीय संकट के कारण उनको अपने कुछ विभाग बन्द करने पड़े थे और इन विभागों के श्रमिकों की छंटनी की गई थी। श्रमिकों ने इसका विरोध किया था और उन्होंने कार्य-घंटों के बाद भी कार्य-स्थल को नहीं छोड़ा। श्रमिक समस्या की प्रत्याशा में प्रबन्धकों ने 25-2-1984 से तालाबन्दी की घोषणा कर दी।

(ग) यह मामला समझौते के लिए प्रस्तुत किया गया था और श्रम-आयुक्त, कर्नाटक सरकार के समक्ष अनेक बैठकें हुई थीं। पार्टियां समझौते के लिए तैयार हो गईं और पार्टियों द्वारा 6-7-1984 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप कारखाने में 9-7-1984 से काम प्रारम्भ हो गया।

(घ) तथा (ङ) सरकार द्वारा अधिकार में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि यह विवाद पहले ही मैत्रीपूर्ण ढंग से तय कर दिया गया है और अब कारखाने में काम हो रहा है।

उद्योग विहीन क्षेत्रों का पता लगाए जाने के लिए मानदण्ड

1733. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उद्योग विहीन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका पता लगाये जाने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) जिला उद्योग केन्द्र 1979-80 के लिए कार्य योजनाओं में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिन जिलों में कोई भी बड़ा अथवा मंझोला उद्योग नहीं है उन्हें उद्योग रहित जिलों के रूप में चुना गया है।

नैनीताल में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की स्थापना

1734. **श्री आर० प्रभु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन ने मद्रास में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि प्रस्तावित रंगीन फिल्म कारखाना नैनीताल में लगाया जायेगा;

(ख) क्या सरकार ने प्रस्तावित कारखाने को अन्तिम स्वीकृति दे दी है;

(ग) उक्त परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और उसमें किस तारीख से उत्पादन आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना की देखभाल करने के लिए एक नई कम्पनी की स्थापना करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) सरकार क्षेत्र के एक उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ने अनुमानित 190 करोड़ रुपये की लागत से कुल 100 लाख वर्ग मीटर वार्षिक क्षमता वाले सिने कलर पाजिटिव फिल्म और रंगीन पेपर का समेकित उत्पादन करने के लिए एक एकक की स्थापना करने हेतु सरकारी अनुमति के लिए एक प्रस्ताव किया है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स के अध्यक्ष ने सूचित किया था कि प्रस्तावित रंगीन फिल्म संयंत्र की स्थापना कुमायूं पहाड़ियों में की जानी है। किन्तु, संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

देश में सीमेंट कारखाने का कार्य-निष्पादन

1735. **श्री जी० भूपति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट बनाने वाले कितने कारखाने हैं;

(ख) उनमें से कितने कारखाने ठीक रूप से चल रहे हैं;

(ग) उनमें से कितने कारखाने रुग्ण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने के बारे में सोच रही है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार सीमेंट के उत्पादन को आधुनिक बनाने के तरीके अपना रही है; और

(च) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 93 ।

(ख) नये यूनिटों के अलावा जो हाल ही में चालू किये गये थे, 8 विद्यमान सीमेंट फैक्टरीज ने 1983 के दौरान 50 प्रतिशत से भी कम की क्षमता दर्ज की ।

(ग) लेवी सीमेंट की नियंत्रित कीमतों पर आपूर्ति करने में सहायता के प्रयोजनों के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 15 सीमेंट फैक्टरियां रुग्ण घोषित की गई थीं ।

(घ) भारतीय सीमेंट निगम (सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया) इस समय एक लाख मीट्रिक टन की तीन परियोजनाओं की स्थापना कर रहा है ।

(ङ) और (च) सीमेंट उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु जिसमें प्रिकैल्सि नेटरों की स्थापना करना, नम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का शुष्क प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में बदलना, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना कैप्टिव पावर का सृजन करने के लिए डीजल जेनेरेटिंग सैटों की स्थापना करना शामिल है, सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है ।

कलकत्ता में आयोजित क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धकों का सम्मेलन

1736. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय रेलवे प्रबन्धकों के कलकत्ता में हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) रेलवे में विद्यमान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिग क्या कदम उठाए जाने का निर्णय किया गया और इन्हें कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी और उसके क्या परिणाम निकलेंगे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेल मंत्री द्वारा आवधिक रूप से आयोजित महाप्रबन्धकों की बैठकें मस्तिष्क को झकझोरने वाले सत्र की प्रकृति की होती हैं और उनमें परिचालनिक एवं संरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं के मामलों पर निदेश जारी किये जाते हैं। इनकी रूपरेखा उन समस्याओं का गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से तैयार की जाती है जिनका रेलों को सामना करना पड़ता है। 2 जून, 1984 को कलकत्ता में आयोजित महाप्रबन्धकों के सम्मेलन में जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से बिजली की सप्लाई, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बिना टिकट यात्री की व्याधि, जाली टिकटों की बिक्री सम्बन्धी तिकड़म और उसें दूर करने की कार्रवाई, रेल-पथ और सिगनल फिटिंगों की चोरी, आन्तरिक साधनों को जुटाना, रेलवे स्टेशनों की सफाई, भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाली खामियों को समाप्त करना, नये निर्माण-कार्यों को प्रारम्भ करने में विलम्ब से बचना, समय पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ड्राइवरों को पुरस्कृत करने की एक योजना तैयार करना, दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेलने संरक्षा के आयुक्तों की रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना, कोल इण्डिया द्वारा खराब किस्म के कोयले की सप्लाई, दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे का शीघ्र भुगतान, निर्माण-कार्यों का विभागीयकरण, निर्माण-कार्यों की निगरानी, डीजल और बिजली रेल इंजनों की बकाया अनुसूचित स्थिति में सुधार लाना, राजस्व में गिरावट के कारणों का पता लगाना, पार्सल यातायात का नियंत्रण, रफ्तार प्रतिबन्धों की समीक्षा करना आदि शामिल हैं।

(ख) जून, 1984 में कलकत्ता में आयोजित क्षेत्रीय रेलवे महाप्रबन्धक सम्मेलन में रेलवे में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का विनिश्चय किया गया था।

(I) जाली टिकटों की बिक्री की तिकड़मबाजी का भंडाफोड़ करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त करना।

(II) यह निर्धारित किया गया कि रेलों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के मुख्य क्षेत्र हैं "आरक्षण" और "टिकटों की बुकिंग" जहां कि निरन्तर और व्यापक निवारक जांच होते रहना आवश्यक है।

(III) यह विनिश्चय किया गया कि स्टेशन मास्टरों को हर चार वर्ष के बाद स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिये।

(ग) भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए कठोर दण्ड की आवश्यकता को दोहराया गया था। जहां तक राजपत्रित अधिकारियों का सम्बन्ध है, अनुशासनिक कार्रवाई की प्रवृत्ति और दण्ड की मात्रा का विनिश्चय अनिवार्यतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से किया जाता है। जहां तक अराजपत्रित कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हालांकि अनुशासनिक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध, अपराध की गम्भीरता के अनुरूप कड़ी कार्रवाई करेगा, फिर भी सतर्कता संगठन द्वारा ऐसे दण्डों की पर्याप्तता की पुनरीक्षा की जाती है।

1984 के प्रथम छः महीनों के दौरान हुई रेल दुर्घटनायें

1737. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**
श्री राम प्यारे पनिका :

क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में वर्ष 1984 के पहले छः महीनों में, रेलवे-वार कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(घ) रेलवे ने इन दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ङ) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मरे और घायल हुए; और

(च) इन दुर्घटनाओं में मरे और घायल हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 1984 के प्रथम 6 महीनों की अवधि के दौरान हुई गाड़ी दुर्घटनाओं का रेलवे-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या				
	टक्कर	पटरी से उतरना	समपार दुर्घटनायें	गाड़ी में आग लगने की दुर्घटनायें	जोड़
1	2	3	4	5	6
मध्य	3	30	1	6	40
पूर्व	2	31	4	2	39
उत्तर	3	37	7	3	50
पूर्वोत्तर	—	10	5	—	15

1	2	3	4	5	6
पूर्वोत्तर सीमा	1	59	3	—	63
दक्षिण	2	29	4	1	36
दक्षिण मध्य	2	35	5	6	48
दक्षिण पूर्व	3	39	4	—	46
पश्चिम	—	25	6	1	32

(ग) इसमें से अधिकांश दुर्घटनायें रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई और बाद में चल-स्टाक और रेल-पथ की खराबी की दुर्घटनायें आती हैं। इसके अतिरिक्त, तोड़फोड़, रेलपथ पर रुकावट और समपार पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही इन दुर्घटनायें होने के अन्य मुख्य कारण थे।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) गहन तथा अर्थपूर्ण निरीक्षणों द्वारा सभी स्तरों के कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता का स्तर बढ़ाना।

(2) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई।

(3) चरणबद्ध तरीके से मानवीय सतर्कता बढ़ाने के लिए रेलपथ परिपथ, गाड़ी गुजर जाने के बाद सिगनलों का स्वचालित बदलाव, आदि जैसे और अधिक प्रौद्योगिकीय यंत्रों की व्यवस्था।

(4) सहायक चेतावनी प्रणाली की स्थापना जो खतरे के सिगनल पर ड्राइवर द्वारा ध्यान न दिए जाने पर पहले श्रव्य दृश्य चेतावनी देती है और अन्त में गाड़ी को रोक देती है।

(5) उपलब्ध संसाधनों के भीतर चल स्टाक तथा रेलपथ की पुनर्स्थापना।

(6) बिना चौकीदार वाले समपारों पर, जहां आवश्यक हो, उत्तरोत्तर चौकीदारों की व्यवस्था करना और चौकीदार वाले व्यस्त समपारों के फाटकों पर अन्तपार्शन, लिफ्टिंग बैरियर आदि की व्यवस्था।

(7) समपारों को पार करते समय सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा मोटर वाहन नियमों के अनुपालन हेतु राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क।

(8) डिब्बों में ज्वलनशील पदार्थों के ले जाने के खतरों, समपारों को पार करते समय सावधानी बरतने आदि के बारे में इश्तिहारों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए शिक्षाप्रद प्रचार।

(9) तोड़फोड़ रोधी उपायों का तेज करना जैसे :—

(क) रेलपथ पर गश्त।

(ख) किस बोल्ट को चपटा करने के बाद बोल्ट पर कसा जाता है, वोल्टों की चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं और छेनी को इस्तेमाल किये बिना वोल्ट को हटाया नहीं जा सकता है।

(ग) रेल पटरियों की जोड़ों की झलाई करके फिश प्लेट के जोड़ों की संख्या कम करना।

(घ) इन दुर्घटनाओं में 151 लोग मारे गए और 394 लोग घायल हुए जिनमें बहादुरगढ में हुए टक्कर में 43 लोग मारे गए तथा 55 घायल हुए भी शामिल हैं और समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण हुई दुर्घटनाओं में 59 लोग मार गए तथा 58 घायल हुए।

(ङ) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। बहरहाल, मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों के सम्बन्धियों को अनुग्रह राशि की व्यवस्था कर दी गई है। भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में किए गए प्रावधान के अन्तर्गत तदर्थ/पदेन दावा आयुक्तों द्वारा निर्णय दिए जाने के तुरन्त बाद मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है।

[खड़गपुर वर्कशाप बोदामोडा डीजल शेड में भर्ती

1738. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे की खड़गपुर और बोदा (सोडो) (उड़ीसा) स्थित कारखाने में हाल ही में लगभग 200 गैंगमेन प्रशिक्षणार्थी के रूप मे नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये नियुक्तियां क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन आमंत्रित करके की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के विज्ञापनों का ब्यौरा और वे विज्ञापन किस तारीख को प्रकाशित किए गए थे;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे मेन यूनियन ने इस प्रकार की अनियमित नियुक्तियों के विरोध में 27 जुलाई, 1984 को खड़गपुर के ए० सी० एम० आई० के कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया था; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर कारखाना और वंडामुंडा डीजल शेड में हाल ही में प्रशिक्षुओं के रूप में किसी गैंगमैन की नियुक्ति नहीं की गयी है।

(ख), से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) जी हां। दक्षिण-रेलवेमैन यूनियन ने 22-6-84 और 27-6-84 को खड़गपुर कारखाने के सामने प्रदर्शन किया था । यूनियन को स्थिति बता दीं गयी थी ।

पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को वैगनों का आबंटन

1739. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के लघु उद्योग निगम को, बीज कोक तथा वी० पी० हाई कोक की निर्बाध ढुलाई के लिए अब तक कितने वैगन आबंटित किए गए हैं;

(ख) उक्त निगम को कितने वैगनों की आवश्यकता थी; और

(ग) मांग के अनुसार इसे अपेक्षित संख्या में वैगन आबंटित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) इस पार्टी के लिए दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र से के० पी० डाक्स, सोवई तक के लिए जनवरी तथा फरवरी, 1984 के प्रत्येक मास के लिए वी० पी० हाई कोक के 30-30 बाक्स माल डिब्बों के दो रेक मंजूर किए गए थे । अभी तक वी० पी० हाई कोक तथा कंकरीट कोक का और कोई कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है । दुर्गापुर कोक भट्टी संयंत्र ने पहले रेक के लिए मांगपत्र 6-2-1984 को प्रस्तुत किया था और पुनः 13-2-84 को भेजा था लेकिन के० पी० डाक्स द्वारा ढुलाई पर प्रतिबन्ध लगा दिए जाने के कारण कोई आबंटन नहीं किया जा सका । इसके बाद ढुलाई प्रतिबन्धों के उठाये जाने पर भी सप्लायर द्वारा और कोई मांग-पत्र नहीं भेजा गया, और इस तरह इन रेकों की वैधता क्रमशः मार्च तथा अप्रैल, 1984 में समाप्त हो गयी । समाप्त हुए कार्यक्रमों की पुनः वैधता के लिए न तो उपभोक्ता से और न ही सप्लायर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

सुपर फास्ट मेल गाड़ियां चलाना आरम्भ करना

1740. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सुपरफास्ट मालगाड़ियां चलाना आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुपर फास्ट मालगाड़ियों को कहां-कहां चलाया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) सुपरफास्ट मालगाड़ियों, जिन्हें "स्पीड लिंक एक्सप्रेस" कहते हैं, हाल ही में निम्नलिखित स्थानों के बीच चालू की गयी हैं :—

1. कार्मिक ब्रिज (बम्बई) और नई दिल्ली;

2. नयी दिल्ली और साल्ट कोटार्स (मद्रास);

3. नयी दिल्ली और हवड़ा;

4. वाड़ी बन्दर (बम्बई) और शालिमार (कलकत्ता);

5. शालीमार (कलकत्ता) और साल्ट कोटार्स (मद्रास)।

अम्बाला के तीनों केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या

1741. **श्री सूरज भान** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला (हरियाणा) के तीनों केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या तथा प्रत्येक कक्षा में अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तीनों विद्यालयों की पहली कक्षा में पृथक-पृथक सीटों की कुल संख्या क्या थी; तथा उनमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या थी तथा वास्तव में उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितनी सीटों को भरा गया तथा उनकी संख्या में कमी के कारण क्या हैं;

(ग) अनुसूचित जाति कितने छात्रों को चालू वर्ष के दौरान अम्बाला (हरियाणा) के तीनों केन्द्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए चुना गया है तथा यदि इनकी संख्या में कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान पहली कक्षा में प्रवेश के लिए चुने गये अनुसूचित जाति के छात्रों में से किसी को प्रवेश देने के लिये मना किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे छात्रों की संख्या क्या है और प्रवेश देने से मना करने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो चुने जाने तथा प्रत्येक मामले में वास्तविक रूप से दाखिले की तिथियां क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) अम्बाला स्थित तीन केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूलों) में 31-7-1984 की यथास्थिति के अनुसार दाखिला निम्नलिखित था :—

कक्षा	केन्द्रीय विद्यालय नं. I		केन्द्रीय विद्यालय नं. II		केन्द्रीय विद्यालय नं. III	
	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति	कुल	अनुसूचित जाति
I	105	13	111	22	70	11
II	118	06	126	06	77	07
III	139	05	136	14	101	05
IV	144	07	134	08	142	03
V	154	05	159	08	155	06
VI	136	01	157	08	128	04
VII	137	07	146	02	121	02
VIII	126	02	130	05	75	—
IX	118	02	196	06	68	—
X	93	01	144	—	30	—
XI	39	—	79	03	—	—
XII	30	—	69	01	—	—

(ख) वर्ष	कक्षा में स्थानों की कुल संख्या			अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों कुल संख्या			दाखिला अनु. जातियों के छात्रों की संख्या		
	के० वि० I	के० वि० II	के० वि० III	के० वि० I	के० वि० II	के० वि० III	के० वि० I	के० वि० II	के०वि० III
1979-80	105	105	*	16	16	*	09	08	*
1980-81	105	105	70	16	16	11	15	12	03
1981-82	90	105	70	14	16	11	08	10	04
1982-83	105	105	70	16	16	11	09	13	05
1983-84	105	90	70	16	14	11	12	04	07

*यह केन्द्रीय विद्यालय सितम्बर, 1980 में खोला गया था।

पात्र छात्रों के उपलब्ध न होने के कारण अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए आरक्षित सभी स्थान नहीं भरे जा सके।

(ग)	दाखिले के लिए चुने गए अनुसूचित जाति के बच्चों की संख्या	अनुसूचित जाति के उन छात्रों की संख्या जिन्होंने दाखिला लिया
के० वि०-नं०-I	16	13
के० वि०-नं०-II	22	22
के० वि०-नं०-III	12	11

केन्द्रीय विद्यालय नं०I में अनुचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित तीन स्थान नहीं भरे जा सके, क्योंकि चुने गए बच्चों ने दाखिला नहीं लिया। केन्द्रीय विद्यालय नं० II में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षित 16 स्थानों की अपेक्षा 22 बच्चों को दाखिल किया गया। केन्द्रीय विद्यालय III में, अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए आरक्षित सभी 11 स्थान भर लिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) 1-5-1984 से 27-6-1984 तक चयन किया गया और 27-6-1984 से 31-7-1984 तक दाखिला गया था ।

आदिलपुर स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

1742. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेल मंत्री** यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में आदित्यपुर स्टेशन (टाटानगर के निकट) पर जनता के लिए रेलवे उपरिपुल न होने के कारण लोगों को रेल पटरियों को पैदल पार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है और इस प्रकार गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं;

(ख) क्या आदित्यनगर और टाटा नगर में कई सप्ताहों से इस उपरिपुल के शीघ्र निर्माण की मांग को लेकर श्रमिक भूख हड़ताल सहित जन आन्दोलन चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) आदित्यपुर स्टेशन पर पटरी को पार करने के लिए जनता के उपयोग के लिए एक "ए" श्रेणी के अन्तर्पाशित चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था की गई है ।

(ख) और (ग) जनता द्वारा इस समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था करने की मांग की गयी थी । वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे ऊपरी पुलों का निर्माण राज्य सरकार के साथ लागत वहन हिस्सा के आधार पर संयुक्त रूप से किया जाता है । इस प्रस्ताव की संयुक्त रूप से जांच की जा रही है ।

कैंसर रोगियों के लिए उपचार के लिए कैंसर विरोधी नया सामान प्राप्त करना

1743. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :**
श्री रामविलास पासवान :
श्री राम गोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रेस में छपी इस खबर को देखा है कि लांस ऐंजिल्स में कैंसर विरोधी एक नया रसायन पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार का रसायन भारत में कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) हां।

(ख) सान फ्रांसिसको की एक प्रेस रिपोर्ट के अनुसार अमरीका की एक कम्पनी ने यह किया है कि इस कम्पनी ने प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक ऐसा प्रोटीन तैयार करने में सफलता पा ली है जो मनुष्य में कैंसर के सैलों का विनाश करती है। इस क्रिया से रासायनिक-चिकित्सा के गौण प्रभावों जैसे कोई प्रभाव नहीं होते।

टोकियो से प्रसारित एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार टोकियो विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक ने एक कैमिकल कम्पाउंड (रासायनिक योन) तैयार किया है जो बारटिसनोमा टिशु पर एकत्र हो जाता है और प्राकृतिक टिशु को हानि पहुंचाये बिना यह उनकी वृद्धि को रोकता है।

(ग) और (घ) ऐसे रसायनों (कैमिकलों) को खरीदने का समय अभी नहीं आया है क्योंकि अभी इनकी क्लीनिकी जांच की जानी है।

दक्षिणी राज्यों में और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना

1744. **श्री सुभाष चन्द्र यादव :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर दक्षिणी राज्यों में और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने की सम्भावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन कितने लोगों के शिक्षा प्राप्त करने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों और मध्य प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों सहित देश में प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति के लिए 1984-85 की वार्षिक योजना में छठी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में निम्नलिखित योजनायें शामिल हैं :—

(I) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनायें ।

(II) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ।

(III) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता ।

(IV) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत छात्रों और युवकों को शामिल करना ।

(V) श्रमिक विद्यापीठ ।

(VI) उत्तर साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रम ।

(VII) प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना ।

इन कार्यक्रमों के 1985-86 के दौरान जारी रहने की सम्भावना है ।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार मार्च, 1984 के अन्त तक 1.73 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे, जिसमें 50.75 लाख प्रौढ़ शिक्षार्थियों का नामांकन था । दाखिले का लक्ष्य, जो प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है, 1984-85 के लिए 65 लाख है । इसका अन्य बातों के साथ-साथ यह अर्थ है कि 1984-85 के दौरान और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे ।

सम्बलपुर रेलवे डिवीजन का निर्माण कार्य

1745. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्बलपुर रेलवे डिवीजन का निर्माण कार्य सातवीं योजना में शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए स्थल चयन और भूमि अधिग्रहण का कार्य का कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) क्या उड़ीसा के इस दूसरे डिवीजन के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सम्बलपुर में एक मंडल बनाने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है।

(ख) और (ग) मंडल कार्यालय की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार से 100 एकड़ भूमि का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय

1746. **श्री हरीश रावत** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से अल्मोड़ा में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय के लिए भवन और भूमि देने की पेशकश सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब पास हुआ और क्या अल्मोड़ा में केन्द्रीय विद्यालय खोल दिया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को, जून, 1984 में, उत्तर प्रदेश सरकार से अल्मोड़ा में एक केन्द्रीय विद्यालय (सैंट्रल स्कूल) खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि राज्य सरकार द्वारा कक्षाओं के लिए अपेक्षित अस्थाई आवास की व्यवस्था नहीं की गई थी।

टनकपुर से लखनऊ तक प्रतिदिन सीधी रेलगाड़ी चलाना

1747. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें टनकपुर से लखनऊ तक प्रतिदिन सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए टनकपुर, उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव की जांच की गयी थी लेकिन उसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बिखरोली में बम्बई का चौथा रेलवे टर्मिनल

1748. **डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने बिखरोली में बम्बई के चौथे टर्मिनल की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच का काम पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूमि अधिग्रहण के बारे में कितनी प्रगति हुई जिनके लिए वर्ष 1983-84 के बजट में व्यवस्था की गई थी ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा पूरी नहीं हुई है । बहरहाल, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार चौथे टर्मिनल काम्प्लेक्स के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान बिखारौली है जो पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग के पूर्व में स्थित है । रिपोर्ट से पता चलता है कि समूची परियोजना को तीन चरणों में निष्पादित किया जाएगा । कुल परियोजना लागत 129,40.22 लाख रुपये होगी इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है) ।

(घ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन पत्र दायर कर दिया गया है और आवश्यक अधिसूचना के शीघ्र प्रकाशन के लिए राज्य सरकार के साथ कार्रवाई की जा रही है ।

कंजुर मार्ग रेलवे स्टेशन (बम्बई) में सुधार

1749. **डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे का विचार बम्बई में कंजुर मार्ग रेलवे स्टेशन में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो वहा पर किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है तथा उसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा हो जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) कंजुर मार्ग स्टेशन पर छतदार प्लेटफार्म की व्यवस्था, ऊपरी पैदल पुल का विस्तार, अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियों की व्यवस्था और प्रांगण का विस्तार करने के लिए एक सापेक्ष योजना है । धन की तंगी के कारण चालू वित्त वर्ष में इन कार्यों को मंजूरी देना तथा इनके लिए धन आबंटित करना सम्भव नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) इस समय कार्य शुरू करने तथा इसे पूरा करने की तारीख बताना अथवा किसी अन्य ब्यौरे का उल्लेख करना सम्भव नहीं है ।

चौंगानूर स्टेशन के प्लेटफार्म नं 2 पर छत डालना

1750. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान केरल में चौंगानूर प्लेटफार्म नम्बर 2 पर छत के न होने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्लेटफार्म पर छत डालने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में प्लेटफार्म नम्बर 2 पर 63.6 मीटर लम्बी छत की व्यवस्था की गई थी । छत की तंगी के कारण चालू वित्त वर्ष में छत का और आगे विस्तार करने की योजना बनाना सम्भव नहीं हुआ है ।

स्कूलों के लिए टी० वी० सैट

1751. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्रीमती संयोगिता राणे :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1990 तक देश में प्रारंभिक शिक्षा का लाभ सब तक पहुंचाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु स्कूलों के लिए अनेक टी. वी. सैट सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) यद्यपि शिक्षा मंत्रालय में स्कूलों को टी. वी. सैट मुहैय्या करने की कोई विशेष योजना नहीं है । परन्तु इनसाट दूरदर्शन उपयोगिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 इनसाट राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के चुनिन्दा जिलों में 2667 अत्यधिक उच्च बारम्बारता (वी. एच. एफ.) सैट और 2000 सीधे प्रसारण प्राप्त करने वाले सैट (डी. आर. एस.) स्थापित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत 807 अत्यधिक उच्च बारम्बारता (वी. एच. एफ.) सैट और 737 सीधे प्रसारण प्राप्त करने वाले सैट (डी. आर. एस.) पहले ही स्थापित कर दिये गये हैं ।

स्कूलों में कम्प्यूटर विज्ञान आरम्भ करना

1752. **श्री राम स्वरूप राम :**

श्री एन० ई० होरो :

श्री मूल चन्द डागा :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर विज्ञान को स्कूलों में अध्ययन के एक विषय के रूप में आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने स्कूलों में, उनके चयन का तरीका क्या होगा और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है और उसका कितना भाग प्रत्येक राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तथा किन-किन राज्यों में यह योजना आरम्भ की जायेगी और कब तक; और

(ग) इस सम्बन्ध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) जबकि, फिलहाल स्कूलों में संगणक विज्ञान को लागू करने की कोई योजना नहीं है फिर भी भारत सरकार सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और लक्षद्वीप को छोड़कर) के 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना लागू कर रही है। परियोजना शैक्षिक सत्र 1984-85 से प्रारंभ की जा रही है।

प्रायोगिक परियोजना में भाग लेने वाले स्कूलों का चयन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। प्रायोगिक परियोजना की अनुमानित लागत 2.2 करोड़ रुपये है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोई व्यय वहन नहीं करना होगा। प्रायोगिक परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

—छात्रों को संगणक तथा उनके प्रयोग की व्यापक जानकारी प्रदान करना।

—व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना।

—छात्रों को मानव की सभी गतिविधियों में संगणक की प्रायोज्यता की पहुंच तथा नियन्त्रण और सूचना संप्रेषण उपकरण के रूप में संगणक की संभाव्यता से परिचित कराना।

—संगणकों को डिमिस्टीफाई बनाना, संगणकों में सरलता और लोकप्रियता का एक ऐसी डिग्री तक विकास करना जो उनके तत्काल पर्यावरण के अनुकूल विकासशील प्रायोज्यताओं और उनका पता लगाने में वैयक्तिक सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होगा।

फुतुहा-इस्लामपुर लाइट रेलवे

1753. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात् फुतुहा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन के परिसमापन तथा इस लाइट रेलवे में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भारतीय रेलों की सेवाओं में खपाने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्देश्य के लिए एक समिति नियुक्त की गई है जो इस लाइट रेलवे की आस्तियां का मूल्यांकन करेगी तथा कर्मचारियों को खपाने के लिए स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्त तय करेगी; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए संसद की किसी भी सभा में कब तक एक विधेयक को पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बिहार सरकार ने फतुवा-इस्लामपुर लाइट रेल लाइन को बन्द करने के लिए सहमति दे दी है, बशर्ते इस लाइट रेलवे लाइन के कर्मचारियों को भारतीय रेलों की सरकारी सेवाओं में समाहित कर लिया जाये।

(ख) जी हां।

(ग) हाल ही में अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह रिपोर्ट विचाराधीन है। अन्य मंत्रालयों और विभागों से परामर्शपूर्वक औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद ही इस विषय के विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है।

गंगा नदी पर पटना के निकट रेल पुल

1754. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा नदी पर पटना के निकट एक रेल पुल के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य आरम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) पुल के तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा इसकी जांच के बाद बिहार सरकार के साथ परामर्श करके अन्तिम निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो और योजना आयोग अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे।

दानापुर डिवीजन में सोन नदी पर बने पुल का पुनरोद्धार

1755. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के दानापुर डिवीजन में सोन नदी पर बना पुल काफी पुराना पड़ गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यातायात और सुरक्षा की दृष्टि से इस पुल के पुनरोद्धार की तुरन्त आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) गर्डरों पर केवल नांदनुमा डेकिंग के बदलने की आवश्यकता है।

(ग) 31 स्पेनों पर नांदनुमा डेकिंग का बदलाव करने के कार्य की पहले चरण के रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है।

क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण हताहत होने वाले लोगों को मुआवजा

1756. **श्री बी० डी० सिंह** :
श्री रशीद मसूद :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़कों पर स्थान-स्थान पर बने गड्ढ़ों, बिना ढके मैन-होलों, टूटी-फूटी सड़कों आदि के कारण गम्भीर रूप से जख्मी होने वाले/अपंग हो जाने वाले, मर जाने वाले अथवा जिनके वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने के प्रश्न पर कभी विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक विधान लाने का है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) अभी इस विषय पर कोई विशेष नियम नहीं है। परन्तु दुर्घटनाओं के इन सभी मामले सामान्यतः क्षति संबंधी नियम के अधीन ही आते हैं। चूंकि इस विषय पर सामान्य नियम पहले ही से मौजूद हैं अतः नये सिरे से किसी प्रकार के नियम बनाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

दिल्ली-जोधपुर और जोधपुर-अहमदाबाद रेल गाड़ियों को नियमित रूप से चलाया जाना

1757. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दिल्ली-जोधपुर और जोधपुर-अहमदाबाद सुपरफास्ट रेल-गाड़ियों को नियमित रूप से चलाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेल गाड़ियों को नियमित रूप से कब से चलाया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 509/510 दिल्ली-जोधपुर सुपर फास्ट और 507/508 अहमदाबाद-जोधपुर सुपर फास्ट गाड़ियां नियमित आधार पर क्रमशः सप्ताह में तीन बार और सप्ताह में दो बार चल रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

505 अप और 506 डाऊन दिल्ली/अहमदाबाद रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे के स्थान पर दो टीयर वातानुकूलित डिब्बा लगाया जाना

1758. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 505 अप और 506 डाऊन दिल्ली-अहमदाबाद सुपरफास्ट रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे के स्थान पर दो टीयर के वातानुकूलित डिब्बे लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसको किस अवधि तक बदले जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधूरी रेल लाइनें पूरी करना

1759. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में जिन रेल लाइनों को पूरा करने का कार्यक्रम था उनमें से कितनी रेल लाइनें अधूरी पड़ी हैं, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उपरोक्त रेल लाइनों के लिए निर्धारित धनराशि में कटौती की गई थी और धन की कमी के कारण रेल लाइनें पूरी नहीं की जा रही हैं; और

(ग) सरकार इन अधूरी रेल लाइनों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) बजट भाषण के अनुसार जिन लाइनों को 1983-84 में खोले जाने की योजना बनाई गई थी, उन सभी तीन नई रेलवे लाइनों को वर्ष के दौरान खोल दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों के घाटे में चलने के कारण

1760. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की छोटी लाइनों और बड़ी लाइनों पर स्थित उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जो गत तीन वर्षों से घाटे में चल रहे हैं; और

(ख) उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) आमदनी और खर्च को ध्यान में रखते हुए परिचालन में हानि अथवा एक यूनिट के रूप में मानकर लाभ का मूल्यांकन एक क्षेत्रीय रेलवे के अथवा एक रेलवे की किसी विशिष्ट शाखा लाइन के लिए किया जाता है न कि अलग-अलग रेलवे स्टेशनों के लिए। अतः स्टेशन-वार इस सूचना को प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

माल डिब्बों के कारखानों की उत्पादन क्षमता

1761. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को माल डिब्बों के निर्यात की बढ़ी हुई सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में माल डिब्बों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान माल डिब्बों के प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ाई गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस समय किसी विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्यात समेत रेलवे वैगनों की मांग विद्यमान क्षमता से कम है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल दुर्घटनाएं कम करने के उपाय

1762. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय ने देश में होने वाली रेल दुर्घटनाएं कम करने के लिए अनेक उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो जून, 1984 के बाद रेल दुर्घटनाएं कम करने के लिए कौन-से उपाय करना जरूरी समझा गया है;

(ग) क्या उन उपायों के कारण दुर्घटनाएं कम हुई हैं; और

(घ) क्या सभी रेल दुर्घटनाओं की खबरें प्रकाशित हुई थीं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। रेल मंत्रालय, गाड़ी दुर्घटनाओं को निम्नतम करने के लिए निर्धारित उपायों का निरन्तर अनुसरण कर रहा है। निम्नलिखित निवारात्मक उपाय किये गये हैं और इन्हें समय-समय पर दोहराया गया है तथा गाड़ी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए और अधिक सतर्कता लाने के लिए विशेष अभियान गठित किये गये हैं :

(1) दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त ड्राइवरों के साथ ड्राइविंग की सही तकनीकों, सिगनल के संकेतों का अनुपालन करने तथा गाड़ी चलाते समय सतर्क रहने के बारे में विशेष रूप से परामर्श करना तथा दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रत पाये गये ड्राइवरों के कार्य निष्पादन पर नजर रखना।

(2) समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस बात का पता लगाने हेतु कि सड़क उपयोग कर्ता तथा गाड़ी कर्मचारी नियमों व विनियमों का पालन सही प्रकार कर रहे हैं या नहीं, चौकीदार और बिना चौकीदार वाले समपारों पर घात लगाकर जांच करना।

(3) कर्मचारियों की सतर्कता में सुधार करने के उद्देश्य से रेल विभागों के प्रमुखों सहित रेलों के पर्यवेक्षकों, सहायक अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सभी समपारों पर निरीक्षणों

को गहन करना ताकि उनके द्वारा किये गये कार्य की किस्म और रेल-पथ का भली प्रकार से अनुरक्षण करके दुर्घटनाओं की रोक-थाम करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने, चल स्टाक के साथ-साथ केबिन मैनों, स्टेशन कर्मचारियों आदि द्वारा नियमों व विनियमों का अनुपालन आदि सुनिश्चित किया जा सके ।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाना कि विभिन्न खण्डों पर चलने वाले सभी रेल इंजनों में उपयुक्त हैडलाइट लगी हैं और ठीक प्रकार कार्य कर रही हैं ।

(5) गाड़ियों की सुधरे और जोरदार पैमाने पर जांच करना ।

(6) पर्यवेक्षकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य की किस्म और मात्रा की उच्च स्तर पर समीक्षा करना तथा इसके अलावा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(7) दुर्घटना के सही-सही कारणों का पता लगाने व उसके बाद निवारक उपाय करने के उद्देश्य से दुर्घटनाओं के कारणों की उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा उचित रूप से जांच पड़ताल करना । दुर्घटना के मामलों को अन्तिम रूप देने के अनुसरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई के रूप में समुचित सुधारात्मक दण्ड की अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(8) उन रेल खण्डों पर जहां रेल की पटरियों में बार-बार दरारें पड़ जाती हैं, विशेष रूप से ध्यान देकर रेल पथ नवीकरण की गति तेज करना तथा रेल पथ की हालत में सुधार लाने के लिए स्लीपरों आदि सहित रेल पटरियों और रेल पथ की फिटिंगों की पर्याप्त सप्लाई पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

(9) पुलों का कड़ाई से निरीक्षण करना ।

(10) चल स्टाक का उपयुक्त रूप से अनुसरण करने के लिए रेल इंजन, सवारी और माल डिब्बा सामग्री की सप्लाई के प्रबन्ध करना ।

(11) चल स्टाक की मरम्मत की क्वालिटी के सम्बन्ध में यार्ड में, डिपुओं और लोको शेडों, दोनों में बार-बार जांच सुनिश्चित करना ।

(12) स्वचल चेतावनी प्रणाली को उत्तरोत्तर रूप में प्रारम्भ करना जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यदि ड्राइवर सिगनल के खतरनाक पहलू की अनदेखी करता है, तो दृश्य श्रव्य चेतावनी के पश्चात् गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक स्वतः ही लग जाएंगे । इस प्रणाली की स्थापना विशेष रूप से पूर्व और पश्चिम रेलों के उपनगरीय खण्डों और कुछ हद तक मुख्य लाइन पर प्रारम्भ की जा रही है और इस प्रणाली को आगे बढ़ाया जायेगा ।

(ग) जी हां । गत वर्ष के तदनुरूपी महीने की तुलना में गिरावट का रुख रहा ।

(घ) सामयिक तथा महत्वपूर्ण समझी जाने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में रेल संरक्षा के आयुक्तों द्वारा की गयी जांच के निष्कर्षों का सारांश समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। रेल संरक्षा आयोग, जिसके प्रमुख रेल संरक्षा आयुक्त हैं, पर्यटन एवं नगर विमानन मंत्रालय से सम्बद्ध है।

जनसंख्या स्थिरीकरण के उपायों की योजना आयोग की स्वीकृति

1763. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एन० डेनिस :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए सातवीं योजना में कई विशिष्ट उपाय शामिल करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत-सी सिफारिशें, जिन पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था, योजना आयोग को भेजी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(घ) देश में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सातवीं योजना में किन अन्य उपायों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

कलकत्ता में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना

1764. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रमुख स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिसिन, कलकत्ता का दर्जा बढ़ाकर उसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का एक स्वायत संस्थान बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है तथा इस समय इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव को चालू शैक्षिक वर्ष में अथवा कम-कम-से अगले वर्ष से कार्यान्वित कराना संभव होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन कम करने तथा तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए योजना

1765. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन को कम करने तथा तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए कौन से विशेष कदम तथा योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या जनसंख्या वृद्धि तथा विकास के सम्बन्ध में समन्वित नीति बनाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) विश्व बैंक के प्रोजेक्शन सामान्यतया प्रजनन और मृत्यु-दर की उन प्रकृतियों और जनसंख्या के अन्य तत्वों से सम्बन्धित मान्यताओं पर आधारित होते हैं जो समय-समय पर देश की स्थिति में प्रतिबिम्बित होती रहती हैं । विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 1983 की तुलना में विश्व विकास रिपोर्ट, 1984 भारत की जनसंख्या के बारे में एक बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करती है जैसा कि नीचे दिया गया है :

सूचक	1984 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुमान	1983 की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुमान
1. स्थिर जनसंख्या का काल्पनिक आकार (10 लाखों में)	1707	1832
2. वर्ष 2000 ई० की अनुमानित जनसंख्या (10 लाखों में)	994	1001
3. शुद्ध प्रजनन दर एक पर पहुंचने का अनुमानित वर्ष	2010	2020
4. 1980-2000 के दौरान जन-संख्या में औसतन वार्षिक वृद्धि	1.9	2.0

भारत की विकास आयोजना प्रक्रिया में जनसंख्या और आर्थिक विकास के परस्पर सम्बन्ध को हमेशा माना गया है और इसका ध्यान रखा गया है ।

वदीनार पत्तन को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित करना

1766. **श्री नवीन राबणी :**
श्री दौलत सिंह जी जदेजा :

क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के वदीनार पत्तन का एक प्राकृतिक बन्दरगाह के रूप में विकास करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसको योजना प्रारूप में सम्मिलित नहीं किया गया;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इसे सातवीं योजना अवधि में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सातवीं योजना में सामान्य कार्गो और पी. ओ एल. उत्पादों को हैंडल करने के लिए वेडिनार में बर्थ की सुविधा के विकास की संभावना के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) से (घ) पत्तनों के लिए सातवीं योजना का मसौदा अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार

1767. **श्री नवीन रावणी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा के वर्तमान स्तर में कोई सुधार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है, जैसा कि योजना आयोग के कार्यकारी दल ने प्रस्ताव किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा की कोटि में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और इससे संबंधित स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा की कोटि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं । उपायों की सिफारिश की जा रही है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के उदाहरणस्वरूप 250 चुनिन्दा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संगणक साक्षरता और जागरूकता को आरम्भ करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की गई है । महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में इनसैट-1 बी के माध्यम से बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी प्रसारित किया जा रहा है, जिसका उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार राज्यों में जल्दी विस्तार किया जायेगा। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों से सिफारिश की गई है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और विभिन्न क्षेत्रों में परिव्ययों/योजनाओं की अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली/नई दिल्ली के अस्पतालों में बहिरंग रोगियों के लिए ठहरने के स्थान का अभाव

1768. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों में ठहरने के स्थान के अभाव में बहिरंग रोगियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले रोगियों को, बड़ी असुविधा तथा परेशानी होती है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली/नई दिल्ली के अस्पतालों में यदि बहिरंग रोगियों के ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है; और

(ग) नई दिल्ली/दिल्ली के ऐसे अस्पतालों में बहिरंग रोगियों के लिए ठहरने का स्थान उपलब्ध करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) रोगियों और उनके रिश्तेदारों की सुविधा के लिए सफदरजंग अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लोक नायक जयप्रकाश नरायण अस्पताल में बहुत ही कम स्थान उपलब्ध हैं। सामान्यतः बहिरंग विभाग में आने वाले रोगियों को रात भर ठहरने की आवश्यकता नहीं होती है। अस्पताल में भर्ती करके उन्हीं रोगियों का इलाज किया जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

एम० बी० बी० एस० और स्नातकोत्तर की प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षाफलों में कथित धांधली

1769. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्रीमती विद्या चेन्नुपति :
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री दौलत राम सारण :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री जगपाल सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एम० बी० बी० एस० की प्रवेश परीक्षा के परीक्षाफलों के बारे में 11 जुलाई, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी शिकायतें मिल गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करवाने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) जांच निकाय के निदेश पद क्या होंगे ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी हां। जिन छात्रों ने पुनः जांच के लिए आवेदन पत्र दिए थे, उनके परिणामों की पुनः जांच करते समय एम. बी. बी. एस. प्रवेश परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एक गलती विश्वविद्यालय के ध्यान में आई थी। इसके परिणामस्वरूप गलती को ठीक करने के बाद जिन उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी, विश्वविद्यालय ने उनकी एक संशोधित सूची घोषित की थी।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद ने इस घटना की जांच करने, उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा दाखिले की प्रणाली को कारगर बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक छः सदस्यीय समिति नियुक्त की है। जांच चल रही है। जांच होने तक विश्वविद्यालय ने पहले से घोषित परीक्षा परिणामों को स्थगित रखने का निर्णय किया है। इसी बीच, एक छात्र द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई, 1984 को विश्वविद्यालय को यह निदेश दिया था कि वे घोषित की गई द्वितीय सूची के पहले 800 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की वास्तविक जांच करने के बाद न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत परिणामों के आधार पर दाखिला की प्रक्रिया शुरू करें। न्यायालय ने आगे यह भी निदेश दिया है कि शेष उत्तर पुस्तकाओं की वास्तविक जांच की जाये और यदि कोई छात्र निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और उससे नीचे वाले छात्रों का दाखिला हो गया है तो ऐसे छात्रों को भी दिल्ली के चिकित्सा कालेज में दाखिल किया जाना चाहिए।

हैदराबाद और सिकन्दराबाद के लिए महानगरीय रेल परिवहन परियोजना की स्थापना

1770. **श्री जी० भूपति :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विकास समिति ने हैदराबाद और सिकन्द्राबाद, जो कि जुड़े हुए हैं, के लिए महानगरीय रेल परिवहन परियोजना की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलों पर इस प्रकार की कोई समिति नहीं है। इसके अतिरिक्त इन नगरों के लिए अभी तक कोई महानगर रेलवे परिवहन परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रति राज्यों की उदासीनता

1771. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाकर तथा योजना के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न करके बहुत से राज्यों द्वारा शिक्षा सुधार की भावना की उपेक्षा की गई है;

(ख) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कार्यक्रम तैयार किये हैं जिनसे तुरन्त नौकरी मिलने की सम्भावनाएं हैं;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने 10+2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायिकरण को गम्भीरता से नहीं लिया है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण शैक्षिक सुधार की निगरानी तथा व्यवस्था के लिए एक अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं 10+2 स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण अब तक 9 राज्यों तथा 3 संघ शासित क्षेत्र में कार्यान्वित किया गया है। अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के महत्व को स्वीकार किया है किन्तु संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने अब तक व्यावसायीकरण को नहीं अपनाया है।

(ख) यद्यपि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है फिर भी व्यावसायिक शिक्षा की प्रोन्नति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण अभी शुरू नहीं किया है :

1. बिहार
2. हिमाचल प्रदेश
3. जम्मू और काश्मीर
4. मध्य प्रदेश
5. मणिपुर
6. मेघालय
7. नागालैंड
8. उड़ीसा
9. पंजाब
10. राजस्थान
11. सिक्किम
12. त्रिपुरा
13. उत्तर प्रदेश
14. अरुणाचल प्रदेश
15. चण्डीगढ़
16. दादरा तथा नागर हवेली
17. गोवा, दमन तथा दीव
18. लक्ष द्वीप
19. मिजोरम

भारत सरकार +2 स्तर पर व्यावसायीकरण आरम्भ करने की आवश्यकता पर राज्यों पर लगातार बल देती रही है। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से व्यावसायीकरण तेजी से शुरू करने के लिए मई, 1984 में हुई सचिवों की बैठक में एक बार फिर अनुरोध किया गया था।

(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड गठित किया गया है।

(ङ) अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकलापों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकरण

(क) कक्षा 10 के बाद अखिल भारतीय आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए समन्वय योजना तैयार करना।

(ख) माध्यमिक स्तर पर (उदाहरण के तौर पर पाठ्यचर्या, संस्था, परीक्षाएं आदि) व्यावसायिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करना और उन पर सलाह देना।

(ग) अध्यापन, आवास, उपकरण और स्टाफ के सम्बन्ध में व्यावसायिक स्कूलों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा-विषयक सुविधाओं के स्तर निर्धारित करना।

(घ) विभिन्न क्षेत्र, जिनमें राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएं, में विशिष्टि शाखाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना।

(ङ) देश में विभिन्न राज्य बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करना।

(च) राज्य व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड की सहायता के लिए देश में व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों के प्रशासन के लिए सामान्य मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना।

(छ) जहां कहीं अनिवार्य हो राज्य बोर्डों तथा अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड के बीच प्रभावी सम्पर्क बनाने के लिए उपाय सुझाना।

(ज) एक ओर तो व्यापार तथा उद्योग, सरकारी विभागों (केन्द्र तथा राज्य, दोनों) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, और अन्य नियोक्ता एजेन्सियों जैसे विभिन्न व्यावसायिक/पेशेवर अभिरुचियों तथा

दूसरी ओर अखिल भारतीय बोर्ड और राज्य व्यावसायिक शिक्षा बोर्डों के बीच प्रभावी सम्पर्क और समन्वय के लिए उपाय सुझाना ।

(झ) डी० जी० ई० टी०, श्रम मंत्रालय के परामर्श से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के उत्पादों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं (उत्तर-प्रमाणीकरण) सुझाना तथा उन्हें तैयार करना ।

(ञ) व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शामिल नहीं है, की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डी० जी० ई० और टी०, श्रम मंत्रालय के परामर्श से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की उपयुक्त योजना तैयार करना ।

(ट) 10+2 के अन्तर्गत प्रदत्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ भारतीय फार्मेसी परिषद भारतीय दन्त्य परिषद, नर्सिंग परिषद, एन० सी० वी० टी० आदि जैसे अन्य बोर्डों तथा परिषदों के तत्वावधान में विभिन्न पाठ्यक्रमों के समकक्ष पाठ्यक्रम तैयार करना ।

(ठ) सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अन्तर्गत विभिन्न रोजगारों/व्यापारों के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने के सुझाव देना ।

(ड) एकरूपता तथा मान्यता के प्रयोजन के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रत्येक व्यवसाय के लिए न्यूनतम सक्षमताएं तैयार करना तथा उनके सुझाव देना ।

(ढ) समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपे गए कुछ अन्य कार्यों को निष्पादित करना ।

भाप इंजिनों के स्थान पर डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का प्रयोग किया जाना

1772. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाप से चलने वाले इंजनों का प्रचलन पुराना पड़ गया है और यह खर्चीला है तथा इससे प्रदूषण भी होता है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के स्थान पर डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का प्रयोग करने के लिए अब तक क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना से इस प्रणाली के स्थान पर बिजली और डीजल इंजनों का प्रयोग करने के लिए कौन-सी योजनाएं तैयार की गई हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भाप कर्षण का प्रचलन पुराना पड़ गया है और डीजल तथा बिजली कर्षण की तुलना में यह खर्चीला भी है । तीनों प्रकार के सभी कर्षण

के लिए दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना आवश्यक होता है जिसके परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न डिगरियों का प्रदूषण होता है।

(ख) डीजल और बिजली रेल इंजनों का निर्माण डीजल रेल इंजन कारखाना तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाना में किया जा रहा है तथा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार भाप रेल इंजनों को बदला जा रहा है जिससे निर्माण-कार्यक्रम निर्धारित होता है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अभी बनाई जा रही है।

राजधानी एक्सप्रैस का जुलाई, 1984 के पहले सप्ताह में रतलाम के निकट दुर्घटनाग्रस्त होना

1773. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस के जुलाई, 1984 के प्रथम सप्ताह में रतलाम के निकट दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण थे तथा यह दुर्घटना किस समय और किन परिस्थितियों में हुई;

(ख) उपरोक्त दुर्घटना में रेल विभाग और यात्रियों की सम्पत्ति को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सन्दर्भ में सुरक्षा और नियमितता के अभाव के क्या कारण थे और क्या इस बीच सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है; और

(घ) इस बारे में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 151 डाउन राजधानी एक्सप्रेस 2-7-84 को 00.55 बजे उस समय दुर्घटनाग्रस्त हुई जब रतलाम स्टेशन छोड़ने के बाद उसका अन्तिम डिब्बा पटरी से उतर गया और उसमें आग लग गयी। दुर्घटना के कारण की जांच वरिष्ठ अधिकारियों की विभागीय समिति के द्वारा की जा रही है।

(ख) रेलवे सम्पत्ति को और गाड़ी द्वारा ढोये जा रहे सामान को हुई क्षति का अनुमान क्रमशः 89,600 रुपये और 1100 रुपये लगाया गया है।

(ग) और (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारण मानवीय भूल के अलावा उपस्कर की खराबी है। रेलों को गहन निरीक्षण, बार-बार अचानक जांच करना तथा कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की सही विधियों को अपनाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करने और रेलपथ, चलस्टाक, सिगनल व्यवस्था तथा अन्य उपस्करों जैसी परिचालनिक परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण तथा हालत में सुधार करने सहित इस पद्धति में सुधार करने के लिए संरक्षा प्रयास करने के निदेश दिये गये हैं।

पुरूलिया-कोटशिला छोटी लाइन का बदला जाना

1774. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरूलिया कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और रेलवे बोर्ड को तत्सम्बन्धी रिपोर्ट पेश कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना की स्वीकृति के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट योजना आयोग को अग्रेषित कर दी गई है । योजना आयोग ने हाल ही में कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है जिनकी जांच की जा रही है ।

नीलांचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना तथा उसके मार्ग में परिवर्तन

1775. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री हरिहर सोरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और पुरी के बीच नीलांचल एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यह एक्सप्रैस रेलगाड़ी सप्ताह में तीन दिन बारास्ता खड़गपुर आदरा होकर चलेगी; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आल इंडिया रेलवे मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन की वार्षिक आम बैठक

1776. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको आल इंडिया रेलवेज मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसियेशन, दक्षिण पूर्व क्षेत्र को 10 व 11 जून, 1984 को नागपुर में हुई छठी वार्षिक आम बैठक में पारित किये गये संकल्पों की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार संकल्पों में उल्लिखित कठिनाइयों को हल करने के उपाय कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संकल्पों का सम्बन्ध भर्ती पर से प्रतिबन्ध हटाने, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कामगार प्रतिकर अधिनियम में शामिल करने, कम्प्यूटरों की स्थापना न करने, कम बिजली प्रभार, अस्पताल सुविधाएं, रेलवे संस्थानों का उपयोग, उच्च ग्रेड वाले पदों को भरने जैसी सामान्य तथा स्थानीय मांगों से है ।

स्थानीय मांगों की जांच स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों के परामर्श से की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, प्रशासनिक तथा वित्तीय सीमाओं के अन्दर कार्रवाई की जाती है ।

सामान्य मांगों पर सरकार की नीति के अनुरूप विचार किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां स्थाई वार्ता तंत्र तथा संयुक्त वार्ता तंत्र योजनाओं के अन्तर्गत दोनों मान्यता-प्राप्त श्रमिक फेडरेशनों अर्थात् ए. आई. आर. एफ. तथा एन. एफ. आई. आर. से परामर्श किया जाता है जो सभी कोटियों के रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

ई० एम० यू० डिब्बों में दो मोटरमैन तैनात करना

1777. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेल प्रशासन को ई. एम. यू. डिब्बों में दो मोटरमैन तैनात करने के निर्देश दिये हैं क्योंकि अकेला मोटरमैन कभी-कभी संकेतों की अनदेखी कर जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन ने उक्त निर्देश को लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) कलकत्ता क्षेत्र में हुई दुर्घटना के बाद रेल प्रशासनों को हिदायत दे दी गई है कि वे ई० एम० यू० मोटरकोच में मोटर मैन के लिए एक सहायक की व्यवस्था करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मोटर मैन सिगनलों का ठीक से

पालन कर सके और उसके द्वारा सिगनलों की अनदेखी करने पर उसे सावधान कर सके ताकि मोटर-मैन लगाये गये विभिन्न रफ्तार प्रतिबन्धों का दृढ़ता से अनुपालन कर सके। मई, 1984 के अन्त से इन अनुदेशों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

करनाल के निकट यमुना पर पुल

1778. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में करनाल के निकट यमुना पर पुल का निर्माण किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल के लिए योजना तैयार कर ली गई है;

(ग) पुल के निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(घ) क्या उपर्युक्त पुल का निर्माण कार्य केन्द्र सरकार द्वारा करवाया जायेगा अथवा हरियाणा सरकार द्वारा करवाया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) हरियाणा सरकार ने, जो कि इस पुल से मुख्य रूप से सम्बद्ध है और इसका निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है, सूचित किया है कि इस पुल के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है। वे इस पुल की ब्यौरेवार डिजायन/योजना तैयार कर रहे हैं। इसकी अनुमानित लागत जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है, 4.00 करोड़ रु० है। भारत सरकार इस पुल के लिए 3.00 करोड़ रु० की ऋण सहायता देने के लिए सहमत हो गई है, शेष राशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से पूरी की जायेगी।

मुरथल से करनाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 को चार उपमार्गों वाला मार्ग बनाया जाना

1779. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड ट्रंक रोड (शेरशाह सूरी रोड) स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 1 को मुरथल से करनाल तक चार उपमार्गों वाला मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रांड ट्रंक रोड को चार उपमार्गों वाला बनाने के लिए विश्व बैंक से कोई ऋण इस बीच प्राप्त हो चुका है; और

(ग) मुरथल से आगे के मार्ग को चार उपमार्गों वाला बनाने सम्बन्धी कार्य के किस तारीख तक आरम्भ हो जाने तथा उसके करनाल तक कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चूंकि अभी परियोजना तैयार की जा रही है, अतः उसके प्रारम्भ किये जाने और पूरे किये जाने के बारे में किसी निश्चित तारीख के सम्बन्ध में बताया नहीं जा सकता ।

करनाल और कुरुक्षेत्र में रेलवे ओवरहैड पुलों का निर्माण

1780. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय करनाल और कुरुक्षेत्र में रेलवे ओवरहैड पुलों का निर्माण करने पर सिद्धान्त रूप से सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कितने समय में और किस तारीख से शुरू होने की आशा है;

(ग) क्या यह पुल तथा इसके दोनों तरफ के सम्पर्क मार्ग रेल मंत्रालय द्वारा बनाये जाएंगे अथवा रेल विभाग और हरियाणा सरकार दोनों ही मिलकर इसे बनाएंगे;

(घ) करनाल और कुरुक्षेत्र में उक्त पुल बनाने पर अलग-अलग लगभग कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इन पुलों का निर्माण शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा उक्त पुलों का निर्माण कब करने का निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) इन ऊपरी सड़क पुलों का काम हरियाणा राज्य सरकार से अनुमानित लागत की स्वीकृति प्राप्त होने पर आरम्भ किया जाएगा ।

(ग) रेल पथ पर मुख्य पुल का निर्माण रेलवे द्वारा किया जाना है और पहुंच मार्गों का निर्माण हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।

(घ) करनाल और कुरुक्षेत्र के ऊपरी सड़क पुलों की अनुमानित लागत 118.80 लाख रुपये और 158.37 लाख रुपये है जिसमें से रेलवे का हिस्सा क्रमशः 50.59 लाख रुपये और 77.25 लाख रुपए है।

(ङ) करनाल में ऊपरी सड़क पुल के अनुमान के बारे में स्वीकृति देने के लिए हरियाणा सरकार विचार कर रही है। कुरुक्षेत्र ऊपरी सड़क पुलों के सम्बन्ध में रेल योजनाओं और अनुमान को अन्तिम रूप दे रही है क्योंकि यह कुरुक्षेत्र यार्ड के ढांचे में परिवर्तन से सम्बद्ध है।

कालका-लुधियाना के बीच वास्ता चन्डीगढ़ रेल लाइन

1781. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालका-लुधियाना और चण्डीगढ़ के बीच रेल लाइन स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : कालका/चण्डीगढ़ और लुधियाना के बीच एक रेल लाइन के निर्माण के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

कुष्ठ रोग को मेडिकल विषयों में शामिल करना

1782. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुष्ठ रोग को भी मेडिकल विषयों में शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बीं० शंकरानन्द) : (क) और (ख) कुष्ठ में अध्यापन और प्रशिक्षण पहले ही स्नातक-पूर्व चिकित्सा पाठ्यचर्या में शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने मार्च, 1982 में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा से सम्बन्धित अपनी सिफारिशों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम० डी०) तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (डी० लेप०) के लिए कुष्ठ में विशेषज्ञता का निर्धारण किया है।

रेलवे स्टेशनों के समीप फालतू भूमि पर कर्माशयल काम्प्लेक्स

1783. **श्री रींतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1980 में यह निर्णय किया था कि रेलवे स्टेशनों और जंक्शनों के समीप फालतू भूमि पर मास्टर प्लान के द्वारा या तो कमिर्शियल काम्प्लेक्स बनाये जाएंगे या यह भूमि बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित करने हेतु सहकारी समितियों को दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो इस बीच किन-किन स्थानों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रेंड काड लेन पर कोडरमा स्टेशन के दक्षिण और उत्तर में बेकार पड़ी भूमि के बड़े भाग को बेरोजगार व्यक्तियों की सहकारी समिति को 90 वर्ष के पट्टे पर आबंटित करने और उन्हें उस भूमि पर दुमंजिला बाजार बनाने की अनुमति देने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। शापिंग और वाणिज्यिक प्लाटों के लिए भूमि को अस्थाई लाइसेंस पर देने के जरिये अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए जून, 1980 में रेलों को केवल मार्गदर्शन जारी किये गये हैं। इन मार्गदर्शन सिद्धान्तों में बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटन के लिए सहकारी समितियों के लिए भूमि को लाइसेंस पर देने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) वाणिज्यिक परिसरों के लिए किसी भी मास्टर प्लान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

हजारीबाग-रांची रेल लाइन का निर्माण

1784. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय श्री केदार पांडे द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार हजारी बाग नगर से रांची तक बरास्ता गिरिडीह-झबुआ कोडरमा बड़ी रेल लाइन के निर्माण के प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चार महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण रेल लाइन का निर्माण कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) रांची से हजारी बाग टाउन और उससे आगे कोडरमा के रास्ते गिरिडीह तक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं यातायात सर्वेक्षण एक अनुमोदित सर्वेक्षण है। गिरिडीह और कोडरमा के बीच पहले चरण के लिए इंजीनियरी क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा हो गया है और शेष भाग के लिए सर्वेक्षण चल रहा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा इसकी जांच कर लेने के बाद ही प्रस्तावित लाइन के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो और योजना आयोग स्वीकृति प्रदान कर दे।

माल्दा स्टेशन, आसनसोल जंकशन और धनबाद डिवीजन के विकास पर खर्च हुई धनराशि

1785. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 से 1984 तक माल्दा रेलवे स्टेशन, आसनसोल जंक्शन और धनवाद रेलवे डिवीजन के विकास और विस्तार पर कितनी धनराशि खर्च की गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलगाड़ियों का देरी से चलना

1786. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से रेलगाड़ियों के देरी से चलने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां। अप्रैल, मई और जून, 84 में समय-पालन में गिरावट आ गई थी।

(ख) गिरावट का कारण था बार-बार उपस्कर की खराबी, खतरे की जंजीर का खींचा जाना तथा खराब मौसम।

(ग) रेलवे बोर्ड कार्यालय में तथा क्षेत्रीय और मंडल स्तर पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर गहरी निगरानी के कारण अब समय-पालन में वृद्धि का रुख दिखाई पड़ रहा है।

बिहार में रेलवें का विकास

1787. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार रेलवे के विकास हेतु कोई नई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) बिहार में विभिन्न रेल लाइन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बिहार सरकार से पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण रेल लाइन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन ।

2. बंजारी के रास्ते डेहरी-आन-सोन से यदुनाथपुर तक नई बड़ी लाइन ।

3. लाल मटिया कोल फील्ड से परिपंटी तक नई बड़ी लाइन ।

4. गुवा तथा चिरिथा के रास्ते वराईबुरु से मनोहरपुर तक नई बड़ी लाइन ।

5. बरकाखाना लूप पर दोहरी लाइन बिछाना ।

(ग) संसाधनों की कठिन तंगी तथा पहले दिये गये भारी आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए, इन निर्माण-कार्यों को विचारार्थ, संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक, प्रतीक्षा करनी होगी ।

बिहार के जिलों में चेचक का महामारी के रूप में फैलना

1788. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भोजपुर देवधर (मधुपुर) तथा कुछ अन्य जिलों में चेचक महामारी के रूप में फैली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीमारी के कारण बच्चों की भी मृत्यु हुई है;

(ग) इस बीमारी के महामारी के रूप में फैलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बाड़ से विलारा तक नई रेल लाइन

1789. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर मण्डल के अन्तर्गत बाड़ से विलारा तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण करने हेतु दो वर्ष पूर्व बजट में प्रावधान किया गया था;

(ख) क्या सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो कब;

(ग) क्या इस बीच सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सर्वेक्षण का काम कब तक पूरा हो जायेगा, और क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस रेल लाइन को बिछाने के लिए प्रावधान किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण नवम्बर, 1981 में शुरू किया गया था ।

(ग) सर्वेक्षण मई, 1983 में पूरा हो गया था ।

(घ) और (ङ) सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि इस लाइन पर 10.97 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और यह वित्तीय दृष्टि से जीवन-क्षम नहीं होगी । संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्तावित लाइन-निर्माण कार्य को विचारार्थ संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ?

कान्वेंट शिक्षित शहरी लड़के-लड़कियों में नशीली दवाओं के सेवन का प्रचलन अधिक होना

1790. **श्री के० प्रधानी** :
श्री छोटूभाई गामित :

क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विख्यात विद्वानों द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर एक अध्ययन में बताया गया है कि कान्वेंट शिक्षित शहरी लड़के-लड़कियों द्वारा कालेजों अथवा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने पर नशीली दवाओं और शराब का प्रयोग किए जाने का बड़ा खतरा रहता है और यदि छात्र होस्टल आवास लेता है तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है; और

(ख) यदि हां, तो युवा पीढ़ी में इस बुराई को रोकने के लिए सरकार का उन्हें समझाने-बुझाने की अथवा दण्डात्मक कार्यवाही करने का क्या विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां, इस मंत्रालय द्वारा 7 चुने हुए विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रायोजित अध्ययनों के अनुसार ।

(ख) सरकार शराब और नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जन संचार साधनों से प्रचार के माध्यम से और शिक्षात्मक प्रचार के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करके भी लोगों को शिक्षित करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

2. लोगों को, विशेषकर छात्रों को शराब और नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के प्रयासों को तेज करने के लिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों में एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया। शिक्षात्मक प्रचार को और अधिक रोचक बनाने के लिए छात्रों में विश्वविद्यालय स्तर पर नाटक प्रतियोगितएं प्रायोजित की जा रही हैं। प्रत्येक दूरदर्शन रीजन में पुरस्कार पाने वाले दो उच्च कोटि के नाटकों को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा ।

3. सरकार नशीली (नारकाटिक) दवाओं और साईकोट्रोपिक पदार्थों पर नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

4. राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे विश्वविद्यालयों/कालिजों/होस्टलों/कैम्पसों में नशीली दवाओं के सेवन की लत के विरुद्ध विशेष सतर्कता बरतें और छात्रों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ने से रोकें ।

5. इसी तरह शिक्षा मंत्रालय ने उपकुलपतियों और राज्य शिक्षा सचिवों को पत्र भी लिखा है जिसमें उन्हें इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

आल इण्डिया रेलवे मिनिस्टीरीयल स्टाफ एसोसिएशन, कलकत्ता की मांगें

1791. **श्री अमल दत्त :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय को आल इंडिया रेलवे मिनीस्टिरियल स्टाफ एसोसिएशन, साउथ इस्टर्न जोन, गार्डनरीच, कलकत्ता-43 से दिनांक 2 जुलाई, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस पर वहां के कर्मचारियों और श्रमिकों के हस्ताक्षर हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डनरीच और हाइड रोड एरिया, कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालयों के कर्मचारियों को उपलब्ध कुछ सुविधाएं वापिस ले ली गई हैं; और

(घ) क्या सरकार इन सुविधाओं को पुनः बहाल करने के लिए कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) हावड़ा से भगवानपुर तक निशुल्क जलयान सेवा;

(ii) एक जोड़ी शटल गाड़ी सेवा (ओल्ड ब्रेस ब्रिज स्टेशन से गार्डन-रीच तक)

(iii) उन रेल कर्मचारियों को निशुल्क आवासीय कार्ड पास जारी करना, जो उपनगरीय यात्रियों के रूप में रोजाना कार्यालय जाते हैं।

(ग) और (घ) पहली दो मांगें स्थानीय प्रकृति की हैं। ऐसी स्थानीय मांगों की जांच, स्थानीय रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार-विमर्श करके की जाती हैं और जहां आवश्यक पाया जाता है वहां प्रशासनिक और वित्तीय सीमाओं के भीतर कार्रवाई की जाती है।

जलयान सेवा पहले हुगली नदी जलपथ परिवहन समिति द्वारा चलाई जाती थी। समिति द्वारा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के कारण इस सेवा को बन्द कर देना पड़ा था। कर्मचारियों के लिए अब पर्याप्त रूप से सार्वजनिक सड़क परिवहन उपलब्ध है। इसके अलावा, सर्कुलर रेल परियोजना शुरू होने से कलकत्ता में परिवहन की और भी सुविधा हो जायेगी।

तीसरी मांग में सामान्य प्रयोज्यता निहित है। ऐसी मांगों पर सरकारी नीति के ढांचे के भीतर, जहां कहीं आवश्यक होता है, स्थाई वार्तातंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र योजनाओं के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो मान्यता प्राप्त श्रमिक फेडरेशनों, अर्थात् ए. आई. आर. एफ. और एन. एफ. आई. आर. के साथ परामर्शपूर्वक विचार किया जाता है।

दिल्ली में विभिन्न टर्मिनलों पर दिल्ली परिवहन निगम बस पंक्ति शैल्टर मुहैया कराना

1792. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दिनों दिल्ली परिवहन निगम के अनेक बस टर्मिनल स्थापित किए गये हैं, जिनमें विशेष रूप से आई. आई. टी. के समीप हौजखास में तथा अजमेरी गेट, दिल्ली की और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (नया प्रवेश द्वार) पर स्थित टर्मिनलों पर प्रतीक्षारत यात्रियों को चिलचिलाती धूप और वर्षा से बचाने के लिए कोई बस-पंक्ति शैल्टर मुहैया नहीं किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अन्य टर्मिनलों का ब्यौरा क्या है, जहां पर ये मूल सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं, जो सड़क के किनारे वाले स्टापों पर भी प्रदान की जानी चाहिए; और

(ग) इन टर्मिनलों पर प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए शैड मुहैया कराने हेतु अनुमानतः कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी तथा यह सुविधा वहां प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) हौजखास टर्मिनल को छोड़कर, ऐसा कोई अन्य टर्मिनल नहीं है जहां दिल्ली परिवहन ने बस बेज और शेल्टर न बनाए हों। हौजखास में भी बस क्यू शेल्टर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अजमेरी गेट की तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्राधिकरण ने अपनी ही जमीन पर बसों और अन्य प्रकार के वाहनों के खड़े होने के लिए जगहें बनायी हैं। यह दिल्ली परिवहन निगम का बस टर्मिनल नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बसों का बस स्टापों पर न रुकना

1793. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसें मुख्य बस स्टेंडों पर भी नहीं रुकती हैं और बस चालक बसों को निकाल कर ले जाते हैं, भले ही बसों में काफी जगह हो जिसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं की भारी कठिनाइयों के साथ-साथ सरकार को राजस्व की भी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि प्रत्येक बस प्रत्येक बस स्टाप पर रुके और प्रतीक्षा कर रहे सभी यात्रियों को लेकर जाएं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम को अपने कुछ ड्राइवरों द्वारा उचित बस स्टापों पर बसें नहीं रोकने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से दोषी कर्मियों के विरुद्ध निन्दा, चेतावनी आदि जैसी विभागीय कार्रवाई निश्चित रूप से की गई है। प्राइवेट आपरेटरों की बसों के मामले में सामान्यतः उनके प्रचालन को भी बन्द कर दिया जाता है। दिल्ली परिवहन निगम ने अपने सभी ड्राइवरों को भी यह स्थायी अनुदेश दिए हैं कि वे अपनी रूटों पर सभी स्टापों पर बस रोकें। यात्रियों की सहायता के लिए और बस के कर्मियों द्वारा सही स्टापों पर बसें रोकने के बारे में अनुदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख नोडल केन्द्रों पर चेकिंग स्टाफ भी तैनात किए जाते हैं।

डाक्टरों और चिकित्सा से सम्बन्धित अन्य जनबल के स्थानान्तरण को हतोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम

1794. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री विशेषज्ञ चिकित्सकों के विदेशों को पलायन के बारे में 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5599 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्टरों तथा चिकित्सा से सम्बन्धित अन्य लोगों के अन्य देशों में पलायन को हतोत्साहित करने के लिए शुरू की गई 5-सूत्री नीति के अनुसरण में इस बीच क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) 5-सूत्री नीति के अन्तर्गत तैयार की गई योजना के लिए वर्ष 1984-85 हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) डाक्टरों को देश में रोजगार और अनुसंधान के लिए लाभप्रद और बेहतर अवसर उपलब्ध करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) चिकित्सीय जन शक्ति का पलायन एक जटिल मुद्दा है जिसके कई कारण हैं। यद्यपि कर कारणों से ऐसा होता है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशों में बेहतर वित्तीय पेशकश सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 9 से 11 जुलाई, 1984 को हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद् के दसवें संयुक्त सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गईं जिनसे डाक्टरों को देश में ही प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर देने में बहुत मदद मिलेगी :—

(1) मेडिकल कालेजों को 'चिकित्सा शिक्षा को समय अनुकूल बनाने' की योजना के अन्तर्गत छात्रों द्वारा ग्रामीण इलाकों में किए गये कार्य के आधार पर छात्रों को लाभ देने की प्रणाली तैयार करनी चाहिए।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिए कि वे चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों की "सतत् चिकित्सा शिक्षा" की सदैव बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर अपने प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमताओं को मजबूत बनाएं।

(3) मेडिकल कालेजों के संकाय-सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा राज्यों की प्रशिक्षण संस्थाओं में आयोजित थोड़े समय वाले कोर्सों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(4) विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संगठनों को चाहिए कि वे अपने चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसाय के लोगों को समय-समय पर सतत् चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजने हेतु अपनी प्रविधियां तैयार करें।

(5) सभी चिकित्सा कार्मिकों को विषय परिचायक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराई जाएं। इसके लिए उनकी अनुपस्थिति को ड्यूटी माना जाए तथा उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि दिया जाए।

(6) चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवसाय के लोगों के लाभ के लिए गश्ती संगोष्ठियां, कर्मशालाएं और प्रदर्शनी-शिविर आयोजित किए जाएं।

कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता और मांग

1795. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान 121.36 मिलियन टन कोयले की ढुलाई के लिए प्रतिदिन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होती है;

(ख) वर्ष 1983-84 में कोयले की ढुलाई के लिए प्रतिदिन कितने डिब्बे उपलब्ध होते थे;

(ग) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान प्रतिदिन डिब्बों की उपलब्धता और 1984-85 के दौरान अनुमानित डिब्बों की मांग में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो कितना अन्तर है; और

(ङ) क्या रेल विभाग वर्ष 1984-85 में उपरोक्त अन्तर को दूर करने में सक्षम है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) चौपहियों के हिसाब से 14,563 माल डिब्बे प्रतिदिन।

(ख) चौपहियों के हिसाब से उपलब्धता 13,322 माल डिब्बे प्रतिदिन थी जिनमें से प्रतिदिन केवल 11,641 माल डिब्बों का लदान किया गया था।

(ग) से (ङ) "शेष बचे" और "खाली ले जाए गए" माल डिब्बों की सप्लाई के बाद उपयोग न किए गए माल डिब्बों और पिछले वर्षों में मई से अक्तूबर तक के मन्दे सीजन के महीनों के दौरान कोयला क्षेत्र द्वारा लदान के लिए कोयले की प्राप्ति में परम्परागत मौसमी गिरावट के आधार पर 1984-85 में रेलों में 1050 लाख टन (12,600 माल डिब्बे प्रतिदिन) कोयला ढोने का अनुमान लगाया है। रेलें 1984-85 में 1100 लाख टन (13,200 माल डिब्बे प्रतिदिन) कोयला ढोने में सक्षम हैं, बशर्ते कि कोयला क्षेत्र पूरे वर्ष मौसमी गिरावट के बगैर लगातार कोयले की सप्लाई प्रदान कर सकें। और कोयला के लदान के लिए सप्लाई किए गये सभी माल डिब्बों का अनुमेय छूट समय में लदान किया जाये। हालांकि चालू मन्दे मौसम के दौरान भी प्राप्ति में गिरावट आई है।

परिवार नियोजन संचालन के लिए प्रेरणा

1796. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि परिवार नियोजन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में महत्वाकांक्षी लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि में काफी बड़ा अन्तर है;

(ख) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का सफलता या असफलता के लिए प्रेरणा एक प्रमुख प्रेरक बल है और इस सम्बन्ध में विशेषकर महिलाओं में साक्षरता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जहां महिलाएं अधिक शिक्षित हैं वहां उनकी शिक्षा ने छोटे परिवार के लिये एक उत्प्रेरक का काम किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अधिक बच्चा पैदा करना आर्थिक दृष्टि से अन्य कार्यों की बजाय अधिक आवश्यक माना जाता है, वहां प्रेरणा देना आवश्यक है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1980-84 की अवधि के दौरान परिवार नियोजन के सभी तरीकों के लक्ष्यों की औसतन उपलब्धि लगभग 82 प्रतिशत रही । इस कार्यक्रम को अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम को अपनाने वालों की संख्या 144 लाख हो गई जो कि किसी वर्ष के दौरान अब तक की सर्वाधिक संख्या है । 1979-80 में यह संख्या 55 लाख थी । सूचना, शिक्षा और संचार के विस्तृत प्रयोग के जरिए दम्पतियों को परिवार नियोजन अपनाने के लिए राजी करके इस कार्यक्रम को पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है । हालांकि भारत में पर्याप्त तथा निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि महिलाओं की साक्षरता और उनकी हैसियत का छोटे परिवार के मानदन्ड को अपनाने में काफी प्रभाव पड़ता है ।

(घ) कुछ लोग बच्चों को आर्थिक सम्पत्ति समझते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी धारणा को दूर करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चलाए जाते हैं ।

बाढ़ के कारण पारलाकीमिडी-गुणुपुर मार्ग को हुई क्षति

1797. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को परलाकीमिडी और गुणुपुर छोटी लाइन को उस क्षेत्र में आई हाल की भारी बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण पूर्व रेल के अधिकारियों ने उक्त मार्ग और पुलों की मरम्मत करने तथा उस लाइन को पुनः चालू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसमें विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त मार्ग रेलगाड़ियों के चलने के लिए कब खुल जाएगा जैसा दक्षिण पूर्व रेल ने संकेत दिया है; और

(ङ) उक्त मार्ग की मरम्मत कार्य के लिए तथा लाईन को पुनः खोलने हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) 30-6-84 को अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण पुल संख्या 338 ('7×200' गर्डर) का पाया संख्या-6 पहुंच तट बन्ध के सांथ बह गया था । इसके पुनःस्थापन का काम जो, अब प्रगति पर है, तत्काल आरम्भ कर दिया गया था और इस पर शीघ्र ही पुनः यातायात शुरू हो जाने की आशा है ।

शिक्षा के लिए आबंटन में वृद्धि हेतु कदम

1798. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के लिए धनरशि के आबंटन के प्रतिशत में कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालत सातवीं योजना में शिक्षा के लिए आबंटन की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रहा है ।

समस्त विश्वविद्यालयों के प्रबंध में एकरूपता के लिए कानून

1799. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी विश्वविद्यालयों के शासन और प्रबन्धों में एक रूपता लाने के लिए समुचित कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) देश में विश्वविद्यालयों के अभिशासन के ढांचों और उनके संगठन की पद्धतियों में वांछनीय एकरूपता लाने के लिए एक विधान पर सरकार ध्यान दे रही है। प्रस्तावित विधान के ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र

1800. **श्री नारायण चौबे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (अखिल भारतीय) के छात्रों के लिये निर्धारित प्रश्न पत्रों की तुलना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (दिल्ली) की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हमेशा कठिन होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कीम के प्रश्नपत्र उन अध्यापकों द्वारा बनाये जाते थे जिन्होंने कभी भी स्कूलों में नहीं पढ़ाया और और अखिल भारत स्कीम के प्रश्न पत्र ऐसे अध्यापक तैयार करते हैं जो स्कूलों में पाठ्य विषयों से सम्पर्क रखे हुए होते हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकारी स्कूलों के भूगोल अध्यापकों के एक शिष्टमंडल ने 21 मई, 1984 को इस सम्बन्ध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से भेंट की थी;

(घ) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली स्कीम के छात्रों और अध्यापकों की शिकायत दूर करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) अभ्यावेदकों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उन्होंने अनुरोध किया था कि (I) केवल भूगोल अर्हताओं वाले अध्यापकों को ही निरीक्षक बनाया जाना चाहिये; (II) भूगोल के लिए वेतन वही

होने चाहिये जो अन्य विषयों के मामले में लागू होते हैं; (III) भूगोल में व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए राशि बढ़ाई जानी चाहिये; (IV) अन्य विषयों की तरह व्यावहारिक भूगोल में बाह्य निरीक्षक सहित एक आन्तरिक निरीक्षक की नियुक्ति करना; और (V) जो शिक्षक वास्तव में कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं और भूगोल से सम्बन्धित हैं, +2 स्तर के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने चाहियें।

(ङ) जहां तक भूगोल के लिए निरीक्षकों के रूप में भूगोल अध्यापकों की नियुक्ति करने का सम्बन्ध है, अभ्यावेदकों को सूचित कर दिया गया है कि बोर्ड द्वारा पहले से ही इस प्रथा का अनुसरण किया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लिखित अन्य बातों के बारे में उन्हें सूचित किया गया है कि इन्हें बोर्ड की परीक्षा सम्बन्धी समिति के समक्ष यथासमय विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया गया था कि जहां तक अखिल भारतीय तथा दिल्ली योजनाओं दोनों के प्रश्न पत्रों के स्तरों का सम्बन्ध है, इनमें कोई भिन्नता नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटों को उनके लिए खाली कराना

1801. **श्री नारायण चौबे :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित सीटों पर बैठने वाले पुरुष महिलाओं को खड़ी देखकर भी यहां तक कि जब महिलाओं के हाथ में बच्चे होते हुये भी आमतौर पर सीट खाली करने में इंकार कर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कंडक्टरों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी करेगी कि बसों में ऐसी घटनायें न हों ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पुरूषों के इस प्रकार के व्यवहार की घटनायें निगम के ध्यान में लाई गयीं हैं।

(ख) कंडक्टरों को यह स्थायी निदेश दिये गये हैं कि जब कभी अनुरोध किया जाय तब महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को पुरूष यात्रियों से खाली करवाने के लिये हरसंभव कोशिश किया करें। पुरुष यात्री द्वारा महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों को खालो करने से जानकारी करने की स्थिति में, बस को तब तक रोक देना चाहिये जब तक कि या तो यात्री सीट खाली न कर दे या बस न छोड़ दे। इस प्रकार के निदेश समय-समय पर दुहराये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कंडक्टरों द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न करने पर किसी विशेष शिकायत के मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है।

सातवीं योजना के दौरान नये रेल पथ और स्टेशन बनाया जाना

1802. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान कितने किलोमीटर लम्बी नई रेलवे लाइन बिछानें, किन-किन रेलवे लाइनों का पुनरुद्धार करने और रेल पथ को दोहरा बनाने का विचार किया गया है; और

(ख) कितने नये रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, इसलिये इस समय ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सातवीं योजना में निर्माण किये जाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या सातवीं योजना के आकार तथा विकसित होने वाले यातायात की आवश्यकता पर निर्भर करेगी।

'व्हील एन्ड एक्सल' परियोजना के लिए भर्ती

1803. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'व्हील एण्ड एक्सल' परियोजना में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) क्या रेलवे प्रशासन का विचार 'व्हील एण्ड एक्सल' कारखाने में कर्मचारियों की भर्ती करते समय स्थानीय लोगों को वरीयता देने का है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) निर्माण कार्य और मशीन तथा उपस्करों के संस्थापन का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है। परीक्षण उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा बिजली की पूर्ण आवश्यकता को पूरा कर दिये जाने पर संयंत्र के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि होने की प्रत्याशा है।

(ख) यह संयंत्र केन्द्रीय सरकार की यूनिट है और इस उच्च स्वचालित संयंत्र को चलाने के लिये सभी विभिन्न स्तरों पर अर्हता प्राप्त सक्षम तथा अनुभवी कर्मचारी लगाये जाने की आवश्यकता होगी। यदि वे किसी भी स्थान पर उपलब्ध हों। बहरहाल कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती करने के मामले में इस संयंत्र में पर्यवेक्षण, कारीगर तथा अकुशल स्तर पर स्वाभाविक रूप से स्थानीय लोगों को लगाये जाने के लिये पर्याप्त अवसर मिलेंगे।

रेल सुधार समिति की सिफारिशें

1804. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री चिंतामणि जैना :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने रेल सुधार समिति की कौन-कौन-सी महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और प्रत्येक को किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा चुका है; और

(ख) क्या रेलवे की आर्थिक स्थिति और कार्यनिष्पत्ति पर उनका कोई प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) समिति द्वारा की गई 1807 सिफारिशों में से अब तक 495 सिफारिशों को मान लिया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है । ये सिफारिशें संरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम, परिवहन, रेल पथ, पुल और भूमि, रेलवे आरक्षित निधि, चल स्टाक का उत्पादन और अनुरक्षण, किराया और भाड़ा संरचना, सुरक्षा, अनुसंधान और विकास, कार्मिक सिगनल और दूर-संचार, मितव्ययिता, महानगर परियोजना और सामग्री प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं। रेलों के निष्पादन और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी असमायिक होगा ।

इन्टर्नस एसोसिएशन, मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और हास्पीटल, मिदनापुर द्वारा दिया गया ज्ञापन

1805. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**
श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टर्नस एसोसिएशन, मिदनापुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हास्पीटल, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) से 28 जून, 1984 का कोई ज्ञापन मंत्री महोदय को मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां ।

(ख) इस ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं :

(i) होम्योपैथी डाक्टरों, विशेषकर डिग्रीधारियों की देश-भर की स्वास्थ्य सेवाओं में उपेक्षा की जाती है। एक सुझाव दिया गया है कि उन्हें रेलवे, कोयला खानों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त किया जाए।

(ii) वेतनमान और अन्य सुविधाएं एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर होनी चाहिए।

(iii) होम्योपैथिक संस्थाओं में दाखिले के मामलों तथा अध्यापन में भ्रष्टाचार दूर किया जाना चाहिए।

(iv) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर शिक्षा।

(ग) देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी का विकास करना सरकार की नीति है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के संयुक्त सम्मेलन ने 9-11 जुलाई, 1984 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों का भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी द्वारा इलाज कराने की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए संस्थागत सुविधाएं जुटाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के नौवें संयुक्त सम्मेलन के एक संकल्प के अनुसरण में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई थी कि एलोपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के वेतनमानों में विद्यमान विसंगतियों को कम और कालान्तर में समाप्त कर दिया जाए।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद के नौवें संयुक्त सम्मेलन के संकल्प के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह जोर देकर कहा गया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के कालेजों के अन्धाधुन्ध खोले जाने से रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे काम-काज सुचारु रूप से करें। दसवें संयुक्त सम्मेलन में इस सिफारिश को दोहराया गया है। जहां तक होम्योपैथी में स्नातकोत्तर शिक्षा का सम्बन्ध है, अभी तक कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है।

दिल्ली में प्रदूषित जल सप्लाई के कारण यकृत शोथ की महामारी फैलना

1806. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में प्रदूषित जल सप्लाई के कारण यकृत शोथ की महामारी फैल गई थी; और

(ख) क्या इस बीमारी का मुख्य श्रोत पानी है और यदि हां, तो क्या दिल्ली में इस महामारी के फैलने का कारण जन स्वास्थ्य और नगर प्राधिकारियों का असफल होना है और यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है/उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) किसी भी क्षेत्र में हैपाटाइटस के फैलने का आम कारण है जल में संदूषण का होना । वैसे, दिल्ली में हैपाटाइटस महामारी के रूप में नहीं फैला है ।

अतिसार रोग के नियंत्रण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम

1807. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री के० मालन्ना :
श्री एन० डेनिस :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिसार रोग से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के विचार से इस रोग पर नियंत्रण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) अतिसार संबंधी रोगों की रोकथाम करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक कार्यक्रम शुरू करने का विचार है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की अतिसार रोग से होने वाली मृत्यु-दर को 1990 तक 50 प्रतिशत कम करने के प्रयत्न किए जाएंगे । इस कार्य के लिए लोगों माताओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों, अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं को ओरल रीहाइड्रेशन फ्लूड का उपयोग करने, व्यक्तिगत सफाई रखने और अतिसार रोगों की रोकथाम करने और उन पर नियंत्रण रखने संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । प्रत्येक स्वास्थ्य गाइड को, जिसे इस समय ओ. आर. एस. के 60 पैकेट दिये जा रहे हैं, प्रति वर्ष ओ. आर. एस. के 100 पैकेट दिये जाएंगे ।

जमालपुर में रेलवे वर्कशाप

1808. **श्री नारायण चौबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1984 के स्टेट्समैन में 'रेल प्रोजक्ट्स आफ दि ट्रैक' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत तिरुपति में 1980 में 11.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक कैरीएज रिपेअर प्राजक्ट बनाई थी;

(ग) क्या यह सच है कि विलम्ब होने के कारण परियोजना की लागत 27 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है;

(घ) क्या उपरोक्त समाचार के अनुसार रेलवे को विदेशों से 6 भारी क्रेनें खरीदनी पड़ी थीं;

(ङ) क्या जमालपुर स्थित रेलवे वर्कशाप इस प्रकार की क्रेनों का निर्माण करने में सक्षम हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त क्रेनों को अमरीका, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों से खरीदने के क्या कारण थे और सौदे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तिरुपति दक्षिण-मध्य रेलवे पर स्थित है न कि दक्षिण-पूर्व पर। 1980 में 11.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तिरुपति में एक सवारी-डिब्बा मरम्मत कारखाने का प्रस्ताव दक्षिण-मध्य रेलवे से प्राप्त हुआ था। इस योजना को उद्यतन करने और ओवरहाल तथा मरम्मत के काम की व्यवस्था के उद्देश्य से योजना में कुछ बड़े संशोधन किए गये ओर 18.33 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था।

(घ) से (च) जमालपुर में नये डिवीजन का बहुत भारी ड्यूटी वाली डीजल हाइड्रालिक ब्रेक डाउन क्रेनों के निर्माण की टेकनालाजी या जानकारी उपलब्ध नहीं है। भारतीय रेलों पर प्राप्त अनुभव के आधार पर, वह आवश्यक समझा गया कि आधुनिक भारी ड्यूटी वाली डीजल हाइड्रालिक ब्रेक डाउन क्रेनें प्राप्त की जायें और इसके साथ-साथ जमालपुर और पेराम्बूर के रेलवे कारखानों में इन भारी ड्यूटी वाली ब्रेक डाउन क्रेनों का निर्माण आरम्भ करने के उद्देश्य से इन कारखानों में क्षमता का विकास किया जाये। इस प्रकार की टेकनालाजी का अन्तरण करने और उत्तरोत्तर रूप से इस काम को आरम्भ करने के उद्देश्य से कुछ क्रेनों का आयात करना आवश्यक समझा गया है, कुछ खुले हुए पुर्जों की हालत में और कुछ जोड़े जाने वाले हिस्सों के रूप में, ताकि इन दोनों कारखानों के कर्मचारी उत्तरोत्तर रूप से इन विदेशी निर्माताओं द्वारा अन्तरित विशेषज्ञता और टेकनालाजी के साथ-साथ इन क्रेनों के निर्माण की जानकारी प्राप्त कर सकें।

विभिन्न क्षेत्रों की 15 परियोजनाओं के लिए "यूनेस्को" से सहायता

1809. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "यूनेस्को" ने विभिन्न क्षेत्रों की 15 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 1984-85 के लिए भारत को 30 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के क्या नाम हैं, जहां पर उन परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। तथापि यूनेस्को द्वारा बहुत-सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आंशिक रूप से यू. एन. डी. पी. देश कार्यक्रम (सी. पी-11) 1979-1983 (जिसे 1985 तक बढ़ाया गया है) के अन्तर्गत यू. एन. डी. पी. द्वारा तथा आंशिक रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

(ख) से (घ) ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

यूनेस्को द्वारा चलाई जा रही उन परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए यू० एन० डी० पी० सहायता दे रहा है

क्रम संख्या	सं० तथा परियोजना का नाम	कुल यू० एन० डी० पी० निवेश अमेरिकी डालर	1984 का आवंटन अमेरिकी डालर	1985 का आबंटन अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5
1.	आई० एन० डी०/74/045 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की, उत्तर प्रदेश	988,716	313,825	—
2.	आई० एन० डी०/75/009 सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	437,428	8,437	—

1	2	3	4	5
3.	आई० एन० डी०/78/056 उत्तर स्नातक जल विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान, रुड़की, उत्तर प्रदेश	422,342	118,153	—
4	आई० एन० डी०/80/030 उत्तर स्नातक इंजीनियरी शिक्षा तथा अनुसंधान, बड़ौदा, गुजरात	1,275,712	355,416	53,725
5	आई० एन० डी०/80/031 उत्तर स्नातक इंजीनियरी शिक्षा तथा अनुसंधान, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	675,606	78,939	—
6.	आई० एन० डी०/81/026 कम्प्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी एण्ड सालिडिफिकेशन बिहेवियर आफ लिक्विड्स ऐट अल्ट्रा हाई प्रेशर्स (दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली)	166,360	31,360	126,000
7.	आई० एन० डी०/82/036 जल तथा शक्ति सूचना पद्धति केन्द्रीय जल और शक्ति अनुसंधान, स्टेशन पूना, महाराष्ट्र	846,500	21,3000	612,473
8.	आई० एन० डी०/82/047 शैक्षिक आयोजना के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में उच्च प्रशिक्षण	74,520	16,000	29,800
9.	आई० एन० डी०/82/039 सांस्कृतिक सम्पत्ति पर पर्यावरण के प्रभार का अध्ययन, सांस्कृति सम्पत्ति संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ, उत्तर प्रदेश	208,000	81,262	25,015

1	2	3	4	5
10.	आई० एन० डी०/83/016 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	2,267,140	400,895	1,045,760
11.	आई० एन० डी०/77/013 औद्योगिक नमूना केन्द्र, बम्बई, महाराष्ट्र	658,244	5,000	—
12.	आई० एन० डी०/78/001 चुने हुए विश्वविद्यालय विभागों को विशेष सहायता (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) नई दिल्ली	2,918,853	365,136	—
		10,939,421	1,987,423	1,892,773

यूनेस्को तथा एफ० ए० ओ० द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए यू० एन० डी० पी० द्वारा सहायता दी जा रही है

क्रम संख्या	सं० और परियोजना का नाम	कुल यू० एन० डी० पी० निवेश अमेरिकी डालर	1984 का आबंटन अमेरिकी डालर	1985 का आबंटन अमेरिकी डालर
1	2	3	4	5
1.	आई० एन० डी०/78/020 निम्नलिखित केन्द्रों में स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए उच्च अध्ययन केन्द्र हैं—	5,355,050	955,775	1,180,824
	(क) तमिलनाडु विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर तमिलनाडु में कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान में उच्च अध्ययन केन्द्र			

1	2	3	4	5
	(ख) भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान बंगलौर कर्नाटक में ट्रापिकल उद्यान में उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(ग) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में टेम्परेट उद्यान में उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(घ) केन्द्रीय समुद्री मत्स्य-उद्योग संस्थान कोचीन केरल में मेरीकल्चर में उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्लांट फिसिओलाजी में उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(च) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल हरियाणा में डेरी प्रोसेसिंग में उच्च अध्ययन केन्द्र			
2. आई० एन० डी०/83/020 निम्नलिखित केन्द्रों में त्वरित कृषि विकास के लिए कृषि शिक्षा और अनुसंधान :—		4,438,000	542,000	762,500
	(क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना पंजाब में ऊर्जा प्रबन्ध में उच्च अध्ययन केन्द्र			

1	2	3	4	5
	(ख) जी० बी० पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर में पोस्ट हारवेस्ट प्रौद्योगिकी में उच्च अध्ययन केन्द्र ।			
	(ग) भा० कृ० अ० सं०, नई दिल्ली में प्लांट वायरस शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(घ) भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कृषि सांख्यकी और संगणक अनुप्रयोग में उच्च अध्ययन केन्द्र			
	(ङ) जी० बी० पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत-नगर, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कृषि संचार में उच्च अध्ययन केन्द्र ।			

जल की कठोरता के कारण साबुन के अपव्यय को रोकने के लिए किया गया अध्ययन

1810. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानी की कठोरता के कारण होने वाले साबुन के अपव्ययन के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कठोर पानी से होने वाले साबुन के अपव्यय की समस्या को रोकने और इस प्रक्रिया में महंगे तेलों के विकल्प का प्रयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की है अथवा करने पर विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। बैठ जाइए, अन्यथा मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूं? मैंने किसी चीज को भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है।

मैं सदन में कुछ बातें कहना चाहता हूं···

कृपया अपनी सीट पर जाइये। यदि आप अपनी सीट पर नहीं जाएंगे तो मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप काम नहीं करने देना चाहते तो मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

इस तरीके से करने से थोड़े ही हो सकता है। आप लोगों की बात कतई कुछ समझ में नहीं आती है। मैं खड़ा हूं और आप अब भी बोले जा रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ थोड़ा बहुत तो लिहाज होना चाहिए आदमी को । कुछ थोड़ा बहुत तो रूल्स का ख्याल होना चाहिए । अगर आप नियम तोड़ेंगे तो बाहर वाले क्यों नहीं तोड़ेंगे ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर रूल्स से होगा तो ऐसे कैसे होगा ? अब आप 20 आदमी बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल क्यों कर रहे हैं ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरीके से करेंगे तो कोई काम बन थोड़े ही जायेगा । यह तो तरीके से होगा कोई डिस्कशन ।

···(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : तो कल क्या कहा था ? झख मारा था हमने ? कल क्या किया था ? आप कार्यवाही नहीं देखते हैं तो मेरा कसूर है इसमें ? कल क्या किया था ?

···(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : फिर आप 20 आदमी खड़े हो जाते हैं । आपको इतनी तमीज नहीं है जो सारे आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं । मैंने एक बात कही । आप पांच आदमी दस आदमी एक साथ क्यों खड़े हैं ? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जब कल फैसला हुआ कि हम लोग विजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में तय करेंगे तो उसमें सब आ जायेगा···

···(व्यवधान)**···

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यही चाहते हैं, तो आप अपनी बात कह लीजिये । मैं चुपचाप बैठकर आपकी बात सुनता हूं । कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

आप तो दस आदमी बोलना चाहते हैं एक साथ ।

...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कोई यहां स्टेट की बात उठाना चाहते हैं, जब वह उठाते हैं तो आप चिल्लाते हैं, आप उठाते हैं तो वह चिल्लाते हैं ।...

...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप के कहने से स्टेट सबजेक्ट जो है वह कोई सैक्रोसेंट नहीं हो जाता है और वह कहते हैं तो कोई पाप नहीं हो जाता है ।

...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । मैं राज्य के किसी भी विषय पर यहां चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा । कोई प्रश्न नहीं । यह राज्य का विषय है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात में पक्षपात नहीं करूंगा । मैं कर्नाटक का विषय नहीं लूंगा, मैं आन्ध्र के विषय को नहीं लूंगा, मैं पश्चिम बंगाल के विषय को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जम्मू एवं काश्मीर के विषय को नहीं लूंगा । यह सीधी सी बात है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं । यह नहीं हो सकता । कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । इस पर विचार करने के लिए राज्य सरकार है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत तथा गैर-जिम्मेदाराना है । आप इस सदन में तमाशा कर रहे हैं । आप गलियारे से चीख रहे हैं । यह खेदजनक है । जो कुछ आप कर रहे हैं, वह इस सदन के लिए अपमानजनक है ।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.10 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा व इसका वार्षिक प्रतिवेदन तथा

नेशनल फैडरेशन ऑफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा व इसका वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 408 (अ), जो 29 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स एंजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्ज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 464 (अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 469(अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, और मैसर्स लिली बार्ले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 471(अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स इंडियन हैल्थ इंस्टीच्यूट एण्ड लेबोरेटरी लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है ।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 401(अ), जो 22 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स ब्रेंटफोर्ड इलैक्ट्रिक (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 467(अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स श्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, बेलघरिया, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 472 (अ), जो 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स अपोलो जिप्पर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 479 (अ), जो 30 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स बंगाल पौट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 489 (अ), जो 6 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स एसोशिएटिड इंडस्ट्रीज (आसाम) लिमिटेड, चन्द्रपुर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(छः) का० आ० 491 (अ), जो 6 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8506/84]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपरोक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 8507/84]

(5) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिब्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ इण्डस्ट्रियल कोआपरेटिब्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपरोक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8508/84]

योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) नियम, 1984

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं एशियाटिक सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, योजना बोर्ड (एशियाटिक सोसाइटी) नियम, 1984, जो 25 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 472 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8509/84]

12.11 म० प०

वित्तीय समितियां, 1983-84—एक समीक्षा

महासचिव : मैं "वित्तीय समितियां, 1983-84—एक समीक्षा" की हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए एल० टी० संख्या 8510/84]

12.11½

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 30 जुलाई, 1984 को अपनी बैठक में पारित भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 1 अगस्त, 1984 को अपनी बैठक में पारित विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1984

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1984।

12.12 म० प०

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री बोलेंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना और औद्योगिक पुनरूज्जीवन के लिए प्रत्यय और पुनर्निमाण अधिकरण के रूप में कृत्य करने और उसमें लगी हुई अन्य संस्थाओं के वैसे ही कार्य का समन्वय करने और औद्योगिक विकास में सहायता तथा उसका संप्रवर्तन करने और औद्योगिक समुत्थानों का पुनरुद्धार करने के लिए उक्त पुनर्निर्माण बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नाम से ज्ञात निगम के उपक्रम का उक्त पुनर्निर्माण बैंक को अन्तरण करने और उसमें निहित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना और औद्योगिक पुनरूज्जीवन के लिए प्रत्यय और पुनर्निर्माण अधिकरण के रूप में कृत्य करने और उसमें लगी हुई अन्य संस्थाओं के वैसे ही कार्य का समन्वय करने और औद्योगिक विकास में सहायता तथा उसका संप्रवर्तन करने और औद्योगिक समुत्थानों का पुनरुद्धार करने के लिए उक्त पुनर्निर्माण बैंक को समर्थ बनाने की दृष्टि से भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के नाम से ज्ञात निगम के उपक्रम का उक्त पुनर्निर्माण बैंक को अन्तरण करने और उसमें निहित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती खड़े हुए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कार्य नहीं है। मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। यह मेरा कार्य नहीं है। मैं अध्यक्ष हूं। मैं अपना कार्य जानता हूं। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अध्यक्ष की भूमिका या उसकी कार्यवाही के बारे में कोई टिप्पण नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन वक्तव्य दिये जायेंगे। श्री कृष्ण प्रताप सिंह।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12.13 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) न्यायालयों में, विशेषकर पटना में, बड़ी संख्या में विचाराधीन पड़े मामलों को निपटाना

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, देश के न्यायालयों में विशेष रूप से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दिन-प्रतिदिन लम्बित मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है। इस विषय में स्थिति की गम्भीरता का पता इस बात से चल सकता है कि उच्च न्यायालयों में 3 वर्ष पुराने मामलों की संख्या लगभग 2,20,000, उच्चतम न्यायालय में करीब 10,000 और अकेले पटना उच्च न्यायालय में मामलों की संख्या लगभग 14,000 है। न्याय के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब से "न्याय में विलम्ब होना न्याय न मिलना" की उक्ति शब्दशः चरितार्थ होती है। अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं कि प्रतिवादी की मृत्यु के बाद मामले सुनवाई के लिए आते हैं। साथ ही यदि मामला 10, 15 अथवा 20 वर्ष के बाद लिया जाता है तो इतने लम्बे समय के बाद साक्ष्य का कोई मूल्य अथवा महत्व नहीं रह जाता है। न्याय प्रशासन में स्थगन आदेश एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि एक ही प्रकार के मामले में भिन्न-भिन्न निर्णय दिए जाते हैं और यहां तक कि वही मामला जहां एक पीठ द्वारा अस्वीकृत किया जाता है वहां दूसरी पीठ द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा एक ही प्रकार के अपराधों में सजा भी भिन्न-भिन्न होती है।

न्यायालय में पड़े इन मामलों का स्वरूप एवं समस्या यह है कि इन मामलों की संख्या बहुत अधिक ही नहीं बल्कि ये मामले बहुत पुराने भी हैं। साथ ही चिन्ता का विषय यह है कि वर्तमान स्थिति में निर्धन न्याय से वंचित रह जाते हैं और धनी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। यही स्थिति बनी रही तो जनता का न्याय से विश्वास हट जाएगा और लोकतन्त्र की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी।

मामलों का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित पड़े रहने का कारण देश में न्यायाधीशों की कमी तथा न्याय के निर्णय में विलम्ब होना है। न्यायालयों का दीर्घकालीन अवकाश भी काफी हद तक इन मामलों में वृद्धि का कारण है। न्याय प्रक्रिया के बहुत खर्चीला होने के कारण एक ओर गरीब अपने मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की क्षमता नहीं रखते, दूसरी ओर धनी धन के बल पर अपने मामलों को लम्बी अवधि तक खींचते रहते हैं।

इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए अब समय आ गया है कि कानून और कानून की प्रक्रिया को देश की सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए जिससे समाज का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सम्भव हो सके।

अभी हाल ही में कानून मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी कई उपाय सुझाये गए हैं। जो सुझाव इस सम्मेलन में दिए गए थे उन पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या की गंभीरता पर शीघ्र विचार करेगी और उसके समाधान के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी ।

———

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, "प्रिया मैंगोज" मेरठ की यह कम्पनी है, इसने डैलीब्रेटली कुरान-शरीफ की आयतों पर अपने एडवर्टिजमेंट छापे हैं । इससे मेरठ-मुरादाबाद में काम्यूनल रायट्स हो सकते हैं । मैंने आपको एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जानता हूं, आपने जो मामला उठाया है, यह मामला स्थगन प्रस्ताव का नहीं है । मैं इसका ध्यान रखूंगा । मैं गृह मंत्री से इसके बारे में पूछूंगा और मुख्य मंत्री को भी लिखूंगा । कल गड़बड़ हो सकती है ।

(इसी समय श्री अब्दुल रशीद काबुली आये और सभा-पटल के पास जमीन पर बैठ गए ।)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह अपमान की हद है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है । मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कर नहीं सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों सुन लूं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कैसे सुन लूं। यह स्टेट गवर्नमेंट सब्जैक्ट है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कल रोइएगा। यह राज्य का विषय है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। चक्रवर्ती जी आप रोयेंगे और यहां दूसरे भी रोयेंगे। इसीलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे वही करना है जो सही है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मुझे और आप सबको नुकसान हो। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए। आज ये हाउस की बेइज्जती कर रहे हैं। कल कोई और कहेगा, मेरी बात सुनिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज तो मैं काश्मीर की बात कर लूं। कल कर्नाटक की आप कहेंगे, फिर कल वैस्ट बंगाल की बात आप कहेंगे, फिर आन्ध्र की बात कहेंगे।

मैं मुसीबत मोल नहीं लेने जा रहा हूं। मैं इस नियम के मामले में अडिग रहा हूं। मेरा दृढ़ निश्चय है।

मैं बाउण्डरी नहीं खोलना चाहता हूं। न मैंने उनको एलाउ किया और न इनको एलाउ करूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे इरादे को कोई बदल नहीं सकता है। अगर मैं कानूनी गलती करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। मैं रूल के मुताबिक काम करूंगा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों कर लूं। मैं दरवाजे नहीं खोलना चाहता हूं। स्टेट एसेम्बली में जाकर कहिए।

यह केन्द्र का विषय नहीं है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं अपने-अपने हिसाब से काम करिए, तो ठीक है। मुझे मजबूर मत करिए।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैंने कहा है, परन्तु मैं नियमों द्वारा बाध्य हूं। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : इन्हें मनाने के हमारे प्रयास विफल हो गए हैं। अब आप जो चाहें, करें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने के लिए मैं मजबूर हूं। मुझे यह करने के लिए दबाव मत डालें।

(व्यवधान)**

(इसी समय श्री अब्दुल रशीद काबुली अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी, कृपया बैठ जाइए।

डा० सुब्रह्मणयम् स्वामी।

(व्यवधान)**

(इसी समय श्री अब्दुल रशीद काबुली और प्रो० सैफुद्दीन सोज सभा से उठ कर चले गए)

(व्यवधान)**.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिल लेना, इसको सोमवार को करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने बतलाया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात करेंगे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इसके बारे में बात कर सकते हैं। कोई तरीका तो होना चाहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह आप क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। आपकी बात मैं सुनवा सकता हूं। आप मोशन दीजिए, उस पर मैं डिस्कशन करवा सकता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बस में क्या है। स्वामी जी, आप पढ़िये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लिख कर देंगे, तभी करवा सकता हूं, ऐसे कैसे करवा सकता हूं।

श्री सूरज भान : हां, लिख कर दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : रूल्स आपके पास बने हुए हैं और उनके तहत काम होना चाहिए। आप रूल्स का सहारा लीजिए और मेरे पास आइए, तब बात करेंगे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मुझे आशा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं।

श्री रशीद मसूद : आपने राजेश कुमार सिंह को एलाऊ किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो बात कही थी, वह रिकार्ड पर है। आप लिख कर विधान और रूल के अधीन कोई चीज देंगे, तो उस पर डिस्कशन करवाएंगे।...**(व्यवधान)**...यह उसी में है।

श्री रशीद मसूद : आपने राजेश कुमार सिंह को एलाऊ किया है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को एलाऊ नहीं किया है।

मैंने जो कुछ भी कहा है, वही कार्यवाही वृत्तान्त में जाएगा। मैं उसके प्रति वचनबद्ध हूं। किसी भी नियम के अधीन आप मुझे कुछ भी लिखकर देंगे, मैं उस पर विचार करने के लिए बाध्य हूं और मैं आपके साथ परामर्श भी करूंगा।

श्री रशीद मसूद : इससे पहले आपने एलाऊ किया था?

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी को मैंने बहुत देर से अनुमति दी हुई थी।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : बम्बई में डाक्टर भूख हड़ताल पर हैं। हमने उसके बारे में आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है। आप रूल्स पढ़ लें। आप पढ़कर नहीं आई हैं। मेरी भी हमदर्दी आपके साथ है लेकिन वह मामला सबजुडिश है। वह अभी भी हाई कोर्ट में है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : हमदर्दी इनके साथ है या डाक्टरों के साथ है?

अध्यक्ष महोदय : इनके साथ है। मैं उनके साथ हूं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : राज्य सभा में इस पर बहस हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें मेरा बस नहीं है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अतः महोदय, आप यह मानते हैं कि प्रवेश शुल्क एक बुरी चीज है।

अध्यक्ष महोदय : हां·····

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : श्रीमन् मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आपने अभी श्री बूटा सिंह जी के कहने पर कहा कि कोई चीज रिकार्ड पर नहीं जाएगी···

अध्यक्ष महोदय : यह जा रही है जो आप अब कह रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हम लोगों की नहीं जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इनको मैंने अलाऊ किया है।

श्री राम विलास पासवान : क्या हमको अलाऊ नहीं किया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अलाऊ नहीं किया था। मैंने एक शब्द की भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि आप इसमें वक्त जाया कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को सुन लिया है, जब और कोई सुनने की गुंजाइश नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपने एक रूलिंग दी थी कि आप लिखकर दीजिये, मैं इस मामले को देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिलकुल देखूंगा ।

श्री हरीश कुमार गंगावर : आप किस मामले को देखेंगे ? इससे पहले हमारा कहा हुआ···

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है···

(व्यवधान)

और नहीं, अब अधिक मत बोलिये, यह बिलकुल असंगत हो गया है·····

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैंने एक प्रिविलेज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा, आपने प्रिविलेज दिया है, मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप ही की बात कर रहा हूं। एक तो अति होती है, लेकिन यहां तो अति को भी पार कर जाती है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आप ठीक बोला करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो ठीक बोलता हूं, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं हर बात को गम्भीरतापूर्वक लेता हूं । आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं गम्भीरतापूर्वक नहीं लेता···

(व्यवधान)

वह मेरी अनुमति के बिना हुआ था । यह सब अनावश्यक था·····

(व्यवधान)

मैं कार्यवाही वृतान्त में से कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, एक शब्द भी नहीं, जो मेरी अनुमति से कहा गया है···

(व्यवधान)

श्री जगपाल, मैं आपसे अधिक जानता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ही अकेले अभिरक्षक हैं तो ईश्वर हमें बचाये···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पचास व्यक्तियों को एक साथ बोलने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है···

(व्यवधान)

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

(दो) बम्बई के पूर्वी उप-नगरों और भांडुप कांजार में नमक विभाग की भूमि को विकास कार्यों के लिए दिए जाने की आवश्यकता

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : बम्बई के पूर्वी निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत अधिक भूमि पड़ी है जो उद्योग मंत्रालय के नमक विभाग की है। नवीनतम जनगणना के अनुसार बम्बई की जनसंख्या बम्बई के पूर्वी उप-नगरों में शीघ्रता से बढ़ रही है।

इस खाली पड़ी नमक विभाग की भूमि में से अधिकांश भूमि वृहत बम्बई नगर निगम को विकास हेतु चाहिये ताकि उसे पहुंच मार्ग, अस्पताल, शमशान भूमि, कब्रगाह, विद्यालय आदि के रूप में विकसित किया जा सके। वृहत बम्बई नगर निगम ने इस भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में एक दशक से भी अधिक समय पूर्व नमक आयुक्त, जयपुर को प्रस्ताव भेजे थे और तब से अब तक नमक आयुक्त की ओर से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है और कई विकास कार्यों में देरी हो गई है और नागरिकों को नागरिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ा है क्योंकि केन्द्र सरकार ने उस भूमि को अन्तरित नहीं किया है। बार-बार यह आश्वासन दिया गया है कि नीति बन रही है और जल्दी ही निर्णय हो जायेगा।

मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही इस भूमि को बम्बई निगम को दे दे।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह महाराष्ट्र सरकार की भांडुप-कांजार स्थित इसी प्रकार की भूमि को गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु और विश्व बैंक ऋण की सहायता से बम्बई में

शीघ्र ही चलाई जाने वाली आवासीय परियोजना हेतु दिए जाने सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार कर लें।

शेष खाली पड़ी भूमि सहकारी आवास समितियों और शैक्षिक संस्थाओं को निर्धन वर्ग हेतु कम लागत के मकान बनाने के लिए और विद्यालय और महाविद्यालय बनाने के लिए दे दी जाये।

(तीन) मांडवी पैलेट्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, एशिया का सबसे बड़ा पैलेट संयत्र मांडवी पैलेट्स लिमिटेड, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं, वास्तव में सफेद हाथी बन गया है। इस परियोजना की परिकल्पना 1974 में की गई थी। यह परियोजना स्थानीय किसानों के कड़े विरोध के बावजूद धान के बड़े-बड़े हरे-भरे खेतों का अधिग्रहण करके स्थापित की गई थी। यह संयुक्त क्षेत्र में लगाई एक परियोजना है। इसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण जैसे भारत सरकार के अधिकरण के 65 19 प्रतिशत शेयर हैं और चौगुले के 26.19 प्रतिशत शेयर हैं। चौगुले को परि योजना प्रबन्ध का कार्य भी सौंपा गया है। इस इकाई को फर्नेस तेल की कीमतों, जो कि एकदम बढ़ गई थीं और पूरे विश्व में इस्पात उद्योग में आई आम मन्दी जैसी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

यह सयन्त्र, जिसमें 536 कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारी कार्यरत थे, अन्ततः 1981-82 में बन्द हो गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 350 कामगारों की ओर वे भी प्रमुख क्षेत्र (कोर सैक्टर) में अस्थाई छंटनी कर दी गई है। कर्मचारियों ने अब एक एकसुश्त योजना बनाई है और भारत सरकार से इस उद्यम को बचाने का आग्रह किया है। ऐसा पता चला है कि भारत सरकार कर्नाटक में केद्रेमुख में एक और भी बड़ा पैलेट सन्यन्त्र लगाने जा रही है। कर्मचारियों का यह मत है कि यदि गोवा में पैलेट निर्माण प्रक्रिया की वित्तीय समस्या को हल करना संभव नहीं है और गोवा में चलना संभव नहीं है तो केद्रेमुख में यह कैसे चलाया जा सकता है। अतः मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले का स्थाई और पक्का हल ढूंढे।

12.36 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(चार) तमिलनाडु में इण्डेन गैस की कमी और भारतीय तेल निगम द्वारा उसकी नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : तमिलनाडु में कोयम्बटूर, पेरियार, सालेम एवं नीलगिरि जिलों में लगभग 70,000 उपभोक्ता पिछले चार महीने से इन्डेन गैस की अत्यन्त कम सप्लाई के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस गैस की कम सप्लाई की समस्या धीरे-धीरे तमिलनाडु राज्य के अन्य भागों में भी बढ़ती जा रही है।

यह प्रचार किया जा रहा है कि गैस का उत्पादन बढ़ गया है, पर तमिलनाडु में गैस की सप्लाई में दिन-प्रति-दिन कमी हो रही है। भारतीय तेल निगम को तमिलनाडु में इन्डेन गैस की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने तथा वर्तमान कमी को दूर करने के लिए इन्डेन गैस की शीघ्र सप्लाई के निदेश दिए जाने चाहिए।

(पांच) परिवार कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम में सूत्र संख्या 13 परिवार कल्याण योजनाओं के बारे में है। इन योजनाओं को तमिलनाडु सरकार प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि तमिलनाडु जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण पाने में इस समय पहले स्थान पर है।

1983-84 के लिये 3,90,000 नसबन्दी आपरेशनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था किन्तु लक्ष्य प्राप्ति 4,90,000 रही।

जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण के लिए प्रोत्साहन देने के स्थान पर तमिलनाडु सरकार को दण्डित किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य को जनसंख्या वृद्धि में कमी के कारण दो संसदीय निर्वाचन स्थानों से हाथ धोने पड़े हैं। इसी प्रकार, तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सहायता/अनुदान भी अपेक्षाकृत कम मिलते हैं क्योंकि अनुदानों और ऋणों की राशि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है।

परिवार कल्याण योजनाओं को उत्साह से लागू करने की दृष्टि से तमिलनाडु को दोनों संसदीय स्थान दिए जाने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाए एवं राज्यों के लिए अनुदान एवं ऋण स्वीकृत करने के लिए देश की समूचा जनसंख्या को आधार बनाया जाना चाहिए। जिन राज्यों ने न केवल जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई है अपितु उसमें कमी भी की है, उन्हें अधिक वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये।

(छः) जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने तथा उन पर और आगे अनुसंधान करने की आवश्यकता

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि देश में जीवन रक्षक दवाइयों का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है और न ही बहुराष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय दवा कम्पनियां दवा उत्पादन बढ़ाने तथा अनुसंधान कार्य में दिलचस्पी ले रही हैं। निजी क्षेत्र एवं बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां तो अनुसंधान कार्य पर बिक्री करके दो प्रतिशत से ऊपर व्यय भी नहीं करतीं। इस कारण मलेरिया, श्वांस रोग, संक्रामक रोग और कृमि रोगों के उपचार में काम आने वाली पांच जरूरी दवाओं, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, टेट्रासाइक्लीन, आक्सी-टेट्रासाइक्लीन और पिपेराजीन के बारे में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के लिए नेशनल

इन्स्टीच्युट आफ साइन्स टेक्नॉलाजी एण्ड डेवलपमेंट द्वारा काफी ध्यान दिया गया है और अपने एक अध्ययन में इनके उत्पादन को बढ़ाने एवं अनुसंधान पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अनुसार अनुसंधान की बेहतर प्रक्रिया विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वे इन जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने तथा अनुसंधान की कार्यवाही को विकसित करने के लिए बहुराष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र की दवा कम्पनियों से अनुबन्ध करा करके ही उसे लाइसेंस आदि तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो उससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करें एवं सख्ती बरतने पर गौर करें।

(सात) न्यायालयों द्वारा घोषित दंड की अवधि से अधिक समय तक जेल में रखे गए व्यक्तियों को मुआवजा देने का उपबन्ध करने के लिए एक विधेयक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विभिन्न जेलों में सजा अवधि से काफी अधिक दिनों तक कैदियों के रखे जाने के समाचार मिल रहे हैं। काफी निर्दोष लोगों को भी पैसा एवं पैरवी के कारण जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। संसार के दूसरे भागों की तुलना में भारत में आदमी एवं जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। गरीब का जीवन तो कीड़े एवं जानवर से भी बदतर है। जिस मुकदमे में एक दिन की न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाती उसी मुकदमे में कई सालों तक जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इन कुव्यवस्थाओं के तीन कारण हैं। एक तो महंगा न्याय तथा दूसरा न्याय मिलने में विलम्ब। तीसरा कारण है सरकार को कोई हरजाना नहीं देना पड़ता है।

अतः सरकार से मांग है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना वजह जेल में रखा जाता है या सजा की जितनी अवधि है उससे अधिक अवधि तक रखा जाता है तो सरकार उस व्यक्ति को हरजाना दे। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक भी प्रस्तुत करे। सरकार से यह भी मांग है कि वह मुफ्त न्याय एवं जल्द न्याय की व्यवस्था करें।

(आठ) स्कूलों/कालिजों और रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक उपबंध को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए घोषित सरकारी आरक्षण नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में घोषित आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। सरकारी सेवाओं में वर्ग एक, दो, तीन और चार के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा

रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस पर दोहरी मार पड़ती है। आम लोगों की धारणा है कि उसे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और वस्तुस्थिति यह है कि उसे तथाकथित विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शिक्षा में आरक्षण प्रवेश के लिए है न कि परीक्षा के मूल्यांकन में है। प्रवेश में आरक्षण का कारण उसकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विषम स्थितियां हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश का आधार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इसके लिए भी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही तो कारण है। स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण नहीं किया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति को पूरे तौर पर क्रियान्वित करने के लिए सक्षम कानून बनाया जाये।

(नौ) देश के विभिन्न भागों में कीड़ों द्वारा गन्ने की फसल को हुई हानि और इन फसलों को बचाने के लिए तुरन्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं सदन और सरकार का ध्यान गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह रोग इस प्रकार बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों की हजारों हैक्टेयर गन्ने की खड़ी फसलों में ग्रेब अथवा हापर आदि नाम के कीड़े गन्ने की पत्तियों को खाकर पूरी की पूरी फसलें नष्ट करते जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयां इन रोगों को रोक पाने में असफल रही हैं। परिणामस्वरूप गन्ने के उत्पादन में गिरावट आना प्रारम्भ हो गई है। वर्ष 1982-83 में देश में जहां गन्ना लगभग 189 मिलियन टन हुआ था, वहीं सन् 1983-84 में 25% के लगभग कम हो गया है। गन्ना शोध संस्थान गन्ने की तरह-तरह की किस्में तो बना रहा है, बढ़ा रहा है, परन्तु गन्ने में लगने वाले रोगों की रोकथाम करने के उपाय करने में असफल रहा है।

उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई आदि जिलों में भी गन्ने की हजारों हैक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं। मैं स्वयं जाकर देख आया हूं। जहां यह रोग गन्ने की फसलों में लगा है वहीं अन्य खरीफ की फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली आदि की फसलों की पत्तियों को खाता व नष्ट करता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र के किसान हतोत्साहित होकर गन्ने की फसलों को बोना और कम कर देंगे। परिणामस्वरूप चीनी के आयात की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। किसानों में व्यापक रोष है। सरकार से मांग है कि अविलम्ब इस रोग के निदान के उपाय किए जाएं। युद्ध स्तर पर प्रभावी दवाइयों का छिड़काव कराकर फसलें बचाई जाएं और गन्ना शोध संस्थान गन्ने में लगने वाले रोगों के रोकने के उपाय पर प्रभावी कदम उठावे।

(दस) बिहार के पूर्णिया जिलों को अकालग्रस्त घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : मान्यवर, नियम 377 के अन्तर्गत मैं मंत्री जी का ध्यान

अपने क्षेत्र पूर्णिया की ओर दिलाना चाहती हूं जो बाढ़ और वर्षा के कारण तबाह हो रहा है। शहर हो या देहात, लोग बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। शहर के कोई भी मुख्य स्थान पर लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। किसानों के लिए तो विषम समस्याएं बनी हुई हैं। जब मैं पिछली बार गर्मी के मौसम में अपने क्षेत्र के दौरे पर गई थी तो बजाए गर्मी से परेशान होने के वर्षा से कठिनाई का सामना करना पड़ता था और अभी की तो हालत ही कुछ और है। गर्मी से सारी फसल नष्ट हो चुकी हैं। किसान तैयार फसल खेतों से घर नहीं ला सके। अभी पानी का जमाव इतना है कि लोग 5 प्रतिशत से ज्यादा धान नहीं पा सकेंगे। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिहार सरकार से कहा जाए कि जल्द से जल्द वहां अकालग्रस्त इलाका घोषित किया जाये जिससे किसान मजदूर राहत की सांस ले सकें। मेरा एक निवेदन और है कि 84-85 का खजाना माफ कर दिया जाये तथा रबी फसल के लिए गरीब किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा बीज अनुदान के रूप में दिया जाए।

धन्यवाद।

(ग्यारह) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप शर्मा (विदिशा) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं।

विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था बिल्कुल बेकार और दोषपूर्ण है। टेलीफोन उपभोक्ताओं को स्थानीय तथा ट्रंक काल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश टेलीफोन खराब रख-रखाव और दोषपूर्ण उपकरणों के कारण या तो सही तरह से काम नहीं कर रहे अथवा खराब पड़े हैं। मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान निम्नलिखित बातों की ओर दिलाना चाहता हूं :

1. विदिशा स्वचल एक्सचेंज विभिन्न तकनीकी दोषों और खराब रख-रखाव के कारण संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है।

2. विदिशा ट्रंक एक्सचेंज इन्दौर ट्रंक एक्सचेंज से आपरेटर ट्रंक डायलिंग सर्किट (ओ० टी० डी०) द्वारा जुड़ा हुआ है। किन्तु अधिकांश समय तक यह ट्रंक एक्सचेंज प्रणाली खराब रहती है जिसके कारण विदिशा जिले के टेलीफोन उपभोक्ताओं को अच्छी ट्रंक सेवा नहीं मिल पाती।

3. विदिशा तथा सिरोंज के बीच सीधी टेलीफोन सेवा होनी चाहिए।

4. दुदनी और नसरुल्लागंज के बीच के टेलीफोन एक्सचेंज को होशंगाबाद की बजाय जिला मुख्यालय सिहोर के साथ सीधे जोड़ा जाना चाहिए।

5. विदिशा और भोपाल के बीच माइक्रोवेव एस० टी० डी० लिंक परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। विदिशा-रायसेन तथा रायसेन-भोपाल के बीच भी माइक्रोवेव लिंक होना चाहिए।

(बारह) भारी वर्षा के कारण बिहार के कुछ जिलों में फसल तथा जनजीवन और सम्पत्ति को भारी हानि

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : महोदय, गंगा बेसिन में जून के अन्त से सितम्बर तक मुख्य वर्षा काल होता है। सोन, दामोदर, आजाई और क्यूल बेसिनों के संयंत्र क्षेत्र में मई, जून और जुलाई में लगभग 428 मिलीमीटर औसतन वर्षा होती है। लेकिन वर्ष 1984 में इस अवधि में इस बेसिन में कुल वर्षा 962 मिलीमीटर से अधिक हो चुकी है। इससे मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, सहरसा और बिहार राज्य के निकटवर्ती जिलों में फसलों और जनजीवन तथा सम्पत्ति की भारी हानि हुई है। सभी नदियों के किनारों के ऊपर से पानी बह रहा है, सड़कों को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है और बड़ी संख्या में कच्चे मकान ढह गये हैं। सिंचाई परियोजना और इसकी मुख्य नहर प्रणाली को भारी नुकसान हुआ है। खरीफ फसल की रोपाई में विलम्ब हुआ है, पौध को दो अथवा तीन बार तैयार करना पड़ा है और तैयार की गई धान की क्यारियों में भारी कटाव हुआ है। उर्वरक की खपत में भी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के किसानों और जनता को हुई असीमित हानि को ध्यान में रखते हुए मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह इस बारे में कृपया कार्यवाही करें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले को छोड़कर अन्य कोई मामला कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शास्त्री जी नियम 377 के अधीन आपका मामला कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

(तेरह) बिहार में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, साइंस फार सोसायटी, बिहार के तत्वावधान में पटना में 10-11 मार्च, 1984 को राज्य में ऊर्जा संकट के विषय पर एक विचार-गोष्ठी हुई थी। विचार-गोष्ठी में विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके यह मांग की गई थी कि बिहार में एक परमाणु बिजलीघर की स्थापना की जाये।

वर्ष 1960 में बिहार में 38 के० डब्ल्यू० एच० के राष्ट्रीय औसत खपत की तुलना में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 42 के० डब्ल्यू० एच० थी। तथापि वर्ष 1981-82 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 85 के० डब्ल्यू० एच० है जबकि देश की औसत खपत प्रति व्यक्ति 143 के० डब्ल्यू० एच० है। अप्रैल-दिसम्बर, 1983 में देश में बिजली की कमी 11.8 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि यह

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कमी बिहार में बढ़कर 39.6 प्रतिशत हो गई। देश में समग्र रूप से बिजली उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दर 1960-83 के बीच 9.8 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में बिहार बिजली बोर्ड में बिजली उत्पादन में वार्षिक वृद्धि की दर मात्र 2.5 प्रतिशत थी। इस बारे में यह नोट किया जाये कि जैसाकि समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि तत्कालीन केन्द्रीय योजना मंत्री, श्री एस० बी० चह्वाण ने यह नोट करते हुए कि बिहार में बिजली क्षेत्र में उत्पादन में कमी अधिक थी और उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसी परिस्थितियों में बिहार में अविलम्ब आणविक बिजली संयंत्र की आवश्यकता है। बिहार में परमाणु बिजली परियोजना के लिए अपेक्षित न केवल यूरेनियम के बड़े निक्षेप उपलब्ध हैं अपितु थोरियम, बेरेलियम आदि जैसे अन्य खनिज पदार्थ भी उपलब्ध हैं।

हाल ही में कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया गया है कि बिजली रिएक्टर लगाने का लाभ तभी अच्छा होगा यदि वे कोयला क्षेत्र के ताप बिजलीघरों से दूर स्थित हो जो मुख्यतया पूर्वी क्षेत्रों में हैं जिससे कि भविष्य में भी इस आणविक लाभ से इस क्षेत्र को वंचित किया जा सके।

इसको देखते हुए मैं प्रधान मंत्री से जोरदार अपील करता हूं कि वह सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार में एक आणविक बिजली संयंत्र की स्थापना करें।

(चौदह) सरकार द्वारा अपने विभागों में रोजगार कार्यालयों के जरिए भर्ती करने की नीति का पालन करते रहने की आवश्यकता

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि केन्द्रीय सरकार रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अनिवार्य सेवा-नियुक्ति की अपनी नीति की घोषणा प्रायः करती रही है किन्तु भर्ती के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों को जारी किये गये बहुत-से मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार और इसके अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा रेलवे जैसे विभाग रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। वास्तव में इस समय प्रचलित यह स्थिति खेदजनक है। वर्तमान कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए पर्याप्त आरक्षण करते हुए वरीयता और योग्यता के आधार पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केवल कुछ राज्य सरकारें ही उनके अपने अधीन और उपक्रमों के अधीन सभी पदों के लिए भर्ती की घोषित नीति का पालन कर रही हैं।

भारतीय रेलवे के ग्रेड-IV में भर्ती के मामले में हाल ही में हुई घटना इसका संकेत देती है। रेलवे के ग्रेड-IV में केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही भर्ती की जानी चाहिए। लेकिन केवल इसके उल्लंघन का ही पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लिलोह, कंचनपारा और खड़गपुर वर्कशापों में रेलवे में ग्रेड-IV में भर्ती के मामले में घोषणा इस बात का संकेत देती है। उपरोक्त भर्ती में अपनाई जा रही प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल तथा इसके पड़ौसी क्षेत्रों के लाखों बेरोजगार युवकों में भारी और व्यापक रोष है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रोजगार कार्यालयों के माध्यम के अतिरिक्त अन्य तरीकों से रेलवे में ग्रेड-IV में भर्ती न करे। मैं यह भी मांग करता हूं कि भविष्य में समस्त भर्ती केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही की जानी चाहिए।

12.56 म० प०

अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1984-85—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब राज्य की वर्ष 1984-85 के लिए बजट के बारे में अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान को करेंगे।

माननीय सदस्यगण, इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था। हम पहले ही 1 घंटा और 55 मिनट ले चुके हैं। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे अभी और बोलना चाहते हैं क्योंकि हम लगभग 2 घंटे का समय ले चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : दो घंटे और।

उपाध्यक्ष महोदय : एक विशेष मामले के रूप में मैं सत्तारूढ़ दल के और विपक्ष के एक माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूं और उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ वह कहते हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : **

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि शाम को देर से बैठने पर क्या होता है। कुछ तो अनुशासन होना चाहिए। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

मैं इस पक्ष के प्रो० सत्यदेव सिंह और उस पक्ष के जयपाल सिंह कश्यप को बोलने की अनुमति देता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास जो कुछ कहें उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : **

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(तत्पश्चात श्री गिरधारी लाल व्यास सदन से उठकर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सत्यदेव सिंह ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय; मैं पंजाब विनियोग विधेयक 1984 का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री, ने कल कहा था कि सीमा पर पुलिस विभाग के अधिकारियों की तस्करी के साथ मिली-भगत है, पुलिस विभाग में बहुत गड़बड़ है, उसने पृथकतावादी तत्वों को प्रोत्साहित करके अनुचित काम किया है और इन बातों की जांच की जानी चाहिये । उन्होंने यह भी कहा कि सेना को बहुत समय तक पंजाब में नहीं रखना चाहिये ।

प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा है कि पंजाब में जब तक सेना को रखने की आवश्यकता है, तभी तक हम वहां पर सेना को रखेंगे और जब सेना को वहां पर रखने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसे हटा लिया जायेगा । पंजाब में ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें भयंकर हत्या-कांड और अत्याचार होने लगे थे, जिसको नियंत्रित करना सामान्य प्रशासन के लिए संभव नहीं था । इसी कारण वहां पर सेना बुलाई गई थी, जिसका स्वागत सबने किया । जनता पार्टी के श्री मोरारजी देसाई ने इसका समर्थन किया था । सभी ने कहा कि इस कार्यवाही में कुछ विलम्ब हुआ है, लेकिन जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर को छोड़कर और किसी ने यह नहीं कहा कि पंजाब में सेना को नहीं भेजना चाहिये था । मैं समझता हूं कि अभी सेना का वहां पर रहना बहुत आवश्यक है । प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जब सेना को पंजाब में रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब उसको वापस बुला लिया जायेगा ।

माननीय सदस्य, श्री जगपाल सिंह, ने कल कहा कि पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनानी चाहिये और फौज के बल पर पंजाब में सामान्य स्थिति नहीं रखी जा सकेगी । प्रधानमंत्री ने कहा है कि सामान्य स्थिति को लाने के लिये ही हम सेना को वहां पर रख रहे हैं । जब वहां पर सामान्य स्थिति हो जायेगी, तो सेना का वहां पर कोई उपयोग नहीं रहेगा, मगर जब तक ऐसी स्थिति नहीं होती है, तब तक सेना का वहां रहना आवश्यक है ।

उन्होंने यह भी कहा कि बाबा संतासिंह से कार सेवा करवा कर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा संतासिंह एक संत हैं । उन्होंने स्वतः स्वेच्छया एक धार्मिक अनुष्ठान मानकर यह काम किया है । सरकार द्वारा कार सेवा के लिये उनसे अनुरोध नहीं किया गया है । श्री जगपाल सिंह ने कहा कि अकाली दल वाले कहते हैं कि बाबा संतासिंह की कार सेवा द्वारा स्वर्ण मन्दिर के किसी भाग की अगर मरम्मत की जायेगी, तो वे उसको गिराकर फिर उसका

1.00 म० प०

निर्माण करेंगे । ऐसी बात कही । इस बात की चर्चा सदन में नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे समाज-विरोधी तत्वों को या आतंकवादियों को या वैसे तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है जो राष्ट्रहित में नहीं

है। इसलिये यहां दूरदर्शितापूर्ण बात होनी चाहिये, ऐसी बात कहनी चाहिये जिससे समाज में और देश में सुव्यवस्था कायम हो सके।

बार-बार विरोधी पक्ष के भाई यह कहते हैं कि सेना को वापस बुला लेना चाहिये। सेना वापस बुला ली जायेगी तो ऐसी हालत में वहां शांति-व्यवस्था कैसे कायम रह सकेगी ? अभी भी वहां छिट-पुट घटनाएं हो रही हैं, अभी भी वहां हिंसा की सम्भावना है। इसलिये लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना भी सरकार का पवित्र धर्म है। अगर प्रधानमंत्री जी या हमारे गृह मंत्री जी ऐसा सोचते हैं कि नागरिकों की सामान्य सुविधा के लिये पंजाब में सेना का रहना आवश्यक है तो यह नितांत आवश्यक है कि वहां सेना अभी रहे और इसका मैं समर्थन करता हूं।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती ने बताया कि पंजाब में दस प्रतिशत भूमिपति 37 प्रतिशत भूमि पर अपना अधिकार रखे हैं और प्रत्येक के पास 87 एकड़ जमीन है। 44 प्रतिशत के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। 45 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। हरित क्रांति का फल केवल दस प्रतिशत को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा आबादी कृषि-कार्य से बाहर निकाली जा रही है। कृषि कार्य से जो बाहर जाते हैं उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। उनके सामने एक विवशता है। इस प्रकार से वे मानते है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती एक विद्वान व्यक्ति हैं और विद्वान का ऐसा तर्क मुझे आश्चर्यजनक मालूम होता है क्योंकि पंजाब में तो काम करने के लिये खेतिहार मजदूर हैं ही नहीं। जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से वहां मजदूर आते हैं। ये उद्योग धन्धे में इतने आगे बढ़े हुये हैं इतने समृद्ध हैं, पंजाब भारत का एक समृद्ध प्रदेश है और वैसी हालत में जो कृषि सेवा में काम करने वाले खेतिहर मजदूर हैं वह वहां रहे ही नहीं हैं। उनकी दैनिक आमदनी इतनी अधिक है कि खेती में काम करने वाले श्रमिक वहां मौजूद नहीं हैं और बिहार के गरीब मजदूर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर वहां आते हैं। इसीलिये यह कहना कि कृषि कार्य से बाहर निकाले जा रहे हैं, यह अनुचित है और सही बात नहीं है। पंजाब के आर्थिक विकास का यह प्रमाण है कि वहां पर खेतिहर मजदूर नहीं मिलते, खेतों में काम करने वाले लोग नहीं मिलते क्योंकि वहां के लोग गरीब नहीं हैं, यहां के लोग समृद्ध हैं, सम्पन्न हैं। इस कारण उनके सामने ऐसी बेवसी नहीं है।

प्रो० चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि पंजाबी युवकों को रोजगार गांवों में नहीं मिलता इसलिये शहरों में जाते हैं और शहरों में काम नहीं मिलता तो आतंकवादी हो जाते हैं। यह कल्पना की बात है। वह आतंकवादी इसलिये नहीं होते कि उन्हें काम नहीं मिलता। पंजाब तो ऐसा प्रदेश है कि जो भारत के दूसरे प्रदेशों के लोगों को भी अपने यहां नियोजन और रोजगार देता है। इसलिये यह कहना कि आतंकवाद वहां इस कारण से बढ़ रहा है, यह सही नहीं है क्योंकि आतंकवाद के पीछे कुछ उनकी पृथकतावादी नीति है, वह भारत के मूल राष्ट्र से, सम्पूर्णता से अलग एक खालिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। उस कल्पना के आधार पर वह समस्त भारत से अलग होना चाहते हैं। उनकी यह एक कल्पना है। इसलिये हम यह नहीं मानते कि इसके चलते उनको परेशानी है।

प्रो० चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि हरित क्रांति से सामाजिक तनाव है क्योंकि इसका लाभ

मुट्ठी भर लोगों को मिला है। ऐसी बात नहीं है। न केवल पंजाब के लोगों को बल्कि हरित क्रांति का प्रतिफल या लाभ समस्त भारत को मिला है। भारत आज इस स्थिति में है कि खाद्यान्न के मामले में वह आत्म-निर्भर है। यह हरित-क्रांति की देन है। इससे सामाजिक तनाव की स्थिति नहीं आती। इससे तो और सामाजिक सुविधा होती है, सामाजिक वैमनस्य मिटता है, खाने को दोनों वक्त भर पेट अन्न मिलता है। इसलिये यह सामाजिक तनाव का कारण कभी नहीं हो सकता। दूसरे प्रदेशों के मजदूर पंजाब जाते हैं क्योंकि पंजाब समृद्ध है और वहां खेतिहार मजदूर हैं ही नहीं।

ऐसी हालत में यह कहना कि सेना का वहां रहना अनुचित है, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है क्योंकि अभी यह स्थिति नहीं है। जब यह स्थिति आयेगी तो हमारी लोकप्रिय सरकार और माननीया प्रधानमंत्री जी, देश की सेवा में जिनका सारा समय लगता है, जिनके पूर्वज, पिता, पितामह ने भी भारत को अपने प्राणों से अधिक महत्व और ममता दी, उसी परम्परा में आज वे भी हैं। उनके सामने राष्ट्र की सेवा, मानव सेवा और विश्व की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिये पंजाब में जब तक लोकहित में और राष्ट्रहित में सेना की आवश्यकता है तभी तक सेना वहां पर रहेगी वरना उसको वहां से वापिस बुला लिया जायेगा। मैं समझता हूं वहां पर सामान्य स्थिति स्थापित हो जाने के बाद सेना की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब के बजट का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री जी के उपयोगी कदमों का हार्दिक अनुमोदन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब का बजट एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। जबकि इस बजट पर पंजाब की विधान सभा में जन-प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा और निर्णय किया जाना चाहिये था, वहां यह कार्य संसद में हो रहा है। मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि इसके लिये उत्तरदायी कौन है। इतिहास के अगले पन्ने बतायेंगे कि दोष किसका है। हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पंजाब बजट पर कोई चर्चा नहीं की है, लिहाजा मैं भी इस बजट पर कितनी चर्चा करूं यह समझ नहीं पा रहा हूं। हम यहां पर पंजाब के बजट की चर्चा कर रहे हैं और पंजाब में एक वाज आ रहा है, लोग कहते हैं कि गुरु गोविन्द सिंह का वाज है। यह जो गलतफहमी पैदा हो रही है इसके बारे में कुछ पता लगना चाहिये क्यों इस प्रकार से वहां पर लोगों के मनों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कहा जाता है कि जब भी संकट आया तब वाज दिखाई दिया है। तो इस बजट पर चर्चा के समय पंजाब में वाज का होना—इस स्थिति को सरकार द्वारा साफ किया जाना चाहिये कि कहां तक उसमें पोल है, कहा तक ढोंग है।

पंजाब में सेना लगी है, हमारी सारी फोर्स लगी है और हमारा पूरा प्रशासन लगा है लेकिन पंजाब में विदेशों से एंण्टी इंडियन पोस्टर लाकर लगा दिये जाते हैं। इसके लिये विरोधी दल दोषी नहीं ठहराये जा सकते। प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिये कि किन तत्वों ने उन पोस्टरों को लगाया है। हम यहां पर बड़े-बड़े भाषण झाड़ रहे हैं और आतंकवादी वहां पर नहरें काट रहे हैं। पीछे भाखड़ा नहर काटी थी और अब समाचार है और नहर काट दी है। आतंकवादियों ने अपनी

कार्यवाही को कम नहीं किया है। सेना की मौजूदगी में मैं भी यह सब हो रहा है। सरकार को बहुत सतर्क होकर काम करने की आवश्यकता है।

एक अजीब तमाशा और है। सभी जानते हैं कि भिण्डारवाले अब इस दुनियां में नहीं हैं लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी अमरीका और पंजाब में पोस्टर्स लगाये जा रहे हैं कि भिण्डरावाले जिन्दा हैं, तीन महीने बाद वे दर्शन देंगे तथा खालिस्तान के सम्बन्ध में नई दिशा देंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं ? सरकार का उत्तरदायित्व है कि इस तरह की अफवाहें फैलने न पावें। भिण्डरावाले की मृत्यु के सम्बन्ध में सारी स्थिति साफ की जानी चाहिये क्योंकि इस देश में अंध-विश्वासी लोग मौजूद हैं। आज भी सुभाष चन्द्र बोस को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसलिये सरकार इस स्थिति को साफ करे तथा पूर्ण रूप से सतर्क रहे।

मैं समझता हूं गुरुद्वारों में या अन्य धार्मिक स्थानों में अब हथियार इकट्ठा होने की नौबत नहीं आयेगी। आप चाहे इस बात को किसी भी रूप में लें, लेकिन मैं खासतौर से अकाली दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि उनके हाथ से यह आन्दोलन निकल गया था और आतंकवादियों के हाथ में आ गया था। देश को वह दुर्दिन देखना पड़ा था, जब वहां पर सेना को उपयोग में लाना पड़ा। अकाली दल के नेताओं से मेरा अनुरोध है, वे जो भी आन्दोलन चलाने की बात कर रहे हैं, वह उसको वापिस ले लें और इसकी निर्भीकता से देश में घोषणा कर दें। हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो समाजसेवी हैं, जो देश के हित में सोचते हैं, उनको अकाली दल के नेताओं से सम्पर्क करके अनुरोध करना चाहिये कि वे आन्दोलन वापिस ले लें। अहिंसा का आन्दोलन जब हिंसा की तरफ चले, अहिंसक आन्दोलन हिंसक को जाये, तो उसको देश के हित में वापिस लेना होगा। एक दफा महात्मा गांधी जी ने भी आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध वापिस लिया था, जब उनको स्वतन्त्रता आन्दोलन हिंसक हो गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं इसको वापिस लेता हूं। इसलिये अकाली दल के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि वे पंजाब के आन्दोलन को किसी भी तरह से वापिस ले लें और बैठकर मामलों को तय करें।

पंजाब में शिक्षा की स्थिति भी बड़ी खराब हो गयी है। दो-तीन साल से शिक्षा संस्थायें चल नहीं पा रही हैं। अभी अखबारों में निकला है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे थे, उनसे आतंकवादियों ने कहा है कि आप परीक्षा देने जायें, लेकिन घर वापिस नहीं जा पाओगे। वहां आतंक का एक वातावरण पैदा हो गया है, जो समाप्त होना चाहिये, ताकि वहां शिक्षा की स्थिति ठीक हो सके। इसके अलावा जो वहां उद्योग हैं, रोजगार के काम हैं और जो वहां के व्यापारिक काम हैं, वे कायदे से चल सकें, उसके लिये भी आपको विशेष रूप से बजट में व्यवस्था करनी चाहिये। जो व्यवस्था की गयी है, उससे काम नहीं चलेगा। मैं इतना ही कहते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं और उपाध्याय महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात करने का अवसर दिया।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं पंजाब के बजट का समर्थन करता हूं जो लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वहां पर विधान सभा नहीं है।

हमने इस सभा में पंजाब के बारे में इतनी अधिक चर्चा की है कि और कहने के लिए कुछ नहीं रह गया है । जब हम उन दिनों आस्ट्रेलिया में थे और जब हमें 2 जून को प्रधान मंत्री की घोषणा के बारे में पता चला तो न केवल इस देश में अपितु पूरे विश्व में राहत महसूस की गई जो यह सोच रहे थे कि शायद हमारे जैसे इतने एक बड़े देश को अस्थिर करने के लिए कुछ फूट डालने वाली शक्तियां प्रयास कर रही हैं ।

वर्ष 1974 में पूरे विश्व के धार्मिक नेताओं की सभा में कुछ विदेशी पत्रकारों द्वारा पूछे गये कुछ प्रश्नों का साईं बाबा ने उत्तर दिया । विदेशी पत्रकारों ने साईं बाबा से पूछा कि क्या भारत इस गड़बड़ी से बच पायेगा । यह वर्ष 1974 की बात है। मुझे हैरानी है कि इन विदेशी पत्रकारों को साई बाबा ने किस प्रकार उत्तर दिया । उन्होंने पत्रकारों से पूछा 'आपने भारत का कौन-सा हिस्सा देखा है ? आप भारत में कितने समय तक रहे ?'···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह पुराने साईं बाबा हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वर्तमान साईं बाबा । मैं आपको लगभग वर्ष 1974 के बारे में बता रहा हूं जब इस देश में गड़बड़ी चल रही थी···

उपाध्यक्ष महोदय : तो आपका तात्पर्य वर्तमान साईं बाबा पुट्टापार्थी साईं बाबा से है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उन्होंने पूछा, 'आप भारत में कितने महीनों से हैं ?' उन्होंने कहा, 'हम 8-9 महीने वहां रहे हैं ।' आपने भारत का कौन सा भाग देखा ? उन्होंने कहा 'हमने कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली देखे । हमने गंगा के दर्शन भी किये ।' तब साईं बाबा ने उनसे पूछा 'आपने गंगा के दर्शन कहां किये ?' उन्होंने कहा 'हमने हुगली में दर्शन किये ।' साईं बाबा ने पूछा 'आपने वहां क्या देखा ?' उन्होंने कहा, 'यह गन्दगी से भरी है ।' तब साईं बाबा ने उनसे कहा 'आप ने भारत का कोई भी भाग और स्वयं भारत को भी नहीं देखा है ।' आपने हुगली में गंगा को देखकर उसे गंदगी से भरी बताया है । आपने गंगा के गंगोतरी में दर्शन नहीं किये । वहां यह बिल्कुल शुद्ध है । तब साईं बाबा ने उन्हें बताया कि आप यह विश्वास लेकर जायें कि जब तक हिमालय है और उस पर बर्फ गिरती है, पिघलती है और गंगा के रूप में बहती है और जब तक गंगा नहीं सूखती तब तक भारत जिंदा रहेगा । उन्होंने बताया कि आपके देश का इतिहास 400 वर्ष पुराना हो सकता है लेकिन भारत का लिखित इतिहास 8000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना है । भारत में हम धर्म को हिन्दू न कहकर सनातन कहते हैं । यह गंगा की तरह प्रवाहित है और कभी भी नष्ट नहीं हो सकता ।

महोदय, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब धर्म की हानि होती है या भारतीय संस्कृति की हानि होती है तो उस संकट की घड़ी में भारत को बचाने के लिए कोई व्यक्ति अवश्य पैदा होता है । (दुष्टों को दण्ड मिलेगा और सन्तों की रक्षा होगी) । अतः इस क्षण जब प्रधान मंत्री ने यह पग उठाया तो समूचे विश्व ने राहत की सांस ली । जब ऐसे धर्म की, जिसका अतीत शानदार रहा है, हानि हो रही थी तो प्रधान मंत्री ने यह साहसपूर्ण कदम उठाया है । महोदय, 2 जून के बाद मैं सारे

देश में जहां भी गया हूं, लोगों ने राहत की सांस ली है और हर आदमी अनुभव करता है कि भारत को विघटन और विनाश से बचाया गया है । अतः हम दृढ़तापूर्वक इन उपायों का समर्थन करते हैं।

महोदय, यहां मैं पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1956 में डा० दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक 'भारतीय संस्कृति के चार आयाम' में लिखी गई प्रस्तावना को पुनः उद्धृत करना चाहता हूं। वहां पण्डित नेहरू ने कहा है कि दो शक्तियां हैं और मैं किसी संस्कृति को हिन्दू, सिख या मुस्लिम संस्कृति नहीं कहता । भारत के इतिहास को पढ़ने से लगता है कि यहां मिश्रित संस्कृति है । अतः पं० नेहरू इसे युगों के दौरान बनी मिश्रित संस्कृति कहते थे । उन्होंने लिखा कि ये दो शक्तियां सदा कार्यशील रही हैं । यह हम आज ही नहीं देख रहे हैं कि पंजाब में या कहीं और ऐसा हो रहा है और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल पनप रहे हैं। इस मिश्रित संस्कृति को बचाने के लिए—क्योंकि एकीकरण और अलगाववादी दोनों शक्तियां कार्यशील हैं—हमें यह सुनिश्चित करना है कि एकीकरण की शक्तियां सुदृढ़ होकर विजयी बने तथा भारत की एकता और अखण्डता बनी रहे । आज हम देखते हैं कि इन अलगाववादी शक्तियों को विदेशी शक्तियों से सहायता मिल रही है और विदेशी एजेंसियां उनके साथ हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत मजबूत और समृद्ध होकर अगले 20 वर्षों में तीसरी या चौथी शक्ति बन जाये । अतः वे भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अतः पंजाब में प्रतिक्रिया का दौर चलता रहा है । यहां मैं कुछ उदाहरण देता हूं। महोदय, 50 वर्ष पूर्व 1921 से 1974 के वर्षों में पंजाब में महन्तों ने गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया था ।

सिख लोग अब भूल गये हैं कि उनके पूर्वजों ने 1921 से 1924 के बीच पंजाब में गुरुद्वारों से भ्रष्ट महन्तों को निकालने के लिए वहां घेरा डाला था। ब्रिटेन के संरक्षण में महन्त लोगों ने बहुत भूमि और सम्पदा इकट्ठी कर ली थी । सिख किसानों का यह प्रगतिवादी रुख था। मैं 1957 में पंजाब में कई जगह गया था। उन दिनों मैंने कई बैठकों में भाषण दिया था। मुझे पता है कि सिख किसानों को और अमीर जमीदारों को प्रतिरोध करने हेतु कैसे संगठित किया गया था । उन दिनों गांव-गांव में सिख लोगों में यह प्रतिरोध दिखाई देता था। किसी प्रकार की धार्मिक मतान्धता का कोई प्रश्न ही नहीं था। यह तो प्रगतिशील आदर्श विचारधारा थी जो सिख लोगों की सहायता से पंजाब का निर्माण कर रही थी। लेकिन अब क्या हो गया है। पंजाब में 60 वर्ष पूर्व भ्रष्टाचार और जुल्म के विरुद्ध उत्तेजित करने वाली घटना और आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। सिखों के एक बड़े वर्ग की उदासीनता के कारण धार्मिक मतान्धता से भरपूर एक वर्ग ने गुरुद्वारों को हथिया लिया और वे लोगों को भयभीत करने में सफल हुए और जिसने भी उनकी मतान्धता का विरोध किया उसे जान से मार डाला। आज राजनीतिक दल, विशेष रूप से वामपंथी राजनीतिक दल जिन्हें बहुत कार्य करना है, बिल्कुल अप्रासंगिक हो गये हैं । यहां तक कि अकालियों में प्रगतिशील लोगों को "अकाली मार्क्सवादी" कहा जाने लगा है। आप जान सकते हैं कि पंजाब में लोगों की आकांक्षाओं के सन्दर्भ में राजनीतिक दल कितने अप्रासंगिक हो गये हैं । पंजाब में ऐसा नया परिवर्तन हुआ है।

अत: असफलता राजनीतिक दलों विशेषकर वामपंथी राजनीतिक दलों की है। अभी तक हम लोगों को राजनीति भी सिखा नहीं पाए। अत: आज हम पंजाब में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को पनपते हुए देख रहे हैं। इसका कारण राजनीतिक दलों में दृढ़ इच्छा और शक्ति की कमी है, वे लोगों को सही राजनीतिक दिशा नहीं दे पाये हैं। अत: आज हम सिखों के एक बहुत बड़े वर्ग में रुढ़िवाद के विरुद्ध प्रबल भावना देखते हैं। अत: मेरा निष्ठापूर्वक निवेदन है कि आज हमारी सरकार ने यह बजट पेश करके कुछ विशेष कार्य नहीं किया है क्योंकि गत दो वर्षों में पंजाब को बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। तीसरे विश्व के देशों में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए विश्लेषण को यदि हम देखें तो पायेंगे कि उनका यह मत है कि ऐसी भूमि पर जहां प्रौद्योगिकी का इतना विकास हुआ है और तीसरे विश्व के देशों में से जहां कृषि ने इतनी तरक्की की है, वहां इतनी कट्टरता और धार्मिक मतान्धता कैसे आ गई, जबकि हमने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक प्रयोग किया है? अराष्ट्रीयता पर आधारित इतनी बड़ी लहर कैसे उमड़ पड़ी? हमें इसका विश्लेषण करना होगा। 20वीं शताब्दी में मध्ययुग की भावना कैसे दोबारा आ गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हुआ है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : अत: काफी पहले से प्रयोग में लाई जा रही उन्नत प्रौद्योगिकी के बाद भी वहां मध्यकालीन युग कैसे आ गया? आप देखते हैं कि पंजाब में लोग कैसे एक-दूसरे को मार रहे हैं।

दलित तथा निर्धन लोगों को ऊपर उठाने के लिए पूरे देश में प्रधान मन्त्री द्वारा चलाये गये 20-सूत्री कार्यक्रम की तरह हमें सिख किसानों को अमीर किसानों तथा जमींदारों के चंगुल से छुड़ाना है और हमें आगामी 6 महीने से 1 वर्ष के भीतर सिख लोगों के लिए एक विशेष त्वरित आर्थिक कार्यक्रम चलाना चाहिए। पंजाब में हमारे सारे कार्यक्रम भूमि सुधारों के तीव्र गति से कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर बनाये जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों और कारीगरों को इन कार्यक्रमों से सर्वाधिक लाभ मिले। सबसे पहले हमें सिख लोगों को अमीर किसानों और अमीर जमींदारों के चंगुल से मुक्त करना होगा। आज पंजाब में समूचा आन्दोलन, अलगाववादी आन्दोलन उन्हीं अमीर जमींदारों और अमीर किसानों द्वारा चलाया जा रहा है जिन्हें हरित क्रान्ति से लाभ हुआ है। उनका नारा यह था कि धार्मिक मतान्धता का सहारा लिया जाए और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने भिंडरावाले को आगे किया। आज हमारे आर्थिक कार्यक्रम इस ढंग से बनाये जायें कि सिख किसानों का बहुमत अमीर किसानों और अमीर जमींदारों के चंगुल से मुक्त किया जा सके।

प्रगतिवादी शक्तियों, अपने दल तथा सरकार से मेरी यह अपील है कि हमें इस चुनौती का सामना करना चाहिए। हमें अपनी समस्त शक्ति से इन अवरोधक, विभाजक तथा अलगाववादी शक्तियों को चुनौती देनी होगी और उनका मुकाबला करना होगा। अगले 6-7 महीनों में हमें पंजाब के किसानों के लाभ और कल्याण के लिए व्यापक और क्रान्तिकारी आर्थिक सुधार कार्यक्रम तैयार

करने होंगे जिससे वे यह अनुभव कर सकें कि ये उनकी स्थिति में सुधार के लिए हैं न कि अमीर किसानों के हित में हैं जो इस प्रकार के प्रचार में लगे हुए थे। आइए हम राजनीतिक लड़ाई लड़ें। हम एक धर्म को दूसरे धर्म से नहीं लड़ा सकते, कट्टरता का मुकाबला कट्टरता से नहीं कर सकते। हम 20वीं शताब्दी में हैं और इसमें इस समस्या को सुलझाने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हम बड़ी संख्या में लोगों का जीवन-स्तर सुधारने और युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम बनायें।

पंजाब में सिख किसानों के लिए हम वैसे ही विशेष कार्यक्रम बनायें, जैसे समूचे राष्ट्र के लिए हमारे पास प्रधान मंत्री का 20 सूत्री कार्यक्रम है।

आप बैंकों से किसी विशेष योजना के अन्तर्गत सिख किसानों को ऋण देने के लिए क्यों नहीं कहते ताकि उन्हें अमीर किसानों के चंगुल से बचाया जा सके? सरकार से मेरी यह अपील है कि वे इन लोगों के लिए अगले महीनों एवं वर्ष में बड़े पैमाने पर कुछ ऐसा आर्थिक कार्यक्रम बनाए ताकि हम सिख समुदाय का पुनर्वास कर उनके जख्मों पर मलहम लगा सकें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री चिन्तामणि पाणिग्रही के इस चर्चा में भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। वे इस सदन के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी राजनीतिज्ञ बातों का उत्तर देने में समर्थ हुए हैं इसलिए मैं इस चर्चा में उठाये गए महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर ही बोलूंगा। पिछले कुछ दिनों में पंजाब की राजनीतिक और विधि और व्यवस्था के पहलुओं पर काफी चर्चा हो चुकी है और इन मामलों पर अधिक प्रकाश डालने की दृष्टि से और आगे कुछ कहना मेरे लिए लाभकारी नहीं होगा।

यह सच है कि पंजाब को भारी संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है और इससे इसकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है उन्होंने पंजाब की आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया है और सरकार से यह पूछा है कि वह इस अशान्त स्थिति में राहत दिलाने के लिए किस प्रकार के उपाय करना चाहती है।

सबसे पहले हम कृषि क्षेत्र को ही लें, पंजाब में इस क्षेत्र में क्या हुआ है और हाल की घटनाओं से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। मेरे पास कुछ आंकड़े उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि वहां की स्थिति सुखद है। पंजाब पिछले वर्षों से खाद्यान्न के केन्द्रीय पूल में प्रमुख योगदान देता रहा है। 1980-81 में पंजाब ने इस पूल में लगभग 42.77 लाख टन खाद्यान्न दिया था और प्रतिशत के हिसाब से उसका यह अंशदान 75.3 प्रतिशत बनता है। 1981-82 में यह कम होकर 37.63 लाख टन हो गया और प्रतिशत के हिसाब से भी यह कम होकर 57.1 प्रतिशत ही रह गया। उस वर्ष, पंजाब में गेहूं की फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी और उससे इतनी चिन्ता हुई थी कि प्रधान मन्त्री गेहूं उत्पादकों की समस्याओं को जानने के लिए स्वयं वहां गई थीं। 1982-83 में इस स्थिति में सुधार हुआ और यह राशि 48.15 लाख टन हो गई जो 62.5 प्रतिशत बनती है और 1983-84 में इसमें और आगे सुधार हुआ और यह राशि केन्द्रीय पूल के लिए 51.56 लाख टन हो गई जो 62.3 प्रतिशत बनती है। हो सकता है कि इन आंकड़ों से सही स्थिति सामने न आये क्योंकि 1982-

83 और 1983-84 के बीच, देश में अन्य राज्यों ने भी गेहूं उत्पादन में भारी प्रगति की और उन्होंने भी केन्द्रीय पूल में योगदान किया और उस सीमा तक पंजाब के योगदान की प्रतिशतता में कुछ कमी हो गई।

अब चावल के क्षेत्र में, 1980-81 में 25.23 लाख टन था, 1981-82 में यह बढ़कर 30.92 लाख टन हो गया, 1982-83 में यह 32.31 लाख टन था, 1983-84 में यह 32.38 लाख टन था। अत: गेहूं और चावल के उत्पादन में पंजाब ने अच्छी प्रगति की है। किन्तु यदि यह दुर्भाग्य-पूर्ण घटनाएं और अशान्त परिस्थितियां न होतीं तो पंजाब की स्थिति 1982-83 तथा 1983-84 से भी बेहतर रहती। अब अनेक वक्ताओं ने यह कहना चाहा है कि पंजाब में कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है।

अब हम औद्योगिक क्षेत्र पर आते हैं। मेरे पास औद्योगिक क्षेत्र के बारे में यह आंकड़े उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं निवेशों की बात करूंगा। 1981-82 में कुल (वास्तविक) निवेश 688.20 करोड़ रुपए का था। 1982-83 में यह (अस्थायी) निवेश 745 81 करोड़ रुपए था। 1983-84 में लगभग 1046 करोड़ रुपये की अनुमानित उपलब्धि होने की आशा है और 1984-85 के लिए 1175.08 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

अब हम निर्यात को लें। 1981-82 में यह 116.16 करोड़ रुपए का था और 1982-83 में यह बढ़कर 128.83 करोड़ रुपए हो गया। 1983-84 में यह बढ़कर 143.99 करोड़ रुपए हो गया तथा 1984-85 में राज्य प्रशासन द्वारा 160.53 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया।

इसलिए ये तथ्य हैं आर्थिक स्थिति के द्योतक हैं ताकि हम स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकें।

महोदय, सदन को यह जानकर खुशी होगी कि सरकार धान की सभी किस्मों के बारे में घोषित समर्थन मूल्यों के अतिरिक्त 3 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने के लिए सहमत हो गई है। इससे पंजाब के किसानों को पिछले वर्षों की तुलना में 8 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलेगा। अत: इससे पंजाब के किसानों को लगभग 18 करोड़ रुपए का कुल लाभ होगा।

महोदय, प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती ने सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में कुछ विकृतियां आ गई हैं। वे यह कहना चाहते थे कि देश में, विशेष रूप से पंजाब में हरित क्रान्ति से लाखों लोगों को जो लाभ पहुंचा था, वह 10 प्रतिशत भूमि जोतों तक ही सीमित है। 1953 में पंजाब में भूमि सुधार विधान बनाया गया था और 30 मानक एकड़ों की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। 1972-73 में पंजाब में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन किया गया था। भूमि की अधिकतम सीमा को घटा कर 17 मानक एकड़ कर दिया गया है जैसा कि कांग्रेस सत्ता के अन्य राज्यों में किया गया है। आज पंजाब में यही लागू है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह केवल कागजों में है।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह आज भी लागू है। राज्य प्रशासन का यह प्रयास रहना चाहिए कि वह इस सुधार विशेष को लागू करे ताकि कुछेक भूपतियों के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण न होने दिया जाए। मुझे विश्वास है कि इस देश में कृषि के क्षेत्र में पंजाब के बहुमूल्य योगदान का सही मूल्यांकन किया जाएगा। समूचे देश को उसे उचित श्रेय देना होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आप जानते हैं कि मैंने इस बारे में कल अपने विचार व्यक्त किये थे। आप आज के इंडियन एक्सप्रैस में लेख देखें जोकि श्री शरद जोशी द्वारा लिखा गया है, वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं बल्कि एक किसान नेता हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस लेख को पढ़ें, इसमें उन्होंने यह लिखा है कि हरित क्रान्ति से किस प्रकार विकृतियां आ गई हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। यह किसी राजनीतिज्ञ द्वारा लिखा गया लेख नहीं है।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं आपका आभारी हूं। मैं यह लेख अवश्य पढ़ूंगा।

कुछ सदस्यों ने विशेषकर श्री रामावतार शास्त्री तथा दूसरों ने पुलिस प्रशासन के बारे में कहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इसमें सुधार होना चाहिए। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि पुलिस प्रशासन में सुधार होना चाहिए, हम इसे स्वीकार करते हैं। हम यह देखेंगे कि ऐसा किया जाए। हम इन मामलों में अन्तिम रूप से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

कुछ अन्य सदस्यों ने हाल की घटनाओं के सम्बन्ध में मुआवजा देने की बात कही है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य प्रशासन अथवा सैनिक प्राधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाये हैं कि जिन्होंने जीवन का बलिदान किया है, उनके परिवारों को, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, अनुग्रह-पूर्ण राशि देकर एवं अन्य रूप से समुचित क्षतिपूर्ति की जाए। इस सम्बन्ध में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ सीमाएं निर्धारित की जा चुकी हैं और उसके आधार पर, उन सीमाओं के अन्दर क्षतिपूर्ति की जा रही है।

स्वर्ण मन्दिर परिसर में और उसके आस-पास जिन दुकानों को नष्ट कर दिया गया है या लूट लिया गया है उनके सम्बन्ध में अनुग्रहपूर्ण राशि का भुगतान किया जा रहा है और सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उन दुकानों को हुई क्षति अथवा नुकसान के बारे में अनुमान लगाये जा रहे हैं और सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते समय इन हानियों को ध्यान में रखा जायेगा।

भाखड़ा मुख्य नहर में की गई दरारों का भी उल्लेख किया गया है। रोपड़ जिले में दो दरारों की सूचना मिली थी। पहली दरार की मरम्मत कर दी गई थी। राज्य प्रशासन ने शीघ्र कार्यवाही की। मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर किया गया, करीब 125 मिट्टी उठाने वाली मशीनों को

लगाया गया जिन्हें सारी सिंचाई परियोजनाओं से पंजाब सरकार के लिए मुहैया किया गया था। मामी बुल-डोजर लगाये गये थे। पंजाब सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यवाही करने से, दरार की पूरी तरह मरम्मत कर दी गई और 10-7-1984 को नहर चालू कर दी गई। लेकिन, दुर्भाग्यवश 21-7-84 को एक अन्य दरार पैदा कर दी गई और अब पुनः युद्ध-स्तर पर कार्य चल रहा है और वे कहते हैं कि यह कार्य इस महीने की 27 तारीख तक पूरा हो जाएगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस माह के अन्त यह दरार भी पाट दी जायेगी और मुख्य नहर में ठीक ढंग से पानी बहने लगेगा। जिस तरह से पहली दरार की मरम्मत की गई और दूसरी दरार की मरम्मत की जा रही है, और जिस ढंग से इन दोनों कार्यों को किया गया उसके लिए, मैं पंजाब सरकार के लोक कार्य विभाग के प्राधिकारियों की अवश्य प्रशंसा करना चाहूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का जिक्र किया है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जोकि मैं सभा के सामने रखना चाहता हूं, ताकि सभा इस सम्बन्ध में स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सके। 1980 में भी, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए, पंजाब में एक अध्ययन कराया गया। देश में अपने किस्म का यह पहला अध्ययन था। उससे पता लगा था कि करीब 8.2 लाख परिवार ऐसे पाये गये जोकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे और इनकी वार्षिक आमदनी 3,600 रुपये से कम थी। 5.37 लाख परिवारों, जिनमें 3.16 लाख अनुसूचित जाति के लोग भी थे, को 1980-81 और 1982-83 में ऋण देकर सहायता की गई, ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। 1984-85 में अनुसूचित जाति के करीब 99,000 परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। छठी पंचवर्षीय योजना में करीब 4.19 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों की पहचान कर उन्हें सहायता पहुंचाई जानी चाहिए थी, ताकि वे योजना की अवधि समाप्त होने तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। 440 करोड़ रुपये में से जिसे कि 1983-84 के लिए योजना में आबंटित किया गया था, 77.41 करोड़ रुपये को विभाज्य राशि माना गया और वास्तव में 23.33 करोड़ रुपये केवल अनुसूचित जाति के लिए ही विशेष घटक के रूप में रखे गये।

जहां तक पंजाब में नलकूपों का सम्बन्ध है, अब तक 3.8 लाख कूपों को बिजली पहुंचाई गई है, और पंजाब में जितनी बिजली की खपत होती है, उसमें से 45 प्रतिशत बिजली कृषि प्रयोजनों के लिए रखी गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य प्रशासन कृषि प्रयोजनों के लिए कितना ध्यान रखता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेषकर आचार्य भगवान देव ने मुआवजे के बारे में कहा है और आपने पुलिस प्रशासन का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन में भावात्मक एकता लाई जानी चाहिए। सरकार ने इन सब सुझावों को नोट कर लिया है, जिन्हें कि माननीय सदस्यों ने इस बहस के दौरान दिये हैं। मुझे आशा है कि उन सुझावों पर विचार किया जायेगा और इनमें से अधिकांश सुझावों को, जिन्हें लागू किया जाना है, राज्य प्रशासन लागू करेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं पंजाब राज्य के लिए वर्ष 1984-85 के बजट की अनुदान की मांगों की सभा को सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य के बजट से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 41 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

सदन द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1984-85

मांग संख्या	मांग का शीर्षक	19-3-1984 को सदन की स्वीकृति के लिए पेश की गई लेखानुदान मांग		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
1.	राज्य विधान मंडल	55,42,000	—	55,43,000	—
2.	मंत्री परिषद्	43,82,000	—	43,83,000	—
3.	न्याय प्रशासन	2,25,18,000	—	2,25,19,000	—
4.	चुनाव	66,20,000	—	66,19,000	—
5.	राजस्व	5,43,54,000	—	5,43,54,000	—
6.	उत्पाद शुल्क तथा कराधान	2,87,70,000	—	2,87,70,000	—
7.	वित्त	22,81,76,000	—	22,81,76,000	—
8.	लोक सेवा आयोग	9,32,000	—	9,33,000	—
9.	सिविल सचिवालय	2,40,96,000	—	2,40,95,000	—

1	2	3		4	
10.	जिला प्रशासन	3,32,88,000	—	3,32,88,000	—
11.	पुलिस	24,93,47,000	—	24,93,46,000	—
12.	जेलें	1,97,63,000	—	1,97,62,000	—
13.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,19,76,000	9,20,000	2,19,77,000	9,20,000
14.	फुटकर सेवाएं	2,52,86,000	—	2,52,87,000	—
15.	पुनर्वास, राहत तथा पुनःस्थापन	30,60,000	—	30,59,000	—
16.	शिक्षा	91,44,12,000	—	91,44,11,000	—
17.	तकनीकी शिक्षा, विज्ञान तथा टैक्नालोजी	1,01,32,000	5,25,000	1,01,31,000	5,25,000
18.	चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य	35,73,23,000	50,00,000	35,73,23,000	50,00,000
19.	आवास तथा शहरी विकास	1,23,38,000	3,81,96,000	1,23,38,000	3,81,97,000
20.	सूचना तथा प्रचार	91,00,000	—	91,00,000	—
21.	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	29,06,000	12,50,000	29,07,000	12,50,000
22.	श्रम, रोजगार तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	4,26,93,000	8,41,000	4,26,93,000	8,42,000

1	2	3		4	
23.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13,18,64,000	82,00,000	13,18,64,000	82,00,000
24.	आयोजना तथा सांख्यिकी	70,69,000	—	70,69,000	—
25.	सहकारिता	3,27,86,000	4,64,83,000	3,27,86,000	4,64,83,000
26.	कृषि	14,43,66,000	1,54,00,000	14,43,66,000	1,54,00,000
27.	भूमि तथा जल संरक्षण	1,95,75,000	—	1,95,75,000	—
28.	खाद्य	73,56,000	4,36,14,20,000	73,56,000	—
29.	पशु पालन	6,25,62,000	—	6,25,62,000	—
30.	डेरी विकास	29,55,000	—	29,54,000	—
31.	मछली पालन	46,41,000	—	46,41,000	—
32.	वन	5,51,48,000	—	5,51,48,000	—
33.	सामुदायिक विकास	21,79,88,000	—	21,79,89,000	—
34.	उद्योग	5,50,60,000	3,81,00,000	5,50,60,000	3,81,00,000
35.	सिविल विमानन	22,35,000	4,00,000	22,34,000	4,00,000

1	2	3		4	
36.	सड़कें तथा पुल	11,56,62,000	11,15,00,000	11,56,63,000	11,15,00,000
37.	सड़क परिवहन	33,09,37,000	4,50,00,000	33,09,36,000	4,50,00,000
38.	बहुद्देशीय नदी प्रायोजनायें	5,92,35,000	15,83,08,000	5,92,35,000	15,83,08,000
39.	सिंचाई, जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण	30,29,83,000	21,34,76,000	30,29,83,000	21,34,75,000
40.	भवन	25,73,31,000	6,92,98,000	25,73,31,000	6,92,98,000
41.	राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां	—	1,30,16,67,000	—	1,30,16,66,000

~~13.46 म० प०~~

पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक को पुरःस्थापित करने, विचार करने और पारित करने के लिए लेते हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब राज्य के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

12.49 म० प०

अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1984-85

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के वर्ष 1984-85 के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेंगे ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 31 के सामने दिखाये गये मांग-शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र), 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा 15-3-84 को स्वीकृत की गई लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	विधान सभा	10,35,000	—	10,34,000	—
2.	प्रशासक	10,000	—	10,000	—
3.	मंत्रिपरिषद	7,02,000	—	7,02,000	—
4.	न्याय प्रशासन	17,65,000	—	17,64,000	—
5.	निर्वाचन	3,19,000	—	3,18,000	—
6.	राजस्व और खाद्य	95,76,000	11,000	95,76,000	11,000
7.	बिक्री-कर	8,90,000	—	8,90,000	—
8.	परिवहन	11,31,000	—	11,30,000	—
9.	सचिवालय	32,32,000	—	32,31,000	—
10.	जिला प्रशासन	1,59,43,000	11,25,000	1,59,42,000	11,25,000
11.	राजकोष और लेखा प्रशासन	20,13,000	—	20,12,000	—
12.	पुलिस	1,06,67,000	—	1,06,66,000	—
13.	जेलें	4,38,000	—	4,37,000	—

1	2	3		4	
14.	लेखन सामग्री और मुद्रण	25,86,000	—	25,85,000	—
15.	सेवानिवृत्ति लाभ	53,49,000	—	53,49,000	—
16.	लोक निर्माण	3,38,00,000	2,87,96,000	3,37,99,000	2,87,95,000
17.	शिक्षा	5,68,30,000	20,000	5,68,29,000	20,000
18.	चिकित्सा	2,74,92,000	—	2,74,91,000	—
19.	सूचना और प्रचार	24,04,000	—	24,04,000	—
20.	श्रम और रोजगार	29,34,000	—	29,34,000	—
21.	समाज कल्याण	1,72,82,000	—	1,72,82,000	—
22.	सहकारिता	53,14,000	66,04,000	53,13,000	66,04,000
23.	सांख्यिकी	6,01,000	—	6,01,000	—
24.	कृषि	1,20,99,000	1,34,000	1,20,98,000	1,34,000
25.	पशु पालन	35,88,000	—	35,87,000	—
26.	मीन उद्योग	40,88,000	26,87,000	40,87,000	26,86,000
27.	सामुदायिक विकास	13,45,000	6,00,000	13,45,000	6,00,000
28.	उद्योग	56,79,000	30,00,000	56,79,000	30,00,000
29.	विद्युत	3,54,38,000	3,52,01,000	3,54,38,000	3,52,01,000
30.	पत्तन और कनहारी	4,72,000	12,50,000	4,72,000	12,50,000
31.	सरकारी सेवकों को उधार	—	65,44,000	—	65,44,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ई० बालानन्दन बोलेंगे । इसके लिए एक घण्टे का समय निर्धारित किया गया है ।

श्री ई० बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : मैं केवल एक या दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। पांडिचेरी एक छोटा सा क्षेत्र है और उसके चार भाग और इसका मुख्यालय पांडिचेरी में है । इसकी जनसंख्या 1.5 लाख है। पांडिचेरी का मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग है । वहां एक एंग्लो-फ्रैन्च टैक्सटाइल फैक्ट्री है । जब से केन्द्र सरकार ने वहां का प्रशासन संभाला है, यह कारखाना बन्द है। इसमें करीब 7,500 श्रमिक कार्य करते हैं । करीब एक वर्ष हो गया है । इस दौरान करीब 30 श्रमिकों ने आत्म-हत्या कर ली है । मैं नहीं जानता कि फैक्ट्री बन्द होने के बाद कितने लोग भूख से मरे हैं। 1981-82 की रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री को लाभ हुआ था । अगर आप कुल जनसंख्या को देखें तो, फैक्ट्री के बन्द होने से करीब 7,500 प्रभावी कार्यरत जनसंख्या प्रभावित हुई है । इस तरह, केन्द्रीय शासन के पश्चात सरकार का सबसे मुख्य कार्य होना चाहिये था फैक्ट्री का खुलना । लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम केन्द्रीय सरकार और अन्य प्राधिकारियों के पास इस बारे में गये । मैं भी उद्योग मंत्री और अन्य लोगों के पास लोगों के साथ गया था । मुझे बताया गया है कि सरकारी तंत्र में इन बातों को गहराई से नहीं लिया जाता । जब हम कोई अभ्यावेदन करते हैं तो सरकार कहती है कि वे इस पर विचार करेगी । मुझे बताया गया है कि उद्योग विभाग ने इसे मंजूरी नहीं दी है और वित्त विभाग भी इसमें आड़े आता है । वाणिज्य मंत्रालय इस उद्योग का अधिग्रहण कर उसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम अधीन चलाने को तैयार है। अगर हम इस सभा में पांडिचेरी के बजट को पारित करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो बजट हम पारित कर रहे हैं, उससे वहां के लोगों को लाभ हो। उस शहर में एक-तिहाई जनसंख्या भूख से मर रही है और जीने का कोई जरिया नहीं है । इस बजट पर चर्चा करते समय, इन बातों पर भी ध्यान देना होगा । मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री इस सभा को आश्वासन दें कि लोगों को बचाया जायेगा और मिल का अधिग्रहण कर इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के द्वारा चलाया जायेगा । इस कारखाने से घाटा होने वाला नहीं है । अगर सही ढंग से चलाया जाये तो इसे बिना किसी नुकसान के चलाया जा सकता है ।

एक अन्य प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, जो कि पं० जवाहरलाल नेहरू के नाम पर स्थापित है । यह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान की तरह है । वहां इसकी हालत क्या है ? 27 जून, 1984 के 'हिन्दू' में कहा गया है : "शिक्षकों के अभाव में 'जिपमेर' की मान्यता खत्म होने जा रही है।" छात्र-समुदाय भावी भारत के मालिक हैं। हम समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं ? वहां का चिकित्सा संस्थान और अस्पताल सबसे अच्छा था । हाल ही में स्कूलिंग-प्रणाली में कुछ परि-वर्तन किये गये हैं, जैसे 11+2 आदि । इस प्रणाली के अनुसार कालिजों में प्रवेश को नियंत्रित किया गया है। लेकिन उच्च लोगों के दबाव के कारण, और उनके अपनों को प्रवेश दिलाने के कारण, ज्यादा छात्रों को प्रवेश दिया गया है। इस तरह 1979-80 में 50% को प्रतिबंधित प्रवेश के मुकाबले 65% का पूरा कोटा लिया गया । अब स्थिति क्या है ? इस वर्ष और अगले वर्ष भी कालिज से निकलने वाले स्नातकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देना होगा । और इसके लिये कोई स्टाफ नहीं है । यहां तक कि 120 अध्यापकों के मौजूदा स्वीकृत पदों में से 'हिन्दू' में प्रकाशित

समाचार के अनुसार 37 पद खाली पड़े हैं। यदि 20 पदों में से 37 पद कई वर्षों से खाली पड़े हैं तो कोई संस्था कैसे चल सकती है ? क्यां यह विद्यार्थियों का दोष है ? नहीं। हमारे पास प्रशासन है, यह केन्द्र सरकार के अधीन है। एक गौर करने योग्य विशिष्ट स्थिति यह है कि यदि उत्तर से कोई व्यक्ति स्थानांतरण से यहां आता है, यदि उत्तर से कोई व्यक्ति स्थानांतरित होकर दक्षिण में जाता है तो अगले ही दिन तत्काल वह वापस स्थानांतरित कर दिया जाता है क्योंकि ये लोग वहां काम नहीं करना चाहते हैं। मैं लोगों द्वारा वहां जाकर काम करने में होने वाली कुछ कठिनाइयों को समझ सकता हूं। क्या मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत में लोगों की कमी है ? नहीं। परन्तु सरकार उचित ढंग से संस्था नहीं चलाना चाहती। यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की चिकित्सा संस्थायें, जो हमारे और राष्ट्र के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, उचित ढंग से काम करें। यदि विद्यालयों को दाखिला दिया जाता है और उन्हें पढ़ाने के लिये संकाय में व्यक्ति नहीं हैं तो उसका क्या लाभ है ?

अब मैं एक अन्य कठिनाई का उल्लेख करता हूं, कठिनाई सरकार द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम में बार-बार तथाकथित परिवर्तन के कारण है। वे समुचित योजना के बिना इसमें परिवर्तन कर देते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 34 वर्षों के बाद भी पढ़ाने की स्थाई और अच्छी प्रणाली नहीं बनी है। यह एक अन्य मुद्दा है परन्तु मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल यही कह रहा हूं कि यह पांडिचेरी चिकित्सा संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है। परिवर्तन कर दिये जाने के बाद, प्राधिकारियों का यह कर्तव्य था कि वे सुनिश्चित करते कि विद्यार्थियों को प्रवेश केवल नियंत्रित और नियमित संख्या में ही दिया जाये परन्तु इसके बजाय अधिक संख्या में प्रवेश दिया गया। इस प्रकार उन विद्यार्थियों के लिये जो इस वर्ष अथवा अगले वर्ष स्नातक की उपाधि लेने जा रहे हैं, स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु कोई सुविधा नहीं है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्री के पास गया और उनसे बात की। वे मुझसे अत्यधिक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने कहा, "बालानन्द जी, भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुमति के बिना आप कैसे कुछ कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिये वे अनुमति नहीं देते हैं।" वह ऐसे कह रहे थे कि मानो इसके लिये मैं जिम्मेवार हूं अथवा विद्यार्थी जिम्मेवार हैं। ठीक है, यदि आप तत्काल कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो मैडीकल हस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर उधर स्थानांतरित कर दिया जाये अथवा यह काम करने के लिये भी कहा जाये। बहरहाल, मैं तकनीकी विस्तार में नहीं जाता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थियों और देश चिकित्सा पेशे से किरयाणे वाले दुकानदार की तरह व्यवहार न किया जाये। यह बिलकुल गलत है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अविलम्ब तत्काल कदम उठाये।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पांडिचेरी एक छोटा-सा इलाका है·····(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संस्थान का नाम जिमपर (JIMPER) जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल रिसर्च है। सरकार को अवश्य ही इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री ई० बालानन्दन : यह एक अत्यन्त प्रसिद्ध संस्थान है। जिमपर (JIMPER) इसका संक्षिप्त नाम है। इस क्षेत्र के लोगों की जीविका का मुख्य साधन मछली पकड़ना है। यहां विशेषज्ञ

मौजूद हैं, मैं मछली पकड़ने पर कोई बड़ा भाषण नहीं देने जा रहा हूं। परन्तु यह हो सकता है कि हम मछली पकड़ने जायें, हमें वे मिलें या न मिलें। मछली पकड़ने जाने का अर्थ है, मैं समुद्र पर मछली पकड़ने जाता हूं और कई बार खाली हाथ लौट आता हूं।

2.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : पांडिचेरी की मछलियां केरल की मछलियों की भांति बहुत स्वादिष्ट होती हैं।

श्री ई० बालानन्दन : यद्यपि भारत में मछली पकड़ने के बहुत अधिक पत्तन हैं फिर भी उन्हें विकसित करने की कोई योजना नहीं है। यदि कोई योजना है भी सही तो उसका कार्यान्वयन नही है। वह हमारा दुर्भाग्य है। मैं बड़े मुद्दों में नहीं जाना चाहता हूं। भारत सरकार ने जब पांडिचेरी में मछली पकड़ने का पत्तन उपलब्ध कराने का वायदा किया है तो आप इस अवस्था में इस सम्बन्ध में क्यों कुछ नहीं करते ?

आज किसी ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये ट्रालरों के बारे में प्रश्न पूछा था। यह आवश्यक है। उसके साथ-साथ परम्परागत ढंग से मछली पकड़ने वाले मछुआरों का अस्तित्व भी बने रहने देना चाहिये। उन्हें अपने परम्परागत जीने के ढंग से दूर नहीं करना चाहिये। आज हमारे देश में लाभ कमाना पहला उद्देश्य हो गया है इसलिये कोई भी इन बातों की परवाह नहीं करता है। अतः केन्द्र सरकार को अपने प्रबन्ध के दौरान निर्धन मछुआरों के कष्टों और समस्याओं को दूर करना चाहिए।

अन्त में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात चुनाव कराने की है। हम नहीं चाहते कि वहां और अधिक समय तक केन्द्रीय शासन रहे। अतः चुनाव कराने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिये। किसी भी चुनाव में कोई पार्टी जीत जाती है और कोई हार जाती है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि वह केवल तब ही चुनाव करायेंगे जब कांग्रेस (इ) सत्ता में आये। उन्हें सत्ता में आने दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु चुनाव अविलम्ब कराए जाने चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, यह दिन उन अच्छे दिनों में से एक प्रतीत होता है जब सभा के सभी पक्षों में व्यापक सहमति हुई है। मैं इससे अवश्य ही सहमत हूं कि पांडिचेरी में शीघ्र चुनाव कराए जाने चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रपति शासन कभी भी अच्छा नहीं होता। परन्तु मैं केवल यह कह सकता हूं कि मुझे यह पता चला है कि पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन के दौरान भ्रष्टाचार अथवा सत्ता के दुरुपयोग का एक भी आरोप नहीं लगाया गया है जैसाकि पिछली सरकार के शासन के दौरान'''(**व्यवधान**) मेरे पास यह विश्वासनीय सूचना है।

2.03 म० प०

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

मैं यहां यह मुद्दा उठाना चाहता हूं कि जब चुनाव होते हैं, जब विधान सभा भी होती है और

यदि यह विधान सभा एक संघ शासित क्षेत्र की हो तो उसके अधिकार सीमित होते हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्षों के बाद भी हमारे देश में दो तरह के नागरिक क्यों हैं— एक राज्य के नागरिक और दूसरे संघ शासित क्षेत्र के नागरिक। संघ शासित क्षेत्र की विधान सभा की शक्तियां सीमित होती हैं। संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभा के लिये राज्य सूची नाम की कोई सूची नहीं है। उनके द्वारा बनाए गए विधानों के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति और बाद में उसी विधान सभा की पुष्टि आवश्यक होती है। मुझे ऐसी स्थिति जारी रहने का कारण समझ में नहीं आता। मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि जहां तक नागरिकता का सम्बन्ध है, जहां तक स्व-शासन का सम्बन्ध है, यह आवश्यक है कि इस देश के सभी नागरिकों का दर्जा समान हो। इसलिए सम्भवतः दिल्ली को एक अपवाद मानकर, क्योंकि यह देश की राजधानी है और इसकी एक विशिष्ट स्थिति है, संघ शासित क्षेत्र के रूप में गठित अन्य सभी क्षेत्रों को स्थानीय लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पड़ौसी राज्यों में मिला देना चाहिए।

श्री बालानन्दन जी ने श्री जटिया की एंग्लो फ्रेंच टेक्सटाईल मिल्स के बारे में, जो कि पिछले 14 महीनों से बन्द पड़ी है, जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं। इस स्थिति को जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए। यह सच है कि इस मिल के बन्द होने के कारण लगभग 7500 मजदूरों की अस्थायी छंटनी हो गयी है। इन मजदूरों की मजदूरी से लगभग 40,000 लोगों का गुजर-बसर हो रहा था। इस प्रकार इस मिल के बन्द होने के परिणामस्वरूप 40,000 लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। यह भी सच है कि लगभग 30 मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि अपने परिवार के पालन-पोषण का उनके पास अन्य कोई साधन नहीं था। स्थिति को और दुःखद होने से बचाने के लिये सरकार को अविलम्ब इस समस्या को हल करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये। यह बेहतर होगा कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम उसका अधिग्रहण कर ले।

उपाध्यक्ष महोदय जब यहां थे वे पांडिचेरी में शिक्षा के क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां जो इंजीनियरिंग कालेज खोला जाना था उसका क्या हुआ है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि वहां जो विश्वविद्यालय खोला जाना था, उसका क्या हुआ है। पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की योजना थी और मेरे विचार में मंत्रालय ने इस योजना को स्वीकृति भी दे दी थी। अब इस सभा में केवल एक विधेयक प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है क्योंकि यह विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा।

श्री बालानन्दन जी ने मत्स्य उद्योग और मत्स्य व्यवसाय का भी उल्लेख किया था। श्री बालानन्दन की तरह तटवर्ती क्षेत्र का होने के नाते मैं भी पांडिचेरी में एक मत्स्य पत्तन की आवश्यकता को महसूस करता हूं।

ये सब स्पष्ट मुद्दे हैं और पांडिचेरी के बजट पर वाद-विवाद के दौरान इन पर चर्चा हुई थी। हमें मंत्री महोदय से इन प्रश्नों के रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षा है।

**श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के वर्ष 1984-85 के बजट के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

प्रारम्भ में, मैं यह कहूंगा कि यहां ऐसे क्षेत्र के बजट पर चर्चा करना, जो एक नगरपालिका के अन्दर आने वाले कस्बे से भी छोटा है, वास्तव में हमारे लिये शर्म की बात है। इस बजट पर संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभा में चर्चा की जानी चाहिये थी। परन्तु ऐसा नहीं हो सका, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गयी संघ शासित क्षेत्र की सरकार को गिरा दिया गया। लोकप्रिय निर्वाचित विधान सभा को भंग कर दिया गया। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस प्रक्रिया में लोकतन्त्र की हत्या कर दी गई। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के लोगों ने 1980 में विधान के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे थे। उस समय पूर्ण बहुमत से द्रविड मुनेत्र कषगम की सरकार गठित की गयी थी। बिना कोई उचित कारण बताए बहुमत प्राप्त इस सरकार को हटा दिया गया। दूसरे शब्दों में पांडिचेरी में राज्यपाल शासन/राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन का अर्थ इन्दिरा गांधी का शासन है। राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन के नाम पर सत्ताधारी इन्दिरा कांग्रेस ने पांडिचेरी में अपना शासन लागू कर दिया। किसी भी तरह से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इन्दिरा कांग्रेस सत्ताधारी दल होना चाहिये और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लोकतन्त्र के मोल पर इन कुटिल तरीकों को अपनाया जाता है। डी० रामचन्द्रन की सरकार का तख्ता पलट दिया गया। द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार को इन्दिरा कांग्रेस का समर्थन वापिस ले लिया गया था। हमें इस बात की चिंता नहीं थी। इन्दिरा कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापिस लिये जाने के तुरन्त बाद जनता पार्टी, साम्यवादी मार्क्सवादी पार्टी और मुस्लिम लीग ने द्रविड मुनेत्र कषगम ने पूर्ण समर्थन प्राप्त किया। हम विधान सभा में अपने बहुमत को सिद्ध करने को तैयार थे किन्तु केन्द्रीय सरकार के कहने से राज्यपाल ने हमारे लोकतांत्रिक अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने द्रविड मुनेत्र कषगम सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब में क्या हुआ है ? मंत्रालय को सक्रिय निलम्बन की स्थिति में रखा गया। ऐसा दोहरा मानदण्ड अपनाया गया ? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में इन्दिरा कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सेना अपना कठिन कार्य कर सके, ऐसा किया गया। ऐसे मानसिक आघात पहुंचाने वाले इस अनुभव के बाद भी आपने पंजाब विधान सभा को सक्रिव निलम्बन की स्थिति में क्यों रखा गया ? किन्तु पांडिचेरी में चूंकि द्रविड मुनेत्र कषगम की सरकार थी केन्द्रीय सरकार को उस सरकार को बर्खास्त करने तथा विधान सभा भंग करने का दुःख नहीं हुआ। केन्द्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा अनेक राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें बर्खास्त की गई हैं। जिन राज्यों में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होता है, वहां केन्द्रीय सरकार मुख्यमंत्री को हटा देती है और विधान सभा को सक्रिय निलम्बन की स्थिति में कर देती है। केन्द्र में सत्तारूढ़ दल जहां यहमहसूस करता है कि सरकार बनाने का अवसर है तो वहां की विधान सभा को सक्रिय निलम्बन की स्थिति में रख दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार की लोकतंत्र विरोधी इस नीति की मैं भर्त्सना करता हूं।

**तमिल में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

मेरी मांग है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा के चुनाव निश्चित रूप से जल्दी कराए जायें। कम से कम अगले बजट पर विचार-विमर्श बहुमत से निर्वाचित की गई विधान सभा द्वारा किया जाए। राज्यपाल का शासन लागू करते समय यह कहा गया था कि चुनाव जल्दी अर्थात् छः महीने के अन्दर कराए जाएंगे। किन्तु अब एक वर्ष से अधिक समय बीत गया है। हमें नहीं मालूम कि चुनाव कराने में कितना समय और लगेगा। नगरपालिका और पंचायत के चुनाव नहीं कराए गए हैं। मेरी मांग है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की जनता के हित के लिए इन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तुरन्त आरम्भ किया जाए। इसके साथ ही बहुमत प्राप्त द्रविड मुनेत्र कषगम की सरकार को बर्खास्त करके पांडिचेरी में राज्यपाल का शासन लागू करना भी लोकतंत्र को चुनौती देना है। मैं चाहता हूं कि चुनाव जल्दी कराए जायें।

राज्यपाल के माध्यम से पांडिचेरी में जब से इन्दिरा कांग्रेस का शासन हुआ है तब से गत एक वर्ष के दौरान कोई भी योजना कार्यान्वित नही की गयी है। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों ने बताया है कि एंग्लो-फ्रेंच कपड़ा मिल गत 14 महीनों से बन्द पड़ी है। 7600 श्रमिकों वाली इस मिल के बन्द होने के एक महीने बाद ही मैंने यह मामला इस सभा में उठाया था। मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि मिल को फिर से चालू करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के ठीक पहले हो बम्बई स्थित महाराष्ट्र की 13 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया था। पांडिचेरी में ऐसा क्यों नहीं किया गया? मैं जानता हूं कि आप ऐसा करेंगे। आम चुनाव की घोषणा के बाद और चुनाव की तारीखें निश्चित होने के वाद आप मद्रास की बी० एण्ड सी० मिल और पांडिचेरी की ए० एफ० टी० मिल का राष्ट्रीयकरण करेंगे। लोगों से वोट लेने के लिए ऐसा किया जाएगा। आपको इस बात की चिन्ता नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। अपने वोट पाने के लिए इन्दिरा कांग्रेस को जनता के दुःखों को बढ़ाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भूख से पीड़ित श्रमिक और अधिक सहन नहीं कर सकते। मैं केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि इस मिल को चालू करने का उपाय न निकाला गया तो केन्द्रीय सरकार को गम्भीर स्थिति का और यहां तक कि हिंसक कार्यवाहियों का मुकाबला करना पड़ सकता है। वास्तव में यह खेद का विषय है कि पांडिचेरी में एक वर्ष से राज्यपाल का शासन है किन्तु इस एक वर्ष के दौरान इस मिल को चालू कराने और 7600 श्रमिकों को रोजी देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। इस कारण पांडिचेरी की आर्थिक स्थिति खस्ता हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें और अपेक्षित कार्यवाही करें।

भारतीय चिकित्सा परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक नोटिस भेजा है कि संकाय में कर्मचारियों की कमी के कारण जिपमेर की मान्यता वापिस ली जा सकती है। यह आश्चर्य की बात है कि कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में से 30 प्रतिशत पद बहुत समय से रिक्त पड़े हैं। प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के 37 पद बिलकुल नहीं भरे गए हैं। जिपमेर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रभार में है। क्या इससे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अकुशल कार्यकरण प्रतिबिम्बित नहीं होता।

मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि इस प्रमुख संस्थान का प्रबंध केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्यों किया जाता है ? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्वायत्तता प्राप्त हैं। जिपमेर के प्रतिष्ठान को आप स्वायत्तता का दर्जा क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं जिससे कि वह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रहमो-करम के आश्रित न रहे ? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या पर विचार करें और उचित निर्णय ले।

भारत-फ्रांस संस्कृति का नगर पांडिचेरी भारत के वायु सेवा के मानचित्र में अभी भी सम्मिलित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार हम लोगों को बहुत दिनों से यह आश्वासन देती रही है कि यहां एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा। मद्रास से पांडिचेरी तक हम लोगों को कार से जाना पड़ता है। इस एक वर्ष के दौरान पांडिचेरी में हवाई अड्डा स्थापित करने की शीघ्र कार्यवाही की जा सकती थी। मैं चाहता हूं कि इस परियोजना पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार पांडिचेरी पत्तन के विकास के सम्बन्ध में असाधारण देरी हो रही है। पांडिचेरी पत्तन के विकास के बिना इस पिछड़े क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं पनप सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विकास के बारे में केन्द्र की कोई रुचि नहीं है। इन क्षेत्रों में राजनैतिक गतिविधियों के लिये केन्द्र के पास बहुत शक्ति और समय है। जब ए० एफ० टी० मिल के 7600 श्रमिक भूखे मर रहे हैं तो केन्द्रीय सरकार पांडिचेरी प्रदेश में पढ़े-लिखे बेरोजगार लोगों को तथा स्वयं नियोजन के लिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अल्प ऋण देने का निदेश क्यों नहीं देती है ? हमारे उपवित्त मंत्री श्री पुजारी के पास, जिन्हें वे गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, उन गरीबों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का 800 करोड़ रुपये के वितरण की योजनायें हैं। ऐसी कोई योजना उन्होंने पांडिचेरी में कार्यान्वित नहीं की है, जहां सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास करोड़ों रुपया जमा है। ए० एफ० टी० मिल के लगातार बन्द रहने से पांडिचेरी के सभी सहायक उद्योगों ने अपने काम बन्द कर दिये हैं। यही समय है जबकि पांडिचेरी में, इस क्षेत्र के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये उप वित्त मंत्री को ऋण मेलों की कार्यान्वित करने के बारे में ध्यान देना चाहिये। पांडिचेरी की लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति का तुरन्त का कायाकल्प और पुनर्जीवित करना आवश्यक है।

देश भर में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है। स्वतन्त्रता सेनानी के नाम पर, विशेषकर उत्तर भारत में, झूठे प्रमाण-पत्र प्राप्त करके लोग पेंशन ले रहे हैं। पांडिचेरी में लगभग 450 स्वतन्त्रता सेनानी हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर उन्हें पेंशन देने से इन्कार किया जा रहा है। पांडिचेरी को फ्रांस के शासन से मुक्त करने के लिये तथा इस प्रदेश को भारत के साथ विलय करने के लिये उन्होंने अपनी हर वस्तु बलिदान कर दी। मुझे समझ में नहीं आता कि इन 450 या उससे कम या अधिक स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत करने में केन्द्र को क्या हिचकिचाहट है। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए और स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की जाए।

पांडिचेरी के सरकारी कर्मचारी बहुत समय से यह मांग कर रहे हैं कि पांडिचेरी को बी-2 का दर्जा दिया जाए जिससे न केवल उन को बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लाभ

होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पांडिचेरी को तुरन्त बी-2 श्रेणी का नगर घोषित किया जाए। इसी प्रकार कारईकल, ऐनम और माहे में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाए। इस पर होने वाले व्यय से केन्द्रीय वित्त पर कोई पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। आंध्र प्रदेश का एक छोटा-सा स्थान ऐनम और केरल का माहे निर्धन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महंगे स्थान हैं। केन्द्रीय सरकार को इन लोगों को मकान किराया भत्ता तुरन्त मंजूर कर देना चाहिये। पांडिचेरी के लोगों की ये कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं जिन्हें राज्यपाल के राज्य में दूर किया जाना चाहिये। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि गत एक वर्ष से पांडिचेरी के प्रशासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। वह गोवा से निर्वाचित हुए हैं और उन्हें पांडिचेरी जाने का कोई सुयोग नहीं प्राप्त हुआ। हम लोग उसके पड़ौसी राज्य तमिलनाडु के हैं। हमें इस बात की व्यावहारिक और व्यक्तिगत जानकारी है कि राज्यपाल के शासनकाल के दौरान पांडिचेरी में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार रहा है। लोकमत से निर्वाचित विधान सभा, जिसमें विरोधी दल इस प्रकार के भ्रष्टाचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं, के अभाव में पांडिचेरी में हर प्रकार के भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। जब मैं इस सभा में प्रश्न उठाता हूं तो वह इसलिए कि मुझे यह लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है। यदि यह अवसर भी नहीं दिया जाता है, तो इस देश में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। पांडिचेरी में राज्यपाल के माध्यम से इन्दिरा कांग्रेस का राज्य है और पांडिचेरी में व्याप्त इन भ्रष्टाचारों पर कोई लोकतांत्रिक नियंत्रण नहीं है। वहां के प्रशासन पर कोई लोकतांत्रिक नियन्त्रण नहीं है।

लोकतंत्र के हित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की जनता को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो सके, मैं यह मांग करता हूं कि पांडिचेरी में चुनाव शीघ्र कराए जायें। इससे पूर्व, इस संघ राज्य क्षेत्र की सभी वास्तविक परेशानियां केन्द्रीय सरकार द्वारा दूर की जायें, जो इस प्रदेश के प्रशासन के प्रति सीधी तौर से उत्तरदायी है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री वी० शनमुगम** (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी के वर्ष 1984-85 के बजट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी एक छोटा-सा प्रदेश है। यह प्रदेश स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना प्रिय था कि उन्होंने पांडिचेरी के आर्थिक और औद्योगिक विकास पर स्वयं ध्यान दिया। उन्होंने राज्य में आर्थिक विकास का बीजारोपण किया। भारत के इस महान नेता की यादगार में, जिपमेर का प्रमुख चिकित्सा संस्थान पांडिचेरी में स्थापित किया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद पांडिचेरी में आरम्भ की गई अनेक विकास योजनाओं के पीछे उनकी ही प्रेरणा थी और वास्तव में उसके वहीं प्रकाश स्तम्भ थे। 1959 से 1969 तक, जब तक कांग्रेस पार्टी पांडिचेरी में उत्तरोत्तर सत्तारूढ़ रही, तब तक इस संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में हर प्रकार की उन्नति हुई। 1967 के चुनाव में तमिलनाडु और पांडिचेरी में

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कांग्रेस पार्टी हार गई और जिसके परिणामस्वरूप 1969 में वहां द्रविड़ मुनेत्र कड़घम की सरकार बनी। 11 वर्ष अर्थात् 1980 तक एक दूसरे के तालमेल से बहुमत में होकर विरोधी दल पांडिचेरी राज्य में राज्य करते रहे। यही वह अवधि है जिसके दौरान पांडिचेरी अपने प्राचीन युग में पहुंच गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़घम के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे की सरकार जनता की भलाई में रुचि नहीं लेती थी और ना ही वह राज्य की प्रगति के प्रति निष्ठावान थी। वे लोग केवल अपने दलों की बढ़ोतरी तथा अपने व्यक्तिगत उन्नति के कार्यों में रुचि लेते थे। इसलिए स्वाभाविक था कि विरोधी दलों के शासन काल में पांडिचेरी में कोई विकासशील योजना कार्यान्वित नहीं की गई। 1980 में, कांग्रेस पार्टी ने द्रविड मुनेत्र कषगम के साथ एक गठ-बन्धन किया और आम चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम-कांग्रेस संयुक्त मोर्चा सत्ता में आया। 3-1/2 वर्ष तक राज्य में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में रही। तभी से कांग्रेस पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम के अपने साझीदारों को, चुनावों के दौरान जनता को दिये गये आश्वासनों और जिन लोगों ने हमें मत देकर सत्तारूढ़ किया, उनकी आकांक्षाओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने के अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाती रही है। कांग्रेस-पार्टी स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित करना चाहती थी। परन्तु चुनाव के दौरान दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हुआ। जब स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं रही तो कांग्रेस पार्टी ने द्र० मु० क० को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया। इन्दिरा कांग्रेस द्र० मु० क० द्वारा अपनाई जा रही जनविश्वासघात की नीति में कभी भी भागीदार नहीं बन सकती है।

विपक्ष के मेरे माननीय मित्र श्री मोहन ने अपने भाषण में कहा है कि जब इन्दिरा कांग्रेस ने अपना समर्थन वापिस ले लिया तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम को जनता पार्टी, साम्यवादी पार्टी और मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त था और द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया होता, परन्तु राज्यपाल ने ऐसा अवसर न देकर द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार को बरखास्त करके विधान सभा को भंग कर दिया। उन्होंने यह प्रश्न भी उठाया है कि पंजाब विधान सभा को कैसे स्थगित रखा गया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का विधान सभा में पूर्ण बहुमत था। पांडिचेरी में ऐसी बात नहीं थी। इन्दिरा कांग्रेस के दस निर्वाचित सदस्य थे और उन्होंने संयुक्त मोर्चा छोड़ दिया। द्रविड़ मुनेत्र कषगम के 14 चुने हुए सदस्य थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त करके भी यह सिद्ध नहीं कर सका कि उनके 20 सदस्य थे। चूंकि श्री मोहन द्र० मु० क० के सदस्य हैं, अतः वह अब यह आरोप लगाने की धृष्टता तो दिखाएंगे ही कि राज्यपाल पांडिचेरी में गैर-कांग्रेसी सरकार बनने के हक में नहीं थे और इसीलिए उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कषगम को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी थी। उनका कहना है कि उन्होंने लोकतन्त्र की हत्या इसलिए की, कि उनके दल द्र० मु० क० को, जिसके केवल 11 सदस्य ही थे, सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

वह तथ्यों को भूल सकते हैं। मैं तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध कर सकता हूं कि उनके विवाद बिल्कुल निराधार हैं। पांडिचेरी की घटनाओं के बारे में सारा देश जानता है। द्र० मु० क० के बहुमत के अपने दावे को सिद्ध करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था और श्री चन्द्रशेखर

के माध्यम से जनता पार्टी ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम को समर्थन का आश्वासन दिया था। बंगलौर से, जनता पार्टी के नेता श्री हेगड़े ने द्र० मु० क० को समर्थन का आश्वासन दिया था। परन्तु जहां तक जनता पार्टी की स्थानीय इकाई का सम्बन्ध था, जनता पार्टी के तीन सदस्य तीन दिन तक बैठकें करते रहे और वे द्र० मु० क० को समर्थन देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं कर सके। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि उन्होंने खुलेआम यह घोषित किया था कि जनता उच्च कमान के निदेशों के बावजूद, वे भ्रष्ट रामचन्द्रन की द्र० मु० क० सरकार को समर्थन नहीं देंगे। वास्तव में उन्होंने राज्यपाल को इस आशय का पत्र लिखा कि वे द्र० मु० क० सरकार का समर्थन नहीं करेंगे और राज्यपाल को भ्रष्ट द्र० मु० क० सरकार को बरखास्त कर देना चाहिए। तीनों ने ही इस पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसे स्वयं राज्यपाल को दे आए। विधान सभा के अन्दर तीनों ही जनता पार्टी सदस्य विपक्ष में बैठे थे। द्र० मु० क० सरकार को बरखास्त करने के लिए, उन्होंने न केवल विधान सभा के अन्दर आन्दोलन चलाया, बल्कि इसकी बरखास्तगी के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किए। श्री डी० रामचन्द्रन की भ्रष्ट सरकार की साम्यवादी पार्टी के सदस्यों ने निश्चित रूप से निन्दा की थी। उन सभी ने यह समझ लिया था कि यदि वे श्री डी० रामचन्द्रन की सरकार को समर्थन देते हैं तो उन्हें लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। इन परिस्थितियों में श्री रामचन्द्रन अपना बहुमत कैसे सिद्ध कर सकते थे? राज्यपाल को बाध्य होकर यह घोषणा करनी पड़ी कि किसी भी राजनीतिक दल का बहुमत नहीं है। वास्तव में, उन्होंने श्री रामचन्द्रन को अपने समर्थकों को प्रस्तुत करने का 24 घंटे का समय दिया था।

जब इन्दिरा कांग्रेस ने द्र० मु० क० को समर्थन दिया तो, श्री रामचन्द्रन विधान सभा और संयुक्त मोर्चे के भी नेता चुने गए थे। इस प्रकार वह मुख्य मंत्री बने। जैसा कि श्री रामचन्द्रन ने दावा किया है, जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग के कथित मौखिक समर्थन के बावजूद भी, श्री रामचन्द्रन को यह निश्चित कर लेना चाहिए था कि वह संयुक्त मोर्चे के नेता चुने जाएं और उसके बाद ही उन्हें राज्यपाल के पास जाना चाहिए था। वह ऐसा नहीं कर सके। यह स्पष्ट था कि इन्दिरा कांग्रेस को छोड़कर उन्हें अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिला था। मैं श्री मोहन को याद दिलाना चाहूंगा कि विधान सभा के भीतर ही द्र० मु० क० के दो सदस्यों ने, द्र० मु० क० के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप खुलेआम लगाए और एक जांच आयोग गठित करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि आन्ध्र-प्रदेश और कर्नाटक से आयुर्विज्ञान महा-विद्यालय में दो सीटों पर प्रवेश के लिए गलत तरीके से दो लाख रुपये लिए गए थे। वे जांच आयोग द्वारा इसकी जांच कराना चाहते थे।

महोदय, आप यह जानना चाहेंगे कि द्र० मु० क० के 14 सदस्यों में से दो ने तो विधान सभा के भीतर ही स्वयं अपनी सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया और उसे बरखास्त करने की मांग की तथा एक अन्य सदस्य, जो कि उपाध्यक्ष थे, फ्रांस चले गये। द्र० मु० क० की संख्या घटकर 11 रह गई। अल्पमत की सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्र० मु० क० को कैसे आमन्त्रित कर सकते थे? क्या श्री मोहन के मतानुसार यह लोकतान्त्रिक होगा? आप राज्यपाल से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह ऐसे अल्पमत वाले नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाएं, जो कि उस नेता के

लिए अन्य सदस्यों से समर्थन प्राप्त करने का सुविधाजनक साधन बन जायेगा ? यदि राज्यपाल ऐसा कर देते तो लोकतन्त्र की हत्या हो जाती।

द्र० मु० क० के तीन मन्त्रियों ने, उनकी सरकार के बरखास्त किए जाने के बाद अगले दिन विरोध प्रदर्शन आयोजित करके जनता के क्रोध को भड़काना चाहा। उनको यह देखकर निराशा हुई कि उनके विरोध मार्च में 500 से भी कम लोग उनके पीछे हैं। उससे अगले दिन, इन्दिरा कांग्रेस ने एक विशाल जन सभा आयोजित की जिसमें पांडिचेरी की जनता ने भ्रष्ट द्र० मु० क० सरकार की बरखास्तगी का स्वागत किया और उन्होंने चैन की सांस ली। समस्त सभा ने यह अनुभव किया कि राज्यपाल ने उनके साथ न्याय किया है ?

श्री मोहन ने यह प्रमाणित करने का साहस किया है कि राज्यपाल के एक वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है और कोई भी विकास योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। यह दर्शाने के लिए मेरे पास निर्णायक साक्ष्य है कि पांडिचेरी में राज्यपाल के शासन ने स्थिरता के युग का आरंभ किया है। प्रशासन का समस्याओं के प्रति पक्षपात का रवैया समाप्त हो गया है। पांडिचेरी में हवाई-अड्डे का शिलान्यास किया जा चुका है। इसी प्रकार, जून, 1984 के महीने में, हमारे नौवहन और परिवहन मंत्री, श्री विजय भास्कर रेड्डी ने अरण्यकुप्पम मत्स्य बन्दरगाह परियोजना की और पांडिचेरी बन्दरगाह के विकास के लिए भी शिलान्यास किया है। प्रशासन हवाई अड्डे के लिए भूमि का अधिग्रहण कर रहा है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। श्री मोहन को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि द्र० मु० क० के 11 वर्ष के शासन के दौरान पूरे धूम-धड़ाके के साथ एक शराब का कारखाना लगाया गया था और 3 मास पश्चात् उसे बन्द कर दिया गया था।

सभापति महोदय : श्री शनमुगम, आप 15 मिनट पहले ही ले चुके हैं, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० शनमुगम : श्री मोहन ने पूछा है कि अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० का शासन कैसा था। जब तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० प्रारम्भ किया गया था, तब श्री डी० रामचन्द्रन पांडिचेरी में द्र० मु० क० सरकार में एक मंत्री थे। उन्होंने यह घोषणा की थी कि अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० को पांडिचेरी में नहीं पनपने दिया जायेगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० को पांडिचेरी में भी सभाएं करने की अनुमति न दी गई। श्री डी० रामचन्द्रन ने अचानक मंत्री के रूप में द्र० मु० क० को छोड़ दिया और अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० में सम्मिलित हो गए, जिसके बारे में वे अत्यधिक शोर मचा रहे थे। यह 1973 में हुआ। द्र० मु० क० सरकार 4 वर्ष तथा 10 महीनों तक शासन में रहने के पश्चात् दो निर्वाचित सदस्यों, जो मंत्री थे, के पार्टी छोड़ देने के पश्चात् सत्ता से हट गई। बाद में जो हुआ वह भी स्पष्ट है। जैसी कि अपेक्षा थी प्रशासन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० वहां पर 21 महीने तक शासन में रही। केवल ये दो ही मंत्री, यह एक अभूतपूर्व लोक-

तंत्रीय प्रक्रिया थी कि केवल 2 मंत्रियों ने ही 21 महीने तक प्रशासन चलाया। पांडिचेरी के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी। दो भ्रष्ट द्र० मु० क० के मंत्री एक स्वच्छ प्रशासन कैसे प्रदान कर सकते थे जबकि वे अखिल भारतीय अन्ना द्र० मु० क० के प्रति निष्ठावान थे?

इसके अलावा श्री मोहन ने नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव न किये जाने के बारे में कहा है। वर्ष 1955 से 1969 के बीच हम नगरपालिका के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के लिए नियमित रूप से चुनाव कराते रहे। चार बार मैं महापौर चुना गया। मैं 16 वर्षों के लिए भारी बहुमत से महापौर चुना गया। तथापि पंचायत अधिनियम द्र० मु० क० के शासन के दौरान पास किया गया था फिर भी द्र० मु० क० पार्टी के 11 वर्षों के शासन के दौरान कोई चुनाव नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मोहन जनसमूह को धोखा देने में दक्ष हैं। उनके सभी आरोप बेबुनियाद हैं।

उन्होंने राज्यपाल के शासन के दौरान कल्याणकारी उपाय न किये जाने की चर्चा की है। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि द्र० मु० क० के शासन के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गरीबी को समाप्त करने, निर्धनों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए धनराशि दी है। उस सारी धनराशि का द्र० मु० क० सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

सभापति महोदय : आप काफी लम्बे अर्से तक महापौर रहे हैं। आपने पहले ही 20 मिनट का समय ले लिया है। हम कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं?

श्री पी० शनमुगम : केन्द्रीय सरकार ने गरीबी को दूर करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये थे। लेकिन द्र० मु० क० पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० योजनाओं के अन्तर्गत दी गई कुल धनराशि को कैसे उपयोग में लाया गया। मेरी प्रमाणिक जानकारी के अनुसार इस सारी धनराशि को द्र० मु० क० पार्टी की तिजोरियों में रख लिया गया है। मैंने इसके बारे में अनेक बार राज्यपाल को अभ्यावेदन किया है। मैं मंत्री महोदय से यह चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० योजना की धनराशि का द्र० मु० क० के मुख्य मंत्री द्वारा किये गये दुरपयोग की एक जांच की जानी चाहिए।

राज्यपाल के शासन के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 56,000 परिवारों का पता लगाया गया है। उनको पहचान पत्र जारी किये गये हैं। दूसरी ओर द्र० मु० क० के मुख्य मंत्री के पास सभी शक्तियां थीं, और अन्य मंत्रियों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। द्र० मु० क० सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले निर्धन व्यक्तियों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। द्र० मु० क० सरकार के मुख्य मंत्री की स्वयं को बनाये रखने में रुचि थी और गरीबी को समाप्त करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

सभापति महोदय : मैं अगले सदस्य को पुकार रहा हूं। अब आप जो कुछ भी बोलेंगे उसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री पी० शनमुगम : मैं पांडिचेरी संघ राज्य-क्षेत्र का अकेला ही प्रतिनिधि हूं, अतः मुझे कुछ और अधिक समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने 25 मिनट का समय ले लिया है। आपको अपना भाषण पूरा करने के लिए और कितना समय चाहिए? इसके लिए कुल एक घंटे का समय नियत किया गया है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, इस सदन में पांडिचेरी का एक ही प्रतिनिधि है। उनको टाइम देना चाहिए। इसमें क्या कठिनाई है?

सभापति महोदय : अगर इस डिसकशन के लिए टाइम बढ़ा देते, तो माननीय सदस्य को ज्यादा टाइम देने में कोई कठिनाई नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस विधेयक के लिए कुल समय एक घंटा है और वह आधा घंटा बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : आप अन्तिम वाक्य कहिए कि मैं मांगों का समर्थन करता हूं और अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

श्री पी० शनमुगम : मैं दस मिनट और चाहता हूं।

सभापति महोदय : यह संभव नहीं है। मैं आपको तीन मिनट का समय और देता हूं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पी० शनमुगम : मैंने श्री मोहन के मुद्दों का अभी उत्तर दिया है। मैं अभी बजट पर नहीं आया हूं।

सभापति महोदय : यदि संसदीय कार्य मंत्री समय बढ़ा देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी० शनमुगम : महोदय, पांडिचेरी में लगभग 450 स्वतन्त्रता सेनानी हैं। वर्ष 1966 में पांडिचेरी प्रशासन द्वारा राज्य क्षेत्र में स्वतन्त्रता सेनानियों की एक संक्षिप्त परिचय तैयार किया था और उनको ताम्रपत्र भी दिये गये थे। इसके सिवाय उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। फ्रांसीसियों ने जाने से पूर्व सारे रिकार्ड जला डाले थे। प्रशासन द्वारा पेंशन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था और केन्द्रीय सरकार ने इन नियमों में संशोधन कर दिया है। मैं यह मांग करता हूं कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कम से कम मरने से पूर्व पेंशन दी जानी चाहिए। पांडिचेरी राजधानी शहर के रूप में चहुमुखी प्रगति कर रहा है।

औद्योगिक उपक्रमों के अलावा, सभी केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालय यहां पर स्थित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अरविन्द आश्रम और 'जिपमेर' के कारण हजारों लोग पांडिचेरी आते हैं और रहन-सहन का खर्च यहां बहुत बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारी यह मांग करते आये हैं कि पांडिचेरी को ख-2 दर्जे वाला नगर घोषित कर दिया जाए ताकि उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो सके। मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को यह मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए और पांडिचेरी को ख-2 दर्जे वाला नगर घोषित कर देना चाहिए। इसी प्रकार से कराईकल, यनम और माहे में सरकारी कर्मचारियों को मकान-किराया भत्ता दिया जाना चाहिए। स्वीकृत इंजीनियरी कालेज तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी बहुत देर से प्रतीक्षा थी, तत्काल शुरू किया जाए। इसी प्रकार से 'जिपमेर' में संकाय की कमी को दूर किया जाए ताकि चिकित्सा छात्रों को हानि न हो। इस समय 30 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस बात की जांच की जानी चाहिए। ऐंगलो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल को तत्काल पुनः आरम्भ किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं कांग्रेसी लीला के सम्बन्ध में कुछ बोलना चाहता हूं···(**व्यवधान**)···वह जो लीला होती है न···

एक माननीय सदस्य : जैसे रास लीला, रामलीला।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, कितना अच्छा होता कि इस बजट पर चर्चा पांडिचेरी के सदन में होती तो कम से कम वहां के जो जन-प्रतिनिधि होते वह अपने विचारों को सही माने में रख पाते।

सभापति महोदय : षण्मुखम् जी का भाषण वहां नहीं हो सकता था। वह तो यहीं हो सकता है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं इसलिए यह कह रहा था कि सत्ताधारी पार्टी ने ऐसा एक रूप धारण कर लिया है, ऐसी लीला शुरू कर दी है कि जहां उसका समझौता नहीं होता है वहां कोई न कोई साजिश करके सरकार हटा दी जाती है और केन्द्र का शासन थोप दिया जाता है। अभी हाल में जम्मू काश्मीर में यह हो गया। वहां कुछ मामला बन गया तो एक सरकार बना दी। मैं यह इसलिए कह रहा था कि 1954 से लेकर 69 तक ये वहां पावर में रहे। उसके बाद वहां डी० एम० के० की सरकार आई। डी० एम० के० की सरकार के बाद अन्ना डी० एम० के० की सरकार आई। डी० एम० के० वालों के साथ दोस्ती हो गई तो अन्ना डी० एम० के० वाले खराब हो गए और अन्ना डी० एम० के० वालों के साथ दोस्ती हो गई तो डी० एम० के० वाले खराब हो गए। यह रवैया फेडरल स्ट्रक्चर के लिए भी ठीक नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है जिस रवैये को इन्होंने अख्त्यार कर लिया है।

मैं ज्यादा न कहते हुए आर्थिक पहलू पर ही बोलना चाहूंगा क्योंकि अभी माननीय सदस्य जो बोले उन्होंने बहुत वक्त आपका ले लिया है। सरकार ने जो बजट पिछली बार रखा, मैंने उसकी कार्यवाही भी देखी है; उस में बहुत से आश्वासन दिए। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि विश्व-विद्यालय का फाउन्डेशन स्टोन रखा गया है और विश्वविद्यालय बन जाएगा। लेकिन उसके बारे में आज तक कोई बात साफ नहीं हुई।

एंलो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल के सम्बन्ध में भी कुछ आश्वासन सदन को दिये थे। माननीय मंत्री जी ने शायद पिछली कार्यवाही भी देखी होगी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, एक तो यह यूनियन टेरिटरी है छोटी-सी पांडिचेरी, वहां 7400 लोग बेकार हो जाते हैं तो एक आर्थिक कठिनाई आएगी। मेरा ख्याल है कि इस बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है और आज भी वे लोग परेशान हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है। मेरे विचार से सरकार को पहल करनी चाहिये क्योंकि एक तो यूनियन टेरिटरी का प्रदेश है, साथ-साथ वहां आपका यानी केन्द्र का शासन है, लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी आर्थिक प्रगति जो वहां होनी चाहिए वह नहीं हो पायी।

आप कभी पांडिचेरी जायें तो देखेंगे, मैं गया हूं वहां, पांडिचेरी में अरविन्द आश्रम वगैरह है, उसकी वजह से लोग जाते हैं, लेकिन जो सड़कें फ्रेंच जमाने की बनी हैं आज उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। यहां से बैठकर आप जरा उसके ऊपर भी गौर करें और अंडर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी देखें। ये छोटे-छोटे काम हैं लेकिन इनके ऊपर आप अवश्य गौर करें।

पिछली डी० एम० के की सरकार ने कुछ स्कीमें वहां चलायीं थीं। जो स्कीमें सही हैं उनपर सरकार को अमल करना चाहिये। इसमें यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि डी० एम० के० वालों ने यह स्कीम चलाई थी। जैसे मैरिज के सम्बन्ध में एक स्कीम है कि विडो या विधवा की पुत्री की शादी हो तो उसमें गवर्नमेंट आर्थिक सहायया देगी। या कोई मछुआरा (फिशरमैन) मर जाता है तो उसके

3.00 म० प०

डेपेन्डेन्ट्स के लिए भी आर्थिक स्कीम थी। हरिजन स्टूडेन्ट्स को स्कालरशिप देने के बारे में भी स्कीम थी। हर घर में, किसी छप्पर में भी कम से कम एक बल्ब की व्यवस्था रोशनी के लिए करने की थी। यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है और जब केन्द्र के हाथों में ही शासन है तो यह सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर ही है। यह सारी बुनियादी बातें हैं जिन पर विचार होना चाहिए।

इसी प्रकार से फिशिंग हार्बर बनाये जाने की मांग होती रहती है। यदि इसका निर्माण किया जाता है तो वहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकेगी और आस-पड़ोस की जगहों का डेवलपमेन्ट हो सकेगा। इसलिए मछली उद्योग को दृष्टि में रखते हुए एक बन्दरगाह का निर्माण किया जाना चाहिए। वैसे तो एअरपोर्ट की भी मांग की जाती है। हरिजन डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कार्पोरेशन की स्थापना की गई है या नहीं—यह बात मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। डी० एम० के० सरकार ने इसको बनाने की कोशिश की थी।

इण्डस्ट्री के मामले में भी पांडिचेरी बहुत पिछड़ा हुआ है । इण्डस्ट्री के नाम पर वहां केवल एक मिल ही थी । अब सरकार को गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्ज के माध्यम से वहां पर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये । एक तरफ तो मिल के 7400 लोग बेकार हो गए हैं और दूसरी तरफ कोई नये उद्योग-धन्धे नहीं खोले जायेंगे तो वहां बेरोजगारी और बढ़ती जायेगी ।

देश के अन्य भागों की तरह पांडिचेरी में भी 70 प्रतिशत लोग कृषि में लगे हुए हैं । पांडिचेरी में कृषि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । वहां पर इरीगेशन के लिए कावेरी से पानी की सप्लाई की जाती है । तमिलनाडु से यह सप्लाई की जाती है । इस व्यवास्था को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए । ट्यूववेल्स की भी चर्चा है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है तमिलनाडु के

3.03 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

इलाके में ड्राउट पड़ने की वजह से पानी का लेबल बहुत नीचे चला गया है इसलिए कावेरी के द्वारा पांडिचेरी के किसानों की इरीनेशन के लिए पानी की निश्चित सप्लाई की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको नुकसान न होने पाए । मैं चाहूंगा कि जब मन्त्री जी उत्तर दें तो इस सन्दर्भ में सरकार का रवैया जरूर स्पष्ट करें ।

टेक्सटाइल मिल की जो समस्या है उसके बारे में भी कुछ न कुछ करना चाहिए । हरिजन डेवलपमेन्ट फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना भी जरूर होनी चाहिए जिससे कि हरिजनों को सुविधायें प्राप्त हो सकें ।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, पांडिचेरी के सम्बन्ध में यहां पर जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो शिक्षा के सम्बन्ध में है । 11,36,59,000 रु० का जो प्रावधान किया गया है उसके सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, गत बजट के सम्बन्ध में भी मैंने प्रार्थना की थी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कि महर्षि अरविन्द घोष पांडिचेरी से सम्बन्धित हैं अतः उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उसको अपनी स्वीकृति भी दे दी है—क्या उस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है या नहीं ? इस बात का स्पष्टीकरण में मन्त्री जी से चाहूंगा । यदि वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है तो जैसा कि गत बजट के अवसर पर मैंने मांग की थी, महान योगी महर्षि अरविन्द के नाम से उस विश्वविद्यालय को बनाया जाए—यह मेरी सरकार से प्रार्थना है ।

दूसरी बात यह है कि वहां पर एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल 14 महीने से बन्द है, लगभग 7,500 मजदूरों की रोजी-रोटी और पेट का सवाल है । वह प्राइवेट व्यक्ति बम्बई का कोई सेठ श्री जाटिया है । उसने वहां की हालत खराब कर रखी है । इसकी प्रार्थना हमारे कांग्रेस-आई के जो

वहां के मैम्बर हैं, उन्होंने भी की है और हमने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने भी की है, उस मिल को एन० टी० सी० की तरफ से सरकार टेकओवर करे, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ समय पूर्व मैं वहां गया था और वहां के मजदूरों की हालत को देखा है। किसी भी तरह आपको वहां की इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

तीसरी बात यह है ओरोविल पांडिचेरी के पास एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी अरविन्द माताजी की कल्पना थी कि उसको एक सुन्दर नगर बनाया जाएगा, जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक शान्ति, सुख और समृद्धि के लिए एक सुन्दर स्थान होगा। लेकिन वहां पर कुछ इस तरह की विदेशी ताकतों ने काम किया और जनता शासन के समय में अनेक इस प्रकार के व्यक्ति वहां पर स्थापित किए गए, जिससे कि वहां की स्थिति खराब हो गई। केन्द्रीय सरकार ने उस पर ध्यान दिया है और वहां पर अपना प्रशासनिक नियुक्त किया ताकि वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उस टेकओवर किए स्थान को मैंने देखा है। शिक्षा मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और मैंने स्वयं भी वहां तीन-चार बार जाकर जांच की है। मेरा एक सुझाव है, वह ओरोविल का एरिया मद्रास और तमिलनाडु के साथ मिला हुआ है। उसके कारण वहां बहुत-सी दिक्कत खड़ी हो गई हैं। मैंने पहले भी मांग की थी कि ओरोविल भौगोलिक दृष्टि से पांडिचेरी से मिला हुआ है और उस एरिए को किसी भी तरह से, चाहे कानून बनाकर, पांडिचेरी के साथ मिला देना चाहिए।

वहां पर कानून पेचिदगियां खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण बड़ी विचित्र-सी स्थिति पैदा हो गई है। उस स्थान से विदेशी ताकतें भी बहुत बड़ा लाभ उठा रही हैं। वहां पर एक जर्मन नागरिक है**...यह व्यक्ति वहां रह कर और लोगों को लालच देकर जमीन खरीदता जा रहा है। उसकी गतिविधियां बड़ी खतरनाक हैं। वह व्यक्ति ओरोविल की भूमि पर भी अपना प्रभाव जमा रहा है।

सभापति महोदय : मैं नहीं सोचता कि कोई विदेशी यहां कोई सम्पत्ति खरीद सकता है।

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, इस सम्बन्ध में मैंने गृह मंत्री को 15 नवम्बर, 1982 को एक पत्र लिखा था। यह जर्मन व्यक्ति वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र का काम कर रहा है। इसके संबंध में तत्कालीन गृह मंत्री, श्री पी० सी० सेठी, ने 24 दिसम्बर, 1982 को जवाब दिया, परन्तु अभी वहां उनकी गतिविधियां बन्द नहीं हुई हैं। इसके बारे में भारत सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। इस विभाग के माध्यम से मैं गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय से भी प्रार्थना करूंगा कि उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखें। जो मेरे पास प्रमाण हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, वहां की जनता को मैंने बड़ी समीपता से देखा है। मजदूरों से मिला हूं, बुद्धिजीवियों से मिला हूं, जब से वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वहां

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

हर दृष्टि से नागरिक खुशहाल है और वहां की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहां किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। यह अलग बात है कि राजनीतिक दृष्टि से कह दें कि वहां सड़कें टूट गई हैं, बिजली का खम्बा नहीं हैं। ये बातें सब साधारण है। लेकिन सर्व-साधारण नागरिक राष्ट्रपति शासन से बहुत खुश है। ये जो रामलीला करते रहते हैं, रेगिस्तान में ये विरोधी पार्टियों के लोग कबड्डी खेलते रहते हैं, जहां से इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, जहां के बारे में इनको कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन यहां आकर तरह-तरह की बातें करते हैं, इधर-उधर की कही-कहाई बातें आकर कह देते हैं, जिसके नाम का पता न हो उसके बारे में यहां आकर वकालत करना—इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि ये रेगिस्तान में कबड्डी खेलते हैं, हकीकत का इनको पता नहीं है। मैं कोई टीका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वास्तविकता से हटकर अंधेरे में ये विरोधी पार्टियों के लोग भटकते रहते हैं। राष्ट्रपति शासन की स्थापना के पश्चात से वहां बहुत फर्क पड़ा है। रोज जो दो इधर आ जाते थे, चार उधर चले जाते थे, इनसे जनता बहुत परेशान थी। अब केन्द्रीय सरकार उनकी तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। लेकिन जो दो-चार मुख्य बातें हैं—जैसे वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित हो, मिल मजदूरों की समस्या का समाधान हो, आविले का जो हिस्सा पांडिचेरी में नहीं है, वह पांडिचेरी को मिल जाय, क्योंकि उनको कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में दूर जाकर अपनी दिक्कतें पेश करने में कठिनाई आ रही है—ये सब कुछ बातें हैं जिनका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। वेस्ट जर्मनी का नागरिक "मिखेल बुके" को तुरन्त इस देश से निकाला जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त भाषण दूंगा।

इस समय, वास्तव में, पांडिचेरी में राष्ट्रपति का शासन है। वहां पर लम्बे अरसे से चुनाव नहीं हुए हैं। मैं सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों द्वारा यहां व्यक्त किए गए इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता, और जोकि वास्तव में अनिश्चित काल तक वहां राष्ट्रपति शासन को इस आधार पर जारी रखे जाने के लिए एक तर्क है कि वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है और लोग सन्तुष्ट हैं—यह बहुत ही खतरनाक सिद्धान्त है क्योंकि इस सिद्धान्त के आधार पर तो हमें देश में हर स्थान पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। उस स्थिति में, चुनाव अथवा ऐसी कोई चीज होने की आवश्यकता ही नहीं है। संसद भंग की जानी चाहिए। हमें यहां बैठने और भाषण देने की क्या आवश्यकता है? हमें तो सभी स्थानों पर केवल राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अन्य बातों को तो छोड़िए, इस समय पांडिचेरी के प्रशासन के लिए एक पूर्ण-कालिक राज्यपाल भी नहीं है। यदि वहां चुनी हुई विधान सभा नहीं है तो वहां कम से कम पूर्णकालिक राज्यपाल तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, शायद दो-तीन महीने पहले, वहां पर जो राज्यपाल श्री राव थे, उन्हें वहां से हटाकर सिक्किम भेज दिया गया है। और फिलहाल, पांडिचेरी की देखभाल के लिए, तमिलनाडु के राज्यपाल को ही अस्थाई कार्यभार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि यह केवल अस्थाई व्यवस्था है। परन्तु मैं सोचता हूं, वहां एक पूर्णकालिक राज्यपाल होना चाहिए। मेरे विचार से, जितनी जल्दी हो सके, चुनाव कराये जाने चाहिए क्योंकि एक प्रतिनिधि सरकार चाहे इसकी अन्य खामियां अथवा

कमजोरियां कुछ भी हों, एक अफसरशाही शासन अथवा राज्यपाल के शासन से हमेशा ही अच्छी होती है।

आज की चर्चा में यह बहुत ही हर्ष की बात देखने को मिली है कि सभा में ऐंग्लो फ्रेंच टेक्सटाइल मिल के प्रश्न पर पूर्ण रूप से सहमति है। मैं नहीं जानता कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी। लगभग पिछले 15 वर्षों से हमें विभिन्न मंत्रियों द्वारा आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैं अब उन सबके बारे में बात नहीं करना चाहता। वास्तव में मार्च के महीने में विभिन्न राजनीतिक दलों की सभी विभिन्न यूनियनों से सम्बन्ध रखने वाले मजदूरों का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में आया था और वह काफी दिन तक बाहर धरने पर बैठा रहा था। उस समय प्रधान मंत्री ने इतनी उदारता दिखाई कि उस प्रतिनिधि मंडल से मिलीं जिसे श्री पी० रामामूर्ति, जो उस समय राज्य सभा के सदस्य थे तथा मेरे द्वारा उनके पास ले जाया गया। हमने मजदूरों की दशा के बारे में जो कुछ भी बताया उसे उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्होंने वायदा किया कि कुछ उपाय किए जाएंगे। वास्तव में हम वाणिज्य मंत्री से भी कई बार मिले हैं और जब मजदूर यहां पर थे तो वे भी उनसे मिले। प्रश्न केवल यही नहीं है कि 7500 मजदूरों को नुकसान हो रहा है और वे भूखे मर रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि यह मिल सक्षम है अथवा नहीं। मैं समझता हूं कि देश के विभिन्न भागों में कई मिलें हैं जहां हमें बताया जाता है कि अभ्रक मिल बहुत पुरानी मिल है, इसकी मशीनरी बहुत टूटी-फूटी है, जिसकी मरम्मत के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, अतः यह सक्षम नहीं है, आदि, आदि। परन्तु सरकार की ओर से किसी ने भी अभी तक इस तथ्य का विरोध नहीं किया है कि एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल पूरी तरह से सक्षम है। यह एक आधुनिक मिल है। इसके उपकरण और मशीनें बिल्कुल आधुनिक और अद्यतन हैं। इसके बन्द किए जाने से पहले इसका अच्छा निर्यात बाजार था जिसके कपड़े की विदेशों में बहुत अधिक मांग थी। यह उच्च किस्म का कपड़ा तैयार करती है, जो विदेशों में भली प्रकार से बिक रहा है। अतः, इसके सक्षम न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री जाटिया ने, जिनका वास्तव में कलकत्ता में व्यापार चलता है, इस मिल को हाथ में लिया था और जैसे आम तौर से होता है, इसके पैसे को कहीं और लगाकर, उसने इसे बन्द कर दिया। बाद में उसे पैसे की एक बहुत बड़ी राशि का दुरुपयोग करने अथवा हड़पने के मामले में बम्बई में गिरफ्तार किया था। उस समय भी सरकार उसे मिल में से पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सकी थी। हमें यह बताया जा रहा था कि सरकार ने उसे कहा है कि वह अपने शेयर किसी एक बैंक के नाम कर दे और यह भी बताया गया था कि सिद्धान्तिक रूप से उसने ऐसा करने के लिए मान लिया था, आदि, आदि और उसके पश्चात् बैंक मिल को अपने हाथ में ले लेगा और मिल को चलाएगा। परन्तु उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ।

परन्तु हाल ही में मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु के राज्यपाल श्री खुराना ने, जो पांडिचेरी के कार्यवाहक राज्यपाल भी हैं, वैयक्तिक रूप से हमारे एक साथी को बताया है कि एक राज्य राष्ट्रीय कपड़ा निगम स्थापित करने के लिए केन्द्र से प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। श्री खुराना के अनुसार—यही मुझे बताया गया है—यदि एक बार वह राज्य कपड़ा निगम स्थापित हो

जाता है तो मद्रास में बिन्नी की मिलें और पांडिचेरी की एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिलों का अधिग्रहण किया जा सकता है और राज्य कपड़ा निगम द्वारा चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरम्भ में इस पर 10 करोड़ रुपये खर्च होगा, परन्तु वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसको मंजूरी नहीं दी है। एक बार मंजूरी मिल जाए तो यह किया जा सकता है। मुझे इन सब आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं है।

यह इतना दुखद अनुभव है जिसमें से इन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। आत्म-हत्याओं, मौतों और ऐसी सभी बातों के अलावा पांडिचेरी शहर के सब लोग इन मजदूरों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। व्यापारी, दुकानदार, स्थानीय बुद्धजीवी, अन्य मजदूर और इसी प्रकार के सभी लोग इस छोटे-से स्थान पर मिलों को पुनः खोलने के लिए मजदूरों की मांग का समर्थन कर रहे हैं।

इस अवधि के दौरान पांडिचेरी में दो या तीन बन्द आयोजित किये गये। मेरे विचार से उस ओर बैठे हुए मेरे मित्र को सब कुछ मालूम है। अतः हम मांग का समर्थन सभी श्रमिक कर रहे हैं किन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

जिस तरह से राष्ट्रीय कपड़ा निगम कार्य कर रहा है, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि इस मिल का अधिग्रहण सिर्फ राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ही करना चाहिए। यह निश्चित करना सरकार का कार्य है। इसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा सीधे ही राष्ट्रीयकरण करके या राज्य कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। इसकी स्थापना कब होने वाली है। अगर आप इसके बारे में गम्भीर हैं तो कृपया जल्दी कीजिए और श्रमिकों, फैक्ट्री एवं उद्योग को बचाने के लिए यह कीजिए।

यह बहुत ही अच्छी कपड़ा मिल है और इसमें मशीनें भी बहुत ही अच्छी हैं। मैं खण्डन किए जाने की परवाह किए बिना यह उद्धृत कर सकता हूं कि वाजिज्य मंत्री के कार्यालय में एक चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा, "जब जीर्ण-शीर्ण और कुप्रबन्ध से ग्रस्त सभी मिलों को हमें विवश होकर हाथ में लेना पड़ा, क्योंकि वे मिलें बन्द थीं, तो क्यों नहीं हम एक अच्छी मिल, एंग्लो फ्रेंच टैक्सटाइल मिल को हाथ में लेकर चलाएं और यह दिखा दें कि इसे मुनाफा कमाकर चलाया जा सकता है।" उन्होंने यह कई महीनों पहले कहा था कि हम विचारों का आदान-प्रदान कर रहे हैं किन्तु कुछ भी नहीं हुआ है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह हमें यह बताने की स्थिति में हैं कि क्या उनके पास वास्तव में कोई योजना अथवा कार्यक्रम है जिससे इन व्यक्तियों को 15 महीने की बेरोजगारी, भुखमरी तथा यातना से कुछ राहत मिल सके। सदन में यहां उपस्थित दोनों पक्षों ने इस मिल को जल्दी-से-जल्दी चलाये जाने के पक्ष में अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक अथवा दो बातें कहना चाहता हूं। एक है 'जिपमेर' के बारे में। इस प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के बारे में, जोकि अनुसंधानिक संस्थान भी है, इसे अपने पैरों पर खड़ा

करने के लिए कई विकल्प हैं जिनके बारे में विचार किया जा सकता है। इस समय कुप्रबन्ध एवं उपेक्षा और इसी तरह की बातों के कारण यह दयनीय स्थिति में है। महोदय, आपने इसका नाम सम्मानीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखा है। कम-से-कम एक समय तो इसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति थी। मैं नहीं जानता अब क्या स्थिति है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। आपको इसे एक राष्ट्रीय संस्थान समझ कर विचार करना चाहिए और इस संस्थान को सभी आवश्यक सहायता देकर इसे चलाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए और इसे पर्याप्त शक्तियां देकर स्वायत्त संस्थान की भांति चलाया जाना चाहिए। और संकाय में जो बड़ी कमियां हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। यह बहुत ही लज्जा-जनक बात है कि 'जिपमेर' जैसे संस्थान को विघटन एवं बर्बाद होने दिया जाये। अतः सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए।

एक छोटा-सा मुद्दा है जिसे मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। पांडिचेरी के सभी स्कूलों में 'जूनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर' (कनिष्ठ शिल्प प्रशिक्षक) नाम की एक श्रेणी है। मुझे उनसे एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा कि वे इस पर ध्यान दें। इन जूनियर क्राफ्ट प्रशिक्षकों को अन्य जूनियर अध्यापकों और स्कूल में अन्य वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। लेकिन इनसे मिलते-जुलते अथवा समान वर्ग के अध्यापकों का वेतन तो बढ़ा दिया गया है किन्तु इन जूनियर क्राफ्ट प्रशिक्षकों को नये वेतनमान नहीं दिये गये हैं। सेलेक्शन ग्रेड के मामले में भी अन्य वर्ग में प्रशिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया गया है किन्तु इसमें इनकी उपेक्षा की गई है। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों किया जा रहा है, परन्तु मैं समझता हूं कि यदि इनको भी सम्मिलित कर लिया जाये तो अधिक व्यय नहीं होगा। इनकी संख्या अधिक नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले का अध्ययन कर इन्हें नये वेतनमान और सेलेक्शन ग्रेड का विकल्प दिया जाना चाहिए जोकि अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को दिया गया है।

मेरा अन्तिम मुद्दा, जिसका यहां पर श्री मोहन ने भी उल्लेख किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह पांडिचेरी के भूतपूर्व स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्बन्ध में है। पांडिचेरी फ्रांस के अधिकार में थी। आज यह बहुत ही ताज्जुब की बात है कि जहां तक मैं जानता हूं भारत सरकार पांडिचेरी के मुक्ति संघर्ष को स्वतन्त्रता आन्दोलन का हिस्सा नहीं मानती है, जिससे इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति भी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन के अधिकारी होंगे। मैं नहीं जानता ऐसा किसलिये है। उनमें से बहुत से दोषी ठहराए गए थे। उनमें से बहुतों को गिरफ्तार होने से बचने के लिए पांडिचेरी राज्य क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा था। वे फरार जैसे थे, जिन्हें छिपना पड़ा था। और बाद में अन्तिम मुक्ति के समय पर वे दुबारा पांडिचेरी में आए। इस समय पांडिचेरी के जीवित स्वतन्त्रता सेनानी अधिक नहीं है। उनकी संस्था बहुत कम है। मैं जानता हूं उनमें से एक श्री बी० सुब्बैया हैं जो कि मेरे दल से सम्बन्धित हैं और एक समय मंत्री थे। वह एक वृद्ध आदमी हैं। वे पांडिचेरी में स्वतन्त्रता आंदोलन का सन् 1930 से नेतृत्व कर रहे हैं। एक समय में वे फ्रांस संसद के भी सदस्य थे। फ्रांसीसी संविधान के अन्तर्गत उपनिवेश से लोगों के निर्वाचित होकर पेरिस में केन्द्रीय संसद के सदस्य बनने का अधिकार है। श्री सुबैय्या भी उनमें से एक थे परन्तु उनके अन्य साथी भी इस श्रेणी में आते हैं। क्या

भारत सरकार उन व्यक्तियों की एक समिति का गठन नहीं कर सकती जो इन सब स्वतन्त्रता सेनानियों से परिचित हो और इन मामलों की जांच कर सरकार से सिफारिश करने के लिए उनसे कहें ? इन व्यक्तियों को पेंशन से वंचित क्यों रखा जाना चाहिए ? गोवा के मामले में हमने ऐसा नहीं किया है ? गोवा के इन स्वतन्त्रता सेनानियों ने पुर्तगाली साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। उन व्यक्तियों को विधिवत मान्यता प्राप्त दी गई और उन्हें पेंशन दी गई। इसलिये मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जिन लोगों ने पांडिचेरी में फ्रांसिसी शासन के विरुद्ध लड़ाई की उन्हें पृथक आधार पर क्यों समझा जाता है ? इन लोगों की संख्या अधिक नहीं है जैसा कि श्री मोहन ने अभी बताया कि केवल चार सौ या पांच सौ व्यक्ति अब जीवित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि इन व्यक्तियों को पेंशन मंजूर कर दी जाए तो भारत सरकार दिवालिया नहीं हो जाएगी। अतः सरकार से मेरी प्रार्थना है कि उपर्युक्त व्यवस्था कर इन लोगों की पहचान की जाए कि वास्तव यही सही व्यक्ति हैं। नकली व्यक्तियों को पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। बहुत से मामलों में ऐसा होता है। परन्तु उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार के विश्वसनीय व्यक्ति हैं जिनकी सत्यनिष्ठा एवं प्रतिष्ठा के बारे में शक नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग इस प्रकार के मामलों की सिफारिश करने एवं उन्हें सत्यापित करने की स्थिति में हैं। मैं चाहूंगा कि वे इन मामलों की जांच करें।

एक बार फिर मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि इस वक्त पांडिचेरी में भयंकर बेरोजगारी चलती आ रही है और मिल के श्रमिक एवं उनके परिवार और आश्रित इससे पीड़ित हैं। इस बारे में सभी व्यक्ति उत्तेजित हैं। यह अच्छी तथा सक्षम मिल है परन्तु सरकार यह देखने की कोशिश नहीं कर रही है कि इसे चालू किया जाए और उत्पादन आरम्भ किया जाए। **(व्यवधान)**

अगर कहीं भी हड़ताल होती है तो हड़ताल में सम्मिलित राष्ट्रविरोधी श्रमिकों से वार्ता करने का कोई अन्त नहीं होता है जिससे उत्पादन रुक जाता है। परन्तु इन लोगों का क्या होगा, इस तरह के नियोजकों का क्या होगा, जो कि इन मिलों को लूटते हैं, सारा पैसा लेकर भाग जाते हैं। सरकार से ऋण लेते हैं उस पैसे को खा जाते हैं और मिल को बन्द कर देते हैं और वर्षों तक इसे बन्द रखते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में सरकार ने कटु शब्दों के अलावा कुछ नहीं कहा है। क्या वे देश-विरोधी गतिविधियां नहीं कर रहे हैं ? अतः इसके अतिरिक्त कृपया इसके बारे में सोचिए जल्दी से जल्दी इन लोगों की सहायता करने की कोशिश कीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यहां पर कई सदस्यों द्वारा कुछ राजनैतिक प्रश्न उठाए गए हैं। मैं नहीं जानता किस प्रकार से वित्त मंत्री इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे ? इन राजनैतिक प्रश्नों, चुनाव के बारे में तथा लोकप्रिय सरकार बनाने के बारे में इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए कम से कम गृह मंत्री जी को यहां होना चाहिए।

जहां तक सरकार की बर्खास्तगी का सम्बन्ध है, केन्द्र में वर्तमान सरकार की यह दिनचर्या ही हो गई है। वे कांग्रेस (इ) सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। वे विरोधी सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। वे मिली-जुली सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। सभी प्रकार की सरकारों को···

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मेरे विचार से उन्हें स्वयं को भी बर्खास्त कर देना चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : उन्हें स्वयं को बर्खास्त करना चाहिए। स्थिति ऐसी है क्योंकि उन्हें ऐसी चीजें करने की आदत है।

वहां पर श्री रामचन्द्रन की सरकार कांग्रेस (इ) के समर्थन में काम कर रही है। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। साथ ही जनतादल, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल सभी ने रामचन्द्रन की सरकार को अपने समर्थन का वचन दिया। किन्तु उन्हें वहां पर कार्य करने नहीं दिया गया। तुरन्त ही उनकी सरकार की बर्खास्त कर दिया गया जैसाकि सिक्किम में भण्डारी सरकार और कश्मीर में डा० फारूक अब्दुल्ला की सरकार के साथ हुआ है। जैसा कि वे सभी जगह कर रहे थे वही उन्होंने वहां पर किया।

यहां पर मूल बात है कि राज्यपाल और उप-राज्यपाल के पद का यहां पर अत्यधिक दुरुपयोग हुआ है। सभी जगह राज्यपाल अथवा उप-राज्यपाल उनकी सलाह के अनुसार कार्य कर रहे हैं और उन राज्य सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं जो विरोधी दलों की हैं। यह एक बहुत ही अनुचित पद्धति है और सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। उनकी नीति यह है कि यदि उनकी अपनी सरकार नहीं है तब वे किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार को भी कार्य नहीं करने देंगे। यदि किसी राज्य में सत्ताधारी दल को केन्द्र में सत्ताधारी दल से गहरे दल से कोई मतभेद है, तो उस विपक्षी सरकार को कार्य नहीं करने दिया जाएगा। यह एक निरन्तर प्रक्रिया हो गई है। ऐसा हम प्रत्येक स्थान पर देखते हैं। अतः इस समय मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि वहां एक लोकप्रिय सरकार को यथाशीघ्र स्थापित किया जाए और इसके लिए शीघ्र ही चुनाव किए जाने चाहिए।

बेरोजगारी के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां भी देश अन्य भागों में दिखाई देने वाली व्यापक बेरोजगारी है। सरकार को स्थिति पर प्रभावी ढंग से नियंत्रिण करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

वहां पर केवल एक कपड़ा मिल है जबकि वहां पर बहुत-सी अन्य मिलों विशेषतः रबड़, जिसके लिए वहां पर कच्ची सामग्री उपलब्ध है, को भी स्थापित करने की क्षमता विद्यमान है। यदि वे चाहें तो वहां रबड़ पर आधारित बहुत से रबड़ उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध है। वहां पर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। मेरे विचार से पांडिचेरी और तमिलनाडु के सदस्यों सहित अनेक अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी इसके बारे में बताया गया है। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम विश्वविद्यालय को वहां पर यथाशीघ्र स्थापित किया जाए। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। देश के कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भांति वहां पर भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए।

मछली उद्योग के सम्बन्ध में मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां इस उद्योग में काफी प्रगति होने की सम्भावना है और यदि हम मछली उद्योग में प्रगति करते हैं तो हम बेरोजगारी

की समस्या को हल करने में भी निश्चित रूप से समर्थ हो सकेंगे। इस विशेष उद्देश्य के लिए मछली उद्योग का आधुनिकीकरण बहुत ही आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए आधुनिक तकनीक तथा उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए और यदि सरकार ऐसा करती है तो वहां विद्यमान अत्यधिक बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी।

विमानपत्तन के सम्बन्ध में भी मांग की जाती रही और यह मांग लम्बे अर्से से की जाती रही है। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार इस पर विचार कर रही है अथवा नहीं। सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और एक विमानपत्तन की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। वह पांडिचेरी के लोगों की एक बहुत ही उचित मांग है। मुझे आशा है कि सरकार इस मांग को पूरा करेगी। इस समय विशेष रूप से बेरोजगारी की समस्या सहित ये प्रमुख समस्यायें हैं जिनके बारे में मैं बोल चुका हूं। मेरा विचार है कि सरकार इस विषय पर गम्भीरता से विचार करेगी और कुछ कार्यवाही करेगी ताकि बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके।

***श्री एस० टी० के० जक्कायन** (पेरियाकुलम) : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी आल इण्डिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगम की ओर से वर्ष 1984-85 के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर कुछ बोलना चाहता हूं। मैं बजट के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

महोदय, पांडिचेरी में द्रमुक की सरकार को इसलिए बर्खास्त किया गया था क्योंकि वह राज्यपाल के समक्ष अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकी थी। भ्रष्टाचार तथा कदाचार के कारण द्रमुक सरकार अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकी और यह अपने गुनाहों तथा त्रुटियों के कारण गिरी। पांडिचेरी में राज्यपाल के शासन में एक स्वच्छ तथा स्थाई प्रशासन का वातावरण उत्पन्न हुआ है और राज्य क्षेत्र के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए योजनाओं को जोरदार ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा।

यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 14 महीनों से पांडिचेरी में अकेली सबसे बड़ी एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल बन्द पड़ी है। 7600 श्रमिकों तथा उनके परिवारों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई है। 30 श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है। स्थिति के बिगड़ने से पूर्व एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइर्ल मिल को खोला जाना चाहिए। राज्यपाल ने हाल ही में यह घोषणा की है। इस मिल को पुनः खोले जाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, ताकि 7600 श्रमिकों को अपनी जीविका पुनः प्राप्त हो सके। यदि इस प्रकार की मिल एक बड़े राज्य में बन्द रहे तो हो सकता है राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव न पड़े तथा श्रमिकों को भी वैकल्पिक रोजगार प्राप्त हो जाए लेकिन एक छोटे से राज्य क्षेत्र में, जहां श्रमिक तथा उनके परिवार कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत है, मिल के लम्बे समय से बन्द रहने का राज्य-क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। संघ राज्य-क्षेत्र का व्यापार तथा वाणिज्य बिलकुल ठप्प हो गया है। आर्थिक स्थिति अस्त-व्यस्त हो गई है। मैं यह मांग करता हूं कि जिस उपाय से भी संभव हो एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल को पुनः खोलना सुनिश्चित करें।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, मेरा दूसरा मुद्दा 'जिप्मर' पांडिचेरी की प्रमुख चिकित्सा संस्था के बारे में है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इसकी मान्यता को समाप्त करने का खतरा है, क्योंकि कर्मचारियों के 30 प्रतिशत अनुमोदित पर लगभग एक दशक से रिक्त पड़े हुए हैं। हम इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था के महत्व को कम नहीं कर सकते। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार तुरन्त ही सभी रिक्त पदों को भरने और इस चिकित्सा संस्था की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को बहाल किया जाए।

मेरा तीसरा मुद्दा पांडिचेरी में विमानपत्तन शीघ्र स्थापित करने के बारे में है। भारत के वायु-मानचित्र में पांडिचेरी को भी शीघ्र ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। हाल ही में इस उद्देश्य के लिए आधारशिला रखी गई है। मेरा यह सुझाव है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए भूमि अर्जन आदि के लिए प्रबल कार्यवाही की जाए।

मेरा चौथा मुद्दा पांडिचेरी प्रशासन के कर्मचारियों की लम्बे अर्से से चली आ रही उचित मांग को पूरा करने के बारे में है। वे यह मांग करते रहे हैं कि पांडिचेरी को बी-2 शहर के रूप में घोषित किया जाए ताकि उनको आर्थिक लाभ मिल सके और वे जीवन निर्वाह के अत्यधिक व्यय को कुछ पूरा कर सकें। कराईक्कल, एनम तथा माहे में सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए।

मेरा पांचवा मुद्दा यह है कि पांडिचेरी पत्तन का तेजी से विकास किया जाए, जिसके बिना इस पिछड़े क्षेत्र के औद्योगीकरण की कोई आशा नहीं है। फ्रांस शासन के दौरान पांडिचेरी पत्तन एक मुक्त पत्तन था। मेरा यह सुझाव है कि पांडिचेरी में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि पत्तन को आवश्यक प्रोत्साहन मिल सके।

अन्त में, मैं यह मांग करता हूं कि पांडिचेरी जो भारत-फ्रांस संस्कृति का स्थाई स्मारक है, मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हम शहर में खुले नालियां देखते हैं जो 24 घंटे दुर्गंध फैलाते रहते हैं। इससे उन दर्शकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है जो विश्व-विख्यात अरविन्द आश्रम को देखने आते हैं। मैं मांग करता हूं कि पांडिचेरी में भूमिगत-जल-निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और उसे शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, पांडिचेरी भारत में हमारे बेहतर तथा शांतिपूर्ण राज्यों में से एक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह एक संघ राज्य क्षेत्र है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इसको अब राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। मैं भी देश के इस भाग से बहुत अच्छी तरह से परिचित हूं। मेरे मित्र वहां पर राज्यपाल थे और मेरी पुत्र-वधु भी उसी स्थान की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप वहां जाइए और दहेज लीजिए ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप पता कर सकते हैं कि वास्तव में मैंने उनको दिया है ।

महोदय, यह क्षेत्र हमेशा सूखे से प्रभावित रहता है और यहां पर वर्षा नहीं होती है । उसके बावजूद बिजली दी जा रही है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । वहां के लोग बहुत ही कठिन कार्य करने वाले हैं और वे सभी भूमिगत जल का उपयोग कर रहे हैं तथा वे राज्य को काफी समृद्धशाली बना रहे हैं ।

वहां पर एक चीनी का कारखाना भी है । हाल ही में हमारे संसद सदस्य द्वारा एक सहकारी समिति संचालित की गई है । उनको वहां पर लोग बहुत चाहते हैं। यह एक बहुत ही सफल चीनी कारखाना है । इसका भली-भांति विकास हो रहा है । वहां पर जो गन्ना उगाया जाता है वह भी सर्वोत्तम प्रकार का है। मेरे जिले के लगभग 100 गन्ना उत्पादक उसको देखने के लिए वहां गए थे। हम अपने क्षेत्र में पिछले 56 वर्षों से गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन वे बेहतर कृषक हैं ।

वहां पर केवल एक समस्या है जो एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल के बन्द होने के बारे में है । इस समय 7,000 से अधिक श्रमिकों की छंटनी हुई है और उनके पास कोई कार्य नहीं है । मैं यह चाहता हूं कि सरकार को ईसका अधिग्रहण करने और इसको चलाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए । आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर 7,000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हों उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है । यह अधिकतर नष्ट हो चुकी है । अतः सरकारी समितियों द्वारा भी अधिकतर धन लगाया गया है । सरकार को इसका अधिग्रहण करना पड़ेगा। सरकार बहुत से स्थानों पर बहुत-सी मिलों का अधिग्रहण कर रही है। निःसंदेह रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है । हम इसको पसन्द करते हैं । लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मिल का भी तुरन्त अधिग्रहण किया जाए और इस ओर ध्यान दिया जाए कि इन सभी व्यक्तियों को काम मिले ।

इसके अतिरिक्त उत्पादन कम हो रहा है और राष्ट्रीय राजकोष में जो करों के रूप में धनराशि जमा होती है, वह नहीं हो रही है । केवल श्रमिकों को ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि राष्ट्रीय राजकोष को भी कर के रूप में अपनी धनराशि नहीं मिल रही है । यह एक बहुत छोटा प्रदेश है जहां पर बहुत ही कम संसाधन हैं । यदि उन संसाधनों को इस प्रकार बरबाद किया जाएगा तो यह समृद्ध नहीं हो सकता है ।

वहां के हमारे संसद सदस्य बहुत ही लोकप्रिय हैं । इस समय पांडिचेरी में विधान सभा नहीं है । उसके बावजूद भी वे लोगों को यह महसूस नहीं होने देते कि वहां पर कोई विधान सभा नहीं है । वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं । वहां पर लोगों के साथ उनके बहुत ही अच्छे सम्बन्ध हैं। मुझे खुशी है कि वह राज्य को महान सेवा कर रहे हैं। जब सरकार बहुत से अन्य राज्यों को, हिमालय के राज्यों को इतनी अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, तो मैं आशा करता हूं कि आदरणीय

मंत्री महोदय इसको भी उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मुझे उससे कोई बैमनस्य नहीं है, निसंदेह यह आवश्यक है। लेकिन इस दूरस्त क्षेत्र को वित्तीय कमी नहीं होनी चाहिए। उस क्षेत्र का औद्योगिकीकरण किया जाना चाहिए। इसकी काफी गुंजाइश है। पूरी क्षमता से बिजली की सप्लाई की जानी चाहिए ताकि किसानों को इसकी कमी महसूस न हो। वे बहुत अच्छे कृषक हैं। यदि उनको समय पर या तथा पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई की जाए तो वे अत्यधिक मात्रा में कृषि उत्पादन कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे आशा है कि यह क्षेत्र समृद्ध होगा और इससे समूचे राष्ट्र की समृद्धि में भी वृद्धि होगी।

महोदय, आपका धन्यवाद।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : महोदय, वाद-विवाद के राजनीतिक पहलूओं का जिक्र न करते हुए मैं केएल उठाए गए आर्थिक मामलों तक ही अपने विचार व्यक्त करूंगा और हमने यह देखा है कि दल का ध्यान न रखते हुए एंग्लो-फ्रेंच टेक्सटाइल मिल को पुनः खोलने के लिए तर्क दिया गया है।

जब मुझे पहले बजट पेश करने का अवसर मिला था तो मैंने यह कहा था कि इस कपड़ा मिल को पुनः चालू करने के लिए पांडिचेरी प्रशासन द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश राज्य प्राधिकारियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार के समक्ष परस्परविरोधी दृष्टिकोण रखे गए हैं। एक अध्ययन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा किया गया है और दूसरा अध्ययन जो राज्य प्रशासन के आदेश पर किया गया है उससे यह पता चलता है कि यह मिल कार्य करने की वर्तमान परिस्थितियों में जिनके लिए श्रमिक संघों द्वारा जोर दिया जा रहा है, एक लाभकारी एकक नहीं हो सकेगा।

मैं 7,000 श्रमिकों तथा उनके परिवारों की बुरी स्थिति को जानता हूं, जो पिछले 15 महीनों से बेरोजगार हैं, और हमारी सहानुभूति उनके साथ है और हम इस गरिमायुक्त सदन के इस सर्वसम्मति तर्क की ओर निश्चय ही ध्यान देंगे कि इस मिल को पुनः खोला जाए।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिल को पुनः खोलने के लिए श्रमिक संघों के सहयोग की आवश्यकता है। जो श्रमिकों पर अपना कुछ भी प्रभाव रखते हैं, वे फालतू श्रमिकों की छंटनी कार्य-भार के मानदण्ड को मुक्तिसंगत बनाने तथा सात कार्य दिवस को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दे सकते हैं, ताकि इस मिल को पुनः चालू किया जा सके। वे श्रमिकों के विचारों को सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तन करने में अपने पद का उपयोग कर सकते हैं। श्रमिकों को यह समझाया जा सकता है कि अत्यधिक कठिन परिस्थितियों के कारण ही सरकार ने इस प्रकार की शर्तें रखी हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आपने, गुजरात में भी उन मिलों के मामले में वे ही मानदण्ड लागू किए थे जिन्हें आप वित्तीय सहायता प्रदान करके पुनः खोलने का प्रयास कर रहे

हैं। आपको उस समय उन मिलों की वित्तीय सुदृढ़ता तथा अन्य बातों की चिन्ता नहीं थी जब आपने बम्बई में कपड़ा मिलों में हड़ताल के फलस्वरूप उन मिलों का अधिग्रहण किया था और जिनको अभी भी नहीं खोला गया है। आपने यह केवल श्रमिकों की बेरोजगारी से रक्षा करने के दृष्टिकोण से किया था।

लेकिन यहां तो एक आधुनिक मिल है जिसके द्वारा भारी निर्यात किया जाता है और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। यदि कार्मिक संघ के साथ निश्चित शर्तों पर कोई बातचीत की जाती है तो ठीक है, ऐसी बातचीत की जानी चाहिए।

यह पहला अवसर है जब मैं आपसे यह सुन रहा हूं कि हम ऐसी स्थिति से घिरे हुए हैं। हमें सरकार द्वारा इस स्थिति के बारे में कभी भी नहीं बताया गया है कि आप इस मामले को कार्मिक संघ के साथ, श्रमिकों के साथ निपटाना चाहते हैं। यदि हमें बताया जाता तो हम इस ओर ध्यान देने की कोशिश कर सकते थे कि उसको किस सीमा तक किया जा सकता है।

हम इसके लिए बहुत ही उत्सुक हैं कि मिल को किसी प्रकार खोला जाना चाहिए। लेकिन हमें इस स्थिति के बारे में कभी भी नहीं बताया गया। इस बात को कभी भी नहीं स्पष्ट किया गया है।

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : माननीय मंत्री महोदय को श्रमिक संघ के नेताओं के साथ एक बैठक करने के लिए तथा इस समस्या को स्थायी रूप से निपटाने के लिए माननीय श्रम मंत्री की मदद लेनी चाहिए।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस सम्बन्ध में बहुत से विकल्पों पर स्वयं प्रशासन द्वारा विचार किया गया है। एक विकल्प यह था कि इस मिल को गैर-सरकारी क्षेत्र में नए प्रबन्धकों को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया।

मेरे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है और मैं सभी को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि जिस गम्भीरता से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार को इस मिल को पुनः खोलने के लिए आपातिक उपाय करने चाहिए, सरकार भी उसकी ओर पूरा ध्यान देगी। मैं निश्चित रूप से इस सभा के विचार अपने माननीय सहयोगी, वाणिज्य मंत्री तक पहुंचा दूंगा, जो कि इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्वतन्त्रता सेनानियों का जिक्र किया है। आज की तारीख में 290 स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई है। श्री ईरा मोहन और श्री शनमुगम ने भी इसका जिक्र किया है। करीब 400 से 500 व्यक्तियों, जो कि पेंशन के हकदार हैं उनकी भी पेंशन मंजूर की जा रही है। इसमें सिर्फ वही श्रेणी शामिल नहीं की गई है जो कि विलय के संघर्ष में स्वयं ही निष्काषित हो गए थे। इस मामले पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है और हम गृह मंत्रालय पर जोर डालेंगे कि···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह स्वयं निष्कासित होना क्या है ?

सभापति महोदय : वह भूमिगत हो गए थे, लेकिन उनका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। मुझे यह बात याद है, क्योंकि कुछ समय के लिए मैंने इस कार्य को देखा था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या जो लोग भूमिगत हो गये थे, उन पर स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की सामान्य योजना लागू नहीं होती ? आप इस बारे में अच्छी प्रकार जानते हैं।

सभापति महोदय : इसके लिए प्रमाण चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हां। किसने कहा है कि प्रमाण नहीं होने चाहिए ? हमने ऐसा नहीं कहा है।...**(व्यवधान)**...स्वयं निष्कासित होना क्या है ?

सभापति महोदय : स्वयं निष्कासित होना वह प्रक्रिया है जिसमें वारंट जारी होने के बिना ही भूमिगत हो जाना है।

श्री एस० एम० कृष्ण : सभापति महोदय, आपसे यह जानकारी प्राप्त कर, क्योंकि आपने कुछ समय तक इस कार्य को निपटाया है, हम गृह मंत्रालय पर जोर डालने की कोशिश करेंगे कि वह इस बारे में नरम रवैया अपनायें। जो कुछ भी प्रमाण चाहिए, वे मुहैया किए जाएंगे और इस तरह इनको मंजूर किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रिटेन की पुलिस को जिन लोगों की भारत में तलाश थी, उन लोगों ने पांडिचेरी में शरण ली थी।

सभापति महोदय : पांडिचेरी के लोगों ने अन्य स्थानों पर शरण ली।

श्री एस० एम० कृष्ण : केन्द्रीय सरकार ने पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। भूमि-अधिग्रहण अन्तिम चरण में है और पांडिचेरी में सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है। हाल ही में वहां एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मंजूरी भी दी गई है और कालेज शीघ्र खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्राचार्य के नाम की घोषणा कर दी गई है और वहां सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रौनिक आदि विषय पढ़ाए जाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने मछुआरों के कल्याण की बात की है। 9,000 मछुआरों के परिवारों, जो कि मजुआरा सहकारी समिति के सदस्य हैं, को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है। मृत्यु होने पर या स्थाई रूप से अपंग होने की दिशा में 15 हजार रु० तक बीमा-राशि दी जाएगी। 1980-81 से 1983-84 तक मछुआरों के लिए करीब 1124 घरों का निर्माण किया गया है। मछुआरों के लिए लगभग 252 पंजीकृत नावें उपलब्ध कराने के लिए ऋण और राज-सहायता प्रदान की गई थी।

कई एक माननीय सदस्यों ने जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है। शिक्षकों के पद न भरे जाने के कारण इसकी मान्यता समाप्त करने की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय, मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि इस प्रतिष्ठित संस्थान में इस प्रकार की स्थिति क्यों आई है। मैं निश्चित रूप से इस मामले को अपने सहयोगी, स्वास्थ्य मंत्री से उठाऊंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य मुद्दे उठाए हैं, मगर मैंने उन पर कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि.....

सभापति महोदय : आप चुनावों के बारे में कुछ कहें। मैं समझता हूं कि कई सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि चुनाव कब होने जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह कैसे कह सकते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। क्योंकि कई सदस्यों ने पूछा है, इसलिए वे ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : प्रतिनिधि सरकार का कोई विकल्प नहीं है.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप इससे सहमत हैं ?

श्री एस० एम० कृष्ण : निश्चय ही, बिना किसी अपवाद के। अगर हम अब तक चुनाव नहीं करवा सके हैं, तो निश्चित रूप से इनके पीछे कुछ दृढ़ कारण रहे होंगे। जैसाकि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पी० वेंकटसुब्बय्या ने सभा को आश्वासन दिया है कि जब तक आवश्यक न हो पांडिचेरी में एक दिन भी चुनावों में देरी नहीं की जाएगी। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं वही दोहरा सकता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के लिए वर्ष 1984-85 की अनुदान की मांगें मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 31 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए सूची के स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी-लेखा राशियों से अनधिक राशियां पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.52 म० प०

पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक (*)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विधियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता-सेनानियों के मसलों से आपका भी सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा है। अभी मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। वर्षों से इसी तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। पांडिचेरी के स्वतंत्रता-सेनानी, और देश के स्वतंत्रता-सेनानी, दिन-पर-दिन मरते जा रहे हैं, क्योंकि वे सब बूढ़े हैं। कोई नौजवान स्वतंत्रता-सेनानी नहीं हो सकता। उनमें 55, 60 बरस से कम कोई नहीं होगा।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उनको बचाने का नुस्खा बताइये।

(*) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 2, दिनांक 2.8.84 में प्रकाशित

श्री रामावतार शास्त्री : उनको बचाने का नुस्खा ही मैं बता रहा हूं। माननीय सदस्य ने गांधी टोपी पहनी हुई है, लेकिन उस जमाने में इनका पता नहीं था।

प्रो० सत्यदेव सिंह : इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री रामावतार शास्त्री : दोष यह है कि वह टोक रहे हैं।

अभी भी चार लाख स्वतंत्रता-सेनानी जिन्दा हैं, जिनमें से 1.27 लाख को स्वतंत्रता-सेनानी सम्मान पेंशन मिल रही है, जिसकी राशि 300 रुपये है। महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ रही है, लेकिन स्वतंत्रता-सेनानियों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जो लोग सक्षम हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग, वे संगठित आन्दोलन करके सरकार से अपनी मांगें मंगवा लेते हैं। अब लगता है कि इन बूढ़े लोगों को भी आन्दोलन करना पड़ेगा या इनको भी अन्त में आपके शासन में भी जेल जाना पड़े। आपको उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए। आपके वित्त मंत्री जी पिछली बार बोले, इसी सदन में वह वादा कर चुके हैं कि 300 रुपये की पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात पर विचार हो रहा है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब हम लोगों के पास स्वतंत्रता-सेनानी लोग बेचारे मर्माहत होकर चिट्ठी लिखते हैं कि क्या हुआ उस वादे का ? वह वादा तो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, आगे क्या कीजिएगा, पता नहीं।

अभी गैर-सरकारी स्वतंत्रता-सेनानी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी इसी जुलाई में। उसने सरकार के पास सिफारिश भेजी है कि इस राशि को बढ़ाकर पांच सौ महावारी तक तो सरकार कर ही दे। तो यह तो अलग मसला है।

अभी हम पांडिचेरी के स्वतंत्रता सेनानियों का मसला उठाना चाहते हैं। उनको भारत सरकार भी पेंशन नहीं दे रही है और वह कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वह एग्जाइल में चले गए थे। तो वह अपने मन से तो नहीं चले गए। स्वतंत्रता-सेनानी की हैसियत से देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे। फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने उनको वहां से भागने को मजबूर किया। फिर कभी कह दिया जाता है कि यह तो राजनीतिक मसला नहीं था। तो वह क्या था ? उस समय फ्रेंच साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना या गोवा में पुर्तगाली साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना क्या स्वतंत्रता आन्दोलन का हिस्सा नहीं था ? आप मानते हैं कि हिस्सा था। गोवा में स्वतंत्रता सेनानियों को आप पेंशन दे रहे हैं। वह भी एग्जाइल में थे। वह लोग भी दूसरी जगह चले गए थे पुर्तगाली साम्राज्यवाद के दमन चक्र से बचने के लिए और अपने आन्दोलन को जारी रखने के लिए वह बाहर चले गए। फिर उसी तरह से पांडिचेरी के लोग भी चले गए। तो पांडिचेरी के लोगों को सिंगिल आउट करके किसी न किसी बहाने क्यों तंग और तबाह किया जा रहा है ? अभी एक कमेटी बनी है, स्वतंत्रता-सेनानी परामर्शदात्री समिति की मीटिंग की सिफारिश के मुताबिक एक अधिकारियों की कमेटी बनी है। इस कमेटी को बने हुए भी बहुत दिन हो गए। कहा गया कि उनके केसेज को सार्ट आउट किया जाएगा। अभी तक तो नहीं किया गया। वहां के लोग हम लोगों के पास चिट्ठियां और दरख्वास्तें भेजते हैं। हम लोग भी उसको गृह मंत्री जी के पास भेजते हैं। लेकिन उसका भी कोई

नतीजा नहीं निकलता । तो मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अब देर मत कीजिए । खुद ही कहते हैं कि कुछ सौ लोग हैं बचे हुए और उनमें भी बहुत से लोग दिन प्रतिदिन काल कवलित होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर भारत सरकार को भी उन्हें पेंशन देनी चाहिए और राज्य सरकार को भी देनी चाहिए । बहुत सारी राज्य सरकारें दे रही हैं । लगभग एक दर्जन राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपने खजाने से उनको पेंशन दे रही हैं । तो मेरा निवेदन होगा कि भारत सरकार भी दे । इसमें जितना भी विलम्ब हो चुका वह क्षमा योग्य नहीं है । लेकिन उसको हम भूल जाने को तैयार हैं अगर अभी भी आप पांडिचेरी के स्वतंत्रता सेनानियों के निवेदन को स्वीकार कर लें और उनको पेंशन यहां से भी दें और साथ-साथ पांडिचेरी में भी सरकार आप ही चला रहे हैं, वहां से भी व्यवस्था करें ताकि वहां से भी उन्हें पेंशन की राशि मिल सके जिससे इसे महंगाई के समय में वह अपने बाल बच्चों की परवरिश कर सकें और चिकित्सा की भी व्यवस्था होनी चाहिए । चिकित्सा की भी सुविधा हर जगह नहीं है । आपके यहां तो कोई केन्द्रीय कानून है ही नहीं उनके लिए । हम लोगों ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को चिकित्सा के लिए आप सी० जी० एच० एस० की जो स्कीम है उसमें सुविधा दीजिए । मंत्री मोहसिना जी पता नहीं अभी भी उसमें हैं या नहीं, लेकिन वह रह चुकी हैं, तो उनको उसमें चिकित्सा की सुविधा दीजिए । न चिकित्सा की सुविधा है, न पेंशन दे रहे हैं, न भारत सरकार पेंशन दे रही है न राज्य सरकार दे रही है तो वे बेचारे जाएं कहां ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका ध्यान उनकी तरफ और अब और देर न करके यथाशीघ्र उनके पेंशन की व्यवस्था दोनों जगहों से करवाइए, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाइए । जितना ही वह जिन्दा रहेंगे वह नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे कि इन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया है और देश को आजाद किया है तभी यह पार्लियामेंट भी चल रही है, असेम्बलियां भी चल रही हैं, मिनिस्टर भी हैं और हम लोग भी हैं । इसलिए उनको भुलाइए नहीं, उनके लिए यथाशीघ्र उपाय कीजिए ।

4.00 म० प०

सभापति महोदय : क्या आपको कुछ और कहना है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैंने अपने उत्तर के दौरान, पहले ही, सभी मुद्दों पर बातचीत की है । श्री रामावतार शास्त्री ने जोर इस बात पर दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करनी ही होगी और वह चाहते हैं कि उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए । ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार हो रहा है । मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 400 से 500 स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामलों को पहले ही से निबटाया जा चुका है और शेष मामलों की जांच की जा रही है ।

सभापति महोदय : क्या उन्हें केन्द्रीय सरकार की पेंशन मिल रही है ?

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, उन्हें 100 रुपये मिल रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : वह राज्य सरकार की पेंशन है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : सभापति महोदय, मैं राज्य सरकार की पेंशन की ही बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

प्रश्न यह कि :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.02 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85

सभापति महोदय : अब सभा में सामान्य बजट, 1984-85 सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 1 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या : 1, 2, 5, 9, 11, 12, 25, 28, 29, 31, 39, 43, 46, 53,62, 63, 66, 67, 70, 76, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91, 96, 99 और 108।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
कृषि मंत्रालय			
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	—
2.	कृषि	1,03,99,00,000	—
5.	वन	1,000	—
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			
9.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	2,48,25,000	—
वाणिज्य मंत्रालय			
11.	विदेश व्यापार और निर्यात-उत्पादन	60,00,000	12,75,00,000
12.	वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प	—	60,00,00,000
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय			
25.	शिक्षा	10,00,00,000	—

1	2	3
ऊर्जा मंत्रालय		
28. पेट्रोलियम विभाग	12,00,00,000	—
29. विद्युत विभाग	2,00,00,000	2,00,00,000
31. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	30,00,00,000	14,75,99,000
वित्त मंत्रालय		
39. करेंसी, सिक्का-निर्माण और टकसाल	18,25,00,000	54,75,00,000
43. वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	—	148,74,94,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
46. नागरिक पूर्ति विभाग	6,00,000	1,57,68,000
गृह मंत्रालय		
53. पुलिस	60,50,000	—
उद्योग मंत्रालय		
62. उद्योग	30,55,00,000	*23,86,53,000
63. ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	150,00,00,000	—
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
66. प्रसारण	—	1,000
सिंचाई मंत्रालय		
67. सिंचाई मंत्रालय	15,00,00,000	—
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय		
70. पुनर्वास विभाग	—	2,67,00,000

1	2	3	
	ग्रामीण विकास मंत्रालय		
76.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	1,000	—
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
79.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	—	1,90,00,000
80.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	—	45,00,00,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
83.	खान विभाग	—	40,00,00,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
86.	विमानन	5,48,00,000	—
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
89.	लोक निर्माण कार्य	—	1,000
90.	जल पूर्ति और मल निकास	50,00,00,000	—
91.	आवास और नगर विकास	10,00,00,000	—
	इलेक्ट्रानिकी विभाग		
96.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	—	33,01,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
99.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	50,00,000	50,00,000
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
108.	संसदीय कार्य विभाग	5,85,000	—

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सभापति महोदय, वर्ष 1984-85 के लिए रेलवे विभाग को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ करने हेतु मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा मेरा उल्लेख किये जाने पर मुझे यह अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

इन अनुदानों पर मैं अपने विचार और टिप्पणियां बहुत संक्षिप्त रूप से दूंगा । महोदय, पहले तो यह कि कुल अनुदान 963 करोड़ रुपए के लिए है । मैं, माननीय वित्त राज्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार वर्षों में, प्रत्येक मंत्री, विशेषकर वित्त मंत्री, इस सभा के अन्दर तथा बाहर भी इस बात का आश्वासन देते आ रहे हैं कि सरकार मुद्रा स्फीति नियंत्रण के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी । परन्तु, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पिछले साढ़े चार वर्षों में कीमतें लगभग 55 प्रतिशत बढ़ गयी हैं । पहले, थोक मूल्य सूचकांक वार्षिक आधार पर बढ़ रहा था । लोक दल सरकार के शासन में यह मासिक आधार पर बढ़ रहा था । इस सरकार के शासन में यह साप्ताहिक आधार पर बढ़ रहा है । यह चिंता का विषय हैं । जहां तक मूल्यों की बात है, स्थिति बहुत चिंताजनक है और मेरे विचार से इस मूल्य वृद्धि के मामले में सरकार ही मुख्य अभियुक्त है क्योंकि हर वर्ष सरकार द्वारा नियंत्रित चीजों के मूल्यों में वृद्धि के कारण ही मूल्य वृद्धि हुई है । अतः, वित्त मंत्रालय को इस मामले में कुछ करना ही पड़ेगा । हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सफल सिद्ध नहीं हो रही है और आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस सभा को इस बारे में आश्वासन दें कि इस विशेष स्थिति में वे कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं । मूल्य वृद्धि को नापने का अब एक सिद्धान्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की किस्तें हैं । 1977-79 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की तीन किस्तें देय थीं । और पिछले साढ़े चार वर्षों की इस विशेष अवधि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की 22 किस्तें देय हो गई थीं, जिनमें से चार किस्तों की अदायगी अभी होनी है ।

मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त महंगाई की किस्तों की मांग के बारे में उपबन्ध क्यों नहीं किया गया है । इससे पता चलता है कि वे इन किस्तों की अदायगी नहीं करने वाले हैं अपितु कुछ अन्य समायोजन करने वाले हैं । यह इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि पूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना कुशल कुप्रबन्ध है । मैं नहीं कहूंगा कि यह अकुशल प्रबन्ध है । यह पूर्ण अर्थव्यवस्था में कुशल कुप्रबन्ध है । वे समूचे देश को यह विश्वास दिला रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का भली प्रकार से प्रबन्ध हो रहा है । परन्तु मेरे दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए केवल एक कारण पर्याप्त होगा और वह है रुपए के मुकाबले में डालर का मूल्य । पांच वर्ष पहले डालर का मूल्य 7 रुपया था । 1980 में यह लगभग 8.50 रुपए था । प्रति एक एस० डी० आर० यह मूल्य 11.47 रुपए बढ़ गया है अर्थात लगभग 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है । दूसरे शब्दों में, डालर के मुकाबले रुपए का मूल्य 45 प्रतिशत कम हो गया है । फल-

स्वरूप, जहां तक विदेशी ऋण का सम्बन्ध है, हमारी देनदारियों में अपने-आप 50 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। समूचे देश के लिए यह बहुत ही भारी बोझ है।

अब हम कुछ विशेष समस्याओं की बात करते हैं, जिनका सामना समूचे देश, विशेषकर मेरे राज्य राजस्थान को करना पड़ रहा है। सभा में 8वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा बाद में की जाएगी। अतः, मैं उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा दिया गया तर्क यह है कि वे 1984-85 से 8वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन को लागू नहीं करेंगे क्योंकि बजट पहले ही तैयार कर लिया गया है। यदि आप कुछ गम्भीर होते तो आप उन सभी उपबन्धों के लिए इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों में शामिल कर सकते थे। अब देश के सभी राज्य लगभग 2000 करोड़ रुपए से वंचित हो गए हैं क्योंकि आप 1984 से रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। आप इसे 1985 से लागू कर रहे हैं।

राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यह एक ऐसा राज्य है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राजस्थान रजवाड़ों का राज्य था। स्वभाविक रूप से राजस्थान में दोहरी गुलामी थी। वहां पर भूमिपति, जागीरदार, जमींदार, राजा और अन्य व्यक्ति थे। अतः राजस्थान के समूचे कृषक वर्ग का बहुत ही शोषण किया जाता था। जहां तक अनुदानों की अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इस राजस्थान राज्य के लिए विशेष रियायत के रूप में कोई विशेष अनुदान दिया गया है।

साठ प्रतिशत राजस्थान रेगिस्तान है। सभापति महोदय, क्या आप राजस्थान गए हैं? यदि आप नहीं गए हैं तो आप कृपया मेरे साथ, श्री वृद्धि चन्द्र जैन को लेकर जयपुर और फिर उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर चलें।

सभापति महोदय : मैं सब स्थानों पर गया हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप देखेंगे कि यह रहने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। राजस्थान में आपको बहुत शान्ति वाले लोग मिलेंगे—कोई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं।

अब स्थिति क्या है? इसका 60 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान है। अनुदानों की अनुपूरक मांगों में रेगिस्तान के विकास के लिए क्या विशेष आबंटन किया गया है? कुछ भी नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग की देखभाल आप किस प्रकार करेंगे? कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं। कोई विशेष सहायता नहीं है।

राजस्थान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक पुष्कर मेले में आते हैं, जो एक वार्षिक पशु मेला है। हजारों लोग जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर जाते हैं। जैसलमेर और बीकानेर वायुदूत द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं पर इस कार्य के लिए सरकार ने वायदा किया हुआ है। यह पूरा हो जाना चाहिए। राजधानी में सांगनेर हवाई अड्डा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया

जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि अनुदानों की इन विशेष अनुपूरक मांगों में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि राजस्थान की पर्यटन क्षमता की ओर ध्यान दिया जाए···

सभापति महोदय : आपने अजमेर को छोड़ दिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : वे अजमेर के बारे में पहले ही विचार कर रहे हैं। मैं अजमेर की बात भी करने वाला हूं। समूचे राज्य के प्रति और समूचे देश के प्रति मेरा बहुत ही समेकित दृष्टिकोण है।

जहां तक पर्यटन का सम्बन्ध है, राजस्थान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटक दिल्ली आते हैं। यहां से वे आगरा तथा जयपुर जाते हैं। ये तीन स्थल हैं लेकिन अब इनके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तथा उदयपुर अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि जैसलमेर तथा बीकानेर को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाए। सांगानेर को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाए। रेलवे सेवा के मामले में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश में राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है जिसे ब्राडगेज लाइन से नहीं जोड़ा गया है। आपने जयपुर को छोडकर प्रत्येक राज्य की राजधानी को ब्राडगेज लाइन द्वारा दिल्ली से जोड़ा हुआ है। दिल्ली से अहमदाबाद तक ब्राडगेज लाइन, जो दो राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ेगी, के बारे में इस बजट में क्या प्रावधान किया गया है अथवा भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी द्वारा क्या प्रावधान किए गए थे। जयपुर और अहमदाबाद को ब्राडगेज लाइन द्वारा दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार सवाई माधोपुर के रास्ते से होकर जयपुर से बम्बई जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली से बम्बई तक ब्राडगेज लाइन है। लेकिन सवाई माधोपुर से जयपुर तक मीटरगेज लाइन है। अतः जयपुर से सवाई माधोपुर तक भी ब्राडगेज लाइन होनी चाहिए। इसी प्रकार चितौड़ कोटा रेलवे लाइन का कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ यह मामला लिया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र में पर्याप्त चूना पत्थर है। इस क्षेत्र में सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जा सकती है। हमें बाहर से सीमेंट का आयात करने की जरूरत नहीं है। इसपर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इसका इस पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार राजस्थान में मीटरगेज लाइन के लिए एक नया कार्यालय खोलने पर भी विचार कर रही है। इस पर निर्णय हो चुका है। अतः मीटरगेज लाइन के लिए पश्चिमी जोन के लिए एक कार्यालय जयपुर में और रेल डिब्बों के निर्माण के लिए एक कारखाना अजमेर में स्थापित किया जाना चाहिए। रेल डिब्बों के निर्माण के लिए अजमेर एक उपयुक्त स्थान है और यह वहां पर किया जा रहा है। लेकिन जयपुर में विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालय के हित को देखते हुए अजमेर में इंटीग्रल कोच फैक्टरी की स्थापना की जानी चाहिए और पश्चिम रेलवे का मंडल कार्यालय जयपुर में स्थित होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त राजस्थान में हजारों टन प्राकृतिक लौह निक्षेप विद्यमान हैं तथा राजस्थान में अन्य खानें भी हैं। लेकिन बीकानेर में लिग्नाइट पर आधारित तापीय बिजलीघरों की स्थापना के बारे में इस बजट में अथवा पिछले बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सिंसुर में पाइराइट पर आधारित एक अन्य यूनिट लगाई जा सकती है। राजस्थान में इतने अधिक खनिज भण्डार हैं कि राजस्थान में इन पर आधारित दर्जनों उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इनको अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है। मैं मांग करता हूं कि पाइराइट पर आधारित एक यूनिट तथा लिग्नाइट पर आधारित एक अन्य यूनिट हो। इसी प्रकार बीकानेर में तापीय बिजलीघर के बारे में एक योजना पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

भरतपुर में एक शुष्क पत्तन की स्थापना के लिए लगातार मांग की गई है। इस पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार अलवर से भरतपुर और धौलपुर तक के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है। अतः मैं मांग करता हूं कि अलवर से भरतपुर और धौलपुर तक तथा धौलपुर जो कि जिला भी है, के अन्तिम हिस्से को जोड़ते हुए एक रेलवे लाइन होनी चाहिए। इसपर भी विचार किया जाना चाहिए।

राजस्थान ने पंजाब में बहुत से हैडवर्क्स की स्थापना और निर्माण में योगदान दिया है। राजस्थान का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए अथवा रोपड़ में स्थित हैडवर्क्स में नियंत्रणकारी हिस्सा होना चाहिए। अन्यथा राजस्थान हमेशा पंजाब अथवा किसी अन्य स्थान पर निर्भर रहेगा।

कभी-कभी भाखड़ा नहर में दरार आ जाती है। गंगानगर जिला अथवा चुरू जिला अथवा बीकानेर जिला अथवा समग्र रूप में राजस्थान को दिक्कत होती है। इसमें बहुत-सी समस्यायें हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि रोपड़ स्थित हैडवर्क्स में राजस्थान को नियंत्रणकारी हिस्सा दिया जाना चाहिए।

राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र, जो कोलचूर में स्थित है, का यूनिट I एक वर्ष से बन्द है। यूनिट 2 यदाकदा बन्द हो जाता है। लेकिन मुझे पता चला है कि डा० राजरमन्ना ने सिफारिश की है कि परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए राजस्थान एक उपयुक्त स्थान है। अतः तीसरा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया जाना चाहिए। स्थल चयन समिति ने इसी तरह की सिफारिश की है। मैं मांग करता हूं कि तीसरा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थापित किया जाये। एक सुपर तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिए राजस्थान एक उपयुक्त स्थान है। इस पर भी विचार करना चाहिए।

राजस्थान में एस० एम० एस० मेडिकल कालेज एक पुराना मेडिकल कालेज है। यह जयपुर में स्थित है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए० आई० आई० एम० एस०) है। इसी प्रकार चण्डीगढ़ में स्नातकोत्तर संस्थान है। मैं मांग करता हूं कि पूरे राजस्थान के लिए इसी

प्रकार के मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाकर इसे ए० आई० आई० एम० एस० का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने छोटे कस्बों के विकास के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदान दिये हैं। राजस्थान में 26 अथवा 27 जिले हैं और कुछ जिले बनाये जाने हैं। कुछ छोटे कस्बे हैं जिनकी आबादी 20,000 अथवा 22,000 है। मेरे अपने जयपुर जिले में सांगानेर नामक स्थान छपाई (प्रिंट) के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप न्यूयार्क गये हों तो वहां पर सांगानेर की प्रिंटेड साड़ियों, चादरों की भारी मांग है। बागरू नामक एक अन्य स्थान भी है जो प्रिंटेड साड़ियों, चादरों तथा गिलाफों के लिए प्रसिद्ध है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र है। वहां से 30 मील की दूरी पर बस्सी नामक एक अन्य स्थान है और सांगानेर की तरह चक्सु, जमना रामगढ़ जैसे अन्य स्थान हैं। कुछ अन्य कस्बे हैं और जयपुर जिले में छः अथवा सात कस्बे हैं। इन केन्द्रों के विकास के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के शीर्षकों के अधीन इन सभी स्थानों के लिए कुछ विशेष आबंटन कार्यक्रम होने चाहिए। इन क्षेत्रों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान किये जाने चाहिए।

मैं अनुपूरक अनुदानों के बारे में पृष्ठ 47 और 48 में दी गई एक सूची को देख रहा था जिसमें निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन नए निर्माण-कार्यों को शुरू किया जा रहा है। मुझे कहीं पर भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए चाहे वे जोधपुर, जयपुर अथवा अजमेर में नियुक्त हों, अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिखाई दिया है। विशेष रूप से जयपुर, जो राजधानी है, में भीड़-भाड़ अधिक है। मैं मांग करता हूं कि जयपुर अथवा अन्य स्थानों में, जहां इनकी अत्यधिक मांग है अथवा जहां भीड़-भाड़ अधिक है, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त मकान बनाए जाने चाहिए। ये कुछ विशेष बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यही कारण है जिससे महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात की तुलना में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अभी तक राजस्थान पिछड़ा हुआ है। यहां पर 3-1/2 करोड़ लोग अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं। लगभग 60 प्रतिशत इलाका रेगिस्तानी है। वहां पर तापीय विद्युत संयंत्र और विद्युतीकरण कार्यक्रम की स्थिति का अवलोकन करें। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए विद्युतीकरण शीर्षक के अन्तर्गत कुछ आंकड़े दिए गए हैं। बेकिन यह पर्याप्त नहीं हैं। पंपों को बिजली से चलाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। मैंने देखा है कि वहां पर बिजली की सप्लाई में 90 प्रतिशत कटौती होती है जिससे वहां पर स्थित उद्योगों को दिक्कत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र को भी दिक्कत है। यदि राजस्थान नहर को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाती है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि अनाज के मामले में राजस्थान पंजाब की बराबरी करने लगेगा और भारत सरकार तथा पूरे देश को आयात नहीं करना पड़ेगा अथवा आयातित खाद्यान्नों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान नहर को समय पर पूरा करने के लिए शीघ्रतिशीघ्र धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यदि राजस्थान नहर समय पर पूरी हो जाती है तो यह पूरे देश का भरण-पोषण कर सकती है, जहां तक खाद्य उत्पादन का सम्बन्ध है। लेकिन यहां पर इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा

कि वह इन सभी बातों पर विचार करें। जो कुछ वह उत्तर देना चाहते हैं वह अब दे सकते हैं अथवा यदि यह सम्भव नहीं है तो वह मुझे बाद में भेज सकते हैं।

सभापति महोदय : यह सामान्य बजट है। लेकिन आप केवल राजस्थान के बारे में बोले हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं बोल चुका हूं। आज श्री राजीव गांधी ने घोषणा की है कि शायद यह अन्तिम सत्र है।

सभापति महोदय : मेरा विचार था कि वह कर्नाटक के बारे में भी बोलेंगे क्योंकि वहां पर उनकी पार्टी का शासन है। नहीं, कोई अन्य पार्टी वहां पर है।

अब श्री उमा कांत मिश्र। वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री कुंवर राम। वह भी यहां पर नहीं हैं। प्रो० सत्य देव सिंह। वह भी नहीं हैं। मेरे विचार से केवल श्री व्यास यहां पर हैं। प्रो० नारायण चंद पराशर।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1984-85 के व्यय के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

यहां पर किए गए विभिन्न प्रावधानों को देखने से मुझे पता चला है कि कुछ मुद्दों को, जो शामिल किए जा सकते थे, यहां पर शामिल नहीं किया गया है। मेरी वित्त मंत्रालय से पहली शिकायत यह है कि उन्होंने नए पदों के सृजन और रिक्त पदों को भरने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पांचवीं लोक सभा के कार्य-काल के दौरान जब यह रोक लगाई गई थी तो इससे पर्वतीय क्षेत्रों को छूट दी गई थी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के आयोजन, कार्य-निष्पादन और स्थापना के लिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक अवधि लगती है। अतः यह छूट दी गई थी। इस बार मैंने बजट सत्र के दौरान नियम 377 के अधीन इस मामले को उठाया और माननीय वित्त मंत्री ने मुझे सूचित किया कि विशिष्ट मामलों में छूट दी जा रही है। यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम पूरी छूट चाहते हैं अथवा रोक को हटाना चाहते हैं। अन्यथा यह रोक 30 सितम्बर को समाप्त होगी और तब तक हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। उस समय बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है और रोहतांग दर्रा और अन्य दर्रे बन्द हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप अगले छह महीनों के लिए कोई कार्य शुरू नही किया जा सकता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि यह रोक खत्म होनी चाहिए। जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है इस रोक का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इससे इन क्षेत्रों में कठिनाई में वृद्धि ही होती है। 30 सितम्बर के बाद विकास के लिए प्रोत्साहन देने के लिए समय नहीं रहता है।

हिमाचल प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है हालांकि अन्य बहुत से उल्लेख हैं। उदाहरणार्थ देहरादून में एक केन्द्रीय विद्यालय के भवन के लिए प्रावधान है तथा विभिन्न राज्यों में विभिन्न अन्य क्षेत्रों

के लिए बहुत से प्रावधान हैं। माननीय मंत्री महोदय मात्र इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि पांडिचेरी के लिए इंजीनियरिंग कालेज की मंजूरी दी गई है और यह खोल दिया जाएगा क्योंकि प्रिंसीपल के पद पर नियुक्ति की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस समय कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है वहां एक कालेज की स्थापना के प्रश्न को वहां के संसद सदस्यों ने सरकार के साथ उठाया था और हमें आश्वासन दिया गया था कि राज्य में एक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जाएगी।

आजकल हर ओर अशान्ति हैं। काश्मीर में अशान्ति है, पंजाब में अशान्ति है परन्तु हिमाचल प्रदेश के लोग शान्तिप्रिय हैं और यहीं पर शैक्षिक संस्थायें और विश्वविद्यालय फल-फूल सकते हैं और परीक्षायें सेना या पुलिस की सहायता के बिना आयोजित की जा सकती हैं। योजना आयोग ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की स्वीकृति दे दी थी। मुझे इसमें कोई औचित्य नजर नहीं आता कि मंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश को उसके अधिकार से वंचित करके यह कालेज संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी को दे दें।

मैं भूतपूर्व योजना मंत्री श्री चव्हाण साहिब का आभारी हूं जिन्होंने वहां कालेज स्थापित करने की आवश्यकता को समझा। राज्य सरकार द्वारा हमीरपुर में पहले ही 150 एकड़ भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है और हम वहां कालेज खोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि पांडिचेरी को इंजीनियरिंग कालेज दिया जाए परन्तु हिमाचल प्रदेश को क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जिसकी मांग है और उचित मांग है, दिया जाए।

इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में क्या कहूं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब माननीया प्रधान मंत्री जी की नीतियों का पालन करना होता है तो उनका समुचित ढंग से पालन नहीं होता है क्योंकि रिजर्व बैंक सख्ती बरतने लगता है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक क्षेत्र को सर्वेक्षण करते हैं वे अपने प्रतिवेदन भेजते हैं कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां शाखायें खोली जा सकती हैं परन्तु रिजर्व बैंक कड़ा दृष्टिकोण अपनाता है। वह लाइसेंस नहीं देता। और मैं तो रिजर्व बैंक पर कंगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और अन्य जिलों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाता हूं। मैं यह खुला आरोप लगाता हूं कि पिछले तीन महीनों के दौरान इन जिलों में किसी भी बैंक की एक भी शाखा नहीं खोली गई है। मैं कारण नहीं जानता। संभवतः इसका कारण यह हो कि इस क्षेत्र में पहले ही अधिक बैंक हैं। परन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र दुरूह है। इस प्रकार किसी निर्धारित जनसंख्या के पीछे शाखा खोलने का मापदण्ड हिमाचल प्रदेश के लिए न पर्याप्त है और न ही ठोस। वहां की वास्तविक स्थिति के कारण दूरी का मापदण्ड भी वहां गलत

4.24 म० प०

[श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए]

सिद्ध हो जाता है, मापदण्ड 5 किलोमीटर का हो सकता है परन्तु रास्ते में शिखर पड़ते हैं, पहाड़ियां पड़ती हैं जिनके कारण बाधायें आती हैं। अतः मैं यह चाहता हूं कि सभी जिलों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यद्यपि मैंने रिजर्व बैंक को व्यक्तिगत रूप से लिखा था परन्तु इस सम्बन्ध में

कुछ नहीं किया गया है। सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने उन जिलों की सूची दी थी जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक भी शाखा नहीं है। अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि यदि प्रधान मंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सफल बनाना है, यदि प्रत्येक प्रखण्ड में से 3000 परिवारों की दर से लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के कार्यक्रम को लागू करना है—हिमाचल प्रदेश में 69 प्रखण्ड हैं,—तो यह तब तक सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता जब तक रिजर्व बैंक वास्तविकता को नहीं समझता और यह सुनिश्चित करने का प्रयास नही करता कि हिमाचल प्रदेश में और अधिक शाखायें होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई विकास खण्ड हैं जिनमें किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की केवल एक शाखा है। सुजानपुर तीरा विकास खण्ड में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की केवल एक शाखा है जब हमने दूसरी शाखा के लिए आग्रह किया तो वही आम जवाब मिला—आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं होगी। मंत्री महोदय, मैं आपसे एक सीधा और स्पष्ट प्रश्न पूछता हूं। आप भारतीय रिजर्व बैंक से पूछें कि रिजर्व बैंक के लिए ऐसे क्षेत्रों में शाखायें देना कैसे संभव होता है जहां पहले ही शाखायें हैं जबकि उन ग्रामीण क्षेत्रों का बिलकुल ध्यान नहीं रखा जाता जहां एक भी शाखा नहीं है। यह दुख की बात है कि लाइसेंस जारी करने वाले बम्बई में बैठे हमारे योजना निर्माता औचित्य नहीं देखते और यह नही देखते केवल इसी कारण प्रधान मन्त्री का कार्यक्रम विफल हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए—जनसंख्या अथवा दूरी के मापदण्ड के अनुसार नहीं बल्कि लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, लोगों की अथवा उनके प्रतिनिधियों की मांगों के अनुसार।

देश के प्रत्येक राज्य को अब वायु सेवा से जोड़ दिया गया है। देश में केवल शिमला ही एक ऐसी राजधानी है जो वायुयान से नहीं जुड़ी है और इस कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। न केरल शिमला का अपितु हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों का भी हवाई अड्डा बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। परन्तु परिणाम यह है कि अब तक वहां कोई हवाई अड्डा नहीं बनाया गया है। अतः शिमला हवाई अड्डा जल्दी बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने भूमि दे दी है। अब कुछ हो चुका है। अन्य जिन स्थानों पर हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव है, उन्हें भी आरम्भ किया जाना चाहिए।

एक अन्य शिकायत यह है कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्र के नाम पर कष्ट उठाये हैं। इसकी उपजाऊ घाटियां पानी में डूब गई हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश को अब भी झीलों में से पानी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। इसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है और पड़ोसी पंजाब राज्य को सभी लाभ मिले हैं। भूतपूर्व ऊर्जा मन्त्री श्री चन्द्रशेखर सिंह को औचित्य दिखाई दिया और 16 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड (बी० बी० एम० बी०) में पूर्ण साझेदार का दर्जा दिया गया परन्तु हमें जो क्षति हुई उसकी पूर्ति अभी की जानी है अतः मैं यह अनुरोध करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को केवल साझेदार ही न समझा जाए अपितु सड़कों के डूबने के कारण विभिन्न घाटियों के डूबने के कारण जिन पुलों का निर्माण आवश्यक है, उनका निर्माण किया जाना चाहिए। एक ऐसा पुल बिलासपुर जिले में है। जिसकी चौड़ाई बहुत अधिक होगी और इसका निर्माण राज्य सरकार की क्षमता के बाहर है। हमारे मुख्यमन्त्री और

हमारे संसद सदस्य केन्द्र सरकार से यह आग्रह करते रहे हैं कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा बांध और पोंग बांध के कारण राष्ट्र के नाम पर नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं हमें प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश से होकर जो पानी बहता है और वहां जो पानी निकलता है उसका अन्य राज्यों के लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है और सिंचाई तथा जलविद्युत पैदा की जा रही है। परन्तु हमारी मांग यह है कि जब दूरी अधिक हो जाती है, पुल डूब जाते हैं तब उन लोगों की कठिनाईयों को भी देखा जाए। उन क्षेत्रों के लोगों की चार पुलों —बिलासपुर में अल्ही खण्ड में, मण्डी जिले में देहरा में और बिलासपुर जिले में भजवानी और बागछल—के निर्माण करने की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। तोड़-फोड़ करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहरों को तोड़ा जा रहा है और आप राष्ट्र के लाभ के लिए इन नहरों की मरम्मत पर करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। आप यह क्यों नहीं देखते कि हिमाचल का भी, जो राष्ट्र का एक अंग है और जिसने नहर के लिए अपनी उपजाऊ घाटियां और सब कुछ देकर जिसने नुकसान उठाया है, ध्यान रखा जाए। हमें केवल उन लोगों की चिन्ता नहीं करनी चाहिए जो तोड़-फोड़ करते हैं और राष्ट्र ने जो भी अच्छा कार्य किया है उसे तबाह कर देते हैं। हमें उनकी भी चिन्ता करनी चाहिए जिन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए स्वेच्छा से कष्ट उठाए हैं। हम बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना जिलों में राष्ट्र के लिए कुर्बानियां देते रहे हैं और हम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।

एक अन्य मुद्दा, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, पहाड़ भत्ता है। निःसंदेह, नया वेतन आयोग इस पर विचार करेगा। सरकारी कर्मचारी तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब उन्हें शिमला में तैनात किया जाता है क्योंकि शिमला समुद्र तल से 7000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। परन्तु रामपुर का मामला लीजिए जो कि केवल 100 किलोमीटर दूर है। वहां स्थिति और भी कठिन है, महंगाई ज्यादा है, आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर भी कोई भत्ता नहीं दिया जाता है क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। इसका परिणाम यह है कि जहां शिमला में सरकारी कर्मचारी अत्यधिक संख्या में आ रहे हैं वहीं इन क्षेत्रों को कर्मचारियों की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। आप पहाड़ी राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य समझते हैं और आप विभिन्न योजनाओं में उनको विशेष प्रोत्साहन, अनुदान आदि दे रहे हैं। वित्त आयोग भी इन राज्यों के प्रति बहुत उदार रहे हैं। परन्तु जब तक सेवाएं वहां न जाएं, तब तक अधिकारियों को वहां तैनात न किया जाए, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं सुझाव देता हूं कि हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे राज्य जो विशेष श्रेणी राज्य हैं, देश की सीमाओं पर हैं जहां लोग अत्यधिक कठिन स्थिति में रह रहे हैं, वहां पहाड़ भत्ता देने का मापदण्ड समद्र तल से 500 मीटर ऊंचाई होना चाहिए। क्योंकि शिमला, श्रीनगर और अन्य बड़े शहरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार यह भत्ता मिल जाएगा। परन्तु अन्दरूनी इलाकों, अपेक्षाकृत अधिक पिछड़े क्षेत्रों, अविकसित इलाकों में कोई भी जाना पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि वहां कोई विशेष भत्ता नहीं मिलता है। हमारे मुख्य मंत्री ने शिकायत की है कि अपने ही शहर रामपुर में कोई भी व्यक्ति जाना पसन्द नहीं करता। क्यों ? क्योंकि शिमला में उन्हें पहाड़ भत्ता मिलेगा जब कि रामपुर में नहीं मिलेगा। अतः यह ऐसे सभी क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों का जहां तक सम्बन्ध है, लेह-मनाली एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राजमार्ग है।

मनाली-मण्डी इस राजमार्ग का एक भाग है। यदि आप जालन्धर को गाड़ी से हमीरपुर और अम्बा के रास्ते जोड़ दें तो यह जालन्धर और मनाली से लेकर श्रीनगर से परे देश के सभी भाग के लिए सबसे छोटा मार्ग बन जाएगा। अतः मैं इस परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का आग्रह करता हूं।

रेल लाइन का जिक्र आने पर श्री सतीश अग्रवाल ने अपने राज्य का नाम लिया था। रेल मंत्री शिकायत करते हैं कि वित्त मंत्री उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराते। हमारे यहां एक नांगल-तलवारा लाइन को स्वीकृति दी गई है और इसके लिए केवल दो करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार भूमि की लागत के रूप में केवल एक तिहाई धन उपलब्ध करा रही है। वहां भूमि की कीमत बहुत अधिक है, इसका प्रमाण यह है कि केवल एक गांव में राज्य सरकार को 55 लाख रुपये देने पड़े हैं। अतः आप अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य सरकार को भूमि की कीमत के रूप में कितनी अधिक राशि देनी पड़ी होगी।

जैसा कि हमारे मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि रामपुर को पहले बिलासपुर से और फिर नांगल से जोड़ा जाए क्योंकि सतलुज नदी पर एक विशाल जल-विद्युत परियोजना स्थापित की जानी है। जल-विद्युत उत्पादन के लिए हमारे पास बड़ी-बड़ी परियोजनायें हैं जिन पर 5000 करोड़ रु० का निवेश किया जाना है। अतः इस लाइन को स्वीकृति प्रदान की जाए। प्रारम्भिक कार्य के रूप में सर्वेक्षण हेतु राज्य सरकार 25 लाख रुपये की रकम उपलब्ध करा रही है।

एक अन्य रेल लाइन जगाधारी से पाऊंटा घाटी तक है जहां सीमेंट फैक्ट्री है। यह लाइन बहुत जरूरी है। मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। यद्यपि रेलवे का अपना अलग बजट है परन्तु जहां तक धन आबंटन का सम्बन्ध है, वित्त मंत्री और योजना मंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी कारण मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और उनसे इन लाइनों के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रहा हूं।

मैं यह भी कहूंगा कि दूरदर्शन हेतु अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्योंकि वहां लोगों को समय पर समाचार-पत्र मिलने कठिन हैं। मनाली में समाचार-पत्र शाम को पहुंचता है। वर्ष भर रोहतांग दर्रे को पार करना कठिन है। बर्फ के कारण देश का वह भाग छः महीनों के लिए कट जाएगा। अतः यह जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जायें। इसीलिए मैं दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना हेतु अधिक राशि आबंटित करने पर जोर दे रहा हूं, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पता चल सके कि देश में क्या हो रहा है।

जब पंजाब में सैनिक कार्यवाही हो रही थी तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी कठिनाई हुई क्योंकि मुख्य मार्ग बन्द कर दिए गए थे। हमारे पास केवल एक छोटा मार्ग बचा था जो बंसीलाल जी ने पंजाब के क्षेत्र से बाहर बनाया है। हम इस बात के लिए बंसीलाल जी के आभारी हैं कि जब वह हरियाणा के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने यह सड़क बनाई जिससे लेकर हिमाचल प्रदेश के लोग दिल्ली तथा आगे जा सकते हैं। मेरे विचार से ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें विशेष रूप से सड़कों और पुलों के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है।

यदि आप 30 सितम्बर के बाद भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध उठाते हैं तो लाहौल, स्पिति, किन्नौर, चम्बा और कांगड़ा घाटी के भागों के लिए इसका कुछ लाभ न होगा क्योंकि उस समय तक यहां मार्ग बर्फ के कारण बन्द हो जायेंगे और कोई विकास कार्य शुरू नहीं हो सकेगा। अत: यदि आप 30 सितम्बर तक प्रतिबन्ध रखना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश तथा ऐसे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाए या इसे अभी हटा दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं उन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं जो सभा के समक्ष रखी गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के 4 महीने बाद ही लगभग 1000 करोड़ रु० की अनुदानों की अनुपूरक मांगें हमारे सामने रख दी गई हैं। महोदय, आपको संवैधानिक उपबन्धों का पता ही है। उनमें प्रावधान है कि अनुपूरक मांगें या तो नई सेवाओं अथवा मंजूर की गई सेवाओं के लिए पर्याप्त व्यय करने हेतु होनी चाहियें। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि ये नई सेवाओं के लिए हैं अथवा आपने अपना बजट बनाते समय अपर्याप्त अनुमान लगाए थे और पूरी व्यवस्था नही की थी। यदि ये नई सेवाओं के लिए हैं तो उनके लिए इन अनुपूरक मांगों का कितना प्रतिशत रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 115 को देखने पर पता चलता है कि ऐसा ही उपलब्ध किया गया है।

महोदय, हमें कई बार याद कराया गया है कि यही वह सरकार है जो कार्य करती है। इस सरकार ने केवल देश में लोकतन्त्र का अवमूल्यन करने बल्कि रुपये का अवमूल्यन करने, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने और लोगों को उनके न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित करने का जरूरत से ज्यादा प्रयास किया है। मूल्य तो घटे नहीं हैं बल्कि मुद्रास्फीति हो रही है। वित्त मंत्री अपने भाषणों में काफी श्रेय ले रहे हैं। मेरे विचार से वह सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की खोज कर रहे हैं क्योंकि वह बंगाल के कई निर्वाचन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके वहां हर तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं।

सभापति महोदय : तो आपको इसका पता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां। समाचार पत्रों में से कुछ उनकी सहायता कर रहे हैं और कुछ श्री गनी खान के पक्ष में हैं।

महोदय, जहां तक थोक मूल्यों का सम्बन्ध है, यदि 1970-71 को आधार वर्ष मानें तो 1978-79 में यह सूचकांक 185.8 था और अब 1983-84 में यह 315.2 है। अत: जब 1980-81 में काम शुरू हुआ तो यह 257.3 था जो अब 1983-84 में 315.2 हो गया है।

जहां तक रुपये की क्रय शक्ति का सम्बन्ध है, मार्च, 1984 में इसने 17.9 पैसे प्रति रुपये पर पहुंच कर शानदार सफलता प्राप्त की, जबकि 1980 में जब यह शानदार युग शुरू हुआ तो

इसका मूल्य 25.6 पैसे था। इससे पता चलता है कि आम आदमी की कठिनाइयों और मुसीबतों में वृद्धि हुई है।

बेरोजगारी में कोई कमी नहीं आई। वह तो बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगार बढ़ रहे हैं, ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। शारीरिक श्रम करने वाले लोग जो नौकरी चाहते हैं, रजिस्टरों में उनकी संख्या भी बढ़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में आम नागरिक के हित के लिए किस क्षेत्र में सरकार ने काम किया है? अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों से काम की गति में क्या तेजी आयेगी? इस देश के आम आदमी को किस क्षेत्र में राहत देने के लिए इस राशि का प्रयोग किया जायेगा? क्या इससे नई नौकरियां मिलेंगी? क्या इससे मूल्यों में कमी होगी? यहां हमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं में से कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखाई देती जिसे संगठित और प्रभावी वितरण प्रणाली द्वारा आम आदमी को उचित मूल्य पर दिया जा सके। इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा। लोगों की मदद की जा सकती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता।

सरकार मुद्रा प्रसार में वृद्धि करके अपना कार्य चला रही है। वह विभिन्न तरीकों से घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा कर रही है—मुद्रा में वृद्धि करके, नोट छाप कर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से ऋण लेकर। लोगों से रुपया एंठने का नया ढंग निकाला गया है, साथ ही राज्यों को भी उनके उचित भाग से वंचित किया जा रहा है। इसके बारे में पिछले वित्त आयोग ने भी टिप्पणी की है—कि देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करते रहने की नई प्रवृत्ति का विकास हुआ है। लोगों की दैनिक जरूरतों की चीजों के भी मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं। ऐसा उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके नहीं किया जा रहा। इस तरह आप तो अपना राजस्व बढ़ा लेते हैं लेकिन राज्यों को उत्पाद शुल्क का हिस्सा नहीं मिलता। यहां तक कि वित्त आयोग ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। अगले सप्ताह जब इस पर चर्चा होगी तो हम यह बात कहेंगे।

इसका फल यह हुआ है कि मुद्रा सप्लाई में वृद्धि हुई है और रुपये के मूल्य में कमी हुई है जैसा कि मैं कह चुका हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण लेकर देश को क्या महान उपलब्धि हुई है? इस बारे में क्या स्थिति है। कई प्रकार के आश्वासन दिये गये थे। आप अब कह रहे हैं कि हम इस निधि से अलग हो गये हैं।

कृपया पृष्ठ 20 पर वाद-टिप्पणी को देखें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 148 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की अदायगी की जा रही है क्योंकि निधि ने अपनी राशि का पुनर्मूल्यांकन किया है। वाद-टिप्पणी में कहा गया है:

"(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समझौते की शर्तों के उपबन्धों के अनुरूप निधि ने 30 अप्रैल, 1984 से एक एस० डी० आर० के बदले में 11.47 रुपये की नई प्रतिनिधि

विनिमय दर के आधार पर अपने रुपयों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया है। तदनुसार मुद्रा मूल्य समीकरण के लिए भारत द्वारा निधि को 36761.94 लाख रुपये की राशि देय हो गई है। इस प्रयोजन के लिए 6 फरवरी, 1984 को लागू एक एस० डी० आर० के बदले 11.23 रु० की विनिमय दर के आधार पर 21887 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। तदनुसार 14874,94 लाख रुपये के अनुपूरक अनुदान की जरूरत है। क्योंकि निधि को गैर-बेचनीयता, ब्याज रहित रुपया प्रत्याभूतियों के रूप में राशि दी जाती है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ समेकित निधि से नकद राशि देने की बात नहीं है।"

जहां तक इस निधि को अदायगी का सम्बन्ध है, मुद्रा मूल्यांकन समीकरण से देयता में वृद्धि हुई है।

अब महोदय, मंत्री जी कहेंगे कि गतिशील नेतृत्व में हम चहुं ओर प्रगति कर रहे हैं। कृषि में इतनी और अन्य क्षेत्रों में इतनी प्रगति की है आदि। लेकिन सेना का प्रयोग बढ़ा है, पुलिस का प्रयोग बढ़ा है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह आपके कारण है। आप गड़बड़ करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप राज्यपालों का अधिक से अधिक उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। आप यह कार्य अधिक कर रहे हैं। आपने संविधान को नष्ट कर दिया है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन चार महीनों में सरकार की क्या योजना है। पता नहीं वे कितने दिन चल पाएंगे—एक महीना, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने। मुझे पता है वे चुनाव जीत कर सत्ता में नहीं आ सकते। वह तो उनका सपना ही रहेगा। अतः वे चार महीनों से अधिक न समझें।

सभापति महोदय : श्री सुब्रोतो मुखर्जी ऐसा पहले ही कह चुके हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें गलत उद्धृत किया गया है। उन्होंने कहा, "वह हारने वाली हैं, यदि जीत भी गईं तो कम बहुमत से जीतेंगी।" उनके पहले भाग को उद्धृत नहीं किया गया।

एक और बात है। कृपया देखिए कि 37 वर्षों की आजादी के बाद भी क्या स्थिति है। आमतौर पर श्री अग्रवाल रोषपूर्ण ढंग से बात करते हैं, चिल्लाते हैं और राजस्थान के लिए, जहां कांग्रेस-इ की सरकार है, अधिक सहायता की मांग करते रहते हैं। महोदय, इस सभा में हिमाचल प्रदेश से एक सदस्य को क्रोध से चिल्लाना पड़ता है, "हिमाचल प्रदेश की ओर भी कृपया देखिए।" अतः विभिन्न राज्यों से हर एक सदस्य मांग करते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप आज बोलते हैं तो आप अपने राज्य उड़ीसा के बारे में बोलेंगे क्योंकि वह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। आजादी के 4 दशकों के बाद भी और इन पांच वर्षों के बाद भी प्रत्येक राज्य क्षुब्ध होकर कह रहा है कि वह प्रगति करना चाहता है, उसके पास यह नहीं है, वह नहीं है (**व्यवधान**) इससे दो

बातों का पता चलता है। इस देश में कोई उचित आर्थिक आयोजना नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि देश के विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच असमानताएं और असंतुलन बराबर चलते आ रहे हैं। लोगों में असमानता है क्योंकि आपने देश के कुछ एकाधिकारी लोगों की ही जरूरतें पूरी की हैं, सारे लाभ उन्हें ही दिये हैं और देश के करोड़ों लोगों को उनकी जरूरतों से वंचित किया है। उन्हें आपके चहेतों के इशारे पर नाचना पड़ता है। इसीलिए श्री इन्द्रजीत गुप्त गत वाद-विवाद में कह रहे थे कि जब कोई कारखाना बन्द होता है तो नियोजक विदेशों में मौज करने चला जाता है लेकिन गलियों में कौन घूमता है। श्रमिक बेकार हो जाता है और नियोजक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती जो धन हड़प कर श्रमिकों को बेकार कर देता है।

श्री राम प्यारे पनिका : पश्चिम बंगाल को छोड़कर···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप पश्चिम बंगाल आइये। मैं आपको वहां से जितवा दूंगा ये व्यवधान अनावश्यक हैं। अतः मैं भारत तथा पश्चिम बंगाल का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने राज्य की कठिनाइयों का उल्लेख किये बगैर नहीं रह सकता।

अब बिजली के लिए उपबन्ध किया गया है। मेरे विचार से ऊर्जा मंत्रालय को कुछ धन दिया गया है। शायद 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं। कालाघाट विद्युत परियोजना 1972 या 1973 में जब श्री सिद्धार्थ शंकर राय मुख्य मंत्री थे, आरम्भ की गई थी। उसके लिए धन दिया गया था। निःसन्देह श्री राय ने उस धन का प्रयोग स्टेडियम के लिए कर दिया। लेकिन वाम पंथी सरकार के आने के बाद उसने पहला एकक चालू कर दिया है, दूसरे के बारे में वह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारत सरकार से धन की व्यवस्था करने के लिए कहती आ रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कहना है कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना वे राज्य विद्युत प्राधिकरण को पैसा नहीं दे सकते क्योंकि वह निगम नहीं है। क्या इसी प्रकार देश चलाया जाता है।

हर आदमी यह जानता है और यह आम बात है कि देश में बिजली उत्पादन और उसकी पूर्ति की हालत खराब है। लेकिन जब यह उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं तो धन नहीं दिया जाता। दूरदर्शन के लिए तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं क्योंकि चुनाव से पूर्व कुछ व्यक्तियों की छवि उभारने के लिए दूरदर्शन उपयोगी रहेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन यन्त्र लगाने के लिए कितना धन व्यय किया जा रहा है। इस बारे में तो बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। श्री महाजन तो शायद दूरदर्शन पर न आयें लेकिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में आपको प्रधान मंत्री दूरदर्शन पर दिखाई देंगी। उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति, एक परिवार की छवि को राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उभारा जाये। आप उस पर तो धन व्यय कर रहे हैं। परन्तु हमें विद्युत परियोजना के लिए कुछेक करोड़ रुपये भी नहीं मिलते हैं, पेट्रो-रसायन परियोजना के लिए कोई धन नहीं दिया गया है और हल्दिया तेल-शोधक कारखाने के विस्तार के लिए जो कि एक केन्द्रीय परियोजना है, कोई धन नहीं मिला है। हमें एक इलेक्ट्रानिक इकाई स्थापित करने के लिए एक पाई तक नहीं दी जाती है। एक ऐसी परियोजना को स्थापित करने के लिए कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है

जिसके लिए हम सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाने को तैयार हैं। देश इस प्रकार प्रगति नहीं कर सकता है।

उन्होंने हमारे लिए मेट्रो-परियोजना बनाई है। काश कि मैं मेट्रो को दिल्ली को भेंट कर सकता और फिर वे यह देखते कि ऐसी स्थिति कितने दिन तक चलने दी जा सकती है। यदि भूमिगत रेलवे का प्रयोग/परीक्षण करने के उद्देश्य से कलकत्ता की तरह जनपथ या राजपथ को खोदकर फेंक दिया गया होता तो उन्हें स्थिति का अहसास होता। क्या उन्हें इस बात पर शर्म नहीं आती कि वे इस परियोजना को 10 वर्ष में पूरा नहीं कर सके—10 वर्ष तो पहले ही चले गये हैं---और इसको पूरा करने में उन्हें और 10 वर्ष लगेंगे ? क्या दिल्ली में बैठे हुए उन्हें शर्म महसूस नहीं होती कि वे कलकत्ता जैसे नगर को नष्ट कर रहे हैं ? केन्द्रीय सरकार की यह तो उपलब्धि है।

जहां तक बीमार इकाइयों की बात है, मैंने पाया है कि उनके लिए बहुत ही कम उपबन्ध किये गये हैं। हम निरन्तर सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित कुछ ऐसी इकाइयां हैं, जिनके केन्द्रीय सरकार के कु-प्रबन्धन के कारण बुरे दिन आ गये हैं। मैं अनुभव करता हूं कि बीमार इकाइयों के लिए उचित उपबन्ध किया जाना चाहिए था। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे उन कुछेक बीमार उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए, जिनकी ओर हम सरकार का ध्यान निरन्तर खींचते रहे हैं, उचित ध्यान दें जिससे कि इन इकाइयों को पुनः चाल किया जा सके।

4.55 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बीकोलॉरी लिमिटेड, कोर्ट पूलिर, दि इण्डियन रबर इन्डस्ट्रीज और बंगाल पॉट्रीज, ये सभी केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हैं। उन्हें जिन बुरी से बुरी परिस्थितियों का अब सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण औद्योगिक अशान्ति न होकर, नियोक्ताओं और मालिकों का कु-प्रबन्धन और इनका दुरुपयोग करना है। इस मुद्दे पर मैं चुनौती दे सकता हूं। जब वहां पर ऐसी स्थिति व्याप्त है तो, मैं एक सरल-सा प्रश्न पूछता हूं कि कौन सरकार पीड़ित होना चाहेगी।

बीकोलॉरी लिमिटेड कलकत्ता में एक 50 वर्ष पुरानी अभियान्त्रिकी इकाई है। इससे पहले यह बालमेरलॉरी एण्ड कम्पनी के पास थी। बालमेरलॉरी का सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अब बीकोलॉरी लिमिटेड, बालमेरलॉरी की एक सहायक है जोकि स्विच गेयरों का निर्माण करती है जिनकी कि औद्योगिक क्षेत्र में बिजलीघर की मोटरों में आवश्यकता पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको अगले वर्ष बजट सत्र में भाग लेने का पक्का विश्वास है तो अब आप अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं। अपना भाषण उसके लिए आरक्षित रखिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सबको पूर्ण विश्वास है आपको नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बातें अभी समाप्त क्यों करना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें तो पक्का विश्वास है, आपको नहीं है और मैं तो अवश्य आऊंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अब आप चिन्तन-मनन के लिए जाइये । यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो उन्हें बता रहा हूं कि अभी सभी बातें क्यों समाप्त कर दी जाएं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं तो लगभग आश्वस्त हूं, अगर नहीं हूं तो इस बात से नहीं हूं कि अगले वर्ष वे बजट प्रस्तुत करने के लिए यहां होंगे भी या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, उस समय बोलने के लिए आप यहां होंगे तो अब अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अब अपील करने की मनःस्थिति में हूं, आपको भड़काना नहीं चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत ठीक । मुझे यह पता नहीं है कि क्या दूसरा पक्ष उत्तर देने की मनःस्थिति में है ।

एक माननीय सदस्य : — इसको भी अच्छा नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बीकोलॉरी में 1,500 श्रमिक हैं । उसमें 6 करोड़ वार्षिक का उत्पादन होता है । 5 करोड़ रुपये की आर्डर पुस्तिका है और सरकार ने अब इसे बन्द करने का निर्णय लिया है, क्योंकि जैसा कि मंत्रालय ने अकस्मात मुझे बताया है, मंत्रालय को योग्य प्रबन्ध-निदेशक ही नहीं मिला । उनके द्वारा योग्य, कुशल प्रबन्ध निदेशक न ढूंढ़ पाये आने के कारण, एक औद्योगिक इकाई जिसमें 1,500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है, बन्द कर दी जायेगी । मेरे से कुछ नामों के सुझाव देने के लिए कहा गया था । मैंने कहा, "मैं उन्हें कतई अयोग्य नहीं बनाना चाहता हूं, क्योंकि जो भी नाम मैं दूंगा, आप उन्हें अयोग्य ठहरा देंगे ।"

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : नहीं, नहीं । ऐसा नहीं किया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया उन बीमार उद्योगों पर ध्यान दीजिए, जिनके उचित पोषण करने और ध्यान देने की आवश्यकता है । अतः, सरकार को ऐसी परियोजनाएं लाने की बजाय, जिनका कि लोगों की शिकायतों को दूर करने से कोई व्यावहारिक सम्बन्ध नहीं है कुछ ऐसे उपाय करने और उचित कदम उठाने चाहिए ।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) का समर्थन करता हूं। इस अनुपूरक मांग में राजेन्द्र विश्वविद्यालय छपरा की कहीं चर्चा नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। यद्यपि माननीया प्रधान मंत्री ने कई बार बिहार के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा लेकिन अब तक उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस प्रकार देश में कई अन्य जगहों पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं उसी तरह भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद के नाम पर उनके जन्म-स्थान छपरा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

हमारे संसदीय क्षेत्र छपरा के चारों तरफ अनेक नदियां हैं। प्रति वर्ष की बाढ़ से यहां के लोग बहुत आक्रान्त होते हैं। इसलिए मांझी से लेकर सोनपुर तक गंगा और सरयू नदी के किनारे तटबन्ध की आवश्यकता है जिससे बाढ़ से लोगों को राहत हो सके। मानहित रोड ब्रिज की स्थापना

5.00 म० प०

के लिए कई वर्षों से चर्चा चल रही है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार को, छपरा और बलिया को जोड़ने के लिए एकमात्र सेतु का काम करेगा। इसका होना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में लोक दल के लोगों के द्वारा बड़ी अशांति पैदा की जाती है। इसकी ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। (**व्यवधान**) लोक दल के एम० एल० ए० और भूतपूर्व एम० पी० श्री लालू प्रसाद यादव ने सोनपुर में हंगामा खड़ा कर दिया था जिसके कारण रेल मंत्री द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं किया जा सका। (**व्यवधान**) इस प्रकार की बातों से रेल के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में बड़ी बाधा पैदा होती है। पटना में रेल पुल बनाने की बात बहुत वर्षों से लम्बित है। मेरा अनुरोध है कि रेलवे को अधिक अनुदान दिया जाए ताकि रेल सम्बन्धी विकास कार्यक्रम पूरे किए जा सकें। छपरा-मोतीहारी नयी रेलवे लाइन बनाने की मांग है। इसी तरह से छपरा-वाराणसी लाइन को कन्वर्ट करने की बात है। इस प्रकार की जो जनोपयोगी योजनाएं हैं उन पर ध्यान अवश्य जाना चाहिए।

बिहार के छपरा जिले की सबसे घनी आबादी को प्रति वर्ष भयंकर बाढ़ के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की इन सारी योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास होना चाहिए।

कुछ और भी बातें हैं जैसे भोला सिंह, रामदेव सिंह, एम० एल० ए० की जो राजनीतिक हत्याएं की गई हैं उनके सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उस पर समुचित ध्यान देकर कार्यवाही करें ताकि जिन्होंने हत्याएं की हैं उनको सजा दी जा सके।

इसके साथ-साथ मेरा अनुरोध है कि बीससूत्री कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के लिए सुनियोजित ढंग से आर्थिक सहायता एवं बैंक के द्वारा लोन दिलाने की व्यवस्था की जाए। आज डी० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, 1984-85 के लिए 963 करोड़ की सप्लीमेंटरी डिमांड्स सदन के सामने प्रस्तुत की गई हैं जिन पर चर्चा हो रही है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े तीन-चार सालों में जो विकास दर रही है वह सन् 1947 से 1980 तक का समय देखते हुए रिकार्ड तोड़ रही है। मैं सरकार के इस दावे को नहीं मानता हूं। इसमें तो कोई दो रायें नहीं हैं कि इस सरकार ने जो भी काम किए हैं वह रिकार्ड तोड़ काम रहे हैं। पिछले चार सालों में जो महंगाई बढ़ी है उसके सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल के लोग कुछ भी कहें लेकिन देश का हर नागरिक इस बात को जानता है कि सन् 1980 में किसी चीज के जो दाम थे वह इन चार सालों में 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गये हैं। जो साबुन इस देश के अन्दर चार रु० किलो बिकता था, आज वह नौ रुपये किलो बिक रहा है। सत्ताधारी दल के लोग जानते होंगे कि चीनी 2 रु० 85 पै० में शहर के अन्दर ही नहीं बल्कि देहातों के अन्दर जनता सरकार ने खिलाई थी और वह चीनी आज 12 रु० किलो बिक रही है, इस बात को पूरा देश जानता है। एक तरफ विकास की दर रिकार्ड तोड़ है, और दूसरी तरफ इस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, वह भी रिकार्ड तोड़ है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने इसका ही रिकार्ड नहीं तोड़ा है, बल्कि इस देश के किसानों को डेढ़ सौ रुपये क्विंटल अनाज का नहीं दिया और 208 रुपये क्विंटल में कनाडा और अमरीका के किसानों से लाखों टन अनाज मंगाकर इसका रिकार्ड तोड़ा है। महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी और कांग्रेस पार्टी के राज के अन्दर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 52 प्रतिशत तक चला गया और दुनिया के नक्शे में दो-चार बेकार मुल्कों को छोड़कर सबसे गरीब हमारा मुल्क है। पांच-चार मुल्क हैं, जो हमसे ज्यादा गरीब हैं, नहीं तो हमारा मुल्क सबसे ज्यादा गरीब है।

अभी सरकार ने चीनी इम्पोर्ट करने का फैसला किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। इसको आप रोकिए। इम्पोर्ट करने की आपकी आदत पड़ गई है, चीनी इम्पोर्ट करो, अनाज इम्पोर्ट करो, गेहूं इम्पोर्ट करो, तेल इम्पोर्ट करो, डालडा इम्पोर्ट करो और इससे ज्यादा क्या कहूं गाय की चर्बी को भी इम्पोर्ट करने का रिकार्ड आपकी सरकार ने तोड़ा है और किसी सरकार ने नहीं तोड़ा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष जी, यह तो आपकी जनता पार्टी के जमाने का आर्डर दिया गया था, वह बदकिस्मती से हमारे जमाने में आ गया।

श्री जगपाल सिंह : बार-बार इस सदन के अन्दर इस बात की सफाई दी गई। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार की सफाई दे रहा हूं, लेकिन यह मामला आपके चार साल के अन्दर चलता रहा, आपने उसको पकड़ा नहीं। इस सदन के अन्दर जब माननीय सदस्य श्री पांडे और आचार्य भगवान देव जी ने आवाज उठाई तो आपकी सरकार की आंख खुली, वरना सरकार की आंख नहीं खुल रही थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि···

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : चूंकि मेरा नाम लिखा है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे दूं। मैंने जो बात कही थी, मैं गाय का भक्त हूं, आज भी मेरे घर पर गाय हैं। इनके यहां कुत्ते पलते होंगे। इनके टाइम पर गाय की चर्बी शुरू हुई, कांग्रेस ने उसकी जांच करके उसको बन्द किया।

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष जी, इनकी भाषा के लिए मैं क्या कहूं। जिस भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं, मैं उस भाषा पर नहीं जाना चाहता हूं। इस मुल्क के मध्यम श्रेणी और अपर-क्लास के लोग कुत्ते पालते हैं। गरीब किसान, गरीब मजदूर को आप पेट भरने को अनाज नहीं दे पाये। जिस समाज से आये हैं, उस समाज को पेट भर खाने को नहीं है। कुत्ते पालते हैं आपके स्टेटस के लोग। किसान, मजदूर कुत्ते पालने का आदि नहीं है। कुत्ते पालते हैं, उस समाज के लोग, जिन्होंने इस मुल्क में फाइव स्टार कल्चर को पैदा किया है। फाइव स्टार होटल खोलने का रिकार्ड श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइव स्टार होटल में एक रात ठहरने का किराया 2700 रुपये है। यदि और सब खर्चों को भी शामिल कर लिया जाए तो एक आदमी के पीछे पांच हजार रुपये आता है। जो एक आदमी एक रात के अन्दर फाइव स्टार होटल में खर्च करके चला जाता है। एक तरफ तो आपने इस कल्चर को पैदा किया है, और दूसरी तरफ यदि आप 12.5 करोड़ लोगों की एपैट को लें, जिनमें उनके बर्तन, झौंपड़ी, जेवर आदि को मिला लें, तो बिरला की सम्पत्ति से भी कम होगी। यदि आप इनको एक तराजू में तोलें तो बिरला का पल्ड़ा भारी होगा।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर साल इस देश के अन्दर बाढ़ें आती हैं और उस पर चर्चा होती है। लेकिन इन सप्लीमेंट्री डिमांड्स में उसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है। हजारों लाखों लोग उससे तबाह हो जाते हैं, जानवर आदि मर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, इनके बारे में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा और आसाम में भयंकर बाढ़ की स्थिति है। मैं मांग करता हूं कि सरकार को सबसे ज्यादा ज़ोर पानी के कन्ट्रोल पर देना चाहिए। जो पानी देश के लिए वरदान बन सकता है, वह हिन्दुस्तान की जनता और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप बन गया है। आप इस पानी को कन्ट्रोल कीजिए, जिससे उसका उपयोग देश की खेती के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सके। आज इस पानी के कारण घर के घर उजड़ रहे हैं, आदमी और पशु मर रहे हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि पिछले 37 सालों में इस सरकार ने पानी को कन्ट्रोल करने का कोई प्रयास नहीं किया। यदि आपमें जरा भी देश प्रेम है तो इस सम्बन्ध में जो योजना आपको दी गई थी—हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों को जोड़ कर पानी को कन्ट्रोल करने की, उसको शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित कीजिए जिससे देश को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके।

दिल्ली से गाजियाबाद तक डबल लाइन है, उसके बाद सहारनपुर से पंजाब तक डबल लाइन है, लेकिन गाजियाबाद से सहारनपुर तक सिंगिल लाइन है। यात्रियों को इससे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, गाड़ियों को इस लाइन पर निकालने के लिए सुपर-फास्ट ट्रेंज को रोकना पड़ता है। गाड़ियां प्रायः लेट हो जाती हैं तथा पैसेंजर ट्रेंज के मूवमेंट में बहुत दिक्कत होती है। मैं मांग करता हूं कि आप इस छोटे से टुकड़े को—गाजियाबाद से सहारनपुर—शीघ्र से शीघ्र डबल लाइन में परिवर्तित कीजिये।

एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा—आज इस सरकार के सामने यह दृष्टिकोण है कि विदेशों में हमारे नेता की जितनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उतनी ही हमारे देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ेगी। मैं समझता हूं—इस दृष्टिकोण से आप न केवल अपनी नेता बल्कि देश को भी गुमराह कर रहे हैं। आप श्रीमती इन्दिरा गांधी की विदेशों में चाहे जितनी प्रतिष्ठा बढ़ायें, लेकिन जब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ी हुई है, देश में गरीबी व्याप्त है, इससे प्रतिष्ठा बढ़ने वाली नहीं है। निर्गुट सम्मेलन की अध्यक्ष बन जाने से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है। मैंने एक दफा पत्रकारों से कहा था—हिन्दुस्तान निर्गुट सम्मेलन का अध्यक्ष है, लेकिन वह एक प्रस्ताव निर्गुट सम्मेलन में पास नहीं करा सकता है कि कोई भी देश अमरीका से हथियार नहीं खरीदेगा। यदि आप यह काम कर पायें तो दुनिया में जो होड़ चल रही है, गरीब देश अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेशों से हथियार मंगा रहे हैं उसमें रुकावट पैदा होगी। 15 अगस्त, 1947 को हमारे देश की जमीन आजाद हुई, पहाड़ आजाद हुए, नदी आजाद हुई, शहर आजाद हुए; लेकिन इस मुल्क के लोग आज भी उतने ही गरीब हैं, उतने ही गुलाम हैं जितने अंग्रेजों के राज में थे, बल्कि उनका प्रतिशत पहले से बढ़ा है। इस देश में खेती को प्राथमिक दो, आप इण्डस्ट्री के लिए विदेशों से रामेटीरियल मंगाते हैं, खाने के लिए अनाज मंगाते हैं, इन चीजों को अपने मुल्क में ही पैदा करने पर जोर दो, तब हम दूसरों के गुलाम नहीं होंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे और तब हमारे देश का एक आजाद मुल्क के रूप में विकास होगा।

मैं फिर मांग करता हूं कि गाजियाबाद-सहारनपुर लाइन को डबल कीजिये।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : डिप्पी स्पीकर साहब, जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स सदन के समक्ष उपस्थित हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारे जगपाल जी अभी अपना भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे देश में जनता पार्टी ही सब कुछ कर सकती है, कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है। शायद वह भूल चुके हैं कि देश में जनता पार्टी का जनाजा निकल चुका है। उस जनाजे पर क्या भरोसा किया जाये और जनता पार्टी का क्या नाम लिया जाये इस सदन में क्योंकि उसमें कुछ जान भी है, तो मुर्दे पर लाठी चलाकर 302 का मुकदमा बनना है, वैसी ही बात होगी।

मैं चन्द बातें निवेदन करना चाहूंगा। हम लोगों ने इन चार सालों के अन्दर समाज के हर वर्ग के लिए चाहे वह किसान हो या मजदूर हो या वह किसी महकमे में काम करता हो, सभी के लिए चौतरफा कुछ न कुछ विकास करने का माहौल पैदा किया है और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक प्लानिंग बनाई और हर एक प्रखंड में, हर एक ब्लाक में 600 परिवारों को प्रति वर्ष गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रोग्राम दिया है। मैं जब उसका जायजा लेने के लिए गांव में जाता हूं तो मैं यह देखता हूं कि इस प्रोग्राम के तहत बहुत से काम हुए हैं लेकिन मैं कोई माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं कर रहा हूं बल्कि एक निवेदन के रूप में यह कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बैंकों की जो जवाबदेही रही है, वह उसको ठीक से नहीं निभा पाए हैं। पावर्टी लाइन के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जितने भी आपके नेक इरादे थे अगर मुस्तैदी से आपके बैंक आपके प्रोग्रामों का कार्यान्वियन करते, तो हमको बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल हो जाती। हम समझते हैं कि इस तरफ काफी ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1983 को रेड फोर्ट से एक प्रोग्राम दिया था और वह सैल्फ एम्पलायमेंट का प्रोग्राम था, जिसके अन्तर्गत हमारे देश के नौजवानों को 25 हजार रुपया बैंक से मिल सकता है और उससे अपने को सैल्फ एम्पलायमेंट में लगाकर वे सरवाइव कर सकते हैं और अपनी रोजी-रोटी का धंधा कर सकते हैं। मैं गया जिले की आपको पिक्चर दे रहा हूं। हमारे गया जिले में सैल्फ एम्पलायमेंट प्रोग्राम के लिए 1300 का टार्गेट फिक्स किया गया और इस वित्तीय वर्ष में 1300 नौजवानों को इस प्रोग्राम के तहत रोजगार देने की बात थी। उसके लिए एप्लीकेशन्स पड़ीं लेकिन आपके बैंकों की नाकामयाबी की वजह से या उनकी निष्क्रियता से यह काम नहीं हो सका और इस तरह से रेड फोर्ट से जिस प्रोग्राम की घोषणा की गई थी, वह पूरा नहीं हुआ। ये सब चीजें बताती हैं कि आपके इरादे तो नेक हैं और प्रधान मंत्री जी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं लेकिन आपके जो बैंक हैं, वे इसमें काआपरेट नहीं कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। इस पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है।

यहां पर बिजली के बारे में बातें उठाई गईं, टी० वी की बात भी उठी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि देश का ग्रामीण जो गांवों में रहता है, उसके लिए कम से कम एक जागरण का काम आप का यह दूरदर्शन कर रहा है। हर जिले में इसका काम चल रहा है और इसके लिए हम श्री एच० के० एल० भगत को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दूरदर्शन के प्रसार का काम किया है और जो गांवों में लोग रहते हैं, उनमें एक एवेकनिंग पैदा हुई है। इस प्रोग्राम के जरिये उन्हें अपने अधिकारों का पता चला है और यह पता चला है कि देश में क्या हो रहा है। इस तरह से हिन्दुस्तान के गरीब जो गांवों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, उनको फायदा पहुंचा है और वे मुस्तैदी से खड़े हो सकते हैं। अब वह जानता है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है और श्रीमती इन्दिरा गांधी क्या कर रही हैं। इस तरह से दूरदर्शन के माध्यम से उनके बीच में एक एवेकनिंग पैदा हुई है और मैं तो यह कहूंगा कि यह एक एवेकनिंग ईरा है, जिसमें उनको अपने अधिकारों और अपने कर्त्तव्यों का पता चला है। इससे नेशनल इन्टेग्रेशन की बात भी हुई है।

यह बात ठीक है कि देश के हर व्यक्ति को टी० वी० कवरेज के अन्तर्गत लाया जा रहा है। लेकिन टी० वी० की उपयोगिता तभी सम्भव है जबकि बिजली के उत्पादन पर भी उतनी ही मुस्तैदी से ध्यान दिया जाये। बिजली हमारे देश का एक बहुत बड़ा साधन है। हमारे औद्योगिक विकास का साधन है, हमारे कृषि विकास का साधन है। हमारे बिहार में पंजाब के जैसे भाखड़ा डेम तो हैं नहीं जिनसे खेतों को पानी मिल सके। हमारे बिहार में कृषि के लिए बिजली ही एक बहुत बड़ा माध्यम है। वहां आज किसान को दो घण्टे भी बिजली नहीं मिल पाती है। इसके सम्बन्ध में नेशनल ग्रिड बनाने की बात आई थी। (व्यवधान)

मैं मानता हूं कि समस्याएं अनन्त हैं। लेकिन उनको हल करने के लिए केवल आलोचना करने से ही काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) जब मैं आपकी बात कहूंगा तो आप अपनी सीट से खड़े हो जाइयेगा। यह एम्पलाएमेंट का कार्यक्रम किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। यह सभी का कार्यक्रम है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक गोपाल दास नाम का लड़का जो बी० ए० पास

है, कलकत्ता इन्टरव्यू देने के लिए गया। वहां के पदाधिकारियों ने उससे कहा कि आपका सी० पी० एम० का कार्ड कहां है। उससे कहा गया कि जब तक तुम्हारे पास सी० पी० एम० का कार्ड नहीं होगा तब तक नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कहती है।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मालवा में हजारों कांग्रेस के लोग बहाल किये जा रहे हैं जबकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बहाली पर पाबन्दी लगा रखी है।

श्री रामस्वरूप राम : इस बात को बंगाल की जनता अच्छी तरह से जानती है। चुनाव में वह आपसे पूछेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में बौद्ध गया एक ऐतिहासिक स्थान जिसकी बहुत बड़ी खासियत है, बहुत बड़े महत्व का वह पवित्र स्थान है। यह बौद्ध गया इन्टरनेशनल प्रेस्टिज रखता है। लेकिन वहां का कोई विकास नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल लेवल पर उसके विकास का काम होना चाहिए। वहां पर जावा, सुमात्रा सभी जगह के लोग आते हैं। वहां पर जावा, सुमात्रा की सरकारों ने मन्दिर भी बनाये हैं। लेकिन वहां पर पर्यटकों के ठहरने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं हैं। पर्यटक केन्द्रों के लिए कभी आप हिमाचल प्रदेश को चुन लेते हैं, कभी किसी और स्थान को चुन लेते हैं लेकिन बिहार में इतने अधिक टूरिस्ट्स स्पाट होने पर भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर वहां के टूरिस्ट स्पाटों की तरफ ध्यान गया होता तो मैं समझता हूं कि बिहार को आय के साधन मिलते। बौद्ध गया में एक विष्णुपद मन्दिर भी है। उसका भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है। वहां पर हिन्दुस्तान के तमाम लोग जाते हैं। वहां पर मच्छरों ने अपना अड्डा बनाया हुआ है। वहां पर हमसे लोग कहते हैं कि विहार में मच्छरों की आबादी बहुत हो गई है। वहां पर स्लम एरियाज को आप क्लीयर करा दें। बौद्ध गया की एक इन्टरनेशनल इम्पार्टेंश है। मैं टूरिस्ट मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि वे इसका विकास कर इसको टूरिस्ट स्पाट बनाएं। (व्यवधान) आपके नेता तो मात्र कहते हैं कि समाजवाद लाना है, गरीबी हटानी है लेकिन इन्दिरा जी व्यवहार में गरीबी हटाना चाहती हैं। यही कारण है कि देश का तमाम हरिजन, तमाम अल्पसंख्यक वर्ग इन्दिरा जी के साथ है।

श्री जगपाल सिंह : समाजवाद लाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी राज्य सभा में के० के० बिड़ला को जिता कर लाई है।

श्री राम प्यारे पनिका : आपके लोक दल के तो एम० एस० ओवेराय नेता रहे हैं। उन्हें तो चौधरी चरण सिंह ने राज्य सभा का टिकट दिया था। कांग्रेस पार्टी ने के० के० बिरला को कोई टिकट नहीं दिया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, श्री के० के० बिड़ला की ये लोग बात कर रहे हैं। श्री बिड़ला के परिवार के लोगों का 1942 के आंदोलन में काफी सहयोग रहा है। उस वक्त ये उस बैंचों पर बैठने वाले

सी० पी० एम० के लोग हमारा विरोध कर रहे थे। आज इस तरह की बातें करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सी० पी० एम० तो उस समय थी ही नहीं।

श्री राम स्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं लेकिन ये लोग डायवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र गया की दो महत्वपूर्ण योजनाएं सिंचाई की कई वर्षों से आपके यहां लम्बित हैं। स्वर्गीय पाण्डे जी ने आश्वासन दिया था कि मोहाने रिजर्वायर और तिलैया ढाढर सिंचाई योजनाओं को 1981 तक वाटर कमीशन से क्लीयर करा देंगे। लेकिन अब वे तो नहीं हैं, लेकिन उनका आश्वासन है। इन योजनाओं से तीस तीस हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होगी। राज्य सरकार की ओर से सभी अनुशंसाएं आ गई हैं लेकिन वाटर कमीशन आज नुक्ताचीनी करने का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। इन योजनाओं को देखें जो वर्षों से लम्बित पड़ी हुई हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चुनाव के बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं और जैसा कि लोगों को सोच है कि ये सैशन आखिरी सेशन होने जा रहा है। इस सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है लेकिन इस दौर में सरकार ने जिन नीतियों का परिपालन किया है, उन नीतियों से इन्होंने जो घोषणा कर रखी थी जिन लोगों को सहायता करने की, जिन लोगों को सहयोग करने की, व्यवहार में उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला है। मौजूदा सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में यह कहती है कि वह हिन्दुस्तान में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं। संविधान में समाजवाद की चर्चा की गई है और उसकी घोषणा की गई है। लेकिन उसको छोड़ कर वो देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। जिसका सीधा नतीजा यह हुआ है कि देश के अन्दर जो एकाधिकार पूंजीपति हैं···। उनको देश के साधनों का सबसे ज्यादा फायदा उठाने और पूंजी बढ़ाने का मौका मिला है। बीस सूत्री प्रोग्राम का सिंहावलोकन जब किया गया तो इस बात का दावा किया गया कि बहुत सारे लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। मैं नहीं समझता कि लोग भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हों। अपने क्षेत्र की बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी में जब मैंने यह सवाल किया कि एक आदमी का भी नाम बता दीजिये जो 1980 से लेकर 1984 तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठा हो। लेकिन, वे एक आदमी का भी नाम नहीं बता सके। यह कहा जाता है कि हम मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों को बैंकों से लोन मिला है लेकिन पचास परसेंट से ज्यादा घूसखोरी में चला गया है। किस मामले में सरकार को सफलता मिली है? लॉ एण्ड आर्डर की वही स्थिति है। हमारे यहां बिहार में शान्ति और व्यवस्था इतनी खराब है कि राजनैतिक हत्याएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। कोई भी आदमी अपने को सुरक्षित नहीं मानता। ऐसे लोग बिहार केबीनेट में आ गये हैं जो हत्यारों को मदद करने वाले हैं और जिनकी इंसट्रकशन्स में हत्याएं हो रही हैं। पुलिस राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमण्डल में एक ऐसे व्यक्ति लिए गए हैं जिनका सीधा हाथ उन अपराधकर्मियों के साथ माना जाता है जो बेगुसराय में आतंक मचाए हुए हैं और जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अच्छे-अच्छे 40-45 कार्यकर्त्ताओं की हत्या की है। आज देश के अन्दर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। अल्पसंख्यक और शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग सुरक्षित नहीं हैं। देश के अन्दर तरक्की किसकी हो रही है?

मुट्ठी भर लोग जो पैसे वाले हैं और ब्लैक मनी जमा करके पैरेलल इकानामी चला रहे हैं। आज हुकूमत पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। महंगाई बढ़ रही है और मुद्रा-प्रसार हो रहा है। आखिर, नुकसान किसका हो रहा है ? आप कहते हैं कि हम लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। रुपये का डिवेल्युशन करके, ब्लैक मार्किटियर्स, जमाखोरों और तस्करों के पक्ष में नीतियों को चलाकर देश की आम जनता का कल्याण नहीं किया जा सकता।

बिहार की स्थिति सबसे भयावह स्थिति है। हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में कच्चे माल या और किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी अगर कहीं पर है तो वह बिहार में है। सिंचाई, बिजली और शिक्षा के मामले में भी बिहार सबसे पीछे है। यही हालत उद्योग के बारे में भी है। पार्लियामेंट का मैम्बर होने के बाद मुझे देश के विभिन्न भागों को देखने का मौका मिला। बिहार के बारे में जब लोग सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अफसोस होता है। बिहार का जो सम्यक् विकास होना चाहिए या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए, उसका नितान्त अभाव रहा है और हमेशा उपेक्षा ही होती रही है। यह कह पाना भी आपके लिए मुश्किल है कि किन बातों का कार्यान्वयन हो पायेगा क्योंकि अब समय ही थोड़ा रह गया है। लेकिन फिर भी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि बिजली के बगैर किसी भी सूबे की तरक्की सम्भव नहीं है, किसी भी देश की तरक्की सम्भव नहीं है। लेकिन बिहार बिजली के मामले में अभी काफी पीछे है। उसकी कई महत्वपूर्ण योजनाएं —कोइलकारो योजना तथा कहलगांव योजना—तथा कई दूसरी योजनाएं एक दो सालों से नहीं, दस-दस और 15-15 सालों से लम्बित चली आ रही हैं और उनकी तरफ कोई समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यहां हमारे माननीय सदस्य शास्त्री जी ने नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय को उठाया था कि एटामिक एनर्जी की बिहार में स्थापना होनी चाहिए। यह बात सही है, बिहार बिजली के इस मामले में काफी पीछे रहा है अतः बिहार में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांसटीटूएंसी नालन्दा झरिया जिले की बगल में पड़ता है जो कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्या यहां कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाया जा सकता। यदि झरिया, धनबाद से कोयला लाकर पंजाब में थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा सकता है, दिल्ली या यू० पी० में थर्मल पावर प्लांट लगाये जा सकते हैं, हिन्दुस्तान के दूसरे कोनों में जाकर, कोयले पर आधारित प्लांट लगाये जा सकते हैं, तो हमारे यहां प्लांट लगाने में आपको क्या परेशानी है। लेकिन पटना या उसकी अगल-बगल में जो कि कोयला पिट्स के बिल्कुल पास हैं, वहां से बार-बार मांग की गई है, मैं भी चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि सरकार को इस मांग पर सहानुभूति के साथ विचार करते हुए नालन्दा, पटना, मुंगेर और नवादा आदि स्थानों में अगले दस सालों में कितनी बिजली की आवश्यकता होगी, उसको ध्यान में रखते हुए थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करनी चाहिए। यदि आप बिहार की तरक्की चाहते हैं, वह भी देश का एक अंग है, बिहार देश को बहुत कुछ कन्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसको आपने बेकार और पिछड़ा रखा हुआ है। सिंचाई की पूरे हिन्दुस्तान में जो व्यवस्था है, उस एवरेज के अनुरूप बिहार काफी पीछे है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार की अपनी अलग-अलग खासियत हैं—उत्तरी बिहार में नदियों के कारण कुछ सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन दक्षिणी बिहार, जिसमें मेरा जिला भी पड़ता

है; इस सुविधा से वंचित है । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस इलाके में सिंचाई व्यवस्था के लिए ध्यान देना चाहिए और गंगा नदी से नहरें आदि निकाल कर नालन्दा, नवादा आदि जिलों को सिंचाई सुविधायें प्रदान करनी चाहिएं । आपने यू० पी० में कई स्थानों पर ऐसा किया है । यदि बिहार में भी उसी तरीके से व्यवस्था की जाए तो निश्चित तौर पर दक्षिणी बिहार को फायदा हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने नालन्दा जिले का नाम तो सुना होगा, वहां एक बहुत एन्शेंट यूनिवर्सिटी थी । लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसी जगह, जिसका इतिहास काफी पुराना हो, वहां के लोग काफी समय से मांग करते आ रहे हैं कि यहां एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए, लेकिन आज तक वहां कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है । आप और राज्यों की तरह नालन्दा में भी केन्द्रीय यूनिवर्सिटी बनाने पर ध्यान दें क्योंकि नालन्दा में यूनिवर्सिटी की स्थापना के औचित्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता, जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है । पुराने समय में जहां दूर-दूर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे । वहां के लोग आन्दोलन कर रहे हैं और इसी पार्लियामेंट के अन्दर भी मैंने कई बार इस मांग को उठाया है और आज फिर मैं उस पर जोर देना चाहता हूं कि नालन्दा में एक केन्द्रीय यूनिवर्सिटी देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ।

यहां पर सरकार की ओर से टेलीविजन प्रसार की योजना आई, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में भी पक्षपातपूर्ण नीति से कार्य हो रहा है और अपनी ही पार्टी के एम० पीज की कांसटीटूऐंसीज में काम हो रहा है । मुंगेर में आपने एक केन्द्र बनाया, गया में बनाया, जहां से आपके एम० पी० आते हैं । लेकिन आपने नालन्दा में नहीं बनाया, क्यों कि वहां से एक विरोधी दल के एम० पी० आते हैं । नालन्दा न तो पटने से कवर होता है, न मुंगेर से और न गया से । (व्यवधान) हम लोग जानते हैं कि अगली बार ये लोग हकूमत में नहीं आयेंगे और बाद में हम लोग ही उनका इस्तेमाल करेंगे । मैं चाहता हूं कि आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक राजगीर बख्तयारपुर रेलवे लाइन है, जिसको आगे गया से जोड़ने की मांग काफी समय से की जा रही है । हमारी यह मांग है कि राजगीर लाइन को गया तक बढ़ाया जाए और फतुटा-इस्लामपुर लाइन का बडी लाइन में कन्वर्ट किया जाए ।

जहां तक औटोमैटिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना का प्रश्न है, सरकार ने सिद्धान्त तौर पर माना है कि जितने भी जिला हैडक्वार्टर्स हैं, उनको औटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज दिए जाएगे । लेकिन हमारे नालन्दा जिले की बदकिस्मती है कि अभी तक औटोमैटिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना वहां नहीं हो सकी है । बिल्डिंग बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और यह मामला वर्षों से पैन्डिंग पड़ा हुआ है । मैंने बार-बार सरकार को लिखा है, यहां सवाल भी किए हैं और सरकार की ओर से वायदा भी होता है, लेकिन अमल में उस बात को नहीं लाया जा रहा है ।

इन बातों के साथ-साथ हमारे इलाके को, यानी नालन्दा को केन्द्रीय सरकार ने इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इलाका घोषित किया है और ऐग्रो इंडस्ट्री की स्थापना के लिए उस एरिया का सेलेक्शन हुआ

है। लेकिन आज तक कोई भी योजना उसके लिए नहीं बनी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास चूंकि रिसोर्सेज कम हैं जिसके कारण औद्योगिक दृष्टि से इन जिलों का विकास राज्य सरकार नहीं कर सकती है, इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत नालन्दा तथा अन्य बैकवर्ड जिलों में सेन्टर की तरफ से कम से कम एक जौब ओरियेन्टेड इंडस्ट्री लग सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं। हमारे देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी बजह से सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता पड़ती है, और इसीलिए यह बजट आया है। उपाध्यक्ष जी, मैं अपने देश के बारे में मंत्री जी को बताना चाहता हूं। हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, बैकबर्ड स्टेट है चाहे सिंचाई हो, शिक्षा हो, बिजली हो, सड़कें हों, सब में पिछड़ा हुआ है। इसलिए उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश देश के मध्य में है और वहां बहुत सारी खनिज और वन सम्पदा है। इतना होते हुए भी मध्य प्रदेश पिछड़े हुए राज्यों में है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में से 25 जिले ऐसे हैं जहां औसतन 50 प्रतिशत बरसात हुई है, और अगर 10, 15 रोज पानी नहीं बरसा तो वहां भयंकर सूखा पड़ जाएगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उन जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था और खाने के लिए अनाज तथा लोगों को रोजगार मिले इस तरह की व्यवस्था तुरन्त होनी चाहिए। अन्यथा लोगों को न तो पीने का पानी मिलेगा और न पशुओं को चारा मिलेगा। अतः भारत सरकार अपनी टीम भेजे जो इन जिलों का जाकर सर्वे करे।

मध्य प्रदेश में बहुत खनिज हैं, वहां सीमेंट के कारखाने लग सकते हैं। मगर जिस रफ्तार से सीमेंट के कारखाने डाले जा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको देश के अधिकांश हिस्सों में छोटे-छोटे सीमेंट के कारखाने डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी मांग है कि इस आधार पर मध्य प्रदेश में बहुत सारे छोटे-छोटे सीमेंट के कारखाने खोले जायें और सीमेंट के आधार पर कौन-सी चीजें बन सकती हैं, जैसे रेलवे स्लीपर्स, बिजली के पोल, यह भी वहां बनें और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा।

सिंचाई के बारे में मेरा निवेदन है कि सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जैसे नर्मदा, चम्बल, बेतवा, महानदी। और इनका पानी दूसरे राज्यों में जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश को इन नदियों का पानी बहुत कम ही मिलता है। नर्मदा ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बहती है और यदि इस पानी का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो उनको खुशहाल बना सकती है। मगर जितना पैसा उस योजना के लिए मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है। जिस रफ्तार से काम हो रहा है, उसके मुताबिक 20, 25 साल में भी हम नर्मदा का पानी रोककर किसान के खेत में पहुंचा दें यह हम कर नहीं सकते। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह चाहे वार्ल्ड बैंक से सहायता लें या किसी और एजेंसी से सहायता लें लेकिन नर्मदा के पानी के उपयोग के बारे में कोई योजना जल्द से जल्द हाथ में लें ताकि वहां के किसानों को देश की खुशहाली

में भागीदार होने का मौका मिल सके। इससे वहां बिजली बन सकती है, सिंचाई का काम हो सकता है और अनाज व कपास पैदा हो सकती है। इसलिए नर्मदा के प्रोजेक्ट को हाथ में लेना चाहिए।

मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी से जब से जीतकर आया हूं वहां एक डैम के बारे में बराबर मांग करता आ रहा हूं। 4 साढे 4 साल से बराबर इस बात की कोशिश करता आ रहा हूं कि कहीं न कहीं यह योजना बजट में इन्क्लूड हो, उसका सर्वे हुआ लेकिन कभी कहीं में इन्क्लूड किया, कभी ट्यूववैल में और वाटर कनेक्शन में और ऐसा करते-करते इतना समय निकल गया लेकिन इस बारे में कुछ नहीं हुआ। आज रोज ब रोज कास्ट बढ़ती जा रही है। पहले 25 करोड़ कास्ट थी, फिर 50-60 करोड़ हुई और अब 100 करोड़ की यह योजना हो गई है। इसके बन जाने से मेरी कांस्टीटुएन्सी के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इससे पानी मिल जाता।

मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जिस प्रकार हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री गरीब और पिछड़े हुए आदिवासी लोगों को ऊपर उठाना चाहती हैं, उसके मुताबिक इस योजना को पहले लिया जाना चाहिए, ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। इंदिरा जी जिस प्रकार चाहती हैं, हमें इस तरह की योजनाओं को प्रायर्टी देनी चाहिए और इस योजना को पहले लिया जाना चाहिए।

मैंने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है और इस बजट को भी पढ़ा है। जब तक हमारे ट्राइबल्स भाई और शिड्यूल्ड कास्ट्स के भाइयों को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वह कभी होशियार नहीं बन सकते हैं। आज उनकी शिक्षा का फर्क जमीन-आसमान का फर्क है। मेरा सुझाव है कि जितने ट्राइबल्स सब-प्लान हैं, जो हमारी योजनायें हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हों, ब्लाक लेवल की हों, जिस तरह से सेंट्रल स्कूल यहां खोले गए हैं, वैसे ही स्कूल हमारे ट्राइबल एरिया में भी खोले जायें तो वहां 200 लड़के एक साथ पढ़कर होशियार बन सकते हैं और वहां से पढ़-लिखकर फिर पब्लिक सर्विस कमीशन और आई० ए० एस० की सर्विसेज के लिए पास हो सकते हैं। यदि वहां पर हमारे यहां के लोगों को पढ़ाने-लिखाने का काम कर दिया जाए तो मैं समझता हूं आज जो हरिजन और आदिवासी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए नहीं मिल रहे हैं, वह इन सेंट्रल स्कूलों में पढ़कर कम्पीटीशन में आयेंगे और इस कमी को पूरा करेंगे। वह भी यह समझेंगे कि यह हमारा देश है और हम भी इस तरह से पढ़कर देश के काम में भागीदार बनेंगे और इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज उनके मन में इसकी बड़ी इच्छा है।

मैं अपने वित्त मंत्री और दूसरे जो मंत्री बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे हाउस के सभी साथी इस बात से सहमत हैं कि जब तक इन लोगों को पढ़ाये-लिखायेंगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि यहां क्या हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की योजना बनाकर लोगों को खुशहाली की ओर लायें और उन्हें आगे बढ़ायें।

ये आदिवासी लोग यहां के मूल निवासी हैं। कोई भी पोलिटीकल पार्टी तो इधर-उधर की बात कर सकती है, मगर ये लोग अपने को भारत का मूल निवासी मानते हैं और भारत माता को अपनी माता समझते हैं और अपने दिल में रखते हैं। इन लोगों के लिए इंदिरा जी बहुत कुछ कर रही

हैं, मगर जो हमारी इन कामों को करने को एजेंसीज हैं जो हमारे ट्राइबल सब-प्लान हैं, आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० के कार्यक्रम हैं वे सब आज स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के मन में इन लोगों की सहायता करने की बात आती है तो कर देते हैं नहीं तो वह इस मुद्दे के पैसे को इधर-उधर डाइवर्ट करके 31 मार्च को अपने रजिस्टर में शो कर देते हैं कि फलां-फलां एरिया में खर्च कर दिया और आंकड़े यहां भेज देते हैं। अगर केन्द्रीय सरकार उन एरियाज को डेवलप करना चाहती है, तो उसे अपनी एजेंसी बनानी पड़ेगी, उसके जरिये पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कार्य की प्रगति को मानिटर करना पड़ेगा। उसको इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा कि 36 साल की आजादी के बाद भी ये लोग ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये लोग क्यों दबे हुए हैं।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को फैमिली डेवलहमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की जाए कि परिवार के बच्चे को ग्रेजुएट बनाना है, उसको नौकरी देनी है या पांच एकड़ जमीन देकर खेती में लगाना है। अगर फैमिली डेवलपमेंट की योजना नहीं बनाई गई, तो अरबों रुपयों का जो बजट हम पास करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि सातवें प्लान में फैमिली डेवलपमेंट की योजना को लागू करके अधिक से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जाए।

मैं आपको धन्यवाद देते हुए सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कल गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का दिन है। मैं नहीं समझता कि हम पूरक मांगों को 6 बजे तक पूरा कर लेंगे। अतः मैं देर तक बैठने के लिए तैयार हूं, परन्तु 7 बजे सायं से आगे नहीं। मैं यह स्पष्ट कर देता हूं कि सभा को 7 बजे सायं स्थगित करना ही पड़ेगा।

कुछ नाम सत्तारूढ़ दल से दिए गए हैं और कुछ इस ओर से भी। मैं एक-एक करके बुलाऊंगा। मैं हर किसी को अवसर दूंगा, परन्तु कोई भी माननीय सदस्य पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। तत्पश्चात मंत्री महोदय उत्तर देंगे। हम इसे 7 बजे सायं तक पूरा करलेंगे। अतः पांच मिनट के बाद मैं घण्टी बजाऊंगा। यदि आप नहीं बैठते हैं तो, मैं अगले व्यक्ति को बुला लूंगा।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले साढ़े चार साल से सुनता आ रहा हूं कि यह सरकार देश के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए यह कर रही है, वह कर रही है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग गरीबी की रेखा के ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो बड़ी निराशा होती है। मैं सोचता था कि सरकार जब अनुदानों की पूरक मांगों को पार्लियामेंट में ला रही है, तो शायद उसकी नीतियों में कोई नया दिशा-दर्शन होगा। लेकिन उससे भी मुझे निराशा हुई है।

हमारे राज्य में जो गरीबी है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। या तो सारे भारत में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, लेकिन पूर्वांचल में, और खासतौर से हमारे राज्य में,

65 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन बिता रहे हैं। हमको आश्चर्य होता है कि जिस बिहार की भूमि इतनी उपजाऊ हो, जो प्रचुर प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न हो, फिर भी वहां इतनी गरीबी है और इतने अधिक गरीब लोग निवास करते हैं। हमारे खनिज पदार्थ यूनिफार्मली सारे देश में जाते हैं, लेकिन देश में गरीबी यूनिफार्म नहीं है। देश के और भागों की अपेक्षा हमारे यहां अधिक गरीबी है।

मैं सोचता था कि गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को कुछ नई दिशा दी जाएगी, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको सुधारने के लिए जो उपाय करने चाहिये, वे नहीं किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गरीबों के लिए जो सहायता दी जाती है, उसका अनुचित उपयोग होता है और जो सबसिडी दी जाती है, वह अधिकतर रिश्वत में चली जाती है। इसलिए उनसे अपेक्षित लाभ हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता था। लोगों की यह दुरवस्था है इसी कारण आसाम की जैसी समस्या उत्पन्न हुई।

सरकार कह रही है कि हम कीमतों की सीमा बांधने में सफल हुए हैं परन्तु जब हम मूल्यों के सूचकांक पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह बोलने में सरकार को कुछ तो शर्म आनी चाहिए। 1980 को अगर हम आधार वर्ष मानें तो उस समय सौ अगर सूचक अंक थे तो 1984 में वह 561 हो गए। इस सरकार के कार्यकाल की तुलना करें तो 1980 में यह 320 थे, फिर आज 1984 में 561 हो गए। तो कैसे समझा जाए कि कीमतों की सीमा बांधने में आप सफल हुए हैं।

हमारा क्षेत्र उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ नदियों के प्रकोप से तबाह रहता है। दक्षिण साइड में गंगा की बाढ़ और कटाव से लोग परेशान रहते हैं और उत्तर में बागमती की बाढ़ से। मैंने कुछ दिनों पहले सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था परन्तु उन्होंने कहा कि यह राज्य की समस्या है। इस कटाव से लोगों को बचाने के लिए इतनी अधिक राशि की आवश्यकता है कि राज्य सरकार इसमें सक्षम नहीं हैं। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मदद के लिए आगे आवें।

हम जिस क्षेत्र में आते हैं वहां उद्योग-धन्धों की बड़ी कमी है। कुछ दिनों पहले उस क्षेत्र में पैट्रो कैमिकल कारखानों की स्थापना के लिये बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था। परन्तु वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमारे अपने क्षेत्र में एक ग्रेफाइट कारखाना लगाने की बात थी। परन्तु वह सारी योजना कहां चली गई किसी को कुछ पता नहीं है।

इन सब बातों के साथ एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब हमने सातवीं योजना के नीति-पत्रों को देखा जिसकी चर्चा आज शून्यकाल में हुई है। समझ में नहीं आता कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास में आर्थिक मापदन्ड को कब से सोचना शुरू कर दिया है। उस नीति पर तो सिर्फ दो या तीन लाइन में एक जगह मेंशन किया गया है। ऐसा लगता है कि सरकार इस तरह से गुप-चुप रूप से जैसे कोई बड़ा निर्णय ले ले और उसको इस तरह से बड़े

गुप-चुप रूप से लोगों की नजर में न आने देने के लिये बहुत छोटे से कहीं मेंशन करके नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल से स्वीकृत करा ले, यह सरकार के लिये उचित नहीं है। आरक्षण की कसौटी में आर्थिक मापदन्ड को नहीं लाया जाना चाहिये। यह तो संविधान के अनुसार भी गलत होगा।

अन्त में, मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट दिल्ली में काम कर रहा है। मैं समझता था कि वहां यह प्रावधान है कि डीन की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव कौंसिल की सहमति से होनी चाहिये ऐसा वहां का संविधान है। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि जब डीन की नियुक्ति का प्रश्न आया तो सारे देश में कहीं भी उनको कोई शिक्षाविद् नहीं मिला और उन्होंने एक आई० ए० एस० आफिसर को वहां का डीन बना दिया। जहां तक मुझे पता है एग्जीक्यूटिव कौंसिल से उसकी सहमति भी नहीं ली गई है।

अन्त में, मैं उस संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं जहां पर कुछ दिनों पहले तक मैं था और जहां पर मैंने अपनी जिन्दगी के सबसे बेहतर दिन गुजारे थे। वह बिहार का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा संस्थान है। बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी जिसके शास्त्री जी हमेशा विरोधी रहे हैं। वहां पढ़ने वाले छात्रों के गार्जियन्सों ने और वहां के लोगों ने उस संस्थान को डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी का स्टेट्स देने की मांग की थी। सरकार ने उस पर अभी तक विचार नहीं किया है। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार उस पर यथाशीघ्र विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.00 म० प०

(व्यवधान)

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय, मैंने अधिक समय नहीं लिया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये मैं पहले ही आपका धन्यवाद कर चुका हूं। आपने सुना ही नहीं।

माननीय सदस्यगण प्रत्येक सदस्य 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि पांच मिनट के बाद वे जो कुछ बोलें वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में यह देश परिपक्व हुआ है, इस देश का औद्योगिक विकास हुआ है, कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश का चतुर्मुखी विकास हुआ है। हमें इस बात का गर्व है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने जो नीतियां बनायीं उनकी तहत यह देश गौरवशाली मस्तक लेकर विश्व के सामने खड़ा है। बुबिया के नक्शे में

भारतवर्ष एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। विज्ञान, कृषि, उद्योग, अंतरिक्ष विज्ञान, सैनिक विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में देश शक्तिशाली बना है। देश बड़ी तेजी के साथ विकास कर रहा है लेकिन कुछ शक्तियां इस देश के विकास में बाधा डाल रही हैं। वह शक्तियां इस देश को खण्डित करना चाहती हैं। कुछ तो विदेशी ताकतें हैं, अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। देश के विकास में बाधा डालना चाहती हैं तथा देश को खण्डित करना चाहती हैं। और कुछ देशी शक्तियां हैं—सम्प्रदायवादी, क्षेत्रवादी और उग्रवादी—जो देश की प्रगति में बाधा डालना चाहती हैं तथा देश को खण्डित करना चाहती हैं। मुझे क्षमा करेंगे, इस तरह की शक्तियां जो हैं उनको बढ़ावा देकर, प्रोत्साहन देकर हमारे देश के विपक्षी दल भी अप्रत्यक्ष रूप से इस देश के विकास में बाधा डालना चाहते हैं तथा देश की एकता को खण्डित करना चाहते हैं। यदि इस देश के विरोधी दल अपने को देशभक्त कहते हैं, लोकतन्त्रवादी कहते हैं तो उनको चाहिये कि देश विरोधी शक्तियों का समर्थन बन्द करके राष्ट्रीय प्रश्नों पर सरकार को सहयोग दें, देश को शक्तिशाली बनाने में सरकार का साथ दें। उसी स्थिति में माना जा सकता है कि इस देश के विरोधी दल देश का भला करना चाहते हैं अन्यथा हमें मजबूर होकर विपक्षी दलों को देश-विरोधी कहने के लिये मजबूर होना पड़ेगा। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि वह पहचाने कि इस देश के विपक्ष ने पहले क्या किया और आगे क्या करेंगे। इन दलों को जनता का विश्वास तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये देश की भलाई करना नहीं चाहते हैं।

श्रीमन्, बीस-सूत्री कार्यक्रम बड़ा मूल्यवान है और उस पर तेजी के साथ अमल किया जा रहा है जिससे गरीबी भी कम हो रही है। दूसरी ओर देश का विकास हो रहा है। एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में काम देने का कार्यक्रम है परन्तु उसमें ढिलाई आ रही है। मैं वित्तमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी मदद दी जाये। सिंचाई के साधनों का निर्माण किया जाये। श्रीमन्, एक तो ग्रामीण योजना है और एक ग्रामीण भूमिहीनों के लिये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों, आदिवासियों और हरिजनों को काम दिया जा सकता है, साथ ही इनके द्वारा स्कूल भवनों, पेय-जल कूपों और सड़कों का निर्माण कराया जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन कार्यक्रमों को शक्तिशाली ढंग से चलाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इन ग्राम विकास योजनाओं तथा रोजगार योजनाओं से हमारे गरीब बेरोजगारों को बड़ा लाभ पहुंचा है लेकिन मेरे क्षेत्र में, खास तौर से मैं मिर्जापुर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बैंकों से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप बैंक अधिकारियों को हिदायत दें कि वे इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उदारता से पैसा दें, ताकि बेरोजगारी दूर हो और साथ-साथ जो लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनको ऊपर उठने का मौका मिल सके।

सिंचाई कार्यक्रम की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे यहां बहुत ढिलाई आई है। मैं चाहता हूं कि सिंचाई कार्यक्रम बहुत तेजी से चलाया जाय। इस साल

हमारी सरकार की नीति के फलस्वरूप देश में अभूतपूर्व कृषि उत्पादन हुआ है, रिकार्ड उत्पादन हुआ है, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिंचाई कार्यक्रमों को बहुत तेजी से चलाएं ताकि इस वर्ष जो उत्पादन हुआ है, वह आगे भी मेन्टेन्ड रह सके।

औद्योगिक मामलों में देश के कुछ जिले बहुत पिछड़े हुए हैं और इसीलिए उन जिलों को पिछड़ा हुआ डिक्लेअर किया गया है। मेरा मिर्जापुर क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के हरियाणा और केरल राज्यों के बराबर है। दक्षिण मिर्जापुर में कोयले की खानें होने के कारण, बिजली के कारखाने होने के कारण, उद्योग लग जाते हैं। लेकिन मिर्जापुर का उत्तरी क्षेत्र पिछड़ रहा है, बल्कि उजड़ रहा है। यह 300 किलोमीटर का जिला है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़े जिलों में तहसील और ब्लाकों को भी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाय ताकि पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्र से शीघ्र औद्योगिक विकास हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष जी, जब तक इस देश के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस देश का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर इस सरकार का बहुत कम ध्यान गया है। मेरा एक ही निवेदन है—अगर गांवों की उन्नति चाहते हो, अगर किसानों का हित चाहते हो, तो हर गांव को सड़क से जोड़ दो। हमारा सबसे पहला कार्यक्रम यही होना चाहिए, क्योंकि गांव यदि सड़क से जुड़ा हुआ है तो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडियों में ले जा सकता है, अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है— इन बातों की उसको सुविधा हो जायेगी। यदि यह सरकार किसानों की भलाई चाहती है तो 1984-85 में हमारा प्रमुख काम यह होना चाहिए कि गांवों को सड़कों से जोड़ा जाय। आज हालत यह है—केवल बरसात में ही नहीं, गर्मी या सर्दियों के दिनों में भी, यदि कोई बीमार पड़ जाय तो जिले के अस्पताल तक पहुंचते-पहुंचते आदमी दम तोड़ देता है, अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसीलिए मैं सबसे पहले इसी पर जोर देना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसमें मुझसे सहमत होंगे कि सबसे पहले एक-सूत्री कार्यक्रम चलाया जाय कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाय।

दूसरी बात—देश के कुछ क्षेत्रों में बिजली ज्यादा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बिजली बिलकुल कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्तर के जो अन्य सूबे हैं उनमें बिजली की बहुत कमी है। मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत के जिन प्रदेशों में बिजली की बहुतायत है, मैं चाहता हूं कि एक नेशनल ग्रिड बनाकर वह बिजली सब प्रदेशों को दी जाय। उत्तर प्रदेश की यह हालत है कि एक किसान को 5-6 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है और वह भी कभी दिन में, कभी रात को, कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाती है। बेचारे किसान को रात-रात भर जागना पड़ता है—उस 5 घन्टे की बिजली लेने के लिए। जब तक किसान को कम से कम 12 घन्टे के लिए बिजली नहीं दी जायेगी, तब तक उसका भला नहीं हो सकता है। बहुत सी जगहों पर तो धान की फसल सूख रही है, अगर बिजली नहीं मिलेगी तो धान की फसल बरबाद हो जायेगी।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप सस्ती कार का प्रपोजल लेकर आए, उसी प्रकार से आपको एक छोटे किस्म का टैक्ट्रर बनाना चाहिए, जिसकी कीमत 35-40 हजार से ज्यादा न हो । क्योंकि आप आज जानते हैं कि मजदूर कम मिल रहा है या मजदूरी बहुत कम हो गई है, ऐसी सूरत में किसानों को छोटे ट्रैक्टरों की बहुत आवश्यकता है, इसके लिए चाहे आपको किसानों को सब्सिडी देनी पड़े, तो वह भी आपको देनी चाहिए । जिस प्रकार छोटी मोटर साइकिल, 50 के नाम से बनवा रहे हैं और उसके लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार छोटे ट्रैक्टरों का प्रबन्ध करेंगे तो किसान आपको भरपूर फ़सल देगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप यदि पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को घाटे में देखते हैं तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमत इतनी बढ़ा देते हैं, जिससे उनका घाटा पूरा हो जाए। मैं आपको एक सीमेंट का उदाहरण देना चाहता हूं । सीमेंट एक रात में 35 रु० बोरी से 65 रु० बोरी हो गया । बाजार में वह 70 रु० तक बिकता है। अभी उद्योग सलाहकार समिति की बैठक हुई थी और उसमें मैंने माननीय सदस्यों के सामने एक प्रश्न किया था और श्री मनोहर लाल सैनी, राज्य सभा के सदस्य हैं, उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि एक बोरी सीमेंट पर कितनी लागत आती है ? तो आफिसर अपनी बंगले झांकने लगे, काफी देर बाद जाकर उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के अन्दर लागत 21 रु० से 23 रु० तक आती है । एक माननीय सदस्य जो कमेटी में बैठे थे, उन्होंने यह भी कहा कि 17 रु० से ज्यादा नहीं है । उस पर आप एक्साइज ड्यूटी लगाइए, किराया लगाइए, सेल्सटैक्स लगाइए और सारे टैक्स लगाने के बाद 40 से 45 रु० तक वह बैठती है और उसके बाद आप 20 रु० प्रत्येक बोरी मुनाफा कमाते हैं। क्या इस प्रकार से 20 रु० बोरी मुनाफा लेने दिया जा सकता है । जबकि लोग सीमेंट लेकर अपना मकान बनाना चाहते हैं, मरम्मत करना चाहते हैं और उस पर 20 रु० बोरी मुनाफा कमायेंगे तो यह मेरी दृष्टि में घोर अन्याय है । मुझे लगता है कि यह सब सरकार की मिली-भगत से होता है ।

उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए जिलों का चयन में पक्षपात हो रहा है । जो जिले उद्योग की दृष्टि से सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनमें ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ज्यादा दी जा रही है, जैसे नैनीताल, अमेठी, रायबरेली इन जगहों पर जो सब्सिडी अधिक है। पीलीभीत जैसी जगहों पर जो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वहां सब्सिडी हिसाब से नहीं दी जाती है । बैकवर्ड एरियाज को आपको सही तरीके से डिमार्केट करना चाहिए ।

मैं महंगाई की बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वह तो प्रोफेसर साहब ने आपके सामने आंकड़े पेश कर दिए हैं। मैं आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज नमक भी सवा रुपये से लेकर डेढ़ रुपये तक बिक रहा है । इससे बड़े दुःख की और क्या बात हो सकती है कि आज नमक पर इस कदर महंगाई हो गई है। मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आज भी 40 प्रतिशत भूमि बेकार है, जहां खेती नहीं होती है और 60 प्रतिशत भूमि ऐसी है, जहां सिंचाई के लिए सुविधायें नहीं हैं । इस तरीके से आप कैसे देश का विकास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस साल शिक्षा का रिजल्ट 31 प्रतिशत रहा है। हर साल यह रिजल्ट गिरता चला जा

रहा है। क्योंकि वहां पर अध्यापक, प्रिंसिपल या प्रोफेसर वहां पर या तो एम० एल० ए०, एम० एल० सी० है या मिनिस्टर है। इस तरीके से वहां पर अध्यापक दो तरफ से तनख्वाह ले रहे हैं और वहां के स्कूल और कालेजों की शिक्षा का बंटाधार कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आपको शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। कम से कम तीन साल के लिए वहां की शिक्षा संस्थायें सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, तभी वहां सुधार हो सकेगा। क्योंकि ज्यादातर शिक्षा वहां प्राइवेट कालेजों द्वारा दी जाती है, और प्राइवेट कालेज के प्रिंसिपल को किसी अध्यापक को ससपैंड करने का अधिकार नहीं है। इससे कैसे काम चलेगा। अध्यापक मेहनत न कराये और न पढ़ाये-लिखाये, फिर भी उसको सैलरी मिल जाती है। सैलरी बिल पर दो-दो महीने दस्तखत नहीं होते पर सीधे इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स उनको सेलरी दे देता है। ऐसा प्राइवेट स्कूलों में ही हो रहा है। इसलिए सरकार को शिक्षा को कम से कम तीन साल के लिए अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। बड़े रेल मंत्री ने खड़गपुर के रेलवे वर्कशाप में और वंडा मुंडा के लोको शेड में अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों की भाई-भतीजावाद करके ट्रेनिंग देने भेजा। 30-9-84 तक रेलवे में नियुक्तियां बन्द हैं मगर रेल मन्त्री ने 8 हजार वालेंटियर्स को टिकट चैकिंग के नाम पर 460 रुपये पर भर्ती किया। मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब सब जगहों पर भर्तियां बन्द हैं, तो 8,000 वालंटियर्स को 460 रुपये प्रति माह पर कैसे रखा गया। इस ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा चुनाव क्षेत्र पीलीभीत जिला है। पीलीभीत सीमावर्ती जिला है और सरकार का अधिक ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए। पीलीभीत नेपाल के जरिये चीन से लगा हुआ है। 1962 में चीनी लोग पीलीभीत क्षेत्र में कार से घुस आए और पुलिस को जब इसकी खबर की गई, तो चार घन्टे बाद पुलिस पहुंची। तब तक वे सर्वे करके वापस चले गए थे। ऐसे क्षेत्रों पर, जो विदेशों के साथ लगे हुए हैं और जहां विदेशी आ सकते हैं, विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और वहां का औद्योगीकरण करना चाहिए। यह दुःख की बात है कि कोई भी उद्योग हमारे पीलीभीत क्षेत्र में नहीं है। बड़ी लाइन वहां पर नहीं है और जो कनैक्टेड लाइन सड़क की होनी चाहिए, उस पर पुल नहीं है। घनारा घाट का स्ट्रेटेजिक पुल है। जो हमारी डिफेंस की लाइन बनेगी, तो घनारा घाट पर बनेगी। मैं बार-बार मांग करता हूं कि वहां पर पुल बनाया जाए लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर पुल बनाए और बड़ी लाइन से पीलीभीत को जोड़े और औद्योगीकरण करे। वहां पर एक पेपर मिल खोला जाए क्योंकि वहां पर वनों की बहुत अधिकता है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे हमारा बोर्डर का जो एरिया है, वह सम्पन्न रहे और वहां पर लोग खुश रहें। जब वहां पर उद्योग लगेंगे, तो वे सुखी होंगे और देश पर आक्रमण के समय हमारी अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। जितने पिछड़े हुए जिले हैं, उन सबका मास्टर प्लान बनना चाहिए जिससे धोखाधड़ी न हो सके और उस मास्टर प्लान के जरिये उनके ऊपर काम होना चाहिए। इससे देश के हर जिले की तरक्की एक-सी हो सकेगी। ऐसा न हो कि नैनीताल चुनाव क्षेत्र में,

काशीपुर और हल्द्वानी में तो 60, 70 उद्योग लग जाएं सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और पड़ोस का जो पीलीभीत जिला है, उसमें एक भी उद्योग न लगे। इससे कैसे तरक्की होगी। यह समझ लो कि जहां पर कांग्रेस का एम० पी० है या सरकारी पार्टी का एम० पी० है, वहां पर उद्योग धंधे लग जाएंगे और बाकी क्षेत्र छोड़ दिए जाएंगे। इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो काम सही नहीं होगा।

एक आखरी बात यह कहना चाहता हूं कि विभाजन कैसे होता है। हमारे यहां आधे नलकूप शाहजहांपुर में हैं, आधी नहरें शाहजहांपुर में हैं और उनके लिए शाहजहांपुर जाना पड़ता है और आधे नलकूप और नहरें पीलीभीत में हैं। यह कहां का न्याय है कि आधे के लिए अपने जिले में रहना पड़े और आधे के लिए शाहजहांपुर जाना पड़े। ऐसा डिवीजन हमने कहीं नहीं देखा है। ऐसी बातें समाप्त होनी चाहिएं। देश के सर्वांगीण विकास के लिए अधूरा न छोड़ें और सबके साथ एक-सा न्याय करके उद्योग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपमें से जो भी बोलना चाहता है, मैं उसे समय दूंगा क्योंकि आप सब प्रतीक्षा···

एक माननीय सदस्य : हम कल जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम यह कार्य आज समाप्त करने का निर्णय पहले ही ले चुके हैं। कल हमारे पास गैर-सरकारी सदस्यों का काम भी होगा। विपक्ष के सभी सदस्य बोल चुके हैं। मैं उन सभी सदस्य को बोलने के लिए बुलाऊंगा जिन्होंने अपने नाम दिये हैं। उनमें से प्रत्येक तीन से चार मिनट से अधिक समय नहीं लेगा। बाद में मंत्री महोदय उत्तर देंगे। वह दस से पन्द्रह मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। अतः इस प्रकार हम इसे आज पूरा कर लेंगे। श्री नामग्याल।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

मैं अपनी बात डिमाण्ड नम्बर 25 से शुरू करता हूं। इसके सिलसिले में मैं दो प्वाएंट आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो जो आपने हमारे लेह में एक सेन्ट्रल स्कूल खोला है, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। मगर वहां स्टाफ की बहुत कमी है। मेरी गुजारिश है कि आप वहां पर जल्दी से जल्दी स्टाफ भेजिये जिससे कि बच्चों की जो एजूकेशन अब सफर कर रही है वह आगे न करे। दूसरा प्वाएंट मेरा यह है कि जनकपुरी में एक विशेष केन्द्रीय विद्यालय है। उसको गाजियाबाद में शिफ्ट करने की बात थी। वह स्कूल अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। गाजियाबाद में बिल्डिंग बनी हुई है और वह अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है। इस विद्यालय को वहां शिफ्ट करें जिससे कि गाजियाबाद के लोगों को फायदा मिल सके।

6.21 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

मैं डिमाण्ड संख्या 28 का सहारा लेते हुए पैट्रोलियम मिनिस्ट्री से यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि लद्दाख में एल० पी० जी० कनेक्शन देने की बात मिनिस्टर साहब ने मान ली है। मैं इसके लिए उनका मशकूर हूं। यह कनेक्शंस वहां जल्दी से जल्दी मिलने चाहिएं। वहां पर फ्यूल की बहुत कमी है। इससे उस इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा।

डिमाण्ड नम्बर 29 पर बोलते हुए मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख इलाके में कम से कम सेन्ट्रल सेक्टर में दो पावर प्रोजेक्ट लगा दें जिससे कि बार्डर पर रहने वाले लोगों को यह एहसास हो सके कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट उनके फायदे के लिए भी कुछ कर रही है। एक तो डोमखोर हाईडल प्रोजेक्ट लेह सेक्टर में और दूसरा ईगू फे एण्ड सरू हाईडल प्रोजेक्ट कारगिल सेक्टर में सेन्ट्रल सेक्टर में शुरू कर दिये जाएं। ये दोनों कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं होंगे और इन पर पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा।

डिमाण्ड नम्बर 31 नान-कंवेंशनल एनर्जी रिसोर्सिज के बारे में है। मेरे इलाके में सोलर एनर्जी और ज्यो-थरमल पावर के लिए काफी काम किया जा सकता है क्योंकि वहां एवरेज सन-शाईन एक साल में तीन-सौ दिन तक अवेलेबल है। इस सोर्स से वहां के लोग मेक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। फिर कंवेंशनल सोर्सिज से पैदा की गई बिजली को मुल्क के हर कोने में ले जाना मुश्किल होता है, इसका आसानी से सब जगह इस्तेमाल हो सकता है। यह तरीका तो आप निकाल चुके हैं। लेकिन यह कोस्टली है। आप इसके लिए कुछ इन्सेन्टिव वगैरह देकर लोगों को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं।

मिसाल के तौर पर मेरे क्षेत्र में बहुत छोटे-छोटे गांव हैं। एक गांव डेमचाक तो ऐसा है जिसमें केवल दो वोटर हैं। इलेक्शन के दिनों में इसके बारे में बहुत पब्लिसिटी होती है कि दो वोटरों के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है। ये दो वोटर इस गांव में एक ही फेमिली के हैं। ऐसे छोटे-छोटे गांवों के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं है। ऐसे गांव में सोलर एनर्जी काफी मुफीद हो सकता है लिहाजा इस तरफ भी आपको सोचना है।

अब मैं फाइनेंस की डिमाण्ड नम्बर 43 का सहारा लेता हुआ कहना चाहता हूं कि आप बैंकिंग को बहुत इन्सेन्टिव दे रहे हैं। दूरदराज के इलाकों में बैंक की ब्रांचिज खोली गई हैं। लेकिन बैंक खोलने के लिए आपका नार्म है कि 15 से 30 किलोमीटर एरिया होना चाहिए और इतनी पापुलेशन होनी चाहिए। आपने बैंक खोलने का जो इतना बड़ा दायरा रखा है उससे गांव वालों को पूरा फायदा नहीं हो पाता क्योंकि गांव वाले इतनी दूर नहीं जा पाते हैं और बैंकों का फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसके ज्यूरिजडिक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे यहां नूबरा वैली है जहां पर जम्मू कश्मीर बैंक की एक ब्रांच है। उसकी टोटल पापूलेशन 15000 के लगभग है लेकिन उसका एरिया 10000 एक्वायर किलोमीटर है। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर लोगों को बैंकिंग की सुविधा मिल सकती है। इस नार्म्स को चेंज करने की आवश्यकता है।

जहां तक डिमांड 53 है और 80 है उसके बारे में, पुलिस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

"राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से शान्ति सेना की स्थापना।"

लेकिन इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि फारुख अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 9 बटालियन जे० के० ए० पी० बनाई थी, जिसमें ज्यादातर प्रो० पाकिस्तान और एंटी नेशनल एलीमेंट्स को भरा गया बताते हैं। इसको आप कैसे रोक पाएंगे। इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट के तहत लेह-मनाली रोड आप बना रहे हैं। इस रोड को अपग्रेडिंग कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। इस काम को जल्दी करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी कोई जम्मू-कश्मीर में एजीटेशन होता है तो पहला टारगेट आर्मी की गाड़ी से शुरू होता है। लेह मनाली रोड अभी कच्चा है और श्रीनगर के थ्रू इतना डिस्टरबेंस हो रहा है कि सिक्योरिटी को वहां रखना पड़ता है। इसलिए इस रोड की ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरी बात बैंकिंग के बारे में मैं कहने जा रहा हूं कि जो पोस्ट फ्रीज करके रखी हुई हैं 30 सितम्बर तक, उसको रिलीज कर दीजिए। साल खत्म होने जा रहा है। यह बहुत आवश्यक है।

ए० आई० आर० में टोकन एक हजार रुपया मांगा हुआ है। लेह स्टेशन का आल इण्डिया स्तर पर महत्व है। यह तिब्बत को कैटर करता है। एक ही है। और आक्यूपाइड कश्मीर को भी कैटर करता है। हमारा कल्चर और बोली मैंने इसको स्ट्रैंगदन करने के लिए बार बार कहा था। वहां पर इक्वपमेंट्स इतने घिस गये हैं और खराब हो चुके हैं, उनमें शीघ्र सुधार करने की आवश्यकता है। इसको स्ट्रेंगदन करने की सख्त जरूरत है।

सिविल एविएशन मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। लेह के लिए सप्ताह में 5 सर्विस दी गई हैं। इसको पूरे सप्ताह के लिए करने की आवश्यकता हैं। जहां तक रेवेन्यू का ताल्लुक है, यहां के लिए तो सीट भी उपलब्ध नहीं होती है। लद्दाख साल में 6-7 महीने बाकी जगहों से बिल्कुल कटआफ हो जाता है। आने जाने का यही एक साधन रह जाता है। इसलिए इसको करना बहुत आवश्यक है।

एयर पोर्ट पर सिक्यूरिटी होनी चाहिए। पिछले दिनों जब हाईजैकिंग हुआ, उसके दो तीन दिन बाद मैं आ रहा था। मैंने देखा कि पायलेट को सर्च किया जा रहा था। उस जहाज में एक वी० आई० पी० सफर कर रहे थे जिनके बाडी-गार्ड के पास रिवाल्वर भी था। वह रिवाल्वर, पायलट को देना होता है, इसलिये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पायलट को क्यों सर्च किया जाता है? वह चाहे तो जहाज लेकर कहीं भी जा सकता है। पायलट के साथ जो हेरासमेंट हो रहा है, वह ठीक नहीं है। इसलिये, इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। फाइनैंस मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि मन्डी और लद्दाख में छह महीने के बाद इलेक्शन होता है। लेकिन, हम लोगों को पेपर तो इकट्ठे ही फाईल करना पड़ता है। इन छह महीनों की वजह से हम लोगों को पेन्शन नहीं मिल पाती है। दूसरे मैम्बर्स के लिए तो दो महीने का कंसेशन आपने दे दिया हैं। लेकिन, हम लोग पेन्शन के

दायरे में नहीं आते। इस ओर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि इस सेशन में इस बारे में एक विधेयक लाया जाये। इन शब्दों के साथ में मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं इन डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं और दूसरी बातों की तरफ न जाते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र की ही बात करूंगा। पहली बात यह है कि हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत पहले से हमारी मांग चली आ रही है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां वन का विकास ज्यादा होना है, वहां कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने, तथा सांसदों ने जो लगभग डेढ़-सौ ने कृषि मंत्री जी को रिप्रजन्टेशन दिया है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी यूनिवर्सिटी बनायी जाए। हिमाचल प्रदेश एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां पर जो रेलवे लाईन है, वह अंग्रेजों के समय से कालका से लेकर शिमला तक बनी हुई है। हमारे यहां तलवाड़ा-नंगल रेलवे लाइन सैक्शन हुई है, उसके लिए हम आभारी हैं। जितना बजट हिमाचल प्रदेश को दिया जाता है, वह नहीं के बराबर है। हमारे यहां एक नाथपा-झाकड़ी संजय विद्युत परियोजना का काम चल रहा है जिसमें दूसरे राज्य भी हिस्सेदार हैं। अगर वहां तक रेलवे लाईन बन जायेगी तो प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा होगा और वहां के लोग भी लाभान्वित होंगे। जब श्री ऐ० पी० शर्मा सिविल एवीयेशन मंत्री थे तो उन्होंने शिमला में एक हवाई अड्डे बनाने हेतु उद्घाटन किया था। हमारे राज्य से भारत सरकार ने तो एक करोड़ पच्चीस लाख रुपया भी खर्च कर दिया है। अभी तक वहां काम पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए संसद में मेरे साथी श्री पाराशर जी और श्री विक्रम जी ने भी कई बार इस मामले को उठाया। पंजाब या काश्मीर में जब कोई गड़बड़ होती है तो कोई भी टूरिस्ट उधर जाना नहीं चाहता, सीधे हिमाचल प्रदेश की ओर आना चाहता है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि शिमला को जल्दी से जल्दी एयर द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। हमारे प्रदेश का जो पैसा खर्च हुआ है, वह भारत सरकार की ओर से मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा किया जाना चाहिए। आई० आर० डी० स्कीमें ग्रामीण क्षेत्रों में चलती हैं और उससे लोग लाभान्वित हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे टाउन हैं, जहां किसी में म्युनिसिपल कमेटी है, किसी में कैन्टोनमेंट बोर्ड है, कहीं स्माल टाउन कमेटी है, परन्तु उन क्षेत्रों के गरीब लोगों को इस आई० आर० डी० की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस नियम को बदल कर तमाम राज्य सरकार को धन देकर कहा जाए कि वे ऐसे इलाकों के गरीब लोगों को भी आई० आर० डी० के तहत कवर करके उनको तमाम सुविधायें उपलब्ध करायें। इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खण्ड से 600 परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु सलैक्ट किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत तमाम म्युनिसिपल कमैटीज, कैन्टोनमैंट कमैटीज या स्माल टाउन कमैटीज को भी कवर किया जाए ताकि वहां रहने वाले गरीब लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।

इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सिविल सप्लाईज की ओर से अथवा भारत सरकार की ओर से फ्लोर मिलों के जितने लाइसेंस आदि मिले हैं, वे सब के सब विरोधी दल के लोगों को ही मिले हैं। मेरे ख्याल से ये फ्लोर मिल मालिक राज्य सरकारों से गंदुम लेकर उसको पीसते हैं और जितना मुनाफा कमाते हैं, उसमें सिविल सप्लाईज वाले भी अपने हाथ

रंगते हैं। मैं चाहता हूं कि देश में जहां-जहां गंदुम पैदा होती है, जैसे हमारा पड़ौसी राज्य पंजाब है, यू० पी० है, जहां काफी मात्रा में गंदुम पैदा होती है, वहां लोगों को तमाम पैंडिग लाइसेंस दे दिए जाएं ताकि वे उन मिलों के मुकाबले पीस कर लोगों को ठीक भाव पर आटा उपलब्ध करवा सकें।

अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि नागालैंड के तमाम ब्लाक विकास खण्डों को दुगना कर दिया जाये। उसी आधार पर मैं यह मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी, जहां 68 विकास खण्ड हैं, उनकी तरफ भी तवज्जह देकर उनको भी दुगना कर दिया जाए ताकि हिमाचल के लोगों को भी विकास के कामों में भागीदार बनाया जा सके। जैसा हमारे नामग्याल जी ने यहां कहा, उनके यहां इस तरह के दूर-दराज के इलाके हैं जहां पौपूलेशन बहुत कम है। उनको अभी तक विकास का लाभ नहीं पहुंचा है। उसी तरह, हमारे हिमाचल में भी कई दूर-दराज के इलाके ऐसे हैं, जहां विकास का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये।

एक और निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पन-बिजली योजनाएं बनाने का भारी स्कोप है। वहां जितने दरिया हैं उससे पंजाब और यू० पी० के लोगों को फायदा हो रहा है। जितना वहां इन दरियाओं के कारण भूमि कटाव होता है, उससे एक समस्या पैदा हो गई है और उसके कारण हमारे डैम भरते जा रहे हैं। यह हमारा नेशनल लॉस है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जब हिमाचल में 12,500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, पीछे हिमाचल के तमाम दरियाओं का सर्वे भी हुआ था जो सरकार के पास है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने की तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा राज्य सरकार को मदद देनी चाहिए। भारत सरकार अपने तौर पर भी हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा करने का प्रयत्न करे और अधिक धन दे ताकि हम उसका उत्पादन बढ़ा सकें।

अन्त में एक और निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे यहां राजबन में पीछे एक सीमेंट का कारखाना लगा है, लेकिन जगाधरी और पांवटा साहब में रेलवे लाइन न होने के कारण वहां वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। उस रेलवे लाइन के विस्तार के सम्बन्ध में वैसे तो हमारे रेलवे मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने कई आश्वासन दिये थे कि कालका से परवाणु तक तथा जगाधरी से पांवटा साहब तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों रेलवे लाइनों के अतिरिक्त रोपड़ नालागढ़ रेलवे लाइन को भी पूरा करने की ओर ध्यान दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, मैं अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि, पंजाब आन्दोलन, असम आन्दोलन और कश्मीर की समस्या जैसी भयंकर घटनाएं हमारे यहां घटीं। गत 15 अगस्त को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लालकिले की प्राचीर से दो नई योजनाओं की घोषणा की -- पहली योजना शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार

उपलब्ध कराने से सम्बन्धित थी और दूसरी योजना के अन्तर्गत हर परिवार के एक व्यक्ति को काम मिले, इससे सम्बन्धित थी। इन दोनों योजनाओं और बीस सूत्री कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि जो कार्य गत चार वर्षों में हुआ, शायद उतना कभी पहले हुआ हो। मैं समझता हूं जो कार्य गत 4 वर्षों में हुआ शायद पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास मैंने पढ़ा है, विद्यार्थी भी रहा और इतिहास लिखा भी है इसलिए मैं कह सकता हूं कि सृष्टि उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी गरीबों, पिछड़े हुए लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की आर्थिक मदद कांग्रेस सरकार के समय में मिली, विशेषकर 4 वर्षों में वह आज तक कभी किसी सरकार, महाराजा के समय में नहीं हुई। बड़े-बड़े राजाओं, महाराजाओं से जमीन लेकर गरीबों में बांटी गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके गरीबों को सरलता से कम ब्याज पर हजारों रुपये उनकी आर्थिक तरक्की करने के लिए दिये गये और उस दिशा में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ने चार साल में जो कार्य किया है वह आज तक कभी नहीं हुआ है। मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं। यह अलग बात है कि हरियाली किसी को नजर न आये, तो उसमें दोष देखने वाले का है, हरियाली का नहीं। और यही बात विरोधी दल के लोगों पर लागू होती है।

माननीय सोमनाथ जी ने जो कहा, और एक अन्य साम्यवादी दोस्त कह कर गये टी० वी० के बारे में, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब रंगीन टी० वी० की बात श्री साठे ने शुरू की उस समय इन लोगों ने बड़ा विरोध किया और आज कहते हैं कि सरकार पक्ष के माननीय सदस्यों के जिलों में टी० वी० सेंटर लगाये जा रहे हैं। मैं पूंछना चाहता हूं माननीय सतीश अग्रवाल जी जयपुर से आते हैं वहां के टी० वी० के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी योजना भारत सरकार ने स्वीकार की है, तो वहां से तो कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं चुनकर आता है। मैं कांग्रेस का सदस्य हूं लेकिन मेरे अजमेर में तो टी० वी० सेंटर नहीं खुला। 120 टी० वी० रिले सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को ज्ञान और विज्ञान की जानकारी पिछड़े क्षेत्रों में मिल सके। इस दिशा में रोज एक नया टावर लगा रहे हैं। इसमें हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, और उसके साथ सूचना और प्रसारण मंत्री और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के महासचिव, श्री राजीव गांधी की विशेष रुचि है और काफी अच्छी तरह से रुचि लेकर काम कर रहे हैं। यह देश की भलाई के लिए है। माननीय रामावतार शास्त्री कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और पटना से आते हैं उनके यहां टी० वी० सेंटर है। बंगाल के दोस्त बैठे हैं इनके कई स्थानों पर टी० वी० केन्द्र खुल गये हैं। लेकिन हमारे यहां नहीं खुला, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इसलिए इनकी शिकायत में कोई दम नहीं है। यह तो बेचारे हताश हैं क्योंकि इनकी दुकान में माल नहीं है और इनकी दुकानदारी बन्द हो गई, और आगे आने वाले चुनाव में और भी बुरा हाल होगा।

मेरे अपने क्षेत्र अजमेर में जहां ख्वाजा साहब की दरगाह है, और पुष्कर में ब्रह्मा जी का मन्दिर है और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द की निवार्ण स्थली है, वहां पीने के पानी की बड़ी समस्या है। पेय जल के बारे में हमने प्रधान मंत्री जी को प्रार्थना की है कि अजमेर में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए बीसलपुर योजना की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाये। हमारे टूरिज्य मिनिस्टर बैठे हुए हैं इनसे प्रार्थना की है कि अजमेर एक ऐतिहासिक स्थान है जहां गल्फ

कन्ट्रीज से काफी संख्या में मुसलमान जियारत करने आते हैं और योरप अथा अन्य देशों से पुश्कर मेले में विदेशी आते हैं इसलिए अजमेर और माउन्ट आबू को वायुदूत सेवा से जोड़ा जाये। इसी तरह हमारे क्षेत्र में ज्यादा ब्लाक में हर परिवार से 5, 6 नौजवान सेना में हैं। उस ब्लाक के अन्दर बहुत-सी विधवाएं हैं उनके तथा उनके बच्चों के विकास के लिए, उनके परिवार को कोई कारोबार मिले इसके लिए वहां कोई हथियार बनाने का कारखाना बनाया जाए। मेरी मांग है कि इस ओर भारत सरकार तुरन्त विशेष ध्यान दे।

एक विशेष बात और है, जहां से मैं आता हूं ब्यावर से वहां कई माह हो गये कृष्णा मिल बन्द है जिसके कारण 1,600 मजदूर बेकार बैठे हुए हैं एक साल से अधिक समय से। उसको सरकार को चालू करना चाहिए नहीं तो मजदूरों को बड़ी आर्थिक कठिनाई होगी। माननीय सतीश अग्रवाल जी ने कहा कि पश्चिम रेलवे का कार्यालय जयपुर में खोला जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूं मैं कहता हूं कि अजमेर पश्चिम रेलवे की दृष्टि से बहुत बड़ा केन्द्र है, वहां काफी भूमि है, बड़े साधन हैं। पश्चिम रेलवे का कार्यालय, क्योंकि बम्बई बहुत कन्जस्टेड है, वहां से हटाकर अजमेर में लाया जाए और मीटर-गेज का भी हैडक्वार्टर वहां पर लाया जाए।

पंजाब में जो नहरें तोड़ी जा रही हैं, उनको ठीक करने के लिए राजस्थान सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है। इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह बोझ राजस्थान पर न डाला जाये। इस वर्ष वहां बारिश नहीं हो रही है, अकाल की स्थिति है।

राजस्थान में चीफ मिनिस्टर माथुर जी के नेतृत्व में गत 3 साल में आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है, अन्य प्रान्तों की अपेक्षा वहां काफी सुधार हुआ है, परन्तु आने वाला समय बड़ा भयंकर है। हमारे मुख्य मंत्री और संसद-सदस्यों ने प्रार्थना की है इसमें हमको मदद दी जाये। उसकी मैं यहां विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि समय कम है। वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह प्रधान मंत्री जी तक हमारी इन भावनाओं को पहुंचाएं और राजस्थान सरकार ने जो मांग की है उसकी तरफ ध्यान दिया जाये।

पुष्कर के अन्दर विदेशियों के लिए टूरिज्म की दृष्टि से कालोनी बसाने का जो मामला था, उसकी तरफ टूरिज्म मिनिस्टर ध्यान दें और इसे तुरन्त बनाएं, इससे विदेशी पूंजी का बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

किशनगढ़ क्षेत्र में रूपनगढ़ का बांध बनाने की जो योजना थी, उसको भी तुरन्त शुरू किया जाये, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्वाभाविक है, जो प्रगतिशील सरकार होती है, निश्चित

तौर से, जिसका जन-समस्याओं से गहरा सम्बन्ध होता है, उसके लिए अनुपूरक मांगें रखना जरूरी होता है। अभी यहां बंगाल के लोग कह रहे थे कि ये मांगें कैसे लाएं, लेकिन उनकी सरकार भी इस तरह की मांगें लाती है। जहां सरकार काम करती है, वहां तुरन्त मांगें लानी पड़ती हैं।

ये 963.69 करोड़ रुपये की मांगें हैं और इसमें 29 विभाग हैं। इन विभागों की जनहित में बहुत आवश्यकता है। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इन मांगों के बारे में राज्य सरकारों और हमारी केन्द्र सरकार ने अनुभव किया और उनके लिए सप्लीमेंटरी बजट लाई। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा राज्य का एक-चौथाई क्षेत्रफल है जिसका उत्तरांचल बाढ़ से प्रभावित रहता है और दक्षिणांचल सूखे से प्रभावित रहता है। दक्षिणांचल ट्राइल और हरिजन बहुल क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां अनपरा-ओबरा और ओबरा घोरावल की सड़क बनाने के लिए मेरी संस्तुति पर केन्द्र सरकार से धन की मांग की है, मेरा निवेदन है कि उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाये। ओबरा-परसोई और चोपन-मरहरी 13 करोड़ की योजना है, उसको क्लीयर होना चाहिए। सोन नदी के किनारे-किनारे सड़क बनाई जाये। जो चोपन से सेमिया मरहरी तक जाय।

नगवा जनपद का सबसे अधिक अविकसित विकास खंड है। इसको जोड़ने के लिए कर्मनासा नदी पर पुल बनाया जाये। इसके साथ ही जमालपुर विकास खंड में ग्राम ओड़ी पर गरई नदी पर पुल बनाया जाये और नारायणपुर विकास खंड की जरगो नदी पर नकहरा और चुनार के पास पुल बनाया जाये।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका बहुत बैकवर्ड है वहां लड़कियों के लिए कालेज होना चाहिए। और राबर्ट्सगंज और चुनार के लिए महाविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिए।

हमारे दक्षिणांचल में 12, 14 कल-कारखाने हैं परन्तु उत्तरांचल में जहां शिक्षित बेरोजगार बहुत अधिक हैं, वहां कोई कारखाना नहीं है। भूतपूर्व रेल मंत्री पं० कमलापति त्रिपाठी ने मेरे क्षेत्र में मोहनपुर गांव में कोच फैक्टरी लगाने का आश्वासन दिया था, वहां जमीन बहुत पड़ी है और सभी संसाधन उपलब्ध हैं। इसलिए यह कोच फैक्टरी वहां अविलम्ब कायम की जाये।

इसके अतिरिक्त जो हमारे यहां विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 20-सूत्री कार्यक्रम हैं, उसमें बैंकों के सहयोग का बड़ा अभाव है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बैंकों की संख्या बढ़ाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि अनियमितताओं को खत्म किया जा सके। आज 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के कार्य में सफलता नहीं मिल रही है। हमारा हरिजन और आदिवासी-बहुल इलाका है। वहां के लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। इसलिए वहां बैंकों का प्रसार किया जाए।

हमारे क्षेत्र में रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि दिल्ली से

इलाहाबाद तक जो प्रयागराज ट्रेन चली है, उसको मुगलसराय तक बढ़ाया जाए और जो ट्रेन गढ़वा से चुनार तक जाती है, उसको बनारस तक बढ़ाया जाये।

हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहां पर तीन सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं, कोलफील्ड हैं और हिन्दालको का कारखाना है। हमारे यहां की बहुत पुरानी मांग है कि वहां पर मयोरपुर के कच्चे एयरस्ट्रिप को ठीक कराके वायुदूत चलाया जाए। सिविल एविएशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं। मुझे आशा है कि वह इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेणुकूट में टी० वी० स्टेशन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वहां की श्रमिक, हरिजन और आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा और मनोरंजन की व्यवस्था हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैं 1984-85 की पूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

हमारे देश ने बड़ी प्रगति की है। कृषि-उत्पादन में हमने रिकार्ड उत्पादन किया है, औद्योगिक उत्पादन में भी हम आगे बढ़े हैं और विद्युत उत्पादन में भी हमने तरक्की की है। परन्तु हमारे राज्यों में जो असमानता है, उसको दूर करने में हम असफल रहे हैं। राजस्थान एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसका 60 परसेंट एरिया रेगिस्तानी क्षेत्र है। हम वहां की पीने के पानी की समस्या को भी हल नहीं कर सके हैं। तीस वर्षों में पीने के पानी के लिए हमने जो खर्च किया है, इन पांच वर्षों में हमने उससे अधिक का प्रावधान किया है, तब भी हम इस जटिल समस्या को हल नहीं कर सके हैं। यह आवश्यक है कि हम रिजनल डिसपैरिटीज को रीमूव करें।

सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाया है, परन्तु रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास की तरफ उसका ध्यान नहीं गया है। मैंने मिड-टर्म एप्रेजल पर डिसकशन में यह विचार प्रकट किया था, तो योजना मंत्री ने उसको संतोषप्रद जवाब दिया था। उन्होंने फरमाया था कि जब सातवीं पंचवर्षीय योजना बनेगी, तब रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के समकक्ष लाने की कोशिश की जाएगी। जो एपरोच पेपर पेश किया गया है, उसमें भी इसका जिक्र है।

रेगिस्तानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों से ज्यादा अविकसित हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 2.36 लाख वर्गमील है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र का क्षेत्रफल 2.31 लाख वर्ग मील से कम है। हमारी जनसंख्या करीब दो करोड़ है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की चार करोड़ से अधिक है। हम शिक्षा में, पीने के पानी की आपूर्ति में, हर तरह से अविकसित हैं। इसलिए यह प्रयास करने की आवश्यकता है कि सातवें फाइव-यीअर प्लान में यह प्राविजन करना चाहिए कि जो पैसा पहाड़ी क्षेत्रों को मिलता है, वह हमें भी मिले।

बाड़मेर में आल-इंडिया रेडियो का एक केन्द्र स्थापित होना चाहिए। हमारे सीमावर्ती क्षेत्र की पचास प्रतिशत जनता दिल्ली, जयपुर और जोधपुर स्टेशनों की आवाज नहीं सुन सकती। मैंने विशेष तौर पर प्लीड किया था कि बाड़मेर में आल-इंडिया रेडियो का एक केन्द्र होना चाहिए। उसको मंजूर किया गया था, लेकिन इस वर्ष उसके लिए कोई प्राविजन नहीं किया गया है। इसको चौथे और पांचवें प्लान में भी रखा गया था। परन्तु प्राविजन नहीं किया गया था। इसलिए कोई भी उसमें प्रगति नहीं हुई। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो प्रस्तुत की गई हैं उनमें एक यह भी डिमांड आप प्रस्तुत करें और हमारे यहां के लिए रेडियो स्टेशन का प्राविजन करें। हमारे इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर ने मान लिया है कि यह प्रायरिटी नीड है और यह सबसे ज्यादा आवश्यक कार्यक्रम है। तो उसके लिए फंड्स का प्राविजन करें। वित्त मंत्रालय उसके लिए प्रावधान करता है। इसलिए आप उसके लिए प्रावधान करके आल इंडिया रेडियो की स्थापना वहां करें। आज अगर युद्ध हो जाता है पाकिस्तान से तो यह उसमें रक्षा की तैयारी का कार्यक्रम है। इसलिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपकी इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा नम्बर सबसे बाद में देते हैं और हमको हमेशा दो मिनट या तीन मिनट बोलने को मिलता है। यह चेयर की तरफ से पता नहीं किस प्रकार से होता है। चेयर का हमारे साथ कोई कोआपरेशन नहीं है। सबसे बड़ा आब्जेक्शन तो हमारा यह है।...**(व्यवधान)**...पहले बोलने वाले आधा-आधा घंटा बोलते हैं और हमको मिलता है दो मिनट, तीन मिनट, तो क्या बात करें? अपनी कांस्टीच्यूशंसी के के बारे में बात करें तो आप बोलने नहीं देते हैं।...**(व्यवधान)**...आप चाहते हैं कि हम अपनी कांस्टीच्यूशंसी के बारे में बात न करें, हमारी कांस्टीच्यूशंसी में क्या कमियां हैं, क्या डेफिशियेंसीज हैं यह हम उनको न बताएं...**(व्यवधान)**...पहले बोलने वाले आधा-आधा घंटा बोलते हैं। हमको दो मिनट, तीन मिनट का टाइम मिलता है। हम आपके सामने एतराज प्रस्तुत करते हैं...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : अपना समय नष्ट मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है यदि आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप बात समझते नहीं। आपको पांच मिनट का समय दिया गया था। आप पांच मिनट के अन्दर अपना भाषण समाप्त कीजिए। यदि आप इस प्रकार व्यवहार करेंगे तो मैं उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय को बुला रहा हूं। मैंने आपको पांच मिनट का समय दिया है और आप इस प्रकार बोलते चले जा रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि रीजनल इम्बैलेंसेज मिटने चाहिए। हमारे प्रान्त में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीच्यूशंस बने हैं उन पर एक परसेंट से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। जिंक का सबसे बड़ा भण्डार राजस्थान में है। वहां पर सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट लगना चाहिए। उसकी व्यवस्था आज तक नहीं हो रही है। छठे प्लान में आपने कोई व्यवस्था नहीं की, सातवें प्लान में पता नहीं आप रखेंगे या नहीं। दो सौ करोड़ रुपये आप विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं जस्ता और सीसा बाहर से मंगाने पर और तीन सौ करोड़ रुपये में पूरा कारखाना बन जायेगा। मगर वह व्यवस्था आपकी तरफ से नहीं हो पा रही है। मेरी प्रार्थना है कि सुपर जिंक स्मेल्टर प्लान्ट भीलवाड़ा डिस्ट्रक्ट में आगोचा के अन्दर लगाया जाए जहां पर कि सबसे बड़ी खान उसकी निकली है। आपकी जो कमेटी बैठी उसने चित्तौड़ के पास में रेकमेंड किया है। आप सोचें आने जाने में कितना पैसा खर्च होगा ? इसलिए जहां पर यह रामैटीरियल निकलता है वहीं पर यह स्थापित किया जाए तो बहुत लाभदायक होगा। इसलिए इस पर दोबारा गौर करें।

इसी तरीके से राक फास्फेट और पायराइट ये दो रा-मैटीरियल्स हमारे यहां निकले हैं जिनके ऊपर बेस्ड खाद के कारखाने लगाए जा सकते हैं। उसके सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर ध्यान देंगे। खाद जब विदेशों से मंगाते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो अपने यहां जो रा-मैटीरियल मिला है उसको यूज क्यों नहीं करते हैं ? उसके ऊपर बेस्ड खाद के कारखाने राजस्थान में लगाने के लिए मेरी प्रार्थना है। राक फास्फेट और पायराइड इनके ऊपर बेस्ड वह कारखाने वहां लगाए जा सकते हैं।

इसी तरीके से आसींद और थापरा में दो कोआपरेटिव मिलों के शेयर्स लोगों ने इकट्ठे किए हैं राजस्थान सरकार ने तय किया है कि आसींद और थापरा में कोआपरेटिव मिल स्थापित की जाये। आपकी एन० सी० डी० सी० से उसके फंड्स मंजूर होने हैं लेकिन काफी अरसा हो गया वह मंजूर नहीं हो पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि कोआपरेटिव विभाग से एन० सी० डी० सी० से इसके लिए फंड्स अवेलेबल कराके इसे वहां स्थापित कराइये।

तीसरा मेरा प्वाइंट है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का जो चार महीने से बन्द पड़ी है। हम बार-बार कह रहे हैं कि इसको टेक ओवर कराइए या नेशनलाइज कराइए। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम नेशनाइलज नहीं करते। 105 मिल आपने एन० टी० सी० में ली हैं। वह पांच सौ करोड़ का घाटा दे रही हैं। आप इस बात पर भी सोचिये कि इसमें आप कितने लाख लोगों को एम्पलायमेंट दे सकते हैं ? एक करोड़ रुपये में आप कितने लोगों को एम्पलायमेंट देते है ? यह पांच सौ करोड़ का आपका नुकसान हो रहा है। 40-50 लाख लोगों को इसके जरिये से एम्पलामेंट मिल

7.00 म० प०

सकता है। इसलिये जब एम्पलायमेंट मिल रहा है और आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं तो आपको चाहिये कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल को टेक-ओवर करके जो तीन हजार मजदूर बेकार हैं उनको काम दिलाने की व्यवस्था करें।

आज बैंकों की हालत क्या है? हम श्रीमती इन्दिरा गांधी की योजना की तारीफ करते हैं जिससे गरीबों को फायदा हो रहा है लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या कर रहे हैं? सी० पी० सी० में प्राविजन है कि दुगुने से ज्यादा पैसा वसूल नहीं किया जा सकता लेकिन आपकी बैंक 3 हजार की जगह पर 12 और 15 हजार तक वसूल कर रही हैं। हरिजनों की जमीनें तक नीलाम की जा रही हैं। इन बैंकों का सबसे खराब काम यह है कि इनके द्वारा गरीब लोगों से चार-पांच गुना पैसा वसूल किया जा रहा है। मैं आपके समक्ष एक उदाहरण रखना चाहूंगा। पंजाब नेशनल बैंक से एक चमार ने 3 हजार रुपया कर्ज लिया जिसके बदले उसने 7 हजार रुपया अदा भी कर दिया लेकिन उसके बावजूद बैंक ने उस पर 9 हजार का बकाया निकाल दिया। नतीजा यह हुआ कि कलक्टर के पास कागज पेश किये गये और उसकी 50 हजार की जमीन को 7 हजार में ही नीलाम कर दिया गया। इस प्रकार से बैंक का पूरा पैसा भी वसूल नहीं हुआ और उस बेचारे की जमीन भी नीलाम हो गई। तो इस प्रकार का जो काम होता है उसको तुरन्त बन्द होना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि रकम दुगुने से ज्यादा वसूल नहीं की जायेगी। जो गरीब लोग हैं, हरिजन हैं उनके ऊपर तो आपको कुछ मेहरबानी करनी चाहिये। मन्त्री महोदय से मेरा आग्रह है कि इन सारी बातों पर वे ध्यान देने की कृपा करें। बैंकों द्वारा कंपाउन्ड इन्ट्रेस्ट वसूल न किया जाये।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू): महोदय, मैं आपकी चिन्ता को समझता हूं। मैं अपने आपको प्रमुख मुद्दों तक सीमित रखूंगा और समय का भी ध्यान रखूंगा।

जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, इसकी समस्या रक्षा सम्बन्धी समस्या है। राज्य की रक्षा के लिये अच्छी सड़क व्यवस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है। पठानकोट से पुंछ तक तथा पठानकोट से लेह तक बारास्ता जम्मू और हिमाचल प्रदेश में कुलु-मनाली तक अच्छी एवं बारहमासी सड़कें होनी चाहियें। यह कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये।

जहां तक जम्मू-पठानकोट सड़क का सम्बन्ध है, इसके रख-रखाव में सुधार की जरूरत है। इस सड़क पर बाई, सपवाल तथा बालौल पर तीन पुल बनाये जाने हैं। ये बहुत ही छोटे पुल हैं। अगर ये पुल बना दिये जायें और सड़कों को बारहमासी सड़कें बना दिया जाए तो इसे पूरे वर्ष उपयोग में लाया जा सकता है।

जम्मू और पुंछ के बीच जो पुल है एक बेरीपटान पर है इसका एक खम्भा झुक गया है और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। यह सीमावर्ती सड़क है और इस पर तुरन्त ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरा पुल है ठन्डा पानी पर सुन्दरबनी के निकट। यद्यपि प्रधान मंत्री जी ने भी आदेश जारी कर दिये हैं तथा सरदार बूटा सिंह जी ने भी इसे स्वीकृति दे दी है तब भी इस कार्य को शुरू नहीं किया गया है। इसे अब और ज्यादा विलम्ब किए बिना शुरू किया जाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण पुल है राजोरी एवं बुदुल के बीच कोटी रांका पर इसके लिये धन की

स्वीकृति दे दी गई है। यह सीमावर्ती सड़क संगठन के पास है। पहले इसे कुछ ठेकेदारों को सौंपा गया था। बाद में उन्होंने इस पर स्वयं काम करना शुरू कर दिया। परन्तु वे अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। यह बहुत ही छोटा पुल है परन्तु बहुत ही महत्वपूर्ण और उन्हें इसे जल्दी ही पूरा करवा देना चाहिये।

इसके पश्चात मैं छोटे सिक्कों पर आता हूं। किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया है। मैं बताना चाहूंगा कि छोटे सिक्कों की आपूर्ति बहुत ही कम हो रही है और विशेषरूप में दूर-दराज के क्षेत्रों में इससे लोगों को तकलीफ होती है। सरकार को सिक्कों की कमी को दूर करने के लिये पर्याप्त मात्रा में छोटे सिक्का उपलब्ध कराने चाहिये। छोटे सिक्कों की कमी की समस्या किश्तवार, लद्दाख कारगिल तथा अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए और भी गम्भीर है क्योंकि वहां पर लोग निर्धन हैं।

महोदय, सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कर्मियों की भर्ती राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा दूर-दराज के क्षेत्रों से नहीं की जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा किया जाना चाहिये।

इसी प्रकार से राज्य में पीने के पानी की पूर्ति की समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस सुविधा की व्यवस्था के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, जम्मू में सरूनसर तथा हिमाचल प्रदेश में मस्तगढ़ में पैट्रोलियम के बड़े भण्डार हैं। पहले इस भण्डार के सर्वेलण तथा अन्वेषण के लिए एक ठेका दिया गया था परन्तु वह ठेकेदार इसे पूरा न कर सका। अतः यह कहा गया कि इसे किसी अन्य अनुभवी फर्म को सौंपा जाएगा। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को शीघ्रता से किया जाये।

महोदय, मेरे क्षेत्र में 1947, 1965 तथा 1971 युद्ध के शरणार्थी हैं। उनकी समस्यायें अभी तक नहीं सुलझाई गई हैं। उनकी समस्या लटकी हुई हैं। सिर्फ वे ही भारत के ऐसे नागरिक हैं जो कि अर्ध-पुनर्वासित हैं और उनके भाग्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निश्चय ही उनकी दशा के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। किन्तु हमें अपना कर्तव्य करना है और देखना है कि उन व्यक्तियों को सुख-सुविधापूर्वक वसा दिया जाए और उन पर उचित ध्यान दिया जाए। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके पुनर्वास के लिए कुछ राशि उपलब्ध करांई जाये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कालीचरण शर्मा (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त डैम है। इस डैम पर भारत सरकार द्वारा पांच से सात हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया है, लेकिन फिर भी पिछले तीन साल से डैम में पानी नहीं भरता है। डैम खाली रहता है।

इस वजह से नहर और खेत सूखे पड़े रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन अल्टरनेटिव स्कीम्स को सैंशन किया जाए। जिनका सर्वे प्रदेश सरकार ने पहले ही किया हुआ है। मुरैना जिले, जो कि डाकूग्रस्त क्षेत्र है, में दो जिले पानी लेते हैं। इसलिए वहां पर कुनो नदी पर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में डैम बनाया जाए और सीधे पानी चम्बल की नहर में डाल दिया जाए। दूसरे क्वारी और आसन नदी पर डैम बनाया जाये और तीसरे वहां लिफ्ट इरिगेशन की दो स्कीमें हैं—कनेरा और ऐसा—उनको सैंशन किया जाए। कुछ एरियाज हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंचता है, वहां के लिए एक हजार गहरे ट्यूबवैल्स मंजूर किये जायें। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन अल्टरनेटिव स्कीम की विशेष रूप से सरकार मंजूरी दे। मेरा भारत सरकार से यह भी निवेदन है कि इस डैम का कन्ट्रोल राजस्थान के हाथ में है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को पानी नहीं मिलता है। इस बात को हाउस में यहां कई बार उठाया गया है और निवेदन किया गया है कि इस पर ज्वाइन्ट कन्ट्रोल होना चाहिए। जिसमें एक व्यक्ति राजस्थान का हो, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का हो और एक व्यक्ति भारत सरकार का हो और इन्साफ के द्वारा कन्ट्रोल किया जाये तो समस्या हल हो सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वर्ष 1984-85 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों सम्बन्धी वाद-विवाद में भाग लिया है।

महोदय, यह वाद-विवाद कुल मिलाकर आशानुरूप रहा। श्री सतीश अग्रवाल, जिन्होंने वाद-विवाद का प्रारम्भ किया, ने मुद्रा स्फीति, मूल्य वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया और नियंत्रित मूल्यों की चर्चा भी की। अर्थ-व्यवस्था के सफल कुप्रबन्ध के लिये भी उन्होंने हमें बधाई दी।

अब शाबाशी प्रतिष्ठित व्यक्तियां के एक ऐसे गुट की ओर से मिल रही है, जिन्होंने सन् 1979-80 में अर्थ-व्यवस्था को मुद्रा स्फीति के लगभग 22 प्रतिशत की दर पर छोड़ दिया था। और अब मुद्रा स्फीति की ऊंची दर के लिये हम सरकार पर दोष लगाने की धृष्टता कर रहे हैं। वे उस सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं जो मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगा सकती है। 1981-82 में एक समय इस सरकार ने, जो कि इस देश के लोगों के प्रति जिम्मेदार है, बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर मुद्रा-स्फीति 2.4 प्रतिशत रह गई थी। 1982-83 में यह 6.4 प्रतिशत थी। 1983-84 में यह 9.3 प्रतिशत थी।

श्री सतीश अग्रवाल ने डालर की बढ़ती हुई कीमत के बारे में भी कहा। क्या मैं उनसे एक प्रश्न कर सकता हूं—डालर की स्टर्लिंग, डच मार्क तथा येन की तुलना में क्या स्थिति रहती है? अगर डालर सहज ही कुछ मजबूत हो गया है और अगर उस डालर के विपरीत विश्व की कोई अन्य मुद्रा टूटती है तो आप आरोप नहीं लगा सकते और हमारी ओर अथवा इस सरकार पर उंगली नहीं उठा सकते और यह नहीं कह सकते। देखिये डालर की तुलना में रुपये का क्या हो रहा है? राष्ट्रपति रीगन द्वारा अपनाई गई कुछ पूंजीपति नीतियों के कारण डालर मजबूत हो रहा है। इसलिए हमें दो

अतुलनीय चीजों में तुलना नहीं करनी है। मुझे विश्वास है कि श्री सतीश अग्रवाल यह महसूस करेंगे कि विश्व की अन्य मुद्राओं की तुलना में डालर की कीमत बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अमरीका में मुद्रा स्फीति को जिक्र कर सकते हैं।

श्री एस० एम० कृष्ण : सरकार सचेत है और मूल्यों के रुख पर निरन्तर एवं सूक्ष्म निगरानी रख रही है। इस मोर्चे पर कोई भी सरकार आत्मसन्तुष्ट नहीं हो सकती। प्रत्येक सरकार संवेदनशील हैं, विशेष रूप में इस समय यह एक प्रकार की सामयिक घटना है जो कि असामान्य नहीं है। यह मौसमी घटना पिछले वर्षों 1979-80, 1980-81, 1981-82 में भी देखी गई थी। जब हम जुलाई, 14 तक के बढ़े हुए मूल्यों की तुलना करते हैं, तो मूल्यों के रुख में कतिपय घट-बढ़ पाते हैं। परन्तु जिस पर विचार किया जाना चाहिये वह है मूल्य वृद्धि में मौसमी तत्त्व। वर्तमान वर्ष में भी यह देखा गया है। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि मुख्यतः मौसमी मदों दालों, फल तथा सब्जियों, अन्य खाद्य पदार्थों गुड़ तथा खाद्य तेलों से हुई है। इनमें से कुछ मदों जैसे दालों, फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों में इस मौसमी वृद्धि के समाप्त हो जाने की आशा है। वित्त मंत्रालय में हमारे लिए सन्तोष की बात यह है कि अन्य वर्ग की वस्तुएं, जो उपभोक्ता वस्तुओं का 48 प्रतिशत हैं, के मूल्यों में केवल 2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है और इसमें कागज, अल्यूमीनियम तथा इस्पात के नियंत्रित मूल्यों का प्रभाव भी शामिल है। अगर यह प्रवृत्ति जारी रहती है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि जारी रहेगी, तब हम मूल्य वृद्धि पर आसानी से काबू पा सकते हैं। लेकिन सरकार और राष्ट्र को मूल्यों पर लगातार कड़ी निगरानी रखनी होगी ताकि मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। उन्होंने आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया है और कहा है कि इसे 1984-85 में लागू नहीं किया जा रहा रहा है। विभिन्न राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बजट में इसे शामिल किया गया है। इसे विभिन्न राज्य विधान मंडलों और इस सम्मानित सभा में रखा गया है और इसमें इस बात को शामिल किया गया है और यह बात केवल आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम सिफारिशों से सम्बन्धित है, जिस पर ध्यान दिया गया है। और प्रत्येक राज्य सरकार को इसकी जानकारी है। जब इस सभा में सोमवार को आठवें वित्त आयोग पर चर्चा होगी तो हम इसकी सिफारिशों पर और चर्चा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने सरकार की विफलताओं की काफी कटु आलोचना की है, उन्होंने मूल्य स्थिति और बेरोजगारी समस्या की चर्चा की है। उन्होंने एक सीधा प्रश्न पूछा है कि अनुपूरक मांगों के रखे जाने का औचित्य क्या है। मैं विनयपूर्वक कहना चाहता हूं कि मुख्य जोर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और गरीबी निवारण कार्यक्रम और कई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे रोजगार, ऊर्जा के नये स्रोतों का पता लगाने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों का विकास और रुग्ण औद्योगिक एककों को स्वस्थ बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए धन मुहैया करना है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य हैं। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा से सम्बन्धित मांगें ही लीजिये। पहले 75,000 बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब चालू वर्ष में 150,000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखने का निर्णय किया गया है। और इस कार्य के 25 करोड़ रु० की अनुपूरक अनुदान की मांग की गई हैं। अधिक बायो गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुपूरक मांग करने पर

आपत्ति हो सकती है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य ने जिसने भी इस चर्चा में भाग लिया है, उसने देश में ऊर्जा संकट, बिजली की कमी का जिक्र किया है। और सरकार ने अपनी समझदारी से, दूरदर्शिता से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में सोचा है। इस सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए, सरकार को उन उपायों के लिए जो कि हम ले रहे हैं, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समर्थन दिया जाना चाहिए।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, यह किसी के कहने की बात नहीं है कि देश में बेरोजगारी नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि होने से, यह स्वाभाविक है कि बेरोजगारी में वृद्धि होती है। सरकार ने क्या किया है? स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रखी गई अनुपूरक मांगें, जिनके बारे में हमारे दल के कुछ सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, प्रधान मंत्री ने पिछले 15 अगस्त को दो घोषणाएं की हैं। आचार्य भगवान देव ने भी इसका जिक्र किया है। क्या इस कार्यक्रम या नीति पर गम्भीरता से विचार या इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। जब घोषणा की गई थी तो सरकार के पास योजना तैयार नहीं थी। तत्पश्चात् योजना का प्रारूप तैयार किया गया और अब हमने इसके लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जो कि राजसहायता के रूप में होगी, ताकि यह योजना सफल हो सके। इसके तहत लगभग ढाई लाख युवकों तक युवतियों को स्वरोजगार दिलाया जा सकेगा। हो सकता है यह एक बहुत छोटा-सा उपाय हो। बेरोजगारी की विशाल समस्या को सुलझाने का यह एक छोटा-सा उपाय है लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। जो कुछ हमने किया है, उससे इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है।

मेरे माननीय मित्र, श्री सतीश अग्रवाल ने राजस्थान राज्य का जिक्र किया है। एक बार तो माननीय सदस्यों ने, सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर हमारे दल द्वारा देश में चुनाव कराये जाने की क्षमता के बारे में आशंका व्यक्त की है। उन्हें हमारी क्षमता पर शक था। मैं समझता हूं कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उन्हें इस बारे में काफी चिन्ता हो रही है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान को 1984-85 में प्रति व्यक्ति 243 रु० केन्द्रीय सहायता दी गई है। लेकिन मैं श्री सतीश अग्रवाल को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश में 11 राज्य ऐसे हैं—जिन्हें राजस्थान से कम प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता मिल रही है। मैं समझता हूं कि उन्हें खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान के साथ देश के 11 राज्यों की अपेक्षा अधिक अच्छा व्यवहार किया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : 10 राज्यों को अधिक मिल रहा है।

श्री एस० एम० कृष्ण : जहां तक राजस्थान नहर का सम्बन्ध है, केन्द्र 1983-84 में विशेष अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत 15 करोड़ रु० की राशि दी। शायद यह पर्याप्त नहीं है। लेकिन विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए हमें केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का भी ध्यान रखना होगा।

कई एक माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है और अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में की गई विभिन्न मांगों के बारे में कोई अपवाद नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार को

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों और खर्च करने की क्षमता के सम्बन्ध में समग्र दृष्टिकोण अपनाना होता है और तभी हम किसी कार्यक्रम पर पहुंच सकते हैं।

विकास की दृष्टि से राष्ट्र काफी आगे बढ़ रहा है। आप सातवीं योजना के नीति-पत्र को देखें, इससे आपको सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति हमारी वचनबद्धता का पता चलेगा और सातवीं पंच-वर्षीय योजना में इसे कितना महत्व दिया है उसका पता चलेगा। यह कोई हंसने की बात नहीं है···

श्री सतीश अग्रवाल : सातवीं योजना पर हम अलग से भी चर्चा करेंगे।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस तरह, राष्ट्र इसके लिए तैयार हो रहा है, देश में जो आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है, उस पर नजर डालिए। मैं 1950 और 1984 के आंकड़ों की तुलना नहीं करने जा रहा। कई दफा ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

अब रात के 7-30 बजने जा रहे हैं। हर कोई उतावला हो रहा है, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं यह आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा और उनके बारे में सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालयों को लिखा जाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इन अनुपूरक मांगों को पारित करे।

श्री सतीश अग्रवाल : उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम इन्हें पारित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1984-85 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

मांग संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 12, 25, 28, 29, 31, 39, 43, 46, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 76, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91 96, 99 और 108."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.23 म० प०

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एस० एम० कृष्ण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० एम० कृष्ण : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है। धन्यवाद।

7.27 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 3 अगस्त, 1984/12 श्रावण, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मौजपुर, दिल्ली-53